Page No 1

राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

दिनांक, १ सितम्बर, १६५६

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर ५ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[खनिज, उद्योग एवं रसद, राजस्व, शिक्षा, खनिज, वित्त, आबकारी, बेसिक शिक्षा, समाज कल्याण योजना एवं विकास तथा सामान्य प्रशासन— विभाग]

प्रश्न संख्या ४६१

श्री उपाध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

खादी प्रतिष्ठान, बीकानेर

४६२. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): क्या उद्योग एवं रसद मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) खादी प्रतिष्ठान, बीकानेर को कुल कितना रुपया अब तक कर्ज के रूप में राजस्थान सरकार व खादी कमीशन से किस किस साल में दिया गया?

(२) इन रुपयों में से इस समय कितना रुपया पदाधिकारियों के व्यक्तिगत नाम में है?

(३) खादी प्रतिष्ठान के पदाधिकारी कौन कौन हैं व इसके पदाधिकारी बनने के लिए कौन सी आचार संहिता निहित है?

(४) क्या यह सत्य है कि खादी के अतिरिक्त अन्य सूती व मिल के कपड़ों का व्यापार करने वाले ऐसी संस्था के अधिकारी नहीं बन सकते?

(५) यदि हां, तो क्या इन नियमों का पालन इस संस्था में होता है?

उप मंत्री, वित्त (श्री रिखबचन्द धारीवाल): (१) राजस्थान सरकार से अब तक ३५,००० रु० तथा खादी ग्रामोद्योग आयोग से (कमीशन से) ४,६६,०३,६३४ प्राप्त हैं। ये रकम किस किस मास में दी गई हैं, इसकी सूचना प्राप्त की जा रही है।

(२) संस्था से प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्न पदाधिकारियों के अंकित

Page No 2

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

रकम नामें हैं :—

श्री रामरतन कोचर रु० ७, ३४६) रु०, श्री बद्रीनारायण सोढानी ७००) रु० व श्री माधोलाल जैन १४.५८ न० पै०। कुल योग रु० ८,०६० रु० ५८ न० पै० ।

(३) खादी प्रतिष्ठान के अधिकारी निम्न हैं :—

१. श्री रामरतन कोचर, अध्यक्ष ।

२. श्री बद्रीनारायण सोढानी, मंत्री ।

४. श्री देवीदत्त पंत, संयुक्त मंत्री ।

प्रतिष्ठान का अपना एक विधान है, जिसके अनुसार सदस्य बनाया जाता है ।

ऐसे भी व्यक्ति जो सम्पूर्ण आदन खादीधारी होकर नियमपूर्वक हर मास ७॥ घुण्डी सूत कातते हैं और जो प्रतिष्ठान को सभा में उपस्थित और मत देनेवाले सदस्यों के दो–तिहाई मत से सदस्य बनाये जायं बशर्ते कि सदस्यों की संख्या ११ से अधिक न हो ।

प्रतिष्ठान के सदस्यों में से पदाधिकारी का चुनाव होता है और कोई भी सदस्य प्रतिष्ठान का पदाधिकारी बन सकता है ।

(४) प्रतिष्ठान के सदस्य किसी अन्य व्यक्ति को भी उपयुक्त समझ कर पदाधिकारी चुन सकते हैं ।

(५) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने कहा है कि किसी को इसका सदस्य चुन सकते हैं । उसके लिए कोई प्रतिबन्ध है या नहीं ? जो लोग सूती कपड़े का व्यापार धन्धा करते हैं वे इसके सदस्य या अधिकारी बन सकते हैं या नहीं ?

श्री रिखबचन्द धारीवल : उनके नियमों के अनुसार पदाधिकारियों का चुनाव होता है । कोई भी सदस्य पदाधिकारी बन सकता है ।

श्री मुरलीधर व्यास : इस प्रकार का कोई प्रतिबन्ध है या नहीं कि सूत कातनेवाले या प्रतिष्ठान के सदस्य ही इसके पदाधिकारी बन सकते हैं, इस प्रकार के नियम हैं क्या ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया कि वे लोग ७॥ घुंडी सूत कातते हैं और जो प्रतिष्ठान के सभी उपस्थित सदस्यों के दो–तिहाई मतों से सदस्य बनाये जा सकते हैं, जिनकी संख्या ११ से अधिक न हो । प्रतिष्ठान के सदस्यों में से पदाधिकारियों का चुनाव होता है और कोई भी सदस्य प्रतिष्ठान का पदाधिकारी बन सकता है ।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं यह जानना चाहता हूं कि कोई व्यापारी विलायती कपड़े का व्यापार करता है या सूती कपड़े का व्यापार करता है, तो क्या ऐसा व्यक्ति भी प्रतिष्ठान का पदाधिकारी बन सकता है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : कोई भी व्यक्ति बन सकता है, किसी प्रकार की कैद नहीं है ।

Page No 3

श्री मुरलीधर व्यास : इस प्रकार के नियम हैं कि ऐसे व्यक्ति नहीं बन सकते। लेकिन आप कहते हैं कि बन सकता है। यह किस आधार पर कहते हैं? नियमों में ऐसा है या नहीं?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : नियम में ऐसी बाधा नहीं है, कोई व्यक्ति बन सकता है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : पार्ट (२) के जवाब में कुछ व्यक्तियों के नाम बताये गये जिनमें रकम बकाया है। उनको रकम व्यक्तिगत नाम से क्यों उधार दी गई, संस्था के नाम से क्यों नहीं दी गई?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : क्या चीज?

श्री पी० के० चौधरी : लोन।

श्री उपाध्यक्ष : लोन व्यक्तिगत नाम से क्यों दिया गया? संस्था के नाम से क्यों नहीं दिया गया?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : श्री रामरतन कोचर के नाम ७,३४६ रु०, बद्रीनारायण सोढ़ानी के नाम ७००) रु० और श्री माधोलाल जैन के नाम १४ रु० ५८ नये पैसे हैं, जिनका इन्हें हिसाब देना है।

श्री पी० के० चौधरी : मेरा सवाल यह है : Why it has been given to the individual and not in the capacity of an Organisation?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह संस्था के देखने का काम है। सरकार बीच में आती नहीं है। संस्था अपने विधान की तहत रुपये देती है या नहीं, इससे सरकार का क्या ताल्लुक?

श्री पी० के० चौधरी : क्या नियम से व्यक्तिगत रूप से दे सकते हैं?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : It has nothing to do with the Government. They...

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : उपाध्यक्ष महोदय, आप चाहे इन्डिविज्युअल या संस्था को दें यह पब्लिक मनी नहीं है क्या?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : This loan which has been granted by the Government to the extent of 35 thousand and also by the commission, paid that is to be repaid. If any is being paid by the Society or by the institution to any people, the Government does not come at all in picture.

श्री पी० के० चौधरी : Withou the......

श्री रिखबचन्द धारीवाल : You have not to see.

श्री उपाध्यक्ष : Next.

श्री श्रीभानसिंह : Is it not the responsibility of the Government?

श्री मुरलीधर व्यास : सरकार का पैसा कोई व्यक्ति इस्तेमाल करता है और सरकार देखे नहीं, यह कैसे हो सकता है?

Page No 4

श्री रिखबचन्द धारीवाल : संस्था के रूल्स हैं और यह रजिस्टर्ड संस्था है, फिर गवर्नमेंट कैसे इसमें हस्तक्षेप कर सकती है ?

श्री पी० के० चौधरी : No loan can be granted to any individual capacity...

श्री रिखबचन्द धारीवाल : What are the rules, I am not in a position to say, but the whole position is quite clear, that the Government does not come at all in picture.

श्री पी० के० चौधरी : This comes under the Achar Samhita and so the Hon'ble Minister...

श्री रिखबचन्द धारीवाल : There are already rules.

(श्री पी० के० चौधरी के बोलने हेतु खड़े होने पर)

श्री रिखबचंद धारीवाल : The Hon'ble Member will please bear in mind and hear me before the Hon'ble Member Stands now and then. I say the Government does not come in the picture at all. We have nothing to do with what transactions have taken place in the Society ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द ।

श्री श्रीभानसिंह : क्या यह माना जाय कि मनी का मिसएप्रोप्रियेशन हो तो भी गवर्नमेंट हस्तक्षेप नहीं कर सकती ?

श्री रिखबचंद धारीवाल : I am extremely sorry to say that the Government does not come in the picture. The Society should take action if there is a misappropriation.

श्री श्रीभानसिंह : In case the Society does not take any action ?

श्री मुरलीधर व्यास : संस्था यदि ऐसा नहीं करती है तो हमारा यह कर्तव्य है कि हम आपका ध्यान इस ओर दिलायें । हम जनता के प्रतिनिधि हैं इसलिए हमारा कर्तव्य है कि कहीं दुरूपयोग होता हो तो उसे रोकने का प्रयत्न करें ।

वित्त मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : सरकार संस्था से डील करती है । यदि संस्था के खिलाफ शिकायत हो तो उसको हम डील कर सकते हैं लेकिन रजिस्टर्ड संस्था के जो नियम बने हुए हैं उनमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते ।

श्री श्रीभानसिंह : But the Government is involved......

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन । श्री लक्ष्मीचन्द ।

श्री श्रीभानसिंह : यह इम्पोरटेन्ट क्वेश्चन है । आपने इतना जल्दी दूसरा क्वेश्चन कॉल कर लिया...

श्री उपाध्यक्ष : There are so many questions and I am to take every question otherwise the other members will resent.

श्री श्रीभानसिंह : It is the duty of the House to watch that the money is properly utilised. It is a Public Money. The sense of the money is, Sir, that the money should be......

श्री उपाध्यक्ष : That impression has been taken.

एक माननीय सदस्य : I will draw your attention to...

श्री उपाध्यक्ष : I have taken another question.

प्रश्न संख्या ४६३

श्री लक्ष्मीचन्द ।

(अनुपस्थित)

श्री भीमसेन ।

गंगानगर जिले में भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समितियों को अलॉट हुई भूमि

४६४.**श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) गंगानगर जिले में भूतपूर्व सैनिकों की किस किस सहकारी समिति को सरकार की ओर से, किन किन शर्तों पर जमीन अलॉट की गई है ?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त सहकारी समितियों को जमीन इस शर्त पर दी गई थी कि इनके सदस्यगण खुदकाश्त करके जीविकोपार्जन करेंगे ? अगर हां, तो इन सहकारी समितियों के कौन कौन ऐसे भी सदस्य हैं जो खुदकाश्त नहीं करते हैं तथा सरकारी अथवा गैर सरकारी नौकरी करते हैं ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) भाखरा प्रोजेक्ट एरिया (गंगानगर डिस्ट्रिक्ट) निम्नलिखित भूतपूर्व सैनिकों की समितियों को कॉलोनाइजेशन विभाग, भाखरा क्षेत्र द्वारा भाखरा प्रोजेक्ट एक्स-मिलिट्री पर्सनल (अलॉटमेंट ऑफ गवर्नमेंट लैंड) रूल्स, १६५५ के अन्तर्गत भूमि अलॉट की गई है :

(क) वीर भारत सैनिक सामूहिक कृषि सहकारी समिति लि., गंगानगर ।

(ख) श्री दुर्गा सैनिक सामुहिक कृषि सहकारी समिति लि०, हनुमानगढ़ ।

(ग) अवकाश प्राप्त सैनिक सामूहिक कृषि सहकारी समिति लि०, गंगानगर ।

(२) सहकारी समिति को प्रत्येक सदस्य के लिए अलग खुद काश्त करना आवश्यक नहीं बल्कि समिति की सामूहिक रूप से खुद काश्त होना आवश्यक है। इसके लिए समिति अपने सदस्यों में से कुछ व्यक्तियों की एक कार्यकारिणी समिति नियुक्ति करती है और यही कार्यकारिणी इस भूमि की काश्त वगैरह की जिम्मेदार होती है और इस कार्यकारिणी द्वारा काश्त भूमि समिति की खुद काश्त मानी जाती है। समिति का प्रत्येक सदस्य अपने अपने हिस्से की जमीन को अलग अलग काश्त नहीं करता है। खेती सामूहिक तौर पर होने से सब ही सदस्यों की ओर से खुद काश्त मानी जाती है। सहकारी

(श्री दामोदरलाल व्यास)

समितियों के कौन कौन ऐसे सदस्य हैं जो खुद काश्त नहीं करते हैं तथा सरकारी अथवा गैर सरकारी नौकरी करते हैं, इस विषय में कोई रेकॉर्ड नहीं है ।

श्री भीमसेन : क्या सरकार ने एक्स-सोल्जर्स को जमीन इसलिए दी है कि उनका रीहेबिलिटेशन हो सके और गुजर चल सके ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां ।

श्री भीमसेन : जब इस ख्याल से है तो वे क्यों नहीं खुद काश्त करते ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कब इन्कार किया ? मैंने अर्ज किया था कि कोऑपरेटिव फार्मिंग में हरेक व्यक्ति काश्त नहीं करता, बल्कि उसके लिए मैनेजिंग कमेटी होती है ।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या सरकार ने कहा है कि सहकारी समितियों के कारण प्राइवेट ऑनरशिप खत्म नहीं होगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यदि वे लैंड को प्लो करते हैं तो ।

श्री भीमसेन : मेरा प्रश्न पूछने का मकसद यह था कि सहकारी समितियों के ऐसे कौन से सदस्य हैं जो वहां के सदस्य भी हैं और सरकारी या गैरसरकारी नौकरी भी करते हैं और इस प्रकार दोहरा लाभ उठा रहे हैं। जो मकसद जमीन देने का है वह यह है कि भूतपूर्व सैनिक जीवकोपार्जन कर सकें । लेकिन कुछ दूसरी जगह नौकरी कर रहे हैं और इस प्रकार जमीन लेकर दोहरा फायदा उठा रहे हैं यह देखने की बात है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जिसके लिए आपको ऐतराज हो कि फलां सहकारी समिति के फलां सदस्य को इस प्रकार गलती से सदस्य बना लिया है और दोहरा लाभ ले रहा है तो वह बतायें। जो आपने प्रश्न पूछा है उसका जवाब मैंने अर्ज कर दिया है । आपके कहने का मतलब यह है कि एक आदमी जमीन के अलॉटमेंट का एनटाइटल्ड नहीं है क्योंकि वह भूमिहीन नहीं है और नौकरी करता है लेकिन अलॉटमेंट करवा लिया है ।

श्री भीमसेन : यह सरकार के देखने की बात है । केवल तीन सहकारी समितियां हैं उनमें देखें कि कौन कौन मेम्बर सरकारी या गैर सरकारी नौकरी में हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा ।

शिक्षा विभागीय परीक्षाओं को मान्यताएँ

४६५. **श्री रामनारायण वर्मा** (पीपल्दा-सुं—श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) द्वारा पूछा गया) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रकार का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या राजस्थान शिक्षा विभागीय परीक्षायें समानता की दृष्टि से प्रवेशिका, उपाध्याय, शास्त्री तथा आचार्य क्रमशः मैट्रिक, इन्टर, बी. ए., तथा एम. ए. के सदृश मानी गई हैं ?

(२) यदि हां, तो प्रवेशिका उत्तीर्ण छात्र को कॉलेज में प्रवेश क्यों नहीं मिलता तथा

Page No 7

(श्री रामनारायण वर्मा)

मैट्रिक पास अध्यापकों को दी जानेवाली ट्रेनिंग से उसे क्यों वंचित रखा जाता है ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जी हाँ। किन्तु पे स्केल्स व सरकारी नौकरियों के लिये ही मानी गई है। शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश पाने के लिए नहीं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री दयाकृष्ण विजय : फिर प्रवेशिका पास व्यक्ति को, जो ट्रेनिंग मैट्रिक पास अध्यापकों को दी जाती है, वह ट्रेनिंग क्यों नहीं दी जाती ?

श्री रामकिशोर व्यास : अगर कोई व्यक्ति सलेक्शन में आता है तो उसे ट्रेनिंग दी जायेगी।

श्री दयाकृष्ण विजय : प्रवेशिका, उपाध्याय, शास्त्री तथा आचार्य को जब क्रमशः मैट्रिक, इन्टर, बी. ए. तथा एम. ए. के समकक्ष मानते हैं तो उनको वही ट्रेनिंग देनी चाहिए और उस ग्रेड में रखना चाहिए।

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने निवेदन किया कि पे स्केल्स व सरकारी नौकरियों के लिए रखा है, दूसरे लिहाज से नहीं है। क्योंकि कई ऐसे होते हैं जिनके पास पूरे सब्जेक्ट नहीं होते।

श्री उपाध्यक्ष : श्री तेजाराम गहलोत।

सोजत सब डिविजन में खालसा की जमीन

४६६. श्री तेजाराम गहलोत (सोजत): क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि भूतपूर्व जोधपुर रियासत के कई जागीरी गांवों में खालसा की जमीनें भी थी ?

(२) यदि हां, तो सोजत सब डिविजन के किन किन जागीरी गांवों में ऐसी जमीनें कितनी कितनी थी ?

(३) क्या यह सही है कि राजस्व विभाग ही इस जमीन का लगान वसूल करता था ?

(४) क्या यह सही है कि राजस्व व बन्दोबस्त विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से ऐसी कई खालसा भूमियां जागीरदारों ने हथियाली हैं ?

(५) सोजत सब डिविजन के निम्न गांवों में उक्त भूमि कितनी थी व उसका लगान कितना वसूल होता था तथा अब उस भूमि का बन्दोबस्त में क्या इन्द्राज हुआ है :

१. सांड़िया, २. खोखरा ३. बागावास, ४. धावड़ी, ५. चंडावल, एवं ६. खारीयानींव।

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) जी नहीं।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) खारची तहसील में तो ऐसी जमीनों का लगान राजस्व विभाग द्वारा ही वसूल होता है, किन्तु तहसील सोजत के गांवों में कहीं कहीं खालसे के हवलदार व कहीं कहीं जब्ती के हवलदार जमीन का लगान वसूल करते थे व कहीं कहीं जब्ती मारवाड़ माफी रूल्स,

Page No 8

(श्री दामोदरलाल व्यास)

१९२३ के रूल्स ६ के अनुसार जागीरदार की रेख चाकरी में लगान शामिल होकर रेख चाकरी के शामिल महकमा श्री. ट्रिब्यूट से जमा होता था।

(४) जी नहीं।

(५) (१) सांड़ियां: सांड़िया में खालसे की जमीन ६७६॥। १ बीघा थी व मौजूदा बन्दोबस्त में जागीर सेटलमेंट में इस चक को सांड़िया की सरहद में शामिल कर ६०१।४ बीघा किया है जिसमें सड़क यानि मांड ट्रंक रोड़ का रकबा ८८ ४ बीघा शामिल है। इस कुल रकबे का लगान ६३३ रु० १२ आ० वसूल होते हैं।

(२) खोखरा: ९५ बीघा जमीन खालसे की है। जदीद बन्दोबस्त में खोखरा की जागीर सेटलमेंट ने ९५ बीघा खालसा दर्ज की है जिसके लगान के ८४ रु० हैं जो ५। ३ बीघा के वसूल किये जाते हैं। बाकी ८९॥२ बीघा सड़क है जो मांड ट्रंक रोड़ है।

(३) बागावास: १,२२८ बीघा जमीन खालसे की थी जिसका लगान पटवारी वसूल करता था जो सम्वत् २००७ तक आसमियान के लगाया गया। जदीद बन्दोबस्त जागीर सेटलमेंट ने ३४, ३ बीघा दर्ज कर १९ रु० १० आ० लगान के लगाये हैं व ९५॥ २ बीघा गैर मुमकिन सड़क दर्ज की है। इस कमी के क्या कारण हैं, इसकी जांच के लिए आदेश दे दिये गये हैं।

(४) धावड़ी: ४३।१ बीघा जमीन उपाध्याय ब्राह्मणों की थी जो बमुजिब हुक्म श्री रेवेन्यू मिनिस्टर, जोधपुर संख्या ८१०, दिनांक २२–१०–४२ से टेम्पररी अटॉचमेंट करके जब्ती में रखी गई थी जिसका लगान सम्वत् १९९८ से सम्वत् २००९ तक वसूल होकर जमा हो चुका है। जदीद बन्दोबस्त में जागीर सेटलमेंट में उक्त जमीन को इजारदार भभूतराम के नाम माफी में दर्ज हुई है।

(५) चंडावल: खालसे की भूमि १३७॥। ३ बीघा थे। जदीद बन्दोबस्त में जागीर सेटलमेंट ने गैर मुमकिन १३३॥ ४ बीघा व मुमकिन ४।४ बीघा दर्ज कर मुमकिन की रकम ६ रु० ७ आ० लगाये हैं जो पटवारी वसूल करता है। मिसल बन्दोबस्त आने के बाद वक्त पड़ताल मालूम हुआ कि चंडावल में पूनमचन्द वल्द जवार, संखधाल ब्राह्मण की डोली खाता नम्बर ५१९ में १।४ हिस्सा जो पूनमचन्द का था और बमुजिब हुक्म श्री रेवेन्यू मिनिस्टर, जोधपुर संख्या १२२५४, दिनांक ११–८–४२ खालसे किया गया था जो बन्दोबस्त विभाग द्वारा पुनः पूनमचन्द के नाम माफी दर्ज होने पर इस मुतल्लिक कागजात जिलाधीश के पास पहुंचने पर दिनांक १३–६–५८ के उनके आदेश के अनुसार उपरोक्त जमीन खालसे की गई और ३५ रु० १२ आ० सालाना से मतालबा सम्वत् २०११ से लगाने के लिए जिलाधीश ने पटवारी को आदेश दिया है।

(६) खारियानींव: खारियानींव में कोई खालसे की भूमि नहीं थी।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिए)

श्री तेजाराम गहलोत: आपने प्रश्न ४ के जवाब में कहा है कि राजस्व व बन्दोबस्त विभाग को लापरवाही नहीं है। क्या

(श्री तेजाराम गहलोत)

यह माना जाय कि तहसीलदार, बन्दोबस्त विभाग ने भूमि का सही इन्द्राज हो, इसके लिए सब पोसिबल मेजर्स लिए हैं, जो उनकी जिम्मेदारी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने जहां जहां की जो डिटेल्स मांगी हैं, वे मैंने दे दी हैं। आप यह बतलायें कि किस जगह किसकी गफलत हुई तो मैं बता सकता हूं। चंडावल में जांच की गई, जहां गफलत थी उसके लिए कलेक्टर ने आदेश दे दिये हैं और २०११ से जमीन खालसा कर दी गई है।

श्री तेजाराम गहलोत : मेरा निवेदन है कि बागावास में १२२८ बीघा जमीन जहां ३५। ३ बीघा और ६५।। २ बीघा दर्ज की है। धाकड़ी में ४१।१ दर्ज हुई, चंडावल में १३७।।।३ की जगह १३३।।४ बीघा गैर मुमकिन व ४।४ मुमकिन दर्ज की है। मेरा निवेदन है कि अगर अलग अलग इन्द्राज हुए हैं तो क्या तहसील बन्दोबस्त विभाग की लापरवाही नहीं थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया है कि बागावास में इन्क्वायरी इन्स्टीट्यूट कर दी गई है। चंडावल के लिए लगान के लिए आदेश कर दिये गये हैं। हमने इन्क्वायरी इन्स्टीट्यूट कर दी है और अगर किसी ऑफिसर की वजह से गलती हुई है......

श्री तेजाराम गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

श्री तेजाराम गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री उपाध्यक्ष : I can not allow more supplementaries as there are sufficient questions to be put.

श्री तेजाराम गहलोत : जैसा मैंने बताया, क्या इसमें कोई लापरवाही नहीं हुई ?

श्री उपाध्यक्ष : I have taken another question.

प्रश्न संख्या ४६७

श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

श्री रामनारायण वर्मा।

पत्थर की खानों को हथोड़ा रॉयल्टी या प्लॉट सिस्टम पर देने की मांग-करौली क्षेत्र

४६८. **श्री रामनारायण वर्मा** (पीपल्दा—सु—श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा), द्वारा पूछा गया) : क्या मंत्री, खनिज विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या करौली क्षेत्र के खन्वा तथा गाड़ीवान मज़दूरों ने यह मांग की थी कि पत्थर की खानों को हथोड़ा रॉयल्टी या प्लॉट सिस्टम पर दिया जाय ?

(२) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

उप-मंत्री, खनिज (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) जी हां।

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

(२) ३० मील का एरिया पुरानी पार्टी के नाम नवीनीकरण करके बाकी बचे एरिया को खनन पट्टों के के लिए नीलाम कर दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न संख्या ४६६

श्री मनोहर कोठारी।

(अनुपस्थित)

श्री मुरलीधर व्यास।

राजस्थान कॉलेज की छात्राओं द्वारा सांकेतिक हड़ताल

५००. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि इस वर्ष (१६५८-५६) राजस्थान कॉलेज, जयपुर की छात्राओं ने प्रिंसिपल के व्यवहार से असन्तुष्ट होकर एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की थी ?

(२) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की ?

शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या इस प्रकार की कोई हड़ताल नहीं हुई, सांकेतिक हड़ताल ?

श्री उपाध्यक्ष : जी नहीं हुई।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं उत्तर दे चुका हूँ।

श्री मुरलीधर व्यास : यह गलत उत्तर है। हड़ताल हुई है। उसका नेतृत्व किया गया है। सारी बातें हैं। आप कहते हैं, जी नहीं, यह आपके पास गलत इन्फॉर्मेशन है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मेरे पास यह सूचना नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न संख्या ५०१

श्री लक्ष्मीचन्द।

(अनुपस्थित)

श्री मुरलीधर व्यास।

बीकानेर रेन्ज में ट्रेन्ड इन्टरग्रेड में प्रमोशन

५०२. श्री मुरलीधर व्यास : (बीकानेर सिटी) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) बीकानेर रेन्ज में ट्रेन्ड इन्टर ग्रेड में इस वर्ष प्रमोशन कब दिये गये ? प्रमोशन देने में किन किन बातों का विचार किया गया था ?

(२) क्या ये प्रमोशन इनिशियल अनट्रेन्ड इन्टर ग्रेड की सीनियोरिटी के आधार पर दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(३) क्या सरकार को विदित है कि इस प्रकार भिन्न भिन्न तिथियों से प्रमोशन देने से सीनियर व्यक्ति जूनियर तथा जूनियर

Page No 11

(श्री मुरलीधर व्यास)

व्यक्ति सीनियर हो जायेगा और इससे अनेकों के हक मारे जायेंगे ?

(४) इनिशियल सीनियोरिटी के आधार पर एक ही तारीख २. ८. ५८ से प्रमोशन क्यों नहीं दिये गये ?

(५) क्या यह सत्य है कि सम्बन्धित अधिकारी ने किसी एक व्यक्ति विशेष को सीनियर बनाने के लिये सारी अवैधानिक व गलत कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो एक ही साल में दो विभिन्न तारीखों से प्रमोशन क्यों दिया ?

शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाडिया) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) बराबर ।

(घ) जी हां ।

(ङ) जी हां ।

(च) विद्यार्थियों के कॉलेज छोड़ने के ती ाह बाद ।

(छ) यह रकम ट्रेजरी में जमा होती है । सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री मुरलीधर व्यास : यह ५०२ का जवाब नहीं है और किसी का जवाब दे दिया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष : ५०४ का जवाब दे दिया है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : (१) इन्टर ग्रेड में प्रमोशन नवम्बर, ५८, दिसम्बर, ५८ और मार्च, ५६ में दिये गये । प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों को प्रमोशन देने में सीनियोरिटी का विचार रखा गया है ।

(२) प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों को प्रमोशन इनिशियल अनट्रेन्ड इन्टर ग्रेड की सीनियोरिटी के आधार पर दिये गये हैं ।

(३) जो प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक जिस रोज प्रमोशन पाने के अधिकारी थे उन्हें उस तारीख का ध्यान रखते हुए प्रमोशन दिये गये हैं । जो व्यक्ति प्रमोशन के समय क्वालीफाइड नहीं थे उन्हें प्रमोशन देने का सवाल नहीं उठता ।

(४) पूर्व प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों के हित को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया है ।

(५) किसी व्यक्ति विशेष का ख्याल नहीं रखा गया है । विभिन्न तारीखों को प्रमोशन देने का कारण प्रश्न नम्बर ४ में अंकित कर दिया गया है ।

श्री मुरलीधर व्यास : प्रश्न नम्बर ३ के उत्तर में कहा है कि सीनियोरिटी के आधार पर लोगों को प्रमोशन दिया गया है । इसके साथ ही आपने कहा प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों को सीनियोरिटी के आधार पर प्रमोशन दिया गया, तो ट्रेनिंग में भेजने का अधिकार किसे था ? जो प्रशिक्षण के लिए भेजे गये, वह सीनियोरिटी के आधार पर भेजे गये या दूसरे आधार पर ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ट्रेनिंग में भेजने के बाद कई बातों का ख्याल रखना पड़ता है। सीनियोरिटी के साथ साथ वह क्वालिफाईड है या नहीं, वह खुद तैयार है या नहीं। कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। उसकी सीनियोरिटी, क्वालीफिकेशन और दूसरे फैक्टर देख कर तय करते हैं ताकि उसका लाभ प्राप्त हो सके।

श्री मुरलीधर व्यास : प्रश्न यह नहीं कि भेजा ही नहीं गया, सरकार ने अपनी इच्छा से भेजा। जो अच्छे क्वालिफाइड थे उनको नहीं भेज कर जो लोग उनसे जूनियर थे उनको भेजा। उनको प्रमोशन दे दिया तो दूसरों की सीनियोरिटी मारी गई कि नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ऐसी जानकारी मेरे पास नहीं। विशेष तौर से कोई जानकारी हो वह आप दें तो जांच कराने के बाद कह सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमसेन।

कॉलोनाइजेशन विभाग द्वारा भाखरा एरिया का सर्वे

५०३. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) कॉलोनाइजेशन विभाग, भाखरा ने कब कार्य आरम्भ किया तथा इस विभाग द्वारा कितना कितना काम प्रति वर्ष किया गया है ?

(२) इस विभाग ने कितने एरिया की सर्वे करके मुरब्बाबन्दी की ?

(३) क्या यह सही है कि गंग कॉलोनी का काम भाखरा कॉलोनाइजेशन विभाग में लगे हुए स्टाफ से कम स्टाफ व कम समय में हुआ ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) कॉलोनाइजेशन विभाग, भाखरा का कार्य पहले भूतपूर्व बीकानेर राज्य के तत्वावधान में शार्दूल सिंचाई परियोजना के नाम से सन् १९४८ में प्रारम्भ हुआ। इस समय तक का कार्य विवरण परिशिष्ट 'अ' में दिखाया गया है जो सदन की मेज पर रखदी गई है। राजस्थान सरकार ने १९५३ के उत्तरार्ध में उपनिवेशन संचालय स्थापित करके इस कार्य को प्रगति पथ पर आरूढ़ किया। तब से मार्च, १९५९ तक की वार्षिक कार्य प्रगति जो हुई है वह परिशिष्ट (ब स व द) से विदित होगी जो सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सिंचाई विभाग द्वारा परियोजना क्षेत्र में मुरब्बों के पत्थर स्थापित किये गये थे। वर्तमान कॉलोनाइजेशन विभाग ने मुसल्लसबन्दी के नक्शे पर जो खेत बने हुए थे उनको मुरब्बाबन्दी व किलाबन्दी के नक्शे पर आधारित किया।

(३) गंग कॉलोनी के कार्य से भाखरा कॉलोनाइजेशन विभाग की तुलना करते समय परिवर्तित परिस्थितियों को विस्मरण नहीं किया जा सकता। उस समय के एकतन्त्रीय शासन व आज के वैधानिक शासन में समानता नहीं पाई जा सकती। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि १९५४-५५ में उपनिवेशन कार्य विधिपूर्वक संचालन हेतु नियम-उपनियम स्वीकृत हुए। इसके पश्चात् जनता की मांग पर समय समय पर संशोधन नियमों में होते

Page No 13

(श्री दामोदरलाल व्यास)

रहने से कार्य की प्रगति पर प्रभाव पड़ता रहा।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिए)।

श्री भीमसेन : मन्त्री महोदय ने दूसरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि कितने एरिया में किया गया, कितने एकड़ भूमि में किया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : परिशिष्ट देखिये।

श्री भीमसेन : कॉपी आपने नहीं दी।

श्री दामोदरलाल व्यास : नोटिस ऑफिस से लीजिये।

श्री भीमसेन : नोटिस ऑफिस से दर्याफ्त किया तो मिली नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : It is there.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न संख्या ५०४

श्री रामकरणसिंह।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

श्री भैरोंसिंह।

साइन्टिफिक इन्स्ट्रूमेंट्स पर सेलस टैक्स

५०५. श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर—श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) द्वारा पूछा गया): क्या वित्त मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान के बाहर के डीलर्स को राजस्थान के डीलर्स के मुकाबले में साइन्टिफिक इन्स्ट्रूमेंट्स पर सेलस टैक्स कम देना पड़ता है ? यदि हां, तो कितना कम ?

(२) क्या यह सही है कि जब कभी सरकारी विभागों से साइन्टिफिक इन्स्ट्रूमेंट्स की खरीद के बारे में टेन्डर्स आमन्त्रित किये जाते हैं तथा उनमें (इन्क्लुडिंग सेलस टैक्स) कीमतें लिखने का उल्लेख आता है तो अन्तिम डीलर्स के मुकाबले में बाहर के डीलर्स की कीमतें सेलस टैक्स के कारण कम होती हैं और इस कारण उनके टेन्डर्स मंजूर कर लिये जाते हैं ?

(३) क्या यह सही है कि इस दिक्कत से बचने के लिये स्थानीय डीलर्स राजस्थान के बाहर नाम मात्र की फर्म्स कायम करके उनके नाम से टेन्डर्स भरते हैं तथा उनको मन्जूर करवाते हैं ?

(४) क्या यह सही है कि इस विभागीय सूदन लाभ के कारण सरकार को काफी घाटा खाना पड़ता है ? यदि हां तो क्या सरकार सब विभागों को इस प्रकार के आदेश जारी करेगी कि भविष्य में टेन्डर्स में (इन्क्लुडिंग सेलस टैक्स) कीमतें नहीं मांगी जावें ?

वित्त मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (१) जी हां, बाहर के रजिस्टर्ड व्यापारी यदि वैज्ञानिक इन्स्ट्रूमेंट्स सप्लाई करेंगे तो उससे वहां की सरकार एक प्रतिशत की रेट से केन्द्रीय बिक्री कर वसूल करेगी और यदि राजस्थान का व्यापारी वैज्ञानिक इन्स्ट्रूमेंट्स

Page No 14

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

राजस्थान में बेचेगा तो उसको राजस्थान राज्य का बिक्री कर देना पड़ेगा। वैज्ञानिक वस्तुओं में अनेक वस्तुएं शामिल हैं सो वस्तु का नाम मालूम होने से उसकी निश्चित रेट बताई जा सकती है।

(२) जी, हां।

(३) ऐसा केस सरकार के ध्यान में नहीं है।

(४) यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

श्री दयाकृष्ण विजय : सरकार कब से विचार कर रही है?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : सरकार विचार कर रही है। केन्द्रीय सरकार से लिखा-पढ़ी कर रही है।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या सरकार को मालूम है कि इससे सरकार और डीलर्स दोनों का नुकसान होता है?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं जानता हूँ। सरकार इससे परिचित है कि व्यापारी और सरकार दोनों को इससे नुकसान होता है। सरकार चाहती है कि इस रेट में सुधार किया जाय। केन्द्रीय सरकार से लिखा-पढ़ी चल रही है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) **:** राजस्थान के व्यापारी राजस्थान में भी व्यापार करते हैं और बाहर भी व्यापार करते हैं तो वे कहां के व्यापारी माने जायेंगे?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : दोनों जगह व्यापार करते हैं तो दोनों जगह के माने जायेंगे।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) **:** बाहर से साइफन आते है, बाहर से व्यापार करने आते हैं, लोकल व्यापारी से साइफन लेते हैं इसलिये उसको साइफन नहीं देते, यह सही है?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इसकी मुझे जानकारी नहीं है।

श्री दयाकृष्ण विजय : यह विषय कब से विचाराधीन है?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जवाब दे दिया कि केन्द्रीय सरकार से लिखा-पढ़ी कर रहे हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय : प्रश्न यह है कि कब से यह विचाराधीन है?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : कब से है, यह तो इर्रिलेवेन्ट है।

श्री पी० के० चौधरी : I myself handed over note in the last Budget Session, since then I am asking for it. It is not only the difficulty of the scientific dealers but of various other firms.

श्री उपाध्यक्ष : This will do. It is a specific and independant question than giving deliberations over the question.

प्रश्न संख्या ५०६

श्रीमती गंगादेवी डाटा।

(अनुपस्थित)

Page No 15

श्री भैरोंसिंह।

निरीक्षक, जिला जयपुर पूर्व द्वारा छात्राध्यापकों को एस० टी०सी० की ट्रेनिंग

५०७ श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर—श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) द्वारा पूछा गया): क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) जयपुर जिला पूर्व इन्सपेक्टोरेट द्वारा सन् १९५८-५९ में कितने छात्राध्यापकों को एस० टी० सी० की ट्रेनिंग दिलवाई गई ?

(२) इस ट्रेनिंग में कितने छात्राध्यापक उत्तीर्ण हुए तथा उनकी किस किस तारीख को नियुक्ति की गई ?

(३) क्या यह सही है कि इन नियुक्तियों में अनावश्यक देरी हुई है व कई अध्यापकों की अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्यों और ऐसे कितने अध्यापक हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया:) (१) ६६ अध्यापकों व ३४ नव व्यक्तियों को एस० टी० सी० की ट्रेनिंग दिलवाई गई।

(२) जितने छात्र व अध्यापक ट्रेनिंग के लिये भेजे गये थे वे सब उत्तीर्ण हो गये। ६६ अध्यापकों की नियुक्ति का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि वे पहले से ही राज्य सेवा में हैं। नव व्यक्तियों की नियुक्तियां दिनांक २७.७.५६ को एवं ३१.७.५६ को की गई।

(३) जी नहीं। कोई अनावश्यक देरी नहीं हुई। केवल ४ प्रत्याशियों की नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से नाम आने में देरी हो जाने के कारण नियुक्ति करने में देरी हो जाती है।

श्री दयाकृष्ण विजय : यह एम्प्लॉयमेंट एक्सचेन्ज इस तरह से देरी करता है और लोगों का इन्ट्रेस्ट क्लेश होता है। देरी क्यों करता है इसके लिये सरकार प्रयत्न करने को तैयार है कि नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हम प्रयत्न शील हैं, पर इसमें कोई बहुत देर हुई हो, ऐसी बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामचन्द्र।

झालावाड़ जिले में ठेकेदारों को बेचने के लिये दी गई शराब

५०८. श्री रामचन्द्र (डग-सु०): क्या आबकारी मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) जिला झालावाड़ में पिछले पांच वर्षों में प्रति वर्ष कितनी कितनी शराब बेचने के लिये ठेकेदारों को दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या ठेकेदारों को किसी नियम के अनुसार शराब बेचने को दी जाती है, अथवा वे जब चाहें इच्छानुसार कितनी ही शराब ले सकते हैं ?

(३) क्या सरकार किसी क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर निश्चित कोटा के अनुसार शराब इश्यू करने का विचार रखती है ?

Page No 16

आबकारी मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) शराब बेचने की मात्रा निश्चित नहीं है।

(३) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिए)

श्री रामचन्द्र : क्या सरकार इस विषय में जानकारी करने को तैयार है कि मद्य निषेध को कैसे इफेक्टिव बनाया जाय ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : समय समय पर इसकी जानकारी मांगी जाती है। इस सम्बन्ध में सरकार ने एक मद्य निषेध सलाहकार कमेटी भी बैठाई है जिसकी रिकमंडेशन्स सरकार के पास आई हैं, जिन पर सरकार विचार कर रही है।

श्री रामचन्द्र : सलाहकार कमेटी में कौन कौन मेम्बर हैं और कब से बैठाई गई है ?

श्री उपाध्यक्ष : आपने भी दो साहब दूसरा ही सवाल ले लिया है।

(हंसी)

श्री रामचन्द्र : सलाहकार कमेटी के कौन कौन सदस्य हैं और क्या प्रगति की है ? यह हंसने का प्रश्न नहीं है। बड़ा गम्भीर प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble Minister has understood the question.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : I will like to know ....

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Chaudhary, there are still sufficient questions pending to be disposed of.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इस प्रश्न का नोटिस देंगे तो जवाब दे दूँगा।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : झालावाड़ में शराब की बिक्री इन वर्षों में बढ़ी है या कम हुई है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आंकड़े जो हैं उनसे बढ़ी है।

डॉ० बहादुरसिंह : इसका कारण क्या है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : दो तरह की शराब होती है। एक तो सरकारी ठेके से मिलने वाली शराब और दूसरी इल्लिसिट शराब चोरी-छुपे लोग बनाते हैं। इल्लिसिट शराब बनाने वालों के साथ सरकार ने सख्ती की जिससे इल्लिसिट शराब बनाने वालों ने बनाना बन्द कर दिया या कम कर दिया। इससे शराब पीने वाले जो इल्लिसिट शराब खरीदते थे वे सरकारी ठेके की दूकानों से खरीदने लग गये, जिससे कि आंकड़े बढ़ गये।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या यह सही है कि अब भी इल्लिसिट शराब बन रही है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : बन रही होगी। मेरे पास शिकायतें आती हैं। जगह जगह छापे डालते हैं और इल्लिसिट शराब बनाने वालों को पकड़ते हैं। सजाएं होती हैं फिर भी लोग बनाते होंगे।

श्री रामचन्द्र : मद्य निषेध के हेतु जो जो रुकावटें रखी गई हैं उनको प्रभावशाली बनाने के लिये सरकार की तरफ से प्रयत्न किये गये हैं कि नहीं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : प्रयत्न सरकार की तरफ से निरन्तर किये जाते हैं।

श्री रामचन्द्र : साल में ६ रोज ऐसे रखे गये है कि उन दिनों में शराब नहीं बिके पर इन दिनों में भी शराब बिकती है, क्या सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है ? रोक-थाम करने के लिये प्रयत्न किया है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय: बताया जायतो सरकार कदम उटाने को तैयार है। सलाहकार समिति अपना काम पूरा कर चुकी है, नहीं तो आपको भी रखते।

(हंसी)

श्री रामचन्द्र : ६ रोज साल में ऐसे रखे गये हैं कि जिस रोज शराब नहीं बिकनी चाहिये पर यहां वह खुले आम बिकती है।

श्री पी० के० चौधरी : सलाहकार समिति में जो मेम्बर हैं उनमें से शराब पीने का अनुभव किस किस को है ?

(हंसी)

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : प्रतिवर्ष शराब की बिक्री किस कदर बढ़ी है ? ५ वर्षों में कितनी बढ़ी है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

श्री उपाध्यक्ष : जब सूची सदन की मेज पर रख दी गई है तो आप देख सकते हैं।

नेकाट।

फेस छात्राध्यापकों को बेसिक एस० टी० सी० ट्रेनिंग में स्टीपन्ड

५०६. **श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर-श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) द्वारा पूछा गया):** क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सन् १६५७–५८ में जो फ्रैश छात्राध्यापक बेसिक एस० टी० सी० की ट्रेनिंग में गये उनको स्टीपन्ड दिया गया है ?

(२) क्या यह सही है कि १६५६–६० में भी जो छात्राध्यापक बेसिक एस० टी० सी० की ट्रेनिंग में जा रहे हैं उनको भी स्टीपन्ड मिलने की आज्ञा जारी हुई है ?

(३) क्या यह सही है कि इस प्रकार का स्टीपन्ड ५८-५६ में बेसिक एस० टी० सी० की ट्रेनिंग में जाने वाले छात्राध्यापकों को नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(४) क्या यह सही है कि एजुकेशन कार्ड के अनुसार प्राइवेट इन्स्टिट्यूशन्स से जो छात्राध्यापक एस० टी० सी० ट्रेनिंग में भेजे जाते हैं उनको उनकी सेलेरी के बराबर स्टीपन्ड मिलता है ?

(५ यदि हां, तो क्या यह सही है कि सन् ५७–५८ में अलवर एस० टी० सी० स्कूल के ऐसे छात्राध्यापकों को उनकी तनख्वाह के बराबर स्टीपन्ड नहीं दिया गया ? यदि हां, तो किन किन को और क्यों ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): (१) जी हां। यह सही है कि ५७–५८ के सत्र में जिन छात्राध्यापकों को बेसिक एस० टी० सी० ट्रेनिंग के लिए चुना गया और जिन्होंने शिक्षा विभाग में ५ वर्ष तक सेवा करने का एग्रीमेंट भर दिया, उन सब को २५)रू० माहवार छात्रवृत्ति दे दी गई थी।

(२) जी हां। यह भी सही है कि ५९–६० में जिन छात्राध्यापकों को प्रशिक्षण के लिये चुना गया है और जिन्होंने प्रशिक्षण की सफलता प्राप्ति पर विभाग में तीन वर्ष तक सेवा करने का एग्रीमेंट भर दिया था उनको २५)रू० माहवार स्टीपन्ड दे दिया गया।

(३) जी नहीं। यह सही नहीं है। ५८–५९ में भी उन अध्यापकों को २५)रू० माहवार छात्रवृत्ति दे दी गई थी जिनको दो सत्र तक का पढ़ाई का अनुभव था और जिन्होंने शिक्षा विभाग से तीन वर्ष तक सेवा करने का एग्रीमेंट भरा था।

(४) प्राइवेट व सहायता प्राप्त संस्थाओं द्वारा जिन छात्राध्यापकों को प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था उनमें से किसी को सरकारी छात्रवृत्ति नहीं दी गई क्योंकि उनके प्रशिक्षण का खर्चा उनकी संस्थायें ही बर्दाश्त करती हैं। एजुकेशन कोड में प्राइवेट स्कूलों के छात्राध्यापकों को प्रशिक्षण काल में सरकार द्वारा छात्रवृत्ति देने का कोई नियम नहीं है।

(५) प्रश्न नहीं उठता।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर): ५७–५८ में आपने उन लोगों को दिया जिनको दो साल का पढ़ाई का अनुभव था और बाकी को नहीं दिया गया?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: जिनको भेजने के लिए रूल्स बनाये थे उसके अनुसार दिया गया।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर: १९५९–६० में रूल्स बदल गये?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: उनके लिए भी रखा गया है।

श्री उपाध्यक्ष: नेक्स्ट

तहसील कोटपूतली में अलवर व सीकर की सब तहसीलों से अधिक लगान की दर

५१०. **श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली):** क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) क्या यह सही है कि तहसील कोटपुतली में लगान की रेट जिला अलवर व सीकर की सब तहसीलों से अधिक है?

(२) क्या आपने प्रश्न संख्या ३२० दि. ३.११.५८ के उतर में रेट्स कम करने का आश्वासन दिया था?

(३) यदि हां, तो अब तक रेट्स कम न करने का क्या कारण है?

(४) क्या यह सही है कि कोटपुतली में चाही दस रुपये दस आने, नहरी पांच रुपये पांच आने, देहरी चार रूपये एक आना, बारानी दो रूपये आठ आने तक है?

(५) क्या सरकार कोटपुतली के ११ खालसा ग्रामों की रेट शीघ्र सेटलमेंट ऑफिसर की राय लेकर तरमीम कराने का इरादा रखती है?

Page No 19

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) कोटपुतली के रेट मुतइका तहसीलों के रेटों से ऊंचे व नीचे दोनों है।

(२) जी हां।

(३) प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है।

(४) चाही १० रूपये १० आने।

नहरी ५ रुपये ५ आने।

दुहरी १ रूपया १०।। आने व बारानी के २ रुपये सर्किल रेट हैं।

(५) प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री रामकरणसिंह : क्या १० रु० १० आने चाही के हैं उसके नहीं हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अर्ज किया कि हैं।

श्री रामकरणसिंह : आज से १।। वर्ष पहले एक प्रश्न के उत्तर में आपने बताया था कि ये दरें जल्दी ही अमेन्ड की जावेंगी। अभी उनके बारे में क्या किया गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने बताया कि यह सरकार के विचाराधीन है।

श्री रामकरणसिंह : नहरी के ५) रु० और चाही के ज्यादा।

श्री दामोदरलाल व्यास : चाही जमीन का नहरी से लगान ज्यादा होता है।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

गर्ल्स स्कूल, रूपनगढ़ के स्टाफ का वेतन

५११. **श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा** (किशनगढ़) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या यह सत्य है कि गर्ल्स स्कूल, रूपनगढ़, जिला अजमेर के स्टाफ का वेतन नवम्बर, सन् १६५७ का अभी तक नहीं मिला है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): जी हां।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : यह कब दे दिया जावेगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अजमेर इन्सपेक्टरेट को जल्दी देने के लिए कह दिया गया है।

श्री पी० के० चौधरी : Why it taken so long ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

किशनगढ़ हाई स्कूल में छठी क्लास से पढ़ाई का विचार

५१२. **श्री पुरुषोतमलाल शर्मा** (किशनगढ़): क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) क्या किशनगढ़ हाई स्कूल में इस वक्त सिर्फ नवीं व दसवीं क्लासेज ही हैं व छठी से पढ़ाई नहीं होती है ?

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

(२) अगर हां, तो सरकार छठी क्लास से पढ़ाई कब से शुरू करने का विचार रखती है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): (क) जी हां। किशनगढ़ हाई स्कूल में इस वक्त सिर्फ नवीं व दसवीं कक्षायें ही चल रही हैं।

(२) यह बात विचाराधीन है। आगामी वर्ष में कक्षा ६ से पढ़ाई प्रारम्भ करने का प्रस्ताव वह छात्र संख्या पर व स्थान पर आधारित रहेगा।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : छात्र संख्या भी काफी है और स्थान भी है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कॉलेज को हटा देंगे तो स्थान काफी हो जावेगा।

उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ५१३.

श्री अमृतलाल यादव।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या ५१४.

श्री गोवर्धनसिंह केन।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ५१५

श्री रामचन्द्र।

(अनुपस्थित)

श्री रामकरणसिंह।

तहसील कोटपुतली में बेसिक स्कूल खोलना

५१६. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली): क्या मन्त्री, बेसिक शिक्षा विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) क्या कोटपुतली तहसील में कोई बेसिक स्कूल है ?

(२) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस वर्ष वहां कोई बेसिक स्कूल खोलने का विचार रखती है ?

(३) यदि हां, तो कहां ?

मन्त्री, बेसिक शिक्षा (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (१) जी हां। तीन बेसिक स्कूल हैं। (१) बुचाहेड़ा (२) बासड़ी (३) बनार।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

चित्तौड़गढ़ जिले में अनुसूचित जातियां एवं पिछड़ी जातियों आदि को छात्रवृत्तियां

५१७. **श्री जयचन्द्र मोहिल** (कपासिन-सु.) : क्या समाज कल्याण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

चित्तौड़गढ़ जिले में सन् १९५७, ५८ और १९५९ में कुल कितने अनुसूचित

Page No 21

(श्री जयचन्द्र मोहिल)

जातियों, अनुसूचित जन जातियों, विमुक्त जातियों और अन्डर बैकवार्ड क्लासेज जातियों के विद्यार्थियों को कुल कितनी रकम छात्रवृत्तियों की दी गई ? तीनों सालों की हर जाति की अलग अलग रकम बतावें।

उप-मन्त्री, समाज कल्याण (श्री भीखा भाई) :

सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री जयचन्द्र मोहिल : क्या यह सही कि ५८-५९ में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और विमुक्त जातियों से ज्यादा धन राशि अन्य पिछड़ी हुई जातियों को दी गई ?

श्री भीखाभाई : ऐसी जानकारी मुझे नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ५१८

श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ५१९।

श्री अमृतलाल यादव।

(अनुपस्थित)

नेक्स्ट। श्री पी० के० चौधरी।

गांव तथा विकास खण्ड के प्रतिनिधियों को पं० नेहरू द्वारा पुरस्कार वितरण, १९५९

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): Will the Minister for Planning and Development be pleased to state:—

1. Is it correct that recently when Pandit Nehru visited Bhilwara, he gave away (shields) prizes to the representatives of the village and the Development Block which stood first in Med Bandi work (Contour Binding) in the State during the year ending 31st March, 1959 ?

2. If so, which is the village or the Block which secured the Shield as the First Prize and also the manner in which the superiority of the village or the Block over other villages or the Block in this respect was determined ?

3. Was any Committee set up which visited the various places and assessed the work of Contour Binding done at the respective areas and selected the best among them for awarding the shield ?

4. What was the total area in which Med Bandi was done in the Block which has been awarded the First Prize ?

विकास मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : 1. Yes one shield was awarded to the representative of Sambhar Block.

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

2. Sambhar Block secured the Shield as first prize. The superiority of the Block was determined by personal visits and sample survey by a sub-Committee of the Evaluation Committee.

3. Yes.

4. 19,000 Acres.

श्री पी० के० चौधरी : Who were the members of that committee ?

श्री उपाध्यक्ष : Unfortunately I was the Chairman of the Committee.

Next.

जागीरदारों पर कृषि आयकर

५२१. महाराज श्री हुकमसिंह (जैसलमेर-श्री दलपतसिंह (आबू) द्वारा पूछा गया) : क्या आबकारी और कर (कृषि) मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

जागीरदारों पर कृषि-आयकर लगाते समय उनकी आय का अनुमान लगाने के क्या आधार हैं ?

आबकारी मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : जागीरदारों पर कृषि-आय कर लगाते समय उनकी आय का अनुमान उनके द्वारा दिये हुए रिटर्न में दर्ज शुदा लगाना बिघोड़ी आदि तथा खुद काश्त की सम्पूर्ण आय की जांच पड़ताल करके किया जाता है। उनके जमा खर्च के खाते से भी उनकी आय के बारे में जांच की जाती है। तहसीलों से भी जो रकम जागीरदारों को रकम का देना लेना होता है उसके सम्बन्धित आंकड़े तहसील से भी लिये जाते हैं तथा ट्रिब्यूट आदि की रकम जो पहले रियासतों को दी जाती थी उसका भी ध्यान रखा जाता है। लगान के सम्बन्ध में महकमा बन्दोबस्त से भी आंकड़े मंगवा कर जांच की जाती है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : आयकर की बकाया कितनी बाकी है ?

श्री हरिभाऊ : इसके लिये अलग से प्रश्न पूछें।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

जिला जैसलमेर को सीमेंट व टीनों का कोटा।

५२२. महाराज श्री हुकमसिंह (जैसलमेर-श्री दलपतसिंह (आबू) द्वारा पूछा गया): क्या उद्योग मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जिला जैसलमेर को सन् ५६-५७ व ५७-५८ में कितनी बोरी सीमेंट व कितने टन टीनों के बन्डल का कोटा मिला ?

(ख) उस कोटे की सीमेंट व टीनों का वितरण किस किस को व कितना कितना किया गया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ग) क्या सरकार ने जांच की है कि उक्त कोटे का सही उपयोग किया गया ?

Page No 23

उप-मन्त्री उद्योग (श्री रिखबचन्द धारीवाल) इसकी पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है और इसको प्राप्त होने में दो सप्ताह का समय लगेगा। इसको पोस्टपोन किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : पोस्टपोन्ड।

प्रश्न संख्या ५२३।

श्री अमृतलाल यादव।

(अनुपस्थित)

श्री चन्दनमल वैद।

सर्किट हाउसेज के संधारण पर किया गया व्यय

५२४. श्री चन्दनमल वैद (सरदार-शहर-श्री श्रीमानसिंह (बयाना) द्वारा पूछा गया): Will the Chief Minister be pleased to State:

1. What amount is spent yearly on the maintenance of Circuit Houses of Jaipur, Jodhpur. Bikaner, Kotah, Udaipur and Ajmer and of Government Hostel, Jaipur separately?

2. What is the average maintenance expenditure per room on each of these Circuit Houses and on Government Hostel, jaipur?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): The amount spent for maintenance of Circuit Houses and Government Hostel is given below:—

Name of Circuit House.	General Maintenance including expenditure on salaries and allowances to the staff.	Structural Maintenance.
Rajasthan State Hotel, Jaipur.	Rs. 2,55,377/-	Rs. 3,300
Jodhpur.	39,285/-	Rs, 878. 92 n.P.
Bikaner.	42,400/-	1,890,
Kotah.	23,327/-	2,384.00
Udaipur.	20,926/-	2,9000.00
Ajmer.	30,044/-	Rented Building
Govt. Hostel, Jaipur.	36,100/-	4,666.00

2. The average maintenance expenditure per room approximately is as below:—

Name of Circuit House.	General Maintenance including expenditure on salaries and allowances to the staff.	Structural Maintenance.
Rajasthan State, Hotel, Jaipur	9,170/-	118.00
Jodhpur.	4,359/-	99.88 nP.
Bikaner.	3,029/-	135.00

Page No 24

(श्री मोहन लाल सुखाड़िया)

Kotah,	2,512/-	264.88
Udaipur.	5,533/-	153.84
Ajmer.	3,756/-	Rented Building.
Govt. Hostel, Jaipur.	408-	46.66

श्री श्रीभानसिंह : गवर्नमेंट होस्टल की अकोमोडेशन ज्यादा होते हुए गवर्नमेंट द्वारा फिर रूम मेन्टीनेन्स चार्जेज कम क्यों रखे जाते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह रूम की स्पेस पर बहुत कुछ निर्भर करता है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : गवर्नमेंट होस्टल की जो व्यवस्था है, उसको सरकार सन्तोषजनक समझती है या अपर्याप्त ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसके लिए हाऊस कमेटी है जिसके साथ समय२ पर सरकार बातचीत करती है और जितना इसके लिए सम्भव हुआ है उतना किया जाता रहा है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : सर्किट हाऊस और गवर्नमेंट होस्टल का कितना रिटर्न आता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं आपको ५८-५६ के फीगर्स दे रहा हूं :

राजस्थान स्टेट होटल	३ लाख रुपया
,, सर्किट हाउस, जोधपुर	१६,५११)
,, कोटा	१३४२५)
,, उदयपुर	२३,८३६)
राजस्थान अजमेर	१६,७५०)
,, बीकानेर	१६,६८१)
गवर्नमेंट होस्टल	१८,०००)

श्री श्रीभानसिंह : यह आपने बताया कि यह गवर्नमेन्ट होस्टल के रूम्स की स्पेस पर डिपेन्ड करता है। गवर्नमेंट होस्टल में अकोमोडेशन ज्यादा है और रेजिडेन्शियल पर्पज के लिए ज्यादा काम में आते हैं तो सरकिट हाऊस के बनिस्बत इनको इम्प्रूव करने के लिए क्यों नहीं सोच रहे हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सर्किट हाऊस के चार्जेज वगैरह तो और लेवल से रखे जाते हैं। यदि स्टेट होटल की तरह रखे तो ४०) रु० डेली चार्ज रखा है उसके फर्नीचर वगैरा में भी इम्प्रूवमेन्ट होता है।

श्री श्रीभानसिंह : सर्किट हाऊस के लेवल पर ही गवर्नमेंट होस्टल को क्यों नहीं इम्प्रूवमेन्ट करने की सोच रहे हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सर्किट हाऊस तो टूरिस्ट की दृष्टि से होते हैं और इसके साथ केम्पेरिजन संभव नहीं लगता है।

श्री श्री भानसिंह : ऐसी कौनसी चीज है गवर्नमेंट की मेन्टीनेन्स एन्ड अप कीप एट पार ट्रीट करना चाहिये ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उसकी आवश्यकतानुसार खर्च किया जाय और वह किया जाता रहा है और माननीय सदस्यों की जानकारी में है कि काफी रूम्स का कर रहे हैं। बीच में डाक बंगला है, रेवेन्यु बोर्ड के पास था उसको भी कन्वर्ट करने वाले हैं। सामने की बिल्डिंग है पुरानी थी देट थिंग....

डॉ० बहादुरसिंह : स्टाफ के बारे में ।

श्री उपाध्यक्ष : House Committee is dealing.

श्री श्रीभानसिंह : Most of the things are not under it then !

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमृतलाल यादव ।

श्री दलपतसिंह (आबू) : इस प्रश्न की जानकारी दी जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : आबू के सम्बन्ध में ?

श्री पी० के० चौधरी : There are so many question about Abu.

माउन्ट आबू को उच्च श्रेणी का टूरिस्ट सेन्टर बनाना

श्री अमृतलाल यादव (जालोर-सु० श्रीदलपतसिंह (आबू) द्वारा पूछा गया) : क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार का माउन्ट आबू को एक उच्च श्रेणी का टूरिस्ट सेन्टर बनाने का इरादा है ?

(२) यदि हां, तो क्या सरकार टूरिस्ट लोगों के लिये आधुनिक साधनों से परिपूर्ण एक बढ़िया होटल राज्य की ओर से चलाने व माउन्ट आबू से गुरु शिखिर के नीचे तक और माउन्ट आबू से गोमुख (वशिष्ठ आश्रम) जाने के लिये हनुमानजी तक सड़कों का निर्माण कराने का विचार रखती है ?

(३) क्या माउन्ट आबू को ग्रीष्मकालीन राजधानी के तौर पर विकसित करने का भी सरकार का इरादा है ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) जी हाँ ।

(२) जी हां । सरकार ने माउन्ट आबू में २० कमरे वाला एक लो इन्कम ग्रुप विश्राम गृह बनाने के लिए इस साल ५०,००० रुपयों की स्वीकृति दी है । माउन्ट आबू में आधुनिक साधनों से परिपूर्ण राजकीय सर्किट हाऊस पहले से ही कोटा हाऊस में है जिसमें खाने-पीने व ठहरने की पूरी सुविधा विद्यमान है । गौमुख तक सड़क बनाने के लिए शासन द्वारा आज्ञा प्रसारित कर दी गई है और करीब करीब आधा काम हो चुका है । आशा है कि मार्च, १९६० तक सड़क का काम पूरा हो जायेगा । माउन्ट आबू से गुरु शिखर के नीचे तक सड़क बनाने की अभी कोई आज्ञा नहीं दी गई है ।

(३) जी नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

(अनुपस्थित)

श्री लक्ष्मीचन्द ।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा ।

(अनुपस्थित)

श्री मनोहर कोठारी ।

(अनुपस्थित)

श्री लक्ष्मीचन्द।

(अनुपस्थित)

श्री रामकरणसिंह।

कॉलेजों में प्रवेश के समय जमा कॉशन मनी

५०४. श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(क) क्या कॉलेजों में प्रवेश के समय कॉशन मनी प्रत्येक छात्र को जमा करानी पड़ती है ?

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

(ग) क्या सब कॉलेजों में बराबर ही राशि जमा कराई जाती है या भिन्न भिन्न ?

(घ) क्या यह रिफेन्डेबल है ?

(ङ) क्या यह रकम फोरफीट भी हो जाती है ?

(च) यदि हां, तो कितने समय बाद ?

(छ) जो रकम रिफन्ड नहीं की गई, उसको किस काम में लिया गया है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): ५०२ के बजाय ५६०४ का जवाब दे चुका हूँ। आप चाहते हैं कि फिर से रिपीट करूँ।

श्री उपाध्यक्ष: May be Repeated.

(क) जी हां।

(ख) १० रुपये।

(ग) बराबर।

(घ) जी हां।

(ङ) जी हां।

(च) विद्यार्थी के कॉलेज छोड़ने के तीन माह बाद।

(छ) सूचना एकत्रित की जा रही है। यह रकम ट्रेजरी में जमा होती है

(ज,झ) सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री रामकरणसिंह: यह रकम ट्रेजरी में जमा होने के बाद सरकार इसको किस हैड में खर्च करने की सोचती है। बहुत सी रकम को १५ साल हो गये हैं और रिफन्ड नहीं हुई है तो ऐसी रकम कॉलेज में कौन से हैड में काम में ली जाती हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया: मैंने निवेदन किया था कि वह ट्रेजरी में जमा हो जाती है।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती गंगादेवी डाटा।

(अनुपस्थित)

श्री अमृतलाल यादव।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): This may be replied.

Page No 27

माउंट आबू पर शराब बन्दी को तोड़ना

श्री अमृतलाल यादव (जालोर—सु'— श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) द्वारा पूछा गया) : क्या वित्त मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार का विचार माउन्ट आबू पर पहले से चली आ रही शराबबन्दी को तोड़ने का है ?

(२) यदि हां, तो क्यों ?

वित्त मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) :
(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोवर्धनसिंह केन

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ५१५

श्री रामधन

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा ।

राज्य में जिलों का पुनर्गठन

५१८. श्री मूलचन्द डागा (पाली— श्री परसराम मदेरना (आसीन) द्वारा पूछा गया) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में जिलों का वर्तमान संगठन किन वैज्ञानिक आधारों पर है ?

(ख) क्या सरकार इन जिलों का पुनर्गठन करना चाहती है ? यदि हां, तो कब से ?

(ग) क्या सरकार यह भी बतलायेंगी कि इन जिलों का पुनर्गठन किन आधारों पर करेगी ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) तात्कालिक सुविधा और आसपास की पूर्ण सुविधाओं के आधार पर जिलों का संगठन किया जावेगा।

(ख) पुनर्गठन विचाराधीन है; निर्णय होने पर कार्यवाही होगी। अभी समय पर विचार नहीं किया जा सकता।

(ग) प्रशासनिक दृष्टि से देखते हुए विचार किया जावेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमृतलाल यादव।

(अनुपस्थित)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

खनिज विभाग की बकाया रकम की वसूली।

४६१. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या मंत्री, खनिज विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे !

क्या यह सही है कि खनिज विभाग की २१—७—५८ तक बकाया की रकम २८ लाख, १३ हजार, ६२२ रूपया, ३२ नये पैसे थी ? यदि हां, तो किन किन में और कब से और

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

उस सम्बन्ध में वसूली की क्या कार्यवाही की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप-मन्त्री, खनिज (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : खनिज विभाग की बकाया की रकम का विवरण हर तिमाही पर मांगा जाता है। अतः जुलाई के अन्त की बकाया का मिलान नहीं हो सकता है।

दिनांक ३०–६–५८ तक की बकाया ३३, १४, ७८० रु० १२ नये पैसे थी जिसका विवरण पार्टी वार, जिनमें ५,००० रु० अथवा इससे अधिक बकाया है तथा वसूली की कार्यवाही जो की गई है, सदन की मेज पर रख दिया गया है।

[कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वसूली की क्या कार्यवाही की गई।

श्री रिखबचन्द धारीवाल: यह तो सूची में पढ़ लीजिये।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : क्या यह सही है कि जिनमें रकम बकाया है उनको खनिज लीज पर दे दी जाती है और उनसे पुरानी रकम वसूल नहीं होती है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : अगर रकम बाकी है तो जहाँ तक सम्भव होता है वह नहीं दी जाती है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : बिल्कुल ही मना क्यों नहीं किया जाता और देते हो क्यों हैं जब तक बकाया है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : डिस्प्यु-टेड आइटम हो और निर्णय नहीं होता है तो ऐसी शक्ल में दिया भी जा सकता है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : तेतीस लाख रुपया जो बकाया रकम है उसमें से सबसे बड़ी रकम किसमें है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आप सूची मुलाहिजा फरमाइये।

श्री मुरलीधर व्यास : सूची सब को तो मिली नहीं। आप ही बता दीजिये ताकि बड़ी रकम का आकार तो मालूम हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

(१२ म. प.)

स्थगन प्रस्ताव

श्री दयाकृष्ण विजय ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना इस विषय की दी है कि कोटा म्यूनिसिपल बोर्ड का नवीन निर्वाचन दिनांक २६–७–५६ को हो चुका है व दो व्यक्तियों के मनोनीत करने का प्रस्ताव भी सरकार के पास आ चुका है लेकिन सरकार ने मनोनयन न करके पुराने बोर्ड की अवधि ३०–१०-५६ तक बढ़ा दी है जो कदम अप्रजातांत्रिक है। इस सम्बन्ध में सरकार ने जानकारी दी है कि दो सदस्यों का मनोनयन कर दिया गया है व शीघ्र ही नये चेयरमैन का चुनाव हो जावेगा। ऐसी स्थिति में स्थगन प्रस्ताव का कोई महत्व नहीं रह जाता है व मैं इसे सदन में उपस्थित करने की इजाजत नहीं देता हूँ।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : एक्सटेन्शन किया गया है या नहीं। ३०-१०-५६ तक मियाद बढ़ाई गई या नहीं।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : इसमें जो एक्सटेन्शन किया गया सितम्बर तक वह किया गया या नहीं ?

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : डिसअलाउ करने के बाद कुछ भी उस विषय में पूछा नहीं जा सकता।

श्री भैरोंसिंह : मैं आपसे पूछ लूंगा।

श्री श्रीभानसिंह : जब कि एडजोर्नमेन्ट मोशन डिस अलाउ कर दिया गया है उसके बाद भी माननीय सदस्य परसूएड कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप से मैं यह जानना चाहता हूँ आपने जो एडजोर्नमेंन्ट मोशन डिसअलाउ किया है उसके साथ साथ आपकी तरफ से इन्फॉर्मेशन भी मिली है, वह इनकम्प्लीट है....

श्री उपाध्यक्ष : Whether the information is complete or incomplete, I will not allow any debate over the admissibility or imperfectness of the information contained in the adjournment motion.

श्री भैरोंसिंह : जब नोमीनेशन हो चुका है तो उसकी मियाद क्यों बढ़ाई गई है ?

श्री उपाध्यक्ष : Order please. We are now proceeding with the Bill, clause by clause.

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जिस हालत में एडजोर्नमेंट मोशन मूव किया गया है, उसी हालत में, किस प्रकार की भी जानकारी न देते हुए डिसअलाउ किया जा सकता था उस समय किसी प्रकार का प्रश्न पैदा नहीं होता किन्तु आपने इस मोशन को डिसअलाउ करते हुए कुछ जानकारी दी है....

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble Shri Bhairon Singh, I have given my observations that it is not at all debatable. It does not deserve any point of clarification or information and my observations are based upon the previous observations of this House.

श्री भैरोंसिंह : Are we not entitled to get any information further more Sir ?

(थपथपाहट)

श्री उपाध्यक्ष : We resume the debate-

श्री गिरधारीलाल।

१२. ३ म. प.

राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १९५९

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कल निवेदन कर रहा था...

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से फिर निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें निर्धारित समय में ही इसे समाप्त करना है, जो समय की पाबन्दी रखी है उसका पूरा ध्यान रखा जावे।

श्री गिरधारीलाल : उपाध्यक्ष महोदय, कल मैं यह कह रहा था पंचायत समितियों को जहां आप टैक्स वसूल करने का पॉवर्स देना चाहते हैं

१२. ४ म.प.

(श्री बरकतुल्ला खाँ, सभापति, पदासीन)

और साथ साथ जिला परिषद और पंचायत समिति को लोकप्रिय संस्था भी बनाना चाहते हैं, दोनों बातें साथ साथ नहीं चल सकती। इसलिए सभापति महोदय, जहां आप उनको टैक्स लगाने के पॉवर्स देते हैं वैसी हालत में जितनी लोकप्रिय इनको बनाना चाहते हैं वह बन नहीं पायेंगी जितनी भी स्वायत्त शासन संस्थायें हैं उनको अगर लोकप्रिय नहीं बनाते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि हमारी प्रजातन्त्र की नींव थोड़ी सी कमजोर होती है।

दूसरी बात यह है कि हमें यह देखना पड़ेगा कि पंचायत समितियों का निर्माण किस उद्देश्य से किया जा रहा है ? पंचायत समिति और जिला परिषद् बिल जो हम पास करने जा रहे हैं उनका निर्माण रचनात्मक कार्यों के लिए होगा। एक तरफ तो हम रचनात्मक कार्य कराना चाहेंगे और दूसरी ओर उनको टैक्स वसूल करने वाली एजेन्सियों के रूप में नियुक्त करना चाहते हैं, यह हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण चीज होगी। किसी भी हालत में पचायत समितियों को टैक्स वसूल करने के अधिकार देना किसी भी हालत में उचित नहीं कहा जा सकता। इससे मुझे एक चीज का डर है और वह यह कि कहीं ये पंचायत समितियाँ एक साल या दो साल बाद या कुछ अर्से के बाद सारे राजस्थान भर में एक प्रकार से टैक्स वसूल करने वाली एजेन्सियां हो जायंगी और जो विकास के कार्य इनके जिम्मे हैं उनकी ओर से इनका ध्यान बिल्कुल हट जायगा। मैं समझता हूं इस तरह से कई प्रकार की अड़चनें पैदा होंगी। इस टैक्स के लिए सरकार यह कह सकती है कि यह ऐच्छिक टैक्स है। मैं समझता हूँ सभापति महोदय, पंचायत समितियों का बजट होगा उनको आमदनी का जरिया सरकार द्वारा लोन लेना भी होगा, कर्जे के अलावा लैन्ड रेवेन्यू से कुछ हिस्सा भी मिलेगा और उसके बाद टैक्स भी लगा सकती है। २५ नए पैसे के हिसाब से जो लैन्ड रेवेन्यू में से दिया जायगा उसका करीब ३५-३६ लाख रुपया बनता है और ६ नया पैसा टैक्स लगायेंगे उससे भी उतना ही पैसा बनेगा। ऐसी हालत में टैक्स लगाना किसी भी प्रकार से उचित नहीं होगा। पंचायत समिति की जितनी आमदनी होगी उससे कहीं अधिक उसका खर्चा है, उसको देखते हुए पंचायत समितियों को टैक्स लगाना पड़ेगा, आज से दो साल पहले या तीन साल बाद में आपको यह रिएलाइज करना होगा और आपको ज्यादा पैसा उनको देना होगा। जिस लैन्ड रेवेन्यू के नाम पर आप पांच छः करोड़ रुपया वसूल करते हैं उनमें केवल ३५ लाख ही देना चाहते हैं। राजस्थान में १.६० लाख लोग रहते हैं, उनमें १.३० लाख लोग गांवों रहते हैं और इन्हीं से पांच छः करोड़ रु० लैन्ड रेवेन्यू के नाम से वसूल करते हैं और केवल २५ नए पैसे के हिसाब से देना चाहते हैं। आप जहाँ गांवों में निर्माण सम्बन्धी कार्य करना चाहते हैं आज जब कि गांव की स्थिति अच्छी नहीं है वैसी हालत में भी गांव से जो लैन्ड रेवेन्यू वसूल करते हैं वह भी आप वहां लगाना नहीं चाहते। आप जब उन पर वह आमदनी लगायेंगे तो भी गांव की हालत

(श्री गिरधारीलाल)

सुधर सकते है। आपने सेल टैक्स आदि अनेक प्रकार के टैक्स लगा रक्खे हैं। उसका सीधा असर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में किसानों पर पड़ता है। आपको चाहिये कि वैसी हालत में, लैन्ड रेवेन्यू का आधा हिस्सा है उससे भी ज्यादा उनको मिलना चाहिये। ऐसी हालत में टैक्स लगाना किसी भी हालत में उचित नहीं है। आप जहां पंचायत समितियों को टैक्स वसूल करने वाली एजेन्सियां बनाना चाहते हैं आप खुद क्यों नहीं करते। आपको चाहिये कि स्वायत्त शासन संस्थाओं को ज्यादा से ज्यादा सहायता दें और टैक्स-लगाने के पॉवर्स नहीं दे। जिस दिन किसान लोग समझदार हो जायेंगे उस दिन वे टैक्स दे सकते हैं। आज तो पोजिशन ऐसी नहीं है अगर आप टैक्स लगायेंगे तो इससे कुछ लोग नाजायज फायदा उठायेंगे और सरकार और पंचायत समितियां जो काम करना चाहती हैं वह नहीं कर पायेंगी। इन शब्दों के साथ मैं सरकार से यह मांग करूंगा कि जितनी राजस्थान सरकार को लैन्ड रेवेन्यू से आय है उसके अलावा कम से कम ६० प्रतिशत हम गांवों में लगायें। उनके लिए उद्योग धन्धे खोले जांय तभी वहां की बेकारी की समस्या हल हो सकती हैं, आज उसके लिए गाँवों में ज्यादा पैसा लगाने की आवश्यकता है। पंचायत समितियों को टैक्स लगाने के पॉवर्स न देकर के आपको जो पांच करोड़ रुपया लैन्ड रेवेन्यू का मिलता है उसमें से आधे से ज्यादा रुपया और दूसरी आय होती है उसका आधा हिस्सा आप गांवों में लगायें ऐसा नहीं किया गया तो इन टैक्सेज से पूरा पड़ने वाला नहीं। आप ७० लाख रुपया तो देंगे ही और उसके अलावा थोड़ा बहुत टैक्स लगाकर पचास लाख रुपया और अन्य प्रकार से वसूल किया जायगा।

तो एक करोड़ तीस लाख आदमी राजस्थान में हैं और १ करोड़ तीस लाख का बजट होगा। एक रुपया एक आदमी के पीछे पड़ेगा। इस तरह से तो डिसेन्ट्रेलाइजेशन काम हो नहीं सकता। फिर सदन की इच्छा है। इस दृष्टि से इस पर सोचें। टैक्स लगाने का पॉवर पंचायत समितियों को नहीं देना चाहिए।

श्री सभापति : श्री तेजाराम।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : धारा २७ पर मेरे जो संशोधन हैं वे ये हैं।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : अमेंडमेंट अब पेश नहीं हो सकते।

श्री सभापति : अब नहीं पेश कर सकते।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : आप भाषण दे सकते हैं।

श्री सभापति : Your name was called and you were not present in the House. So you have lost the right to move the amendment. You can speak in suport of or against the amendments already moved.

श्री मुरलीधर व्यास : सभापति जी....

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : माननीय चेयरमैन महोदय।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : चूँकि वे बोल नही रहे हैं...

श्री सभापति : उन्होंने श्री भीमसेन ने बोलना शुरू कर दिया है ।

श्री मुरलीधर व्यास : वे तो मेरे बाद में हैं ।

श्री सभापति : नहीं पहले बोल रहे हैं ।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : हम राजस्थान में पंचायत समितियों का निर्माण करके विकास के काम को प्रगति देना चाहते हैं । आज ब्लॉक डेवलपमेंट की समितियों के जरिये हम विकास काम कर रहे हैं पर हमारा अनुभव यह है कि उससे विकास को प्रगति जितनी मिलनी चाहिए नहीं मिली इस उद्देश्य से और इस विकास के काम में जनता का सीधा सहयोग प्राप्त किया जावे इस आशय से इन समितियों का निर्माण करने का इरादा सरकार ने किया है ।

अब यह जरूरी है कि इन समितियों को चलाने के लिये पैसे का प्रबन्ध किया जावे । कोई भी संस्था बिना पैसे के नहीं चल सकती । इसलिए यह टैक्स इम्पोज करने का प्रावधान रक्खा गया है । इसके बारे में मेरा इतना ही निवेदन करना है कि हमारे राजस्थान में इस समय ११ जिलों में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चल रहे है और हर बोर्ड की तरफ से एक इस तरह सेस किसानों के लैण्ड रेवेन्यू से वसूल करने का लागू है । इसलिए ऐसा किया जावे कि उसी सैस को बिल के अन्तर्गत मान्यता दे दी जावे और इसको इकट्ठा करने का अधिकार पंचायत समितियों को दे दिया जावे । इससे पंचायत समितियों को नये टैक्स लगाने की आवश्यकता नहीं रह जावेगी, और लोगों को भी नहीं अखरेगा । यह मेरा छोटा सा सुझाव है । इस जिला बोर्ड के सेस को ज्यों का त्यों कन्टिन्यू करने का प्रावधान इसमें रख दिया जावे ।

श्री सभापति : श्री मुरलीधर व्यास ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : सभापति जी, इस कर के प्रावधान के सम्बन्ध में पहले भी काफी बहस हुई थी और इस पर मैंने सोचा था कि इस पर स्वयं मन्त्रीजी की ओर से कुछ नया सुझाव आयेगा जिस पर यहां विचार हो सकेगा । पर इसमें कोई सुझाव या परिवर्तन हमारे समाने नहीं आया ।

हमें एक बात हमारे सामने रखती है कि हम पंचायत समितियों का और जिला परिषदों का निर्माण किस उद्देश्य से कर रहे हैं । इसके लिए स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि हमारी अब तक की योजनाएँ ऊपर से चल रही थी और इसलिए जितनी कामयाबी की हम उम्मीद करते थे उतनी कामयाबी उनमें नहीं मिली । अब उनमें कामयाबी हासिल करने के लिए हमें अपनी योजनाएं नीचे से चलाने की बात सूझी क्योंकि नीचे की जनता का सहयोग ही इस उद्देश्य को पूरा कर सकता है, यह हमारा अनुभव रहा । तो सवाल हमारे सामने यह स्पष्ट हो गया कि योजनाओं के काम में किसी प्रकार से जन समुदाय को साथ में लेकर जनतान्त्रिक तरीकों से इसको चला सकें । अब उस उद्देश्य की की प्राप्ति के लिए जो अधिकार हम इस कानून में उनको दे रहे हैं वह हमारे उस उद्देश्य में कहां तक सहायक होगा इसको गहराई से देखना होगा ।

मैं मानता हूँ कि कर लगाना कोई बुरी बात नहीं है । पर हमें कर लगाते समय यह देखना होगा कि परिस्थिति क्या है और उन परिस्थितियों में लगाये गये करों की जनता में

(श्री मुरलीधर व्यास)

क्या प्रतिक्रिया होगी और इसका असर भविष्य पर क्या पड़ेगा।

हमारा रवैया यह रहा है कि जब हम किसी संस्था को स्वराज्य देना चाहते हैं तो साथ ही कर लगाना भी प्रारम्भ कर देते हैं। अब कर हमें ऐसा लगाना चाहिए जिसका भार सब पर बराबर पड़े, नहीं तो इसकी प्रतिक्रिया अच्छी नहीं होगी और जिस जन सहयोग की अपेक्षा हम करते हैं वह नहीं मिलेगा। और वह नहीं मिलेगा तो हमारा उद्देश्य जो योजनाओं की सिद्धि का है, वह पूरा नहीं होगा।

हमने ऊपर से और नीचे से, चारों तरफ से जनता पर करों का भार डालना शुरू कर दिया है। मैं मानता हूं कि तीसरी योजना में करों का भार आम जनता पर बहुत भारी हो जावेगा। करीब करीब आज का दुगुना हो जावेगा, चूर चूर करने वाला हो जावेगा। तो मैं सोचता हूं कि जो ऊपर से प्लानिंग चल रही हैं वहां भी आप कर लगाने की बात सोचते हैं और नीचे से भी कर लगाने की बात सोचते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि जनता चारों तरफ से करों के भार से दबी जा रही है। हर टैक्स से चाहे वह केन्द्र का हो, प्रान्त का हो, तहसील का हो, ग्राम पंचायत का हो, उनको भी अधिकार है, वे भी कर लगावेंगी, तो हर कर का भार हर साधा- आदमी के कन्धों पर पड़ता है। यह वस्तुस्थिति है जो कोई अच्छी नहीं है। हमें विकास करना है और इसके साथ ही जो कर के भार से दबे हैं वे भी मुक्त हों और कर की योजना समाजवादी ढाँचे के आधार पर आधारित हो।

मैं करों का पूर्ण विरोधी नहीं हूं। मैं मानता हूं योजनाओं में करों को लगाना पड़ता है। पर वे कर योजना बनाने वाले ऊपर से भी लगाते हैं और नीचे से भी लगाते हैं। तो आखिर एक आदमी कितना कर दे सकता है इसको देखना पड़ेगा। इसके साथ यह भी देखना पड़ेगा कि जो कर लगा रहे हैं वहां वह किस व्यक्ति पर पड़नेवाला है, क्या वह कर वाकई ऐसा है जो जिसकी जेब में ज्यादा पैसा जा रहा है उसकी जेबपर वह पड़ने वाला है। अगर ऐसा है तो ठीक है।

वह कर हर आदमी के ऊपर, हर व्यक्ति के ऊपर जो कि सवेरे शाम तक एक एकड़ भूमि पर अपना निर्वाह करता है और जिसकी जीविका पूरी नहीं चल सकती आप उसके ऊपर इस प्रकार का कर लगाते हैं कि वह आदमी जो पूरी रोटी नहीं खाता है उसकी रोटी भी छीनने की बात करते हैं। तो हमें इस कर लगाने की प्रणाली को समाप्त करना पड़ेगा। यह प्रणाली जब तक समाप्त नहीं होती तब तक गरीब ग्रामीणों को किसी प्रकार की राहत नहीं मिल सकती है। आप अपना कर लगाने का तरीका चाहे प्रजातांत्रिक तरीका कहें अथवा समाजवादी तरीका कहें लेकिन मैं समझता हूं कि वह ऐसा नहीं हो सकता। समाजवादी तरीके में सत्ता के विकेन्द्रीकरण के साथ साथ समाजवादी दृष्टिकोण रखना पड़ेगा और कर लगाने का दृष्टिकोण ऐसा स्पष्ट रखना पड़ेगा कि जिससे वह कर जिसकी जेब से निकलता है, वह उसके देने के लायक हो और जो व्यक्ति पहिले से ही हैरान है, गरीब है और कर देने की व्यवस्था के लायक नहीं है और उसकी जेब से भी आप पैसा निकालते हैं और उसकी जेब पर भी असर डालते हैं तो मैं समझता हूं कि वह समाजवादी दृष्टिकोण नहीं है। तो यह जो आपकी कर लगाने की योजना है उसके ऊपर

Page No 34

(श्री मुरलीधर व्यास)

गहराई के साथ सोचना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि जब हमने एक ढांचा अख्तियार कर लिया है और यह मान लिया है कि हमारा दृष्टिकोण समाजवादी है तो हमारा हर पहलू के सोचने का दृष्टिकोण भी समाजवादी होना चाहिए और उस प्रकार ही हमारा कदम होना चाहिये। तो इसमें आपने कुछ कर जमीनों के मामले में रख दिए और भूमि के ऊपर एक एकड़ के ऊपर एक आना लगाने की व्यवस्था की है तो यह हर आदमी के ऊपर पड़ेगा और यह कर आप सब आदमियों से लेंगे। इसी प्रकार दूसरे कर हैं। अब आप कहेंगे कि दो आने चार आने से क्या होगा पर जब आखिर उसके पास है ही नहीं और जिसके पास नहीं है उसके दिमाग पर आप यह असर डाल देते हैं तो वह कहता है कि यह अच्छी नई चीज हमारे सामने आई। आप तो उस व्यक्ति से जो कि बेकार है, गरीब है, उसके श्रम को विकास के काम में लगाना चाहते हैं। उस व्यक्ति के दिल और दिमाग में एक प्रेरणा पैदा करना चाहते हैं वह प्रेरणा किस आधार पर हो सकती है जब उसको महसूस हो कि वाकई इसमें ऐसा दृष्टिकोण रखा है कि हम लोग जो पिछड़े हुए हैं हमारी हालत को उठाने के लिए कदम उठाया जा रहा है और हमारे ऊपर बोझ नहीं आया है, तो मैं समझ लूं कि ठीक है ऐसा दृष्टिकोण रखा है पर वह दृष्टिकोण नहीं होने की वजह से अपना जो लक्ष्य था और जिसको लेकर आगे बढ़ना चाहिये था और हमने बड़ा भारी महत्व दिया कि पंचायत समिति और जिला परिषदों के निर्माण से सत्ता का विकेन्द्रीकरण होगा और विकास के साधनों में सरकार को बड़ी मदद मिलेगी तो वास्तव में अपना दृष्टिकोण भी स्पष्ट रखना चाहिए। मैं जब इन चीजों को देखता हूं कि पढ़ाई के रूप में कर रख दिया है, पढ़ाई के मामले में मेरी समझ में ऐसा कानून आना चाहिये कि शिक्षा निःशुल्क हो, अनिवार्य हो। इसके लिए तो प्रोग्रेसिव स्टेप होना चाहिये। इसमें रखा है कि वह शिक्षा के ऊपर भी कर लगा सकते हैं तो मैं कहता हूं कि गांवों में एक तो वैसे ही बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं और पंचायतों ने कर लगा दिया और कह दिया कि दो आने हर लड़के के पीछे लगेंगे तो वह जाने वाले लड़के भी जाने से रुक जायेंगे। हमने देखा है कि स्कूलों में मास्टर हैं, परन्तु लड़के नहीं मिलते। किसी समय मिलते हैं, तो किसी समय बिल्कुल नहीं मिलते हैं तो वहां पर ऐसी योजना बनानी चाहिये कि लड़कों को आकर्षण हो और ऐसा रास्ता निकालें कि जैसे स्कूल के अन्दर मास्टर को रखा जाता है और उस पर पैसे लगाते हैं, स्कूल खुलते हैं वह बैठ कर के कुछ बच्चों को पढ़ा सके। तो लड़कों को आकर्षण देने की जरूरत है। वहां आप आकर्षण न देकर ऐसी बातें पैदा कर देते हैं कि जो आकर्षण है उसमें बाधा पहुंचती है। इसलिए इस मामले में स्पष्ट होना चाहिए और खुला होना चाहिये कि यह प्राइमरी स्कूलों के ऊपर जो किसी प्रकार का कर लगाने का किसी को अधिकार ही न हो। अगर पंचायत समिति को काम करना है तो यह काम करना है कि वह मालूम करे कि उनके क्षेत्र में कितने स्कूल हैं, उनमें कितने लड़के हैं, कितने दिन आते हैं और कितने दिन नहीं आते हैं और जितने भी लड़के हैं उन सबको किस प्रकार से खीचकर लाया जा सकता है। मैं तो यहां तक समझता हूं कि गांवों के बच्चे सारे लकड़ी लेकर गाय चराने के लिए जाते हैं और अगर वहाँपर एक आदमी गाय चराने

(श्री मुरलीधर व्यास)

वाला भेज दिया जाये तो वह सब के सब लड़के स्कूल में आ सकेंगे और शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। शिक्षा इस प्रकार का अंग है कि हमारे विकास के लिए जो भी छोटे से छोटा साधन हम जुटा सकते हैं वह जुटाना चाहिए। तो मेरा जो दृष्टिकोण है कर लगाने में, मैं पूर्णतः करका विरोधी नहीं हूं, लेकिन कर इस प्रकार से लगाये जायें कि वाकई उन लोगों को जो पिछड़े हुए हैं जो कि वाकइ में गरीब हैं, दबे हुए हैं उनके ऊपर तो किसी प्रकार का एक पैसे का भार नहीं पड़े। उनको महसूस नहीं हो कि इस योजना के साथ यह आ गया। हाँ, अगर कोई व्यवसाय करता है, बड़ा धंधा करता है और विकास के कामों में लगा सकता है तो मैं समझता हूं कि उससे पैसा मिल सकता है। परन्तु जनरली जिस प्रकार से हर जगह पर टैक्स लगाया जाता है वह दृष्टिकोण इस पंचायत समिति में से हट जाना चाहिए। कर लगाने का दृष्टिकोण बदला जाना चाहिये जिससे हमारा जो लक्ष्य है उस तक पहुँच सकें और हमें प्रेरणा मिल सकें। इसलिए मैं इन करों का विरोध करता हूं और इसके साथ ही साथ इस बात की मांग करता हूं और मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय करों के रास्ते को ऐसा बदल देंगे कि जिससे प्रेरणा का स्रोत भी जारी रह सके और विकास का काम भी जारी रह सके। अगर प्रेरणा में बाधा पहुँचती है तो जो चार पैसे भी आप गरीब व्यक्ति से लेते हैं उससे कोई बनने वाला नहीं है और बेकार है, इसी दृष्टिकोण से मैं इन करों का विरोध करता हूँ।

श्री दलपतसिंह (आबू) : सभापति महोदय, यह पंचायतों के द्वारा और सत्ता के विकेन्द्रीकरण द्वारा जनता के ऊपर क्लॉज़ २७ के अनुसार कर स्थापित किये जा रहे हैं, उनका मैं पूरा विरोध करता हूँ ....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सभी करों का ?

श्री दलपतसिंह : क्लॉज़ २७ के अन्दर जिन करों के लगाने का प्रावधान है और वह भी क्लॉज़ (ए) और (सी) के अन्दर, उनका मैं विरोध करता हूं। इसके अन्दर सबसे इम्पोर्टेन्ट कृषकों के लिए यह चीज बताना चाहता हूं कि जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं पंचायतों के द्वारा जो नई स्प्रिट बता दी जायेगी, पंचायतों के द्वारा डेवेलपमेन्ट स्प्रिट को ऊपर उठाना है तो कृषक लोगों को जब यह पता लगेगा कि हम लोगों पर रेंन्ट के ऊपर ६ नये पैसे का कर लगाने वाले हैं तो जो एन्थ्यूसियास्टिक स्प्रिट पंचायतों के द्वारा कृषकों को देना चाहते हैं उसमें काफी बाधा पड़ेगी और इससे उनके प्रोडक्शन पर भी काफी फर्क पड़ेगा। इसलिए क्लॉज़ २७-ए के अन्दर एक रुपये के ऊपर ६ नये पैसे लगने का प्रावधान है यह नहीं रखना चाहिए। आप देखेंगे कि अभी तक किसानों की हालत अच्छी नहीं है वह बहुत बैकवर्ड हैं, वह अपनी रेन्टल वेल्यू ही अदा नहीं कर सकते हैं, ऐसी हालत में सरकार से मेरा यह निवेदन है कि यह कर बिल्कुल हटा देना चाहिए। इन करों से जो इनकी स्प्रिट है वह खराब हो जायेगी। मेरा सुझाव है कि जागीरदारों से जो पैदाइशें आती थीं वे उनको क्यों नहीं वापिस दे दी जायें जो कि २० पर्सेन्ट और ५० परसेंट रेवेन्यू कलेक्शन···

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जागीरदार कम्पन्सेशन छोड़ देंगे।

श्री सभापति (श्री बरकतल्ला खाँ) : यह बाद में कहें कि कम्पेन्सेशन छोड़ देंगे।

श्री दलपतसिंह : जागीरदारों को कम्पेन्सेशन भी तो देना जरूरी है। उनको भी तो रीहेबीलिटेट करना है क्योंकि वे भी तो नागरिक हैं।

श्री सभापति : रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत न गई।

श्री दलपतसिंह : गवर्नमेंट को यह विचार धारा रखने की जरूरत है कि जो काश्तकारों की हालत है वह आज करों की व्यवस्था देखकर घबड़ा जायेंगे। जैसा कि बम्बई में लोकल टैक्स के नाम से कर थोपा हुआ था कि एक रुपये के ऊपर एक आना और वहाँ के काश्तकारों की तो ऐसी हालत है कि वह बिगोड़ी तक नहीं दे सकते हैं, रेवेन्यू कलेक्शन के ऊपर वह साहूकारों से कर्ज लेकर देते हैं। मंत्री महोदय से मेरी रिक्वेस्ट है कि यह कर बिल्कुल हटा देना चाहिए।

दूसरा यह जो २७ वीं क्लॉज़ के अन्दर जो एजूकेशन के बारे में उन्होंने कहा कि प्राइमरी एजूकेशन जो गांव में मिलेगी, उन लोगों को उसके लिए कुछ टैक्स देना पड़ेगा। मैं यह मानता हूं कि पुराने टाइम में गांव के अन्दर मास्टर लोग रहा करते थे और एक एक रुपया चन्दा किया जाता था। लेकिन आज आप पहले प्रोपेगेण्डा कर देते हैं कि प्राइमरी एजूकेशन बिल्कुल फ्री हो जायगी। सरकार पूरी तरह से नहीं ले रही है, मगर उन लोगों में यह भावना हो जायगी कि सरकार एजूकेशन की फीस भी हम से वसूल करती है। अभी तक लड़कों की यह हालत है कि गांव में मास्टर जाता है लेकिन लड़के नहीं आते हैं। १०-५ कहीं आ गये तो कई दफा एबसेन्ट हो जाते हैं। कई आदिवासियों की तो यह हालत है कि बिल्कुल ही टैक्स नहीं दे सकते हैं। एक रुपये का भी जो मिनिमम टैक्स अगर लगे तो वह भी उन लोगों के लिए बहुत भारी हो जायगा। ऐसी हालत में मेरा यह निवेदन है कि प्राइमरी एजूकेशन फ्री होनी चाहिए। पंचायतों को हक देना चाहते हैं कि एजूकेशन के लिए टैक्स लगावे। इसलिए मैं इन दोनों बातों के लिए विरोध करता हुआ सरकार से निवेदन करता हूं कि कृषकों पर यह टैक्स लगाने की पंचायतों को पॉवर नहीं दी जाय कि इसका सौभाग्य प्राप्त हो कि गरीब जनता पर टैक्स लगे।

श्री परसराम (आसीन) : माननीय सभापति महोदय, मसूदा से आने वाले माननीय सदस्य ने क्लॉज़ २७ की सब-क्लॉज़ (२) के पार्ट (३) को डिलीट करने का जो अमेंडमेंट रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूँ। मैं इसलिए समर्थन कररहा हूँ, चेयरमैन, महोदय कि जहाँ तक टैक्स लगाने की व्यवस्था इस धारा के अन्तर्गत रखी गई है, मुझे पूरे के पूरे सेक्शन से एतराज नहीं है, लेकिन मेरा एतराज जहां तक प्राइमरी एजूकेशन पर सेस लगाने का है उस पर एतराज है। और आप देखेंगे कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वह अभी तक कोई सोलिड नींव पर नहीं जम सकी है और उसके आधार पर वह छिन्न-भिन्न व्यवस्था है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रूरल इकॉनॉमी भी मजबूत नींव पर नहीं खड़ी हुई है, उस अर्थ व्यवस्था पर इस तरह का एजूकेशन पर टैक्स लगाना मैं समझता हूं कि एक वेलफेअर स्टेट के लिए कुछ अच्छी बात मालूम नहीं होती है, क्योंकि

(श्री परसराम)

टैक्स के मामले में टैक्सपेअर की केपेसिटी होनी चाहिए कि वह टैक्स दे सकता है या नहीं और उसके साथ साथ एक साइकोलॉजिकल एटमॉसफिअर उस टैक्स के लिए होना चाहिए कि इस टैक्स से जितनी आमदनी होने वाली है उसके बनिस्बत वहां के लोगों को जो फायदा होने वाला है वह ज्यादा है।

जहां तक प्राइमरी एजूकेशन पर टैक्स का प्रश्न है, जहां के विद्यार्थी पहले से ही शिक्षा से महरूम हैं उन लोगों के लिए प्राइमरी एजूकेशन देने का प्रश्न आता है, उसके ऊपर इस तरह का टैक्स लगे, मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रेलाइजेशन की यह भावना बड़ी हो सकती है लेकिन उसकी ओट में गरीब ग्रामीणों पर बोझ लादा जा रहा है जो कि मैं एक वेलफेअर स्टेट के लिए ठीक नहीं समझता। एक तरफ आपने सब-क्लॉज (ए) में पहले गांव की पंचायत समिति को आपने अधिकार दिया है और सेक्शन दो के अन्दर टैक्सेज की जितनी भी केटेगरीज हैं, सरकार के स्पेशल ऑर्डर से टैक्स लगाया जा सकता है. मैं समझता हूं कि इस एनोमली को हटाने के लिए मसूदा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो २७ सेक्शन के बारे में प्रोविजो एड करना चाहा है और सब-क्लॉज (२) के पार्ट ३ को डिलीट कराना चाहा वह ठीक है, उसको किया जाना चाहिए।

श्री रामचन्द्र (डग सु०) : सभापति महोदय, इस धारा में टैक्स लगाने के बाबत पंचायत समितियों को अधिकार दिये जाने का जिक्र किया गया है। परन्तु ऐसा देखा जाता है कि जब कभी भी कोई धारा टैक्स के बाबत आ जाती है तो सदन में एक आम तौर पर गर्मागर्म बहस शुरू हो जाती है और सभी टैक्स या कर से लोग प्रभावित होकर यह समझ रहे हैं कि यह टैक्स, जिसके ऊपर आज इस सदन में विचार किया जा रहा है यह शायद एक प्रान्त व्यापी टैक्स हैं जिसका प्रभाव इन्कम टैक्स और उसके समान और बड़े बड़े टैक्सों की तरह आम जनता पर पड़ने वाला है। इसी विचार को लेकर जब कभी टैक्स या कर लगाने का जिक्र आया है उसके विरोध में बोलने के लिए माननीय सदस्य दिल खोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं।

इस धारा के तहत में जब कि कर लगाने का अधिकार पंचायत समितियों को दिया जाने वाला है तो अब तक मैंने जितने भाषण सुने उनमें से ज्यादातर इसी राय के हैं कि टैक्स लगना चाहिए, और जो संशोधन भी आये उनमें किसी में भी संशोधन के द्वारा यह नहीं कहा गया कि टैक्स नहीं लगाने चाहिए, बल्कि थोड़ी बहुत हेरफेर जरूर करनी चाहिए। इस प्रकार के संशोधन आये हुए हैं। एकमात्र विरोध जिस टैक्स का किया गया है वह यह है कि एजूकेशन के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो सभापति महोदय, मैं भी यही निवेदन करूंगा कि राजस्थान सरकार जैसी कल्याणकारी सरकार है और राजस्थान की जनता को शिक्षित करने के लिए राजस्थान सरकार जब कि इतना धन इकट्ठा कर रही है तो पंचायतों के स्तर पर प्राइमरी स्कूलों के बालकों की शिक्षा के ऊपर किसी प्रकार का टैक्स लगे वह इस राज्य के लिए शोभा की बात नहीं होगी। इसलिए मैं यही निवेदन करूंगा कि आप जितना टैक्स

Page No 38

(श्री रामचन्द्र)

प्राइमरी स्कूल के बालकों की शिक्षा पर लगा कर वसूल कर सकते हैं उतना टैक्स किसी दूसरे सोर्स से रख दें तो जनता हर्ष से अदा करेगी और उससे सरकार की बदनामी का भी किसी तरह से मौका नहीं आयेगा। इसलिए मैं यही निवेदन करूंगा कि यह जो प्राइमरी स्कूलों की शिक्षा के ऊपर टैक्स लगाने का प्रोविजन रखा गया है इसको बिल्कुल डिलीट कर देना चाहिए।

और इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज इस सदन में बैठकर जो माननीय सदस्य इस टैक्स का विरोध कर रहे हैं वह कहां तक उचित है। विरोध करने के पहले उन्हें तीन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि यह जो पंचायत समिति जो कर लगाने जा रही है, इनका लाभ किनको मिलने वाला है, इसका असर किसके ऊपर पड़ने वाला है, और इस ढंग से जहां पर काम किया जायगा उसका लाभ किसको मिलने वाला है। इन तीनों बातों के ऊपर यदि गम्भीरतापूर्वक विचार करें तो उनको मैं समझता हूं कि इन करों का विरोध करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरा निवेदन करना यह है कि यह जो कर लगाये जा रहे हैं वे वास्तव में कोई कर नहीं हैं। यह तो एक इन्वेस्टमेंट है। गांव में हमें कोई कुआं खुद-वाना है तो उस कुंए से गांव के लिए फायदा होने वाला है। सरकार से सहायता मिलती है। सरकार यह चाहती है प्रजा कुछ सहायता दे। सरकार और प्रजा के पैसे से जो कुंआ खोदा जायगा उससे गांव की आर्थिक और सामाजिक दोनों प्रकार की उन्नति होगी। यह तो कोई टैक्स नहीं है बल्कि एक प्रकार का चन्दा है जिसका कि नाम टैक्स रख दिया गया है तो ऐसा टैक्स जो पंचायत समिति द्वारा लगाया जा रहा है इसका तो विरोध किसी हालत में नहीं करना चाहिए, बल्कि हर्ष से ऐसे टैक्स लगाने के लिए हमको प्रयत्न-शील होना चाहिए, और जो लोग इसके विरोधी भी हैं उनको समझाने के लिए हमको प्रयत्न करना चाहिए कि पंचायत समिति और गांव की पंचायत के द्वारा जो टैक्स लगाया जा रहा है यह वास्तव में टैक्स नहीं है बल्कि एक तरह का कन्ट्रीब्यूशन है। कोई यदि कुआं या इमारत सरकार के द्वारा प्रजा के हित के लिए बनाई जाय तो उसमें प्रजा को इतना सुख नहीं होता है जितना कि अपना पैसा लगाकर उस वक्त प्रजा को अभिमान होता है कि इस मकान के बनने में, इस कुंए के बनने में हम गांव के लोगों का रुपया लगा है। यदि वहां सारे रुपये सरकार के द्वारा ही लगाये जाते तो उस वख्त गांवों के लोगों का अधि-कार जाता रहता। इसलिये मैं तो कहूंगा कि सरकार यदि यह चाहती है गांवों के विकास के लिये जो इमारत अथवा कुंए, अथवा सड़कें इत्यादि जो सार्वजनिक हित के लिये निर्माण किये जांय उनमें प्रजा को सहर्ष कंट्रि-ब्यूशन देना चाहिये चाहे टैक्स के नाम से या और नाम से। इसलिये मैं कहूंगा कि इस धारा २७ के द्वारा पंचायत समितियों को कर लगाने का अधिकार दिया जा रहा है वह वाज़िब है। साथ ही निवेदन यह करना है कि पंचायत समितियों को टैक्स ऐसा लगाना चाहिये जो जनहित में हो और जनता को उससे फायदा हो।

श्री सभापति : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : सभापति महोदय, राज-

Page No 39

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

स्थान पंचायत समिति और जिला परिषद् बिल की क्लॉज २७ पर सदन में कल से विचार हो रहा है। धारा २७ में इस बात का प्रावधान रखा है कि पंचायत समितियों को कौन-कौन से टैक्सेज लगाने की पॉवर दी जाय। माननीय सभापति महोदय मैं विशेष रूप से धारा २७ की उप-धारा (१) भाग (ब) और उप धारा (२) के पार्ट (१), (२) और (३) में जिन टैक्सेज के बारे में प्रावधान किया गया, उनके विरोध में विचार प्रकट करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

राजनैतिक सत्ता के विकेन्द्रीकरण के सम्बन्ध में जो यह बिल सदन के सामने प्रस्तुत हुआ और बड़े जोरशोर के साथ राजस्थान की राजनैतिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया जा रहा है और राजस्थान की सरकार की जो हुकूमत है उस हुकूमत को पंचायत तक पहुंचाया जा रहा है। पंचायतें विकास के काम में जनता का सहयोग लेकर राजस्थान में विकास योजना को सफल बनायेंगी और राजस्थान की आगे जाकर उन्नति होगी। इस प्रकार का एक नारा विधेयक के साथ जोड़ने की कोशिश की। मुझे तो ऐसा लगता है सभापति महोदय, जब मैं इस धारा पर दृष्टिपात करता हूँ कि यह विकास योजना को सफलीभूत बनाने की दृष्टि से राजस्थान की १॥ करोड़ जनता का सहयोग लेने के लिये यह लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण नहीं किया जा रहा है लेकिन राजस्थान सरकार के कोष में जो दिवालियापन विकास योजनाओं के कारण आ गया है उससे मुक्ति पाने के लिये पैसा इकट्ठा किया जाय यह बात मालूम पड़ती है।

सभापति महोदय इस धारा को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा मालूम होता है कि हमने टैक्स लगाने की ताकत दी पंचायत समिति को, लेकिन हमने टैक्स बड़े बड़े पूंजीपतियों पर लगाने के बारे में कोई प्रोविजन नहीं किया। आज गांवों की छोटी छोटी दाणियों में बिड़ला और टाटा की बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज नहीं आयेंगी वहां आयेंगे कुम्हार, बढ़ई, धोबी आदि छोटी दाणियों में धन्धा करने वाले लोग जो छोटी छोटी कॉटेज इन्डस्ट्रीज चलाते हैं और छोटे छोटे गांवों में रहते हैं, उन पर हम टैक्स लगाने की ताकत पंचायत समितियों को इस धारा के द्वारा दे रहे हैं।

मुझे ताज्जुब हुआ इस बिल को देखकर कि राजस्थान के मुख्य मंत्री और शिक्षा मंत्री ने आज से एक दो साल पहले 'स्कूल चलो' का नारा लगाया था। इस बारे में उन्होंने अखबारों में खबरें छपाई थीं, पेम्फलेट्स छपवाये थे और 'स्कूल चलो' का नारा लगाया था और राजस्थान सरकार ने प्राइमरी एज्युकेशन को फ्री किया था और हिन्दुस्तान में अपना नाम कमाने की कोशिश की थी। लेकिन इस धारा २७ के द्वारा 'स्कूल चलो' का नारा एक साथ फिसल गया और लोगों ने समझा कि धारा २७ में कहा गया है कि 'स्कूल चलो' और पैसा भी साथ ले चलो, सेस लगा दिया प्राइमरी एज्युकेशन पर। दुर्भाग्य से शिक्षा के मामले में हिन्दुस्तान वैसे ही पिछड़ा हुआ है, शिक्षा का पर्सेन्टेज वैसे ही कम है और राजस्थान में इससे भी कम है। चाहिये तो यह था कि एज्युकेशन की दृष्टि से गांवों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप या वजीफे देने चाहियें, लेकिन इसके बजाय गांव के लोग जो ढ़ोरों के पीछे चलते हैं और जो लोग अशिक्षा को ज्यादा

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

पसन्द करते हैं वनिस्वत शिक्षा के, उन पर शिक्षा के नाम से टैक्स लगाने का अधिकार पंचायत समितियों को दिया जा रहा है।

मैंने पहले ही निवेदन किया था कि छोटे छोटे उद्योगों पर टैक्स लगाने से वहां पर छोटे छोटे प्रोफेशन करने वालों पर बुरा असर पड़ेगा। हम चाहते हैं कि कुटीर उद्योग बढ़े। लेकिन ऐसा लगता है कि कुटीर उद्योग गांवों में पनप नहीं सकेगा। खाली एक इन्डस्ट्री जिसे सरकार का संरक्षण प्राप्त है वह खादी इन्डस्ट्री पनप सकती है, दूसरी नहीं पनप सकती। मैं समझता हू इस प्रकार का सौतेला व्यवहार लोकतंत्र में अच्छी परम्परा नहीं है।

आज हिन्दुस्तान के इतिहास में राजस्थान में इस प्रकार का विधेयक पास करके एक उदाहरण प्रस्तुत करने जा रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं जब इस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत करने का मौका आया है, जब इस प्रकार के लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण विधेयक को हम पास सबसे पहले कर रहे हैं। हो सकता है हमारे यहां से दूसरी स्टेट्स वाले विधेयक मंगावें क्योंकि वे कहेंगे कि राजस्थान में सबसे पहले पास हुआ है। लेकिन इस विधेयक के प्रोविजन्स को देखकर वे किताब वापिस लाइब्रेरी में लौटा देंगे और इसे कोई फॉलो करने की कोशिश नहीं करेगा और उसके आधार पर अपनी विधान सभा में बिल लावेंगे ऐसा नहीं दिखाई देता है। इसके स्टेटमेन्ट आफ आब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स में लिखा है कि विकास योजना में जन सहयोग और जन जागरण पैदा करने के हेतु इसे रखा गया है। जब मैंने इन प्रोविजन्स को देखा तो मुझे लगा कि हमें चाहिये था कि हम पंचायत समितियों की आर्थिक अवस्था को सुधारने के लिये लैंड रेवेन्यू का २५ परसेन्ट उन्हें देते। राजस्थान सरकार का भी ऐसा ही इरादा था लेकिन पता नहीं क्यों बदल गया। राजस्व मंत्री जी इस बारे में बतलायेंगे कि क्या बात है। लेकिन २५ परसेंट नहीं करके २५ नये पैसे कर दिये। इससे उन्हें ४० लाख रुपये मिल सकते हैं। जहां लैंड रेवेन्यू का २५ परसेन्ट देने से १॥ करोड़ रुपये मिल सकते थे क्योंकि लैंड रेवेन्यू की आमदनी ६ करोड़ के करीब है, २५ नये पैसे करने से केवल ४० लाख रुपये ही तो मिलेंगे इससे काम कैसे चलेगा? यह तो राजस्थान सरकार के पैसे को बचाने की बात है। राजस्थान सरकार कैसा भी व्यवहार करे लेकिन इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि पंचायत समितियों को इस प्रकार का अधिकार देकर जो छोटे छोटे गांवों और ढाणियों में रहने वाली जनता की गाढ़ी कमाई है उसको लेकर उसका खून चूसने की कोशिश करे। मैं इस विषय पर ज्यादा समय न लेकर एक छोटा सा किस्सा कारू के राजा का आपके सामने पेश कर दूँ। कारू का राजा जनता पर बहुत टैक्सेज लगाता था और उसने जनता का सारा पैसा टैक्सेज में खींच लिया। फिर वह यह सोचने लगा कि अब जनता से पैसा कैसे खींचना चाहिये। इस बारे में उसने अपने सचिव से पूछा तो उसने कहा कि अब जनता के पास पैसा कहां रहा है। तब राजा ने कहा कि तुम झूठ बोलते हो, अब भी जनता के पास पैसा है। उसने एक बहुत सुन्दर युवती मंगाई और कहा कि जो इसकी कीमत का १०) रुपया देगा उसको यह युवती मिलेगी। युवती को कौन खरीदता किसी के

Page No 41

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

पास पैसा नहीं था। एक सुन्दर युवक ने उस युवती को प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। वह अपनी माँ के पास गया और उससे कहने लगा कि माँ १।) रुपया दे सुन्दर युवती मिल रही है। माँ ने कहा कि रुपये कहां रखे हैं राजा ने सारे ले लिए। तब उसने कहा कि पिताजी जब मरे थे तब उनकी कबर के साथ में सवा रुपया रखा था, वह कबर खोद कर सवा रुपया निकाल लाया और उससे युवती खरीद ली। जब यह बात राजा को मालूम हुई तो उससे पूछा कि यह रुपया कहां से आया तब उसे बताया गया कि कबर में मिला तब राजा ने कहा कि सारी कबरें खोदकर पैसा निकाल लो।

सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि धारा २७ के द्वारा सरकार यह चाहती है कि राजस्थान सरकार के पास पैसे की कमाई आये। हमारे मुख्य मन्त्री जी ने सोचा कि विकास योजनाओं के लिए पैसा नहीं है, सेन्टर ने कड़ा रुख कर लिया है, जो कड़ी कर ली है, अब वहां से पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए पंचायत समिति के इस अधिकार की घोषणा कर दी। इससे जो लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण हो रहा है, विकेन्द्रीकरण करने में राजस्थान हिन्दुस्तान में पहला राज्य है, इसलिए इसका नाम होगा और साथ ही साथ विकास योजनाओं के लिए पैसा मिलेगा। तो हमारी राज्य सरकार ने पंचायतों को अधिकार दे दिया, लेकिन मैं निवेदन करूं कि इससे जन आन्दोलन होगा। (घंटी) इसलिए, सभापति महोदय, मैं केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की दुर्भावना और इस प्रकार की दुर्गन्धी इस क्लॉज में आती है, तो इस प्रोमेसिव कानून का लक्ष्य नहीं है कि पंचायत समितियों को टैक्स लगाने की पॉवर दें। इसलिए मैं निवेदन करूंगा मुख्य मन्त्री जी से कि पंचायत समिति व जिला परिषद् विधेयक में यह क्लॉज है और जिनके अनुसार ट्रेड्स, कालिंग्स और प्रोफेशन्स, प्राइमरी एजूकेशन और इन्डस्ट्री पर टैक्स लगाने की पॉवर दी है, उसको विड्रॉ कर लें और फिर संशोधित क्लॉज को पास करें। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : माननीय मुख्य मन्त्री।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : सभापति महोदय, (फर्स्ट पार्ट), वैसे मैं, बिल पर, सोचता यह था, मेरे बोलने की जरूरत न रहे लेकिन इस धारा पर कल से वाद विवाद हो रहा है, उसको देखकर मुझे उस पर कुछ कहने के लिए उपस्थित होना पड़ा है।

टैक्सेशन की बात को लेकर यहां पर हमारे जनसंघ से आने वाले भाइयों ने विशेष तौर से बहुत जोर से गांव की पैरवी की, गांव के किसानों की पैरवी की, उनके दर्द के साथ अपना दर्द भाषा में मिलाया, यह बताने का प्रयत्न किया कि वे उनके दर्द से बहुत पीड़ित हैं और यह टैक्स बहुत जबर्दस्त वजन डाल रहा है। अभी मेरे पूर्व, जो माननीय सदस्य बोल रहे थे, उन्हें मजदूर और किसानों का शोषण याद आ गया। मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन कर देना चाहता हूं कि मेरे ख्याल से बहुत से माननीय सदस्य जानते होंगे कि इस समय राजस्थान के अन्दर करीब ११ जिलों के अन्दर डिस्ट्रिक्ट बोर्डस है और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट के अनुसार इस वक्त वहां पर किसानों से कम से कम एक

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

आना प्रति रुपया टैक्स वसूल हो रहा है और कुछ जगह, जहां पंचायत एक्ट के अनुसार काम हो रहा है, उसमें इजाजत दी गई है कि दो पैसे तक वह टैक्स वसूल कर सकती है। एक तरफ हम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को अबॉलिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनके अबॉलिशन के बाद जो सेस गांव के लोग दे रहे हैं, उसे घटा कर ६ नए पैसे कर दिया है। इस बिल के अन्दर जो धारा रखी है, उसके जरिए वह भार कम हो रहा है। उस बात पर हम यह चर्चा करना चाहते हैं कि जबर्दस्ती वजन इनके ऊपर डाला जा रहा है, मैं समझता हूं यह गलत बात है।

दूसरी बात, सभापति जी, मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का सेस था, वह कम्पलसरी था। इस धारा के अन्दर, जो भी टैक्सेज इसके अन्दर बताये गए हैं, वे सब प्रकार के हैं, जिसके अन्दर कोई ऑब्लीगेशन नहीं हैं, वे चाहे तो लगा सकते हैं, चाहे तो नहीं लगा सकते हैं, हमने डिस्क्रिशनरी पॉवर्स दी हैं। मैं समझता हूं कि हम यदि इस एक्ट में उनको कोई टैक्स लगाने का अधिकार नहीं देते हैं, जिससे पंचायत समिति के अपने रिसोर्सेज हों, जिससे वे काम करेंगे। इसलिए यह धारा ऐसी है व्यावहारिक दृष्टि से, जिनको विकास करना है, वे स्वयं सोचेंगे कि हमें अपने रिसोर्सेज बढ़ाने चाहिए। वे इस प्रकार से नहीं सोचने वाले हैं कि जिस प्रकार से जनसंघ से आने वाले माननीय सदस्य सोचते हैं। जो वे अपनी हालत को सुधारने के लिए, तरक्की करने के लिए निश्चित तौर से इस दिशा में सोचेंगे और उस बात पर विचार करके, हमने बिल के अन्दर जो इस बात का प्रावधान किया है कि वे चाहें तो टैक्स लगायें, हमने डिस्क्रिशनरी पॉवर्स जान बूझकर रखी हैं, जो वाजिब हो सकती है। इसके साथ ही जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट में टैक्स हैं, कम्पलसरी टैक्स है, वे सब लगाये, उन एक्समेंट्स तक टैक्स लागू करने में कोई नया वजन नहीं होता और वे रखे जा सकते हैं, वैसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कुछ जिलों में थे, कुछ में नहीं थे। इसलिए हमने इस बात को उपयुक्त समझा कि पहले इस बात की व्यवस्था करें कि जिस प्रकार पंचायत समिति चाहे, उसी तरह करे.............

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : This discretion is not with the Panchayat Samiti is subject to the special orders of the State Government.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : Decision has to be taken by the Panchayat Samiti first.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : No, no. If the State Government directs them.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : It is very clear.

तो उनको यह फैसला लेने का अधिकार दिया है और उसके बाद वे टैक्स लगा सकते हैं। मैं समझता हूं उसमें कोई अनौचित्य नहीं है।

दूसरी बात कही इन्डस्ट्री कॉमर्स ट्रेड्स के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं नम्रतापूर्वक, आज हमारे पंचायत एक्ट के अन्दर यह है, म्यूनीसिपैलिटी एक्ट के अन्दर यह है कि वे इस प्रकार के टैक्सेशन लगा सकते हैं

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

आर्डीनन्स के लिए कहा गया, एक माननीय सदस्य ने कहा कि वह टैक्स है नहीं, मैं निवेदन करूं कि म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट में प्रावीजन है आर्डीनन्स के बारे में फैसला कर सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो धारायें रखी गई हैं, उनके लिए आप पंचायत एक्ट को और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को देखें तो स्पष्ट तौर से मालूम होगा कि पहले जो बहुत सी बातें थीं पंचायतों की पॉवर्स थीं, उनको पंचायत समिति को दिया और पहले जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की पॉवर्स थीं, अब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में ही रहेंगी इसलिए जिला परिषद् को दी हैं ऐसी व्यवस्था रखी गई है, यह एक पक्ष है। इसके साथ ही मैं निवेदन करूं कि कल कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे कि ट्रेडस एन्ड कॉलर्स के लिए as prescribed by the State Government यह लिखकर सरकार को एक ब्लेंक चैक दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। जहां तक सवाल ट्रेडस के ऊपर टैक्स का, पंचायत समितियां स्टेट गवर्नमेंट, दोनों जैसा चाहे वैसा नहीं हो सकता, क्योंकि वह लाइसेन्स के तौर पर टैक्स होगा। उसी प्रकार मिनरल या दूसरी चीज है, उन पर रॉयल्टी या डेड रेन्ट किस प्रकार फिक्स की जाय, इसकी डिटेल्स में न जाकर मैं इतना कह दूं कि जो फिक्स करने का सवाल आता है, उसमें वह नहीं है कि पंचायत समिति जैसा चाहे, वैसा कर दें। ऐसा करने से माइन्स के ऊपर उल्टा असर हो सकता है, इसलिए गवर्नमेंट के पास रूल्स फ्रेम करने की पॉवर्स रखी हैं।

मैं आगे निवेदन करूं कि किसानों के ऊपर वजन डालने के सम्बन्ध में विशेष तौर से एज्युकेशन सेस के बारे में कहा गया। राजस्थान शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, इसमें दो राय नहीं है। 'स्कूल चलो' आन्दोलन शुरू मैंने करवाया, इसमें दो राय नहीं है, मैं गौरव के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंत में भारत के अन्दर एक प्रकार का राज्य होगा, क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजना में शिक्षित व्यक्तियों का प्रतिशत २२ प्रतिशत था, वह बढ़ कर ५० प्रतिशत के आसपास हो जाय, इतनी प्राथमिक शिक्षा को बढ़ा देंगे कि सवा दो, ढाई गुने के करीब प्रतिशत हो जायगा। आगे जब हम शत प्रतिशत प्राइमरी एज्युकेशन की बात करते हैं, तो माननीय सदस्य सहमत होंगे कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, अभी कुछ देर पहले बहुत जोरों के साथ एतराज किया था, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ६ से ११ वर्ष के लड़के लड़कियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाय तो खर्चा आयेगा १५ करोड़ २० करोड़ के करीब। दूसरी पंचवर्षीय योजना में १५ करोड़, २० करोड़ रुपया खर्चा आयेगा। यह जो सजेस्ट किया जारहा है ६ नये पैसे, मैं उसके लिए निवेदन करूं कि छः नये पैसे से साल भर के अन्दर जिसकी हम जोरशोर से चर्चा करते हैं, उसकी आमदनी क्या होती है, उसकी आमदनी होती है ज्यादा से ज्यादा ३५ लाख, उसका इन पांच साल का हिसाब लगायें तो १ करोड़ ६५ लाख के करीब आयेगा, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि सेस से हम अपना खर्चा पूरा करना चाहते हैं, सरकार खर्चा पूरा करना चाहती है। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि सरकार का दिवाला निकल रहा है, इसलिए भार सब पर डाल रही है। मैं अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा नहीं। सरकार १५ करोड़–२० करोड़ रुपया

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

खर्च करके यह चाहती है कि प्राथमिक शिक्षा राजस्थान भर में लागू हो। बाकी इससे मिलने वाला है वह १ करोड़ ६१ लाख के करीब आमदनी होती है, जो पंचायत समिति को आमदनी होगी, फिर यह देखना चाहिए कि आज मद्रास और आन्ध्र के अन्दर, दूसरे राज्यों के अन्दर, जो शत प्रतिशत के नजदीक पहुंच गए हैं, वहां वे क्या कर रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए अर्ज कर दूं कि मद्रास में, जो पंचायत समिति के मामले में कानून बना है, उसमें एक व्यवस्था की है कि

"There shall be levied in every Panchayat Development Block a local cess at the rate of 45 naya paise in evey rupee of land revenue payable to the Government in respect of any land for every fasli."

यह तो हुआ सेस, इस सेस के बाद पंचायतों को अधिकार दिया है, इस सेस पर सरचार्ज किया जा सकता है :

"Every Panchayat Union Council may levy on every person liable to pay land revenue to the Government in respect of any land in the Panchayat Union a local cess surcharge at such rates as may be considered suitable, as addition to the local cess levied in the Development Block."

इसी प्रकार आन्ध्र के बारे में, मैं आपसे निवेदन करूं कि आन्ध्र में जहां पर उन्होंने प्रोपोज किया है :

Land cess to be levied by the Government: 50 naye paise per rupee.

आज ये आंकड़े मैंने आपके सामने प्रस्तुत किये। यू० पी० डिस्ट्रिक्ट कौंसिल का है, ३८ नये पैसे एक एकड़ पर लागू किये हैं कि चार्ज होने चाहिये। तो हम जो विकास करना चाहते हैं, उसमें जो जितना कर सकता हैं, जितने रिसोर्सेज बढ़ा सकते हैं, वह हमें करने होंगे। डिबेट के आरम्भ में ही मैंने सदन के सामने निवेदन किया था कि तीसरी पंचवर्षीय योजना को लक्ष्य में लेकर चलें और साथ ही तीसरी पंचवर्षीय योजना बड़ी है और जिस मंजिल तक दूसरी पंचवर्षीय योजना में बढ़े उसे आगे बढ़ना है, तो हर व्यक्ति को कुछ न कुछ देने की कोशिश करनी होगी। जो हमारे गांवों का स्तर था, जैसे जनसंघ के माननीय सदस्य गांवों में जाते हैं, हम भी गांवों में जाते हैं, गांवों की स्थिति को जानते हैं, गांवों की नब्ज को भी पहचानते हैं और हमें पूरा यकीन है, हम लोग बैठ कर फैसला करते हैं, यह भरोसा है और फैसला भी है कि गांवों में जो हुआ गांवों के लोग अनुभव करेंगे कि जो कुछ पिछले वर्षों में हुआ है और आगे होने वाला है, इसके लिये उन्हें कन्ट्रीब्यूट भी करना पड़े तो करेंगे।

यह ऐसा विधेयक है कि इसे राजनैतिक दृष्टि से न देखकर समाज के विकास की दृष्टि से एवं विकास किस तरह से हो सकता है, इस तरह से देखना चाहिये। पंचायत समिति के टैक्स के प्रोपोजल पर बहस हुई तो इस तरह की बहस हुई कि कोई हमारी बहस सदन के लिये नहीं बाहर के लिये हो। जहां कहा कि हम टैक्स का विरोध करते हैं, टैक्स का विरोध और देश का विकास दोनों विरोधाभास चीजें

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

हैं। अगर देश की तरक्की हमें करनी है तो हमें कुर्बानी करनी होगी।

बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, तीसरी पंचवर्षीय योजना में भार आयेगा। मैं स्पष्ट तौर से कहता रहा हूं और आज भी कहता हूं कि वजन आयेगा। यह बार बार कहा जाता है कि गांव वालों पर टैक्स लगाया जा रहा है। मैं कहता हूं गांवों की स्थिति को हम जानते हैं, प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में गांवों की तरक्की हुई है, इसको हम जानते हैं और जितना भार उन पर पड़ता है, मैं जानता हूं। ऐसा लगाने से पढ़ाई खत्म हो जायगी, यह मैं नहीं समझता। इसका नाम एज्यूकेशन सेस इसलिये देते हैं कि वह रुपया इसी काम पर खर्च हो, डेवलपमेंट सेस नाम दे देते तो शिक्षा पर खर्च नहीं होता। अगर किसान लगान देता है तो जरूर खेत जोतता है, इसी तरह किसान फीस देता है तो उसका लड़का जरूर पढ़ता है। केरल, मद्रास, आन्ध्र में हमसे कहीं ज्यादा फीस है और जब तक हम हमारे यहां शिक्षा को दान की स्थिति में देखते हैं अच्छा नहीं। शिक्षा के लिये रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिये इस चीज को इस धारा में रखा है।

पर मैंने निवेदन किया कि सब चीजें डिस्क्रिशनरी हैं। पंचायत समितियां, पंचायतें सोचें कि उनको अपने यहां क्या करना है, पर मैं मानता हूं कि उन्हें रिसोर्सेज बढ़ाने के लिये यह सब कुछ करना होगा। लैंड रेवेन्यू के लिये कहा कि लैंड रेवेन्यू का २५ प्रतिशत करने के स्थान पर २५ नये पैसे कर दिये। मैं यह निवेदन कर दूं कि लैंड रेवेन्यू का कर देना वस्तु स्थिति से मेल नहीं खाता, एक इलाका पहाड़ी है, तो एक इलाका रेगिस्तानी है, वहां तीसरा इलाका नहरी है, एक तहसील की ५ लाख लैंड रेवेन्यू है तो दूसरी तहसील में एक लाख लैंड रेवेन्यू है। २५ प्रतिशत लैंड रेवेन्यू के सिद्धान्त पर आते हैं तो इसके माने यह हुए कि एक जगह रिसोर्सेज ज्यादा हो जायेंगे और दूसरी जगह कम हो जायेंगे। इसके लिये हमने तय किया है कि उनके रिसोर्सेज का सप्लीमेंट किया जायगा, एडहोक-ग्रान्ट देंगे। अभी २५ प्रतिशत का फैसला कर देते तो समान रूप से सबको लाभ नहीं होता, कुछ को लाभ और कुछ को नुकसान हो सकता था।

मैंने यह भी अर्ज किया था कि आज जो जो फंक्शन्स गवर्नमेंट कर रही है, उनको हम ट्रान्सफर कर रहे हैं और अगले साल तक गिनें तो ६ से १० करोड़ के फंक्शन्स पंचायत समितियों के होंगे। राजस्थान की नेट लैंड रेवेन्यू लें तो ६ करोड़ है, हम सेंट परसेंट का फैसला कर लेते हैं कि सेंट परसेंट लैंड रेवेन्यू पंचायत समितियों को दे देंगे तो भी एडीशनल देना पड़ेगा, पर जो जहां के सर्कमस्टान्सेज हैं, उन जगहों पर उन लोगों को रिसोर्सेज बढ़ाने का मौका दें, इससे वे लोग अपने यहां रिसोर्सेज बढ़ायें और उनमें इन्सेन्टिव पैदा होगा।

यहां पर लेबर टैक्स के बारे में एक अमेंडमेंट, प्रोपोजल आया है कि हमें लेबर टैक्स के लिये इसमें व्यवस्था करनी चाहिये। मैं निवेदन करूं कि अभी तो सेस की बातें रखी हैं उनको इस तरह इन्टरप्रेट किया जा रहा है अगर इसमें कम्पलसरी लेबर टैक्स को जोड़ते तो हमारे मित्र कह देते कि अब तो गवर्नमेंट ने बेगार लेना शुरू कर दिया है।

Page No 46

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

वैसे इसमें कन्ट्रीब्यूट करने का सेक्शन है, कोई भी चाहे तो लेबर के रूप में या कैश के रूप में कन्ट्रीब्यूट कर सकता है, उसको कोई रोक नहीं है। अगर गांवों के लोग टैक्स लगाना नहीं चाहते और यह तय करते हैं कि दो लाख रुपया साल भर में हम सब मिल कर किसी तरह इकट्ठा करेंगे तो हमारी तरफ से टैक्सेज के लिये कोई कम्पल्शन नहीं है, वे लोग ऐसा कर सकते हैं. पर वह कोई टिकाऊ चीज नहीं होगी, इससे कोई एश्योर्ड इन्कम नहीं होगी, यह कोई स्थायी चीज नहीं होगी। इसके लिये एश्योर्ड इन्कम होनी चाहिये, हमेशा के लिये चालू रहने वाला काम है उसके लिये परमानेन्ट रिसोर्सेज होने च हिये। फिर यह भी कहा गया कि लैंड रेवेन्यू को को रीयलाइज करने का काम ग्राम पंचायतों को सौंप दिया जाना चाहिये। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि यह काम ग्राम पंचायतों को सौंपा जावे या नहीं मगर उनमें आपके विश्वास का प्रश्न है। उनको यह कार्य सौंपा जा सकता है, आगे पीछे, आज का प्रश्न नहीं है जबकि हमारी पंचायत समिति की एडमिनिस्ट्रेटिवली फ्रोम ऑल एंगल्स (administratively from all angles) ठीक तरह से चल निकले। कितनी लैंड रेवेन्यू का ऑपरेशन परसेन्टेज है। इन सारी बातों के बाद इस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन ६ या ७ करोड़ के डेफिनेट गवर्नमेंट के रीसोर्सेज है, उनके रियलाइजेशन का सारा का सारा काम उन पर सौंप देना जिसमें रुस्पेन्शन और रेमिशन आदि सारे के सारे प्रश्न जुड़ते हैं तो उसमें राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति है उसमें किसी प्रकार का लोस होने की सम्भावना पैदा होने दें यह नहीं हो सकता। इसके लिये हम कार्यवाही करना चाहते हैं, आगे पीछे हो, इसके बारे में मेरे दिमाग में कोई विरोध हो या यह नहीं हो सकता ऐसी बात नहीं है। मगर जब वह स्टेज आएगी उस समय की बात है। यह स्टेज का प्रश्न है। पहले हमने जो किया है उसको पूरा कर लें।

फिर एक दलील हमारे दांता रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य (सोनी) श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कही कि सरपंच तो बहुत तिकड़म से आ जाते हैं।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : यह आपको पास बैठने वालों ने गलत सूचना दी है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मुझे पता नहीं गलत दी है तो।

श्री भैरोंसिंह : इसके लिये सदन के प्रोसिडिंग्स साक्षी हैं तिकड़म नहीं कहा है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपने यह कहा है कि आम तौर से पैसे वाले और दूसरे लोग सरपंच बनते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : इसलिये आपने कन्डेस्ड वर्ड लिया है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : दोनों में फर्क नहीं पड़ता है। इससे जो बातें कही गई हैं...

श्री भैरोंसिंह : बलवन्त राय मेहता कमेटी में इनके बारे में बराबर रेफरेन्सेज दिया गया है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : श्री बलवन्तराय कमेटी ने दिया है। लेकिन आपकी स्थिति में जो राजस्थान में विचार हो रहा है और पहले भी कई बार इस प्रकार का प्रश्न आता रहा है उसमें आपने दूसरे स्थानों के बारे में कहा है कि पंचायतों को नौकरी में अलग अधिकार नहीं मिलने चाहिये। मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज कुछ माननीय सदस्यों को पंचायतों में विश्वास नहीं है। बात तो कहने को यह कहते हैं कि सेस रखी जावे मगर उनको उनमें सच्च तो यह है कि विश्वास नहीं है। आप भला यह कह सकते हैं कि कोई संस्था डीसेन्ट्रेलाइजेशन में ऐसी है जिसमें टैक्स नहीं लगते हैं और वे डिसेन्ट्रेलाइजेशन कहलाते हैं। उनके साथ में अवश्य टैक्स होते हैं। आप यह चाहते हैं कि म्युनिसिपेलिटीज़ बनें, पंचायत समितियां बनें और फंड ऊपर से आने चाहियें यह उचित बात नहीं है। यदि हम इस प्रकार करते हैं तो हम डिसेन्ट्रेलाइजेशन के जरिये उनको रिसोर्सेज नहीं देकर उनको पैरों पर खड़े करने का अधिकार नहीं देते। दूसरी तरफ उनकी रेस्पोन्सीबिलिटी को पूरा करने के लिये करोड़ों रुपये खर्च करते हैं। तो उनको भी कुछ न कुछ रेज़ करना चाहिये यह जरूरी है। जब तक यह स्थिति नहीं होगी कोई भी पैर पर खड़ा नहीं हो सकता। वे यह समझते हैं कि रुपया हमको ऊपर से मिल जावेगा। जब राजस्थान सरकार को प्लानिंग कमीशन यह कहता है कि आप इतने रिसोर्सेज़ चाहते हो तो इतना फंड रेज़ करोगे तो हम इतना परसेन्ट देंगे। यदि वह यह कह दे कि आप खर्च किये जाओ जितनी जरूरत हो हम देते रहेंगे। तो मैं यह कहूंगा कि खर्च करते समय हम कुछ भी ध्यान नहीं रखेंगे। तो आज पंचायत समिति में जो टैक्स डिसेन्ट्रेलाइजेशन में लगाने जा रहे हैं और जो लैंड रेवेन्यू में सेस के बारे में रखा है. उसके बाद इन्डस्ट्री, ट्रेड और कॉलर्स के बारे में है, इन सब बातों को देखते हुए हम पूरी तरह से विचार करें तो जो कुछ व्यवस्था रखी है। उसमें डिस्क्रिमिनरी वर्ड रखा है, कम्पलसरी कहीं नहीं रखा है। अगर पंचायत समिति उचित समझे तो रिसोर्सेज़ के लिये टैक्स लगावे। आज मद्रास वाले यह समझते हैं कि शिक्षा के सम्बन्ध में तेजी से विकास करना है तो उन्होंने ३५ नये पैसे या ४५ नये पैसे का टैक्स लगाया। अगर भारत सरकार यह कह देती कि आप कोई टैक्स नहीं लगा सकते तो वे आज जिस स्टेज पर हैं उससे आगे नहीं जा सकते। इसलिये यह हो सकता है कि आज कुछ लोग टैक्स लगावें और कुछ पंचायत समितियां टैक्स न लगावें। मगर जब एक पंचायत समिति टैक्स लगा कर विकास के कार्य करेगी तो उसके विकास को देखकर दूसरी पंचायत समितियां भी टैक्स लगावेंगी और कुछ अर्से में सभी सोचने लगेंगे कि हम अपने रिसोर्सेज़ और इन्कम बढ़ावें।

कैश क्रोप के बारे में अमेन्डमेंट आया कि उस पर सेस लगाने का अधिकार होना चाहिये। इसके बारे में श्रीलरंडी धारा पास कर चुके हैं उसमें पंचायत लगा सकती है। पंचायत समिति भी लगावे और पंचायत भी लगावे इसकी व्यवस्था इसलिये नहीं है। अब यह भी कहा गया कि टैक्सेशन दो तिहाई मेजोरिटी से तय होना चाहिये। मैं यह कहूंगा कि इसके बारे में बहुत दिक्कत आवेगी अगर दो-तिहाई मेजोरिटी से तय होगा। मैं समझता हूँ कि जो व्यवस्था इस वक्त है मुझे ठीक प्रतीत होती है। इसके अलावा जो अमेन्डमेंट

Page No 48

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

आये हैं उनका वन बाई वन उत्तर राजस्व मन्त्री देंगे। मुझे उनका बैक ग्राउन्ड मालूम नहीं है।

श्री भैरोंसिंह सभापति महोदय, मुख्य मन्त्री महोदय ने जो अभी क्लेरीफिकेशन किया है उसमें जब कालिंग ऐन्ड प्रोफेशन्स और ट्रेड का जिक्र किया था तो वे इस प्रकार कह गए कि इस प्रकार के म्युनिसिपैलिटीज में टैक्स हैं लेकिन अब तक उनको एग्जेम्प्ट नहीं किया।

श्री दामोदरलाल व्यास :(राजस्व मन्त्री ओब्लीगेट्री टैक्सेज में एग्जेम्प्ट करके डिस्क्रशनरी टैक्सेज में रखा है। क्लॉज १०४ म्युनिसिपैलिटी) एक्ट का है उसमें आपने एग्जेम्प्ट किया है Tax under clause 3 shall not be levied on artisans.

आपने डिस्क्रिशनरी टैक्सेज लगाये। न० १२ पर लगाए हैं A tax on artisans. इसलिए आपका कहना गलत है कि हमने एग्जेम्प्ट किया है इसमें ओब्लीगेट्री नहीं डिस्क्रिशनरी टैक्स भी है।

सभापति महोदय, जहां तक अमेन्डमेन्ट का प्रश्न है मुख्य मन्त्री ने सब को डील कर दिया है लेकिन कुछ अमेंडमेंट्स को स्वीकार करना है। पहले पहल धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने ६ नये पैसों से ५ नये पैसों का सुझाव दिया है वह साफ है कि इस पर कलेक्शन ठीक नहीं बैठता इसलिए मैं उसको स्वीकार करता हूं। इसके ६ नये पैसों के बजाय ५ नए पैसे कर दिए जावें इसको मैं एक्सेप्ट करता हूं। (एट न० १२१)

Substitute the word "five" for "six" So the cess will be imposed @ five naye paise now. इसके अलावा फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने श्रमदान टैक्स की बात कही। इस पर मुख्य मन्त्री ने जैसा कहा कि already section 55 of the Panchayat Act में प्रोविजन है कि वे अपने यहां जितने भी विकास के कार्य हैं उनके लिए श्रम दें तो एक तरह के टैक्स लगा सकते हैं। इसके लिए ऑलरेडी पंचायत एक्ट में प्रोविजन है। जो लोग श्रम नहीं दे उन पर टैक्स लगाने का प्रावधान होना चाहिए। इसके लिए मैं यह कहूंगा कि क्लॉज ६५ में पंचायत एक्ट में इसका प्रोविजन है। मैं समझता हूं कि इसको रखने की जरूरत नहीं है।

कमर्शियल क्रोप के लिए आपने देखा कि अभी अभी इस सदन में इस बिल पर कमर्शियल क्रोप पर काफी बहस हुई है और उसके बाद यह पंचायत के पास ही रखा है। फिर माननीय सदस्य ने इसको मूव कर दिया कि इसे पंचायत समिति के पास रखना चाहिये। एक ही तरह के टैक्स दोनों के पास नहीं रह सकते। मैंने पहले इस पर अर्ज किया था कि यह टैक्स तो पंचायत के पास ही रहना चाहिये, जहां उचित समझेगी पंचायत वहां लगायेगी और जहां उचित नहीं समझेगी नहीं लगायेगी, यह डिस्क्रशनरी है किन्तु ओब्लिगेटरी नहीं।

श्री सभापति : You don't accept that amendment ?

श्री दामोदरलाल व्यास : No Sir, because we have already passed in in the House that this cess shall be

(श्री दामोदरलाल व्यास)

imposed by the Panchayats. Of course, when Panchayats will impose this tax the Panchayat Samiti cannot have it. We cannot have double taxation on the same subject.

इसलिए यहां यह फिट नहीं बैठता। इसके अलावा मसूदा से आये माननीय सदस्य ने जो सुझाव पेश किया है उसके लिए माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने बताया कि २।३ मेजारिटी टैक्सेशन के लिए नहीं रख सकते। इसलिए यह अमेन्डमेन्ट भी उनका मानने योग्य नहीं। मेरा अमेन्डमेन्ट इस पर है ही। जिन कारणों को लेकर मुख्य मन्त्री महोदय ने उनको सविस्तार बताया है उनको दृष्टि में रखते हुए माननीय सदस्य अपने संशोधन वापिस लेंगे और इस क्लॉज़ को मेरे संशोधन के साथ पास करेंगे।

(श्री पी० के० चौधरी के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री सभापति : अब इस स्टेज पर कोई बहस नहीं होगी।

श्री भैरोंसिंह : मैं एक क्लेरिफिकेशन करवाना चाहता हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास : सोरी, मैंने कल एक अमेंडमेन्ट पेश किया था, क्लॉज २ से एक में लाया गया है In sub-clause (1) ommit part (d); In subclause (2) after part (i) insert following part; (i) a surcharge on the stamps duty payable on transfers of immoveable property. यह सरचार्ज ऑन स्टाम्प ड्यूटी payable on transfers पंचायत समिति का इस पर नियंत्रण रहे और यह युनिफोर्म लगे इसलिए इसमें लगाया गया है। इस सरचार्ज को और जगह, दूसरे स्टेट्स में भी देखेंगे, जहां 'थ्रो टायर सिस्टम' एडोप्ट किया गया है, उन्होंने भी इसको लिया है।

There is one more amendment that the word "and festivals" may be deleted from part (v).

These are the three amendments.

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : सभापति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो मैं यह जानना चाहता था ट्रेड कॉलिंग्स एण्ड प्रोफेशन्स पर कर लगाया है और ऐसे अधिकार पंचायत एक्ट के अन्तर्गत पंचायत को हैं और ऐसे अधिकार पंचायत समिति को भी दिये हैं तो क्या आपका मतलब यह है कि पंचायत समिति भी ऐसे धन्धों पर कर लगा सकती है और पंचायत भी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं क्लॉज़ ३, पंचायत समिति की ओर माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उसमें देखेंगे वे कि इसमें clause 64 of the Panchayat Act में से delete clause (a), (b) (c) and (d) को डिलीट किया है उसके (ए०)(बी०)(सी) को डिलीट किया है। पेज १०. Now clause (d) of the Panchayat Act is...

श्री दयाकृष्ण विजय : O. K. Satisfied.

श्री सभापति : वे मान गये हैं।

श्री भैरोंसिंह : मान लिया !

श्री सभापति : अब मैं संशोधन लेता हूँ। श्री रघुवीरसिंह।

Page No 50

श्री रघुवीरसिंह : I wil press it.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री रघुवीरसिंह ने रखा है उसको पास किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

श्री नारायणसिंह मसूदा।

श्री नारायणसिंह (मसूदा) : सभापति महोदय, इसके पहले कि मैं विड्रॉ करूं....

श्री सभापति : No speech at this stage please.

श्री नारायणसिंह : मैं थोड़ा सा सजेशन करना चाहता था।

श्री सभापति : Either you withdraw or not ?

श्री नारायणसिंह : २७, २८ और २६ को साथ ही कन्सीडर किये जाते क्योंकि ये एक ही प्रकार के हैं। इसको पहले डेफर कर दिया जाता।

श्री सभापति : Not at this stage. You had enough time to explain please.

श्री नारायणसिंह : मैं अपना अमेंडमेंट विड्रा करता हूं ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री नारायणसिंह ने रखा है उसको वापिस विड्रा करने की इजाजत दी जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री नारायणसिंह : मैं विड्रा करता हूँ।

श्री सभापति : श्री पी० के० चौधरी।

श्री पी० के० चौधरी : (फुलेरा) I may be permitted to withdraw my amendment.

श्री सभापति : The question is that the amendment moved by Shri P. K. Chaudhary may be permitted to by withdrawn.

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री पी० के० चौधरी : I withdraw my amendment.

श्री सभापति : श्री दयाकृष्ण विजय

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : I wan to press my amendment...

क्योंकि यहां जवाब दिया गया है उससे यह साफ है कि शिक्षा पर टैक्स लगाना चाहते हैं।

श्री सभापति : No statement at this stage please.

श्री पी० के० चौधरी : Uptil now nobody has been allowed to give a reply.

श्री दयाकृष्ण विजय : जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है उस पर टैक्स लगाया गया है यह उचित नहीं है।

श्री सभापति : The Chair has been very generous in alloting time to the members if and when there was a justification Now at this stage we start making speeches, there will be no end to it.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर पूर्व) : So far as the rules are concerned, the persons who withdraw their amendments are not given the right of reply, But those who want to press their amendments, they have a right of reply.

श्री श्रोभानसिंह (बयाना) : The Honble Members have a right to press their amendments but they have no right of reply.

श्री सभापति : There is no right of reply in case of amendments, and we shall be setting a new precedents contrary to the Rules of Business if we allow it.

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री दयाकृष्ण विजय ने रखा है उसको पास किया जाय ? जो 'हां' के हक में हों वे 'हां' कहे, (हां) जो 'ना' के हक में हों वे ना कहें (ना)। (ना) पक्ष जीता...

श्री भैरोंसिंह : हां पक्ष जीता।

श्री सभापति : ना पक्ष जीता ?

श्री दयाकृष्ण विजय : हां पक्ष जीता।

(विभाजन घण्टी)

श्री मुरलीधर व्यास : क्या अमेंडमेंट है इसको क्लेरिफाई तो करो दिया जाय।

श्री सभापति : अमेंडमेंट पर राइट ऑफ रिप्लाई नहीं है। रेलेवेन्ट पोशन पढ़ कर बता दूं।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : श्रीमान् यह अमेन्डमेन्ट टू दी बिल्स के लिए हैं।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर): इस प्रकार की रूलिंग पहले भी हो चुकी है।

श्री सभापति : Mr. Daya Krishan wants division on his amendment. That's all.

Those in favour, please say 'Ayes' and those against, please say 'No'. 'Noes' have it.

श्री दयाकृष्ण विजय : The quesiton has not been put Sir.

श्री पी० के० चौधरी : It was put-Sir. There can be no question about it.

श्री सभापति : You can have division if you like.

श्री पी० के० चौधरी : They can't claim it. Not a single voice of 'Ayes' was heard.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : The question should have been put with a comma in between and in two parts.

श्री श्रीभानसिंह : It was left to the Hon'ble Members sense to place 'comma' and 'full stops'.

Page No 52

श्री सभापति : The question was put very clearly. Anyhow, if you want division, then it will be permitted.

श्री दयाकृष्ण विजय : We claim division, Sir.

श्री सभापति : Then 'Ayes' to 'Ayes' lobby and 'Noes' to 'Noes' lobby.

श्री सभापति : हाउस टू बी इन ऑर्डर।

वोटिंग का नतीजा यह है।

'हां' पक्ष के अन्दर २२।

'ना' पक्ष में ५१।

ना पक्ष जीता। ना पक्ष जीता।

(तालियां)

संशोधन गिर गया।

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : How many were neutral Sir?

श्री पी० के० चौधरी : Those who don't want to exercise their right of vote cannot be forced to vote one way or the other and it will be a sad day for democracy if they were compelled.

श्री अर्जुनदास : I don't mean that. I just wanted to know the number of neutral gender.

श्री सभापति : The number of neutral gender is never given, because neutral gender is not very important.

विभाजन के अनुसार 'हां' पक्ष व 'ना' पक्ष की सूची निम्न प्रकार है :-

'हां' पक्ष

१. श्री अनोपसिंह
२. श्री अर्जुनदास तुलसीदास
३. श्री भैरोंसिंह (खाचरियावास)
४. श्री दलपतसिंह
५. श्री दयाकृष्ण विजय
६. मेजर श्री फतहसिंह
७. श्री होतीलाल
८. श्री जगदीशप्रसाद माथुर
९. श्री लच्छूराम
१०. श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर पूर्व)
११. कुंवर श्री मंगलसिंह
१२. राजा श्री मानसिंह
१३. श्री मुरलीधर व्यास
१४. रावबहादुर रावल श्री नरेन्द्रसिंह
१५. श्री नत्थीसिंह
१६. ठाकुर श्री रघुवीरसिंह
१७. श्री रामकरणसिंह
१८. श्री रामकिशन भांभू
१९. श्री रामनारायण वर्मा
२०. रावराजा श्री सरदारसिंह
२१. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
२२. श्री शिवचरण दास

'ना' पक्ष

१. श्री अब्दुल गफ्फारखां
२. श्री अमरा मीना रावत
३. श्री अमृतलाल पायक

Page No 53

४. श्री चन्द्रीप्रसाद गुप्ता
५. डॉ० बहादुरसिंह
६. श्री भैरोसिंह (खेजड़ला)
७. श्री भंवरलाल शर्मा
८. श्री भीमसेन
९. श्री दामोदरलाल व्यास
१०. श्री दौलतराम सारण
११. श्री देवा गिरासिया
१२. श्री धन्नालाल हरित
१३. श्री धरमपाल पंवार
१४. श्री गणपतिलाल वर्मा
१५. श्रीमती गौरी पूनिया
१६. श्री गोकुलचन्द जाटव
१७. श्री ज्ञानचन्द मेंदी
१८. श्री हरिदेव जोशी
१९. श्री हरिकिशन
२०. श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री
२१. श्री हरिश्चन्द्र
२२. श्री जयचन्द्र मोहिल
२३. श्री जयसिंह रानावत
२४. श्री ज्वालाप्रसाद
२५. श्रीमती कमला श्रोत्रिय
२६. श्री लालूराम टटवाड़िया
२७. श्री लक्ष्मण हरावत
२८. श्री मांगीलाल
२९. श्री मोहनलाल सुखाड़िया
३०. राव श्री नारायणसिंह (मसूदा)
३१. श्री परसराम मदेरना
३२. श्री फूलाभाई
३३. श्री पी० के० चौधरी
३४. श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा
३५. श्री रामचन्द्र
३६. श्री रामदान चौधरी
३७. श्री रामदेवसिंह
३८. श्री रामेश्वरदयाल
३९. श्री रामकिशोर व्यास
४०. श्री रामप्रसाद लडढा
४१. श्री सज्जनसिंह
४२. श्रीमती सतवन्तकौर
४३. श्री रामचन्द्र चौधरी
४४. श्री शिवनाथसिंह
४५. श्री श्रीमानसिंह
४६. श्रीमती सुमित्रा
४७. श्री तेजाराम गहलोत
४८. श्री तेजपाल
४९. श्री उमेद
५०. श्री विद्यासागर
५१. श्री वली मोहम्मद

प्रश्न यह है कि जो संशोधन डॉ० बहादुरसिंह ने रक्खा है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन माननीय मन्त्री श्री दामोदरलाल व्यास ने पेश किये हैं वे मन्जूर किये जावें।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किये गये।

The question is that clause 27, as amended, be accepted.

(स्वीकृत)

क्लॉज २७ संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

Now we take clause 25 which was deferred.

क्लॉज २५.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): सभापति महोदय, क्लॉज़ २५ पर बहसके दौरान में श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने लैंग्वेज पर आपत्ति की थी। इस बिल में सरकार की जो मंशा थी वह तो मैंने अर्ज कर दी। अब उसकी लैंग्वेज को भी दुरुस्त करके पेश कर रहा हूं। Substitute sub-clause (5) by the following:—

"(5) All persons holding, since before the constitution of first Panchayat Samitis under this Act, appointments—

(a) to posts encadred in the Service constituted under Section 73A or

(b) to posts in class IV servants, shall be deemed to have been substantively appointed thereto by the Panchayat Samiti or the Vikas Adhikari, as the case may be, and nothing in this section or in section 73-A shall apply to such appointmetns."

जो पहले शंका थी इससे कि पहले के अपॉइन्टमेन्ट्स पर ७३-ए एप्लाई नहीं होगी, वह अब दूर हो जावेगी। पंचायत समिति का गठन होने के बाद ७३ ए के मुताबिक उनके अपॉइन्टमेंट्स होंगे और पहले के अपॉइन्टमेंट्स पर भी यह एप्लाई होगी ये दोनों बातें इससे साफ हो जावेगी।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर): चैयरमैन महोदय, देख लें इसे, इसके बाद ...

श्री दामोदरलाल व्यास: यह तो कल शाम को ही सरक्यूलेट हो गया।

श्री भैरोंसिंह: मेरे को यह नहीं मिला।

डॉ॰ बहादुरसिंह: जो मेरा संशोधन प्रस्ताव था उसको वापिस लेने की इजाजत दी जाय।

श्री सभापति: I think Dr. Bahadur Singh has already withdrawn his amendment.

श्री दामोदरलाल व्यास: बहादुरसिंहजी का तो विड्रा हो चुका था। श्रीमाधोपुर से आनेवाले क्लेरिफिकेशन चाहते थे। That has now been done अब वे विड्रा करें या कुछ करें उन पर निर्भर है।

श्री सभापति: श्री भैरोंसिंहजी।

श्री भैरोंसिंह: अब कॉपी मिली है साहब मुझे।

(श्री भैरोंसिंह)

माननीय सभापति महोदय, आपसे आज्ञा चाहूंगा कि मैं इसे देख तो लूं क्या है ? दो तीन मिनिट चाहूंगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह देखने के लिये तो सरक्यूलेट हो चुका कल ही। अब यहां देख और दो तीन मिनिट हाऊस चुपचाप बैठा रहे। चुपचाप बैठने की बात मैं नहीं मानता। He should receive the dak at his residence and he should make some arrangements.

श्री भैरोंसिंह : मुझे कल नहीं मिली थी। अभी अभी मिली है।

श्री दामोदरलाल व्यास: You must make arrangements for receiving the dak.

सब मेम्बरों को मिल चुकी, मुझे मिल चुकी।

श्री भैरोंसिंह : आपको मिल जावे तो ताज्जुब नहीं। आपको मिल सकती है।

श्री दामोदरलाल व्यास : हर एक मेम्बर इस प्रीवीलेज को डिमान्ड करेगा। House will not proceed with the work.

श्री सभापति : I am unable to extend any more privileges.

श्री भैरोंसिंहजी।

श्री भैरोंसिंह : माननीय सभापति महोदय, जो संशोधन माननीय राजस्व मन्त्रीजी ने पेश किया है उस संशोधन के द्वारा उन्होंने यह व्यवस्था की है जिसके अनुसार....

"All persons holding, since before the constitution of the first Panchayat Samitis under this Act, appointments—

(a) to posts encadred in the in the service constituted under section 73A, or

(b) to posts in class IV services, shall be deemed to have been substantively appointed thereto by the Panchayat Samiti or the Vikas Adhikari, as the case may be, and nothing in this section or in section 73 A shall apply to such appointments."

डॉ॰ बहादुरसिंह : वह तो सरक्यूलेट हो चुका आप इसको यहां क्यों पढ़ते हैं।

श्री सभापति : माननीय भैरोंसिंहजी, The question is very simple. Whether Hon'ble Member wants to withdraw his amendment or wants to press it.

श्री भैरोंसिंह : माननीय सभापति महोदय, अभी तक तो यह नया जो अमेंडमेंट है इसके विरोध में भी जा सकता हूँ, और पक्ष में भी बोल सकता हूं।

श्री सभापति : जहां तक उनका है उन्होंने क्लोरिफिकेशन दिया है उस पर आप बोल सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : श्रीमान् सभापति महोदय, मेरे सामने दो प्रश्न हैं। पहला

(श्री भैरोंसिंह)

प्रश्न है मेरे संशोधन का, दूसरा है राजस्व-मन्त्रीजी के संशोधन का।

जहां तक राजस्व मन्त्रीजी के संशोधन का सवाल है मैं उसके खिलाफ भी और हक़ में भी बोल सकता हूं।

तो इस समय कौनसा लिया जा रहा है?

श्री सभापति : इस समय दोनों लिए जारहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : दोनों एक साथ कैसे आयेंगे। इसमें एक अमेंडमेन्ट तो मेरा है और एक माननीय राजस्व मन्त्री महोदय का। इन दोनों की लेंग्वेज में फर्क है पर मन्शा एक ही है।

श्री सभापति : आप वोटिंग चाहते हैं तो मैं आपका पहले ले लेता हूं और माननीय मन्त्री महोदय का बाद में ले लूंगा।

श्री भैरोंसिंह : मैं ऐसा समझता हूं कि माननीय राजस्व मन्त्री महोदय ने जो संशोधन पेश किया है वह बिलकुल वैसा ही है जैसा कि मैंने संशोधन पेश किया था। यदि यह स्वीकार हो जाता है तो मुझे अपना संशोधन पेश करने की आवश्यकता नहीं है। अतः मैं अपना संशोधन वापिस लेने की इजाज़त चाहता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री भैरोंसिंहजी ने मूव किया उसे वापिस लेने की इजाजत दी जाये?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री भैरोंसिंह : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री सभापति : संशोधन वापिस लिया गया।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन माननीय राजस्व मन्त्री श्री दामोदरलालजी व्यास ने रखा, उसे पास किया जाये?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज २५, संशोधित रूप में, स्वीकार की जावे?

(स्वीकृत)

क्लॉज २५, संशोधित रूप में, स्वीकार की गई।

क्लॉज़ २८

श्री सभापति: I take all the amendments as moved and I will call the Hon'ble Members turn by turn.

(१. ५२ म० प०)

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन)

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : सभापति महोदय, क्लॉज २८ सब–क्लॉज (४) में मेरा संशोधन है। यह क्लॉज इस प्रकार है: "All orders or cheques against the Panchayat Samiti Fund shall be signed by the Vikas Adhikari or in his absence by such other Gazetted Officer as may be authorised by him in that behalf."

"Provided that all such orders and cheques for an amount exceeding five thousand rupees shall be coutersigned by the Pradhan".

(श्री दयाकृष्ण विजय)

यहां प्रधान से काउन्टर साइन कराने का प्रश्न है वहां ५,००० की सीमा रखी गई है। मैंने संशोधन रखा है कि ५,००० की सीमा के बजाय २,००० से ज्यादा का अमाउन्ट हो वहां पर प्रधान के काउन्टर साइन की आवश्यकता है। इसलिए मेरा संशोधन है कि Substitute 'five thousand' by 'two thousand' in the proviso to sub-clause (4) में इसलिए भी इसको आवश्यक समझता हूं कि अब तक विकास के अन्तर्गत जहां कहीं भी बी० डी० ओ० या विकास अधिकारी थे और वही सारे कार्यक्रम चला रहे थे वहां पर सारी रकम विकास अधिकारी के पास ही रहती थी। पंचायतों के अन्दर और विकास खण्डों में जितने भी निर्माण कार्य प्रारम्भ किए गए उनके अन्दर जिस प्रकार की कुछ अनियमितताएं देखने को मिली हैं और जिस प्रकार का रवैया देखा गया है उससे बहुत लोगों को असन्तोष हुआ है और इस दृष्टि से जब हम आज सत्ता का विकेन्द्रीकरण कर रहे हैं और गांव वालों के हाथ में सत्ता को पहुँचा रहे हैं तो यह आवश्यक हो जाता है कि जो कुछ भी खर्चा किया जाये उसके ऊपर कम से कम प्रधान की स्वीकृति होनी चाहिये और जो विकास अधिकारी हैं उनके हाथ में अगर यह सब दे दिया तो डीसेन्ट्रेलाइजेशन का कोई अर्थ नहीं होगा। जब तक आर्थिक स्वतन्त्रता नहीं होती और यह देखा गया है कि जिनके हाथों में आर्थिक अधिकार रहते हैं वही प्रभुत्वसम्पन्न रहते हैं और जब तक प्रधान के हाथ में यह अधिकार नहीं देंगे तब तक वह पूर्ण स्वतन्त्रता अनुभव नहीं करेंगे। इसलिए हम केवल उतनी ही रकम का प्रावधान विकास अधिकारी के लिए रखें जो कि उसके लिए बहुत आवश्यक होती है। जो विकास के कार्य होते हैं उनमें २,००० से ज्यादा के काम बहुत ही कम होते है और कोई होते भी हैं तो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और उनके लिए प्रधान की स्वीकृति की भी आवश्यकता होती है। ५,००० की रकम बहुत ज्यादा होती है और ५,००० के चैक को काटने का अधिकार विकास अधिकारी को दे दिया जाय तो पंचायत समिति के पास कुछ नहीं रहेगा। अगर विकास अधिकारी ने दो तीन चैक्स का भुगतान करा दिया और प्रधान को मालूम भी नहीं है कि इस प्रकार के भुगतान हो चुके हैं इसके लिए यह जरूरी हो जाता है कि आर्थिक नियन्त्रण विकास अधिकारी के हाथों में कम से कम दें और प्रधान और पंचायत समिति में ही केन्द्रित रखें और उसी दृष्टि से मैंने यह संशोधन रखा है कि ५,००० का अधिकार नहीं देना चाहिये और २,००० से जहां कहीं भी रकम ज्यादा हो तो वहां प्रधान के काउन्टर साइन होना बहुत जरूरी है इसलिए वहां पर यह संशोधन पेश किया है।

श्री सभापति : डॉ० बहादुरसिंह।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : सभापति महोदय, मैं पूरा संशोधन प्रस्तुत नहीं करूंगा, जो १,००० वाली बात है वही रखूंगा। मेरा संशोधन इस सम्बन्ध में यह है कि हम जिला परिषद् के सेक्रेटरी को भी ५,००० के अधिकार देने जा रहे हैं और जब ५,००० के अधिकार उसको हैं और काउन्टर साइन करने के अधिकार प्रधान को हैं तो कुछ चैक्स ऐसे हो सकते हैं इमरजेन्सी के अन्दर जिनमें प्रधान के बगैर काउन्टरसाइन किए हुए ड्रा कर लें तो ५,००० की रकम पंचायत समिति

Page No 58

(डॉ० बहादुरसिंह)

में अच्छी खासी रकम होती है। अगर उसको अधिकार ही देने हैं तो १,००० के चैक के ऊपर बिना काउन्टर साइन कराये हुए सिगनेचर कर सकता है क्योंकि वहां पर आर. ए. एस. या उसके समकक्ष अधिकारी को आप रखेंगे इसलिए ऐसे अधिकारी को अधिकार देना है तो उसको ज्यादा रकम नहीं देनी चाहिए। आखिर प्रधान कहीं जाने वाला नहीं है। १,००० की रकम पर्याप्त है अगर ज्यादा रकम देना चाहते हैं और उसके लिए इसमें रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है तो प्रधान के काउन्टरसाइन करा सकते हैं, इसलिए जो मेरा संशोधन है १,००० का वह पर्याप्त है और उससे अधिक रकम के लिए अधिकार नहीं देना चाहिए।

श्री सभापति : Shri Bhairon Singh, not move ?

श्री दयाकृष्ण विजय।

श्री परसराम (आसीन): चेयरमैन महोदय, जो अमेन्डमेन्ट धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है मैं उसका विरोध करता हूं कि विकास अधिकारी को आप कोई एक्सट्रा आर्डीनरी पॉवर्स तो देने जा नहीं रहे हैं। यह एक गजेटेड ऑफिसर है और उसको डे टू डे रूटिन का काम करना पड़ेगा। इसलिए किसी भी चैक पर साइन करने के लिए प्रधान कर सकता है तो इसमें ऐसी चीज तो होगी नहीं कि कोई एम्बेजलमेन्ट हो जाये या मनी का दुरुपयोग हो जाये ऐसी सूरत में यह पॉवर्स के डेलीगेशन का सवाल है अगर तमाम काम पंचायत समिति का प्रधान करता रहेगा तो उसका मतलब यह होगा कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो जायगा।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : ५,००० से अधिक का ही क्यों रखा गया है, फिर काउन्टर साइन की जरूरत नहीं है, खतम कीजिए।

श्री परसराम : यह तो जो बिल को पाइलट कर रहे हैं उनसे पूछ लीजिए। जहां तक इस धारा का प्रश्न है कि ५,००० की जो पॉवर्स विकास अधिकारी को दी गई हैं वह बिलकुल ठीक हैं और उसको कर्टेल नहीं किया जाना चाहिए।

श्री रामचन्द्र (डाग-सु०) : सभापति महोदय, धौलपुर से आये हुए माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं और समर्थन करने का मुख्य कारण यह है कि यह रुपये का मामला है इसके ऊपर जितना ज्यादा नियन्त्रण रखा जाये उतना ही अच्छा है। गोया पंचायत समिति के ज्यादातर छोटे छोटे काम भी बहुत ज्यादा होंगे और आजकल जैसा देखा गया है रुपये के मामले में बहुत ज्यादा गबन वगैरह होते रहते हैं इसलिए ज्यादातर चैक वगैरह जो रकम १,००० से ज्यादा की होती है उसके ऊपर तो एक आदमी के नहीं बल्कि दो आदमियों के दस्तखत होने चाहिए, इसलिए प्रधान के भी दस्तखत होने बहुत जरूरी हैं...

(२ म० प०)

श्री दामोदरलाल व्यास : सभापति महोदय, जहां तक अमेंडमेंट का इससे सम्बन्ध है, मेरे ख्याल से इस अमेंडमेंट के जरिये से कोई खर्च करने के पॉवर्स नहीं दे रहे हैं अधिकारियों को। यह पॉवर्स सिर्फ इतनी है कि रुपया विड्रा करने के लिए चैक पर दस्तखत कौन करे। बहरहाल पॉवर्स

(श्री दामोदरलाल व्यास)

डेलीगेट करने पड़ते हैं। गवर्नमेंट को भी अपने हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट और नीचे के अधिकारियों को भी पॉवर्स डेलीगेट करने पड़ते हैं रुपया विड्रा करने के मामले में और खर्च करने के मामले में। विकास अधिकारी जो पंचायत समिति का है और जो कि आर. ए. एस. ऑफिसर होगा उसको केवल पंचायत समिति के सारे डिसीजन होंगे, उन डिसीजन्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वह रुपया खर्च करने के पॉवर्स होंगे। उसमें ५०००) तक खुद वह अपने अधिकार से विड्रा कर सकता है, और ज्यादा रुपया विड्रा करता है तो प्रधान के काउन्टर सिगनेचर की व्यवस्था रखी है। मैं समझता हूं कि कोई एतराज हो सकता है अगर हम खर्च के अधिकार देते हों तो। मगर हम खर्च का अधिकार नहीं दे रहे हैं। पंचायत समिति के डिसीजन होंगे।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : काउन्टर सिगनेचर तो एक हजार पर भी हो सकता है, ५ हजार क्यों कर रहे हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास : डेलीगेशन ऑफ पॉवर्स में यही मुनासिब समझा कि ५ हजार तक का होना चाहिए। उसके ऊपर खर्च करना हो तो पंचायत समिति के द्वारा पहले से डिसाइड होगा तो प्रधान के काउन्टर सिगनेचर होने चाहिए। डेलीगेशन ऑफ पॉवर्स गवर्नमेंट ने भी कर रखी है। ५० हजार तक एक कमिश्नर खर्च कर सकता है। उसको हमारे पास भेजने की जरूरत नहीं है। उससे ज्यादा अगर खर्च करना हो तो गवर्नमेंट की मन्जूरी लेनी पड़ती है और गवर्नमेंट को भेजना पड़ता है। यह पॉवर्स डेलीगेट करने पड़ते हैं काम की एक्सपीडियन्सी की वजह से। प्रधान वहां पर नहीं रहेगा इसलिए प्लेस पर जो इन्चार्ज है उसको पॉवर देना चाहिए।

डॉ० बहादुरसिंह : जो संशोधन का प्रस्ताव मैंने रखा है उसको वापिस लेने की अनुमति सदन से चाहता हूं।

श्री सभापति : Shri Daya Krishan Vijai, you press it?

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं इस प्रस्ताव को वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन के प्रस्ताव डॉ० बहादुरसिंह और श्री दयाकृष्ण विजय ने रखे हैं, उनको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं अपना संशोधन का प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं अपना संशोधन का प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज २८ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज २८ स्वीकार की गई।

क्लॉज २६।

श्री दामोदरलाल व्यास: My amendment be taken at the end.

Page No 60

श्री सभापति : If you move them at the end how the Members may speak for or against. So put them before.

श्री दामोदरलाल व्यास : It is in clause 29 sub-clause (1) In part (viiic) insert entertainment tax under the Rajasthan 'before, 'Entertainments Tax Act.'

This is only......

जो रह गया था उसको ठीक किया है।

There is another amendment in sub-clause (2)—

(1) After the words 'shall include' insert the words 'the repayment of loans contracted by it'

(ii) after 'officers' in line 2, insert the words 'and servants.'

(iii) after the words 'Provided that' insert the words 'the repayment of loans advanced to a Panchayat Samiti by the State Government, along with interest, if any, thereon and.'

(iv) for the words 'shall be a first charge' substitute the words 'shall be in the order of priority in which they are mentioned in this proviso a charge' and

(v) after the words 'Panchayat Samiti' occuring for the last time insert the words 'in preference to its other liabilities.'

अलावा उन ओमीशन्स के इसमें एक बात यह है कि पंचायत समिति का फन्ड्स है उसके ऊपर सर्विसेज की तनख्वाह का चार्ज रखा गया है। उसके साथ में स्टेट गवर्नमेंट का लोन होगा उसको भी चार्ज लिस्ट में रखा गया है। इसलिये बताया है कि in the order of priority जैसा कि बिल के प्रोवीज में नहीं रखा गया है, उसका भी चार्ज पंचायत समिति के फन्ड्स पर होगा।

श्री पी० के० चौधरी : सभापति महोदय, क्लॉज २९ पर मेरे दो अमेंडमेंट हैं–

1. Replace the words 'a share .. block' by the figures and words 20 of the land revenue of the area collected during the year in question.'

My other amendment is in clause 29—

Add the following rate:—

(x) a share on motor vehicle tax and passenger fare and freights at following rate—

(i) 20% of the motor vehicle tax on vehicles belonging to Samiti area.

(ii) 20% of the Passenger fare tax levied on the Passenger traffic of the area.

(iii) 20% of the freight tax levied on freight moving in and out of the Samiti area."

(श्री पी० के चौधरी)

सभापति महोदय, जहां तक लैंड रेवेन्यू के शेअर का सवाल है इसमें बलवन्तराय मेहता कमेटी ने अपनी रिपोर्ट से पेज १२ में ५० परसेन्ट ऑफ लैण्ड रेवेन्यू के शेअर के लिए कहा था। इसके जवाब में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा था कि यह लैण्ड रेवेन्यू है वह वेरियस इलाके में अलग अलग रेट्स पर हैं और बहुत सी जगह बहुत ही कम है। उन्होंने स्टेटिस्टिकल एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है कि २५ नये पैसे पर हैड के हिसाब से लगें तो ज्यादा पंचायत समितियों को इन्कम होगी बनिस्बत इसके कि फिक्स्ड परसेन्टेज ले लें। उन्होंने यह भी कहा कि फिक्स्ड परसेन्टेज टोटल लैण्ड रेवेन्यू जो कि ६–७ करोड़ होती है तो ज्यादा से ज्यादा १–१॥ करोड़ दे सकते हैं। इससे ज्यादा नहीं लगेगी। लेकिन छः नये पैसे का हिसाब लगाया जाय तो सारे राजस्थान की पॉपुलेशन डेढ़ करोड़ है और उसके २५ नये पैसे के हिसाब १।४ लगभग ३० लाख या ४० लाख रुपया ज्यादा से ज्यादा हमको मिल सकता है। लेकिन आज मैं स्टेटिस्टिक्स देखकर बता सकता हूं कि २० परसेन्ट ऑफ दी लैण्ड रेवेन्यू करेंगे जैसा कि मेरा अमेंडमेंट है तो ४० या ३० लाख से ज्यादा पैसा पंचायत समितियों के लिए आ सकता है, जब कि हम सीलिंग कमेटी के बिल पर विचार-विमर्श कर रहे थे उस टाइम पर यह बात सदन के सामने आई थी कि एवरेज होल्डिंग लगभग साढ़े सोलह एकरेज है और साढ़े सोलह एकड़ का लगभग ४० बीघा होता है, और ४० बीघे का लगान रख दें आठ आने के हिसाब से तो २०) लगान ४० बीघे का होता है पर होल्डिंग तो २०) का २० परसेन्ट लेंगे तो ४) कम से कम हमको उससे मिलेगा। इस हिसाब से अगर हम जायेंगे तो २५ नये पैसे के रूप में जो व्यवस्था की है....

श्री परसराम : आपको मालूम होना चाहिए कि डेजर्ट एरिया में एक बीघा लैंड रेवेन्यू पर कई जगह एक आना, ६ पैसे और ५ पैसे हैं।

श्री पी० के० चौधरी : तो कहीं पर २०) रु० भी है लैण्ड रेवेन्यू। जिस एरिया में मान लें कि एक आना लैण्ड रेवेन्यु है तो वहां पर पॉपुलेशन भी इसके प्रोपर्शन में है, वहां पर पॉपुलेशन बहुत कम है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): It is a question of block population and not mile population.

श्री पी०के० चौधरी : जहां पर एक आना लैण्ड रेवेन्यू है जैसा कि जैसलमेर का डिस्ट्रिक्ट, तो जैसलमेर का ब्लॉक सारे डिस्ट्रिक्ट का ब्लॉक होगा। पॉपुलेशन से स्टेटिस्टिक्स एस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई है। पॉपुलेशन से पैसा मिलेगा २५ नये पैसे के हिसाब से तो ज्यादा से ज्यादा आपको नकद २५ और १५ लाख से ज्यादा किसी भी हालत में पंचायत समितियों को नहीं मिल सकता है। बल्कि जो २० परसेन्ट ऑफ दी लैण्ड रेवेन्यू रखी जायगी तो कम से कम २० परसेन्ट ऑफ दी लैण्ड रेवेन्यू जो कि ६ करोड़ की होती है तो एक करोड़ हम मानते हैं कम से कम होगी। ६–७ करोड़ रुपये की लैंड रेवेन्यू है तो ४० लाख के बजाय कम से कम सवा डेढ़ करोड़ रुपये मिला सकते हैं। दूसरी बात यह है कि लैंड रेवेन्यू का पहले से ही हिसाब किताब तय किया हुआ है। असे-

(श्री पी० के० चौधरी)

समेंट २०–३० साल पहले से किया हुआ है। दो चार साल बाद आपको नया असेसमेंट करना पड़ेगा। उससे हमारी इन्कम ६ करोड़ की रहनेवाली नहीं है ट्रेबल त्रिबल होगी ..

श्री मोहनलाल सुखाडिया : फुलेरा में डबल कर दें क्या ?

श्री पी०के० चौधरी : सब जगह बढ़ा दें, फुलेरा में भी बढ़ावें।

श्री दामोदरलाल व्यास : I think you are less informed about it.

श्री पी०के० चौधरी : I am in favour of having a scientific land revenue...

साइन्टिफिक वे से असेसमेंट होना चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : कहीं कहीं तो दो तीन साल पहले ही लेटेस्ट हुआ है।

श्री पी०के० चौधरी : लैंड रेवेन्यू की इन्कम नहीं भी बढ़े तो भी ७–८ करोड़ रुपये की इन्कम सरकार को इससे आज भी है। उसका २० पर्सेन्ट मिलेगा तो कम से कम डेढ़ करोड़ रुपया होगा। यह जो दलील दी गई है कि २५ नये पैसे से ज्यादा इन्कम मिलेगी और २० पर्सेन्ट लैंड रेवेन्यू का लेने से कम मिलेगी यह दलील मेरे दिमाग मे नही बैठेगी। मान लीजिये एक आना पर बीघा करके ८ करोड़ रुपये होते हैं तो मैं समझता हूँ ८ करोड़ का २० पर्सेन्ट में डेढ़ करोड़ रुपये मिल सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि २५ नये पैसे से ज्यादा मिलने की दलील कनविन्सिग नहीं है। इससे हमको ४० लाख रुपये ज्यादा से ज्यादा मेक्सिमम मिल सकते हैं। इसमें से शहर की पॉपुलेशन बाद करेंगे तो राजस्थान की पोपुलेशन जो गांव में रहती है सवा करोड़ की रह जायगी। इससे मैं समझता हूँ ३० लाख रुपयों से ज्यादा पंचायत समितियों के हाथ में आनेवाला नहीं है। यदि लैंड रेवेन्यू का २० पर्सेंट रखेंगे तो इसके डबल ट्रेबल से ज्यादा आ सकता है। बलवन्तराय मेहता कमेटी ने भी इसके लिये सिफारिश की है और आपका भी ज्यादा देने का ख्याल है इसलिए आपने जो २५ पैसा रखा है और उस सपोर्ट में जो दलील या लोजिक थी, इट वाज फेलिसियस लोजिक। इसके लिये आप राइट या करेक्ट लोजिक लीजिये और २० पर्सेन्ट ऑफ दि लैंड रेवेन्यू मंजूर करिये। इससे ज्यादा इन्कम मिल सकती है।

दूसरा अमेंडमेंट मेरा है शेअर इन मोटर वेहिकल टैक्स एंड पेसेन्जर एंड फ्रेट टैक्स। पेसेन्जर और फ्रेट पर जो टैक्स लगा है उसके शेयर के बारे में। सभापति महोदय बलवन्तराय मेहता कमेटी ने भी मोटर वेहिकल टैक्स के बारे में सिफारिश की है पेज १३ में। इसी तरह से पेसेन्जर टैक्स के बारे में भी सिफारिश की है। और खास करके लोकल फाइनेन्स इन्क्वायरी कमेटी थी उन्होंने भी पेसेन्जर और फेअर टैक्स को लोकल बोडीज को एक्सक्लुजिवली देने को कहा था। टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी ने भी रिकमेन्ड किया था कि कुछ लोकल बोडीज को देना चाहिए। पेसेन्जर एन्ड फ्रेट टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट पेज ३६३, पर साफ कहा है :

"We also recommend that two other taxes viz., taxes on goods and

(श्री पी० के० चौधरी)

passengers carried by road or inland waterway' and tolls should be permitred to be levied by local bodies;" यहां पर स्टेट गवर्नमेंट ने पेसेन्जर एंड फ्रेट टैक्स इस साल से लगाया है जब कि टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी ने साफ सिफारिश की थी कि यह जो टैक्स है वह सेन्ट पर्सेन्ट लोकल बोडीज को वसूल करने की इजाजत दी जाय। मैं यह निवेदन करता हूँ कि सारा नहीं तो कम से कम २० पर्सेन्ट पेसेन्जर फ्रेट का हो, जो पेसेन्जर उस एरियां में मूव करता है और उस पर जो टैक्स लगता है उसका २० पर्सेन्ट पंचायत समितियों को दे दिया जाय। दूसरी बात यह है कि मोटर वेहिकल टैक्स जो सरकार लेती है वह भी जिस पंचायत एरिया से जितना रुपया वसूल करती है उसका पर्सेन्टेज भी पंचायत समितियों को मिलना चाहिए क्योंकि वहां की रोड्स पर मोटरें चलती हैं और रोड्स का वीयर एंड टीयर होता है उसकी रिपेयर पंचायत समितियां करेंगी तो टैक्स लिया जाता है उसका कुछ हिस्सा पंचायत एरिया में मिलना चाहिए। गाडिये पंचायत एरिया में चलती हैं उसका टैक्स गवर्नमेंट ले लेती है और पंचायतों को नहीं मिलता है तो मेरा निवेदन है कि जो मोटर वेहिकल टैक्स, पेसेन्जर फेअर एंड फ्रेट है उनका शेअर पंचायत समितियों को देना चाहिए। इसका असर दूसरे पेसेन्जर्स पर नहीं पड़नेवाला है। जो टैक्स सरकार रियलाइज करती है उसका हिस्सा पंचायत समितियों को दिया जाय। मैं समझता हूँ मंत्रीजी मेरे संशोधन को मंजूर करेंगे।

श्री सभापति : श्री नारायणसिंह।

श्री नारायणसिंह (मसूदा) : सभापति महोदय क्लॉज २६ की उप-धारा (६) में मेरा संशोधन है Replace, '100 naya paisa' in place of '25 naya paisa' सभापति महोदय, मैंने क्लॉज २७ में जो इन विकेन्द्रीत व्यवस्थाओं में टैक्स का अधिकार दिया गया है उसमें कटौती का संशोधन रखा था और उसकी क्षति पूर्ति के लिये मैं एक संशोधन पेश कर रहा हूं। जो मेरा क्लॉज २७ में टैक्सेशन न्यून न करने का सुझाव था, अभी अभी जितनी राय सदन में व्यक्त हुई है उसने कुछ विचारधारा सेन्ट्रेलाइज्ड टैक्सेशन सिस्टम की तरफ उठ खड़ी होती है। कुछ लोगों ने यह शंका जाहिर की थी कि यदि हम स्वतंत्र साधन हमारे जिला परिषद्, पंचायत समितियों या उनसे छोटी व्यवस्थाओं के पास नहीं रखते हैं तो वे अपनी स्वतंत्रता कायम नहीं रख सकेंगी। वास्तव में यह एक ओवर ससपिशन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ नजर आता है और इस ओवर ससपिशन में वास्तव में हमें कुछ बेलेन्स्ड व्यू लेना चाहिए, न्यायसंगत बात सोचनी चाहिए। इसको नजर अंदाज रखने में खतरा रहता है। जन मानस की जो मंशा होती है वह वास्तव में आगे जाकर रिफ्लेक्ट होती है हमारी पोलिसीज पर यदि हमारी पोलिसीज की वैयक्तिक मंशा कुछ ऊपर उठती है तो जनमानस प्रवलता के साथ स्वत: उठता है। तो जिस जिस तरह से जनमानस बनता जायगा तो जहां हमारी दुर्बलता नजर आयेगी वह स्वत: हल हो जायगी और जिस विकेन्द्रीकरण की ओर हम कदम उठा रहे हैं, जिस चीज को हम शुरू कर रहे हैं वह आसान हो जायगी। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ आती हैं, कुछ व्यवहार अनुचित हुआ तो यह धारा, मैं अर्ज करता हूँ, जहां हमने विकेन्द्रित शासन

(राव श्री नारायणसिंह)

का प्रसार शुरू कर दिया; यह धारा रोकने वाली नहीं है ।

मैं यह अर्ज करूंगा कि स्टेट कंट्रोल लोकल संस्थाओं पर और खास तौर पर टैक्सेशन के विषय में क्यों होना चाहिए। इसका कारण यह है कि जो लोकल संस्थायें हैं, वे टैक्सेशन के मुद्दे पर और कई अन्य मुद्दों पर इतनी गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं कर सकतीं जितना स्टेट गवर्नमेंट की लेवल अथवा सेन्ट्रल गवर्नमेंट की लेवल की जो जनतंत्रीय व्यवस्थायें होती हैं, वे करेंगी। इसलिए हरएक जगह पर, जहां लोकल बॉडीज का प्रश्न आता है, उनके साधारण कार्यों में भी सुपरसेशन इत्यादि के क्लॉज रखे जाते हैं और टैक्सेशन में कुछ ऐसे एवरेज, बटाव रखे जाते हैं, जिससे सीमा से बाहर न निकल सकें, यह कोई नई बात नहीं है। ग्रेट ब्रिटेन में भी, जो लोकल बॉडीज को खास तौर से हक दिये जाते हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं, वे रेट्स और एक्सचेकर ग्रान्ट पर आधारित होते हैं और उसके बाद में जो टैक्सेज लगा सकते हैं, वे उस सीमा के बाद आते हैं। मैं एक उदाहरण पेश करूं जिससे स्पष्ट हो जाता है : 'When the estimates of all committees are approved and it is possible for the local authority after allowing if the amount is received in excess... स्टेट्यूटअरी पॉवर और करेक्टर को डिटरमिन करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार के हाथ में होती है, चाहे यूनीटरी गवर्नमेंट हो, चाहे फेडरल, जो जिस जिस तबके पर होगी, जिस प्रजातंत्रीय व्यवस्थाओं के स्तर पर होगी, वहां इस बात पर विचार किया जा सकता है और वहां से इसका प्रसारण होता है। ग्रेट ब्रिटेन में जहां रेट का प्रश्न आता है, तो वहां जो काउन्टी कौंसिल हैं, वे सीधी रेटिंग ऑथोरिटी नहीं होती है, काउन्टी कौंसिल में नीचे ऑथोरिटी होती है, जो इस रेटेबल वेल्यू फेक्टर को सोचती है और जब एक्सचेकर अमाउन्ट, ग्रान्ट्स हैं, वे किस प्रकार बांटी जाये, उन पर निर्णय लिया जाय। मैं आज यह अर्ज करना चाहता हूं कि जहां सीधी काउन्टी कौंसिल ऑथोरिटी न होकर एक वेल्यू कमेटी इत्यादि का प्रावधान है, वहां हम किसी कर को लगाने के लिए अथवा किसी सोर्स को टेप करने के लिए, फन्ड्स रेज करने के लिए, इन निम्न स्तर की व्यवस्थाओं को सीधा अधिकार दे देते हैं तो गलतियां हो सकती हैं। इस दृष्टि से टैक्सेशन के क्लॉज में मैंने एक बहुत ही विचारपूर्ण कदम उठाने की सिफारिश की थी। तो आज भी वहां ग्रेट ब्रिटेन में जहां कई दिनों से काउन्टी कौंसिल है, उसके समानान्तर पंचायत समिति और जिला परिषद् कही जा सकती हैं, इसलिए यूनीफॉर्मिटी ऑफ टैक्स का प्रश्न खड़ा होता है। आज इसी प्रकार हम देखते हैं कि रेजिंग ऑफ फन्ड्स के विषय ये टैक्सेशन के विषय में ऊपर मिनिस्ट्री तक का कंट्रोल लोकल बॉडीज पर रखा जाता है। इसलिए मैंने खास तौर से अर्ज की थी कि क्लॉज २७ २८ व २६ जो टैक्सेशन व फन्ड्स को रेज करने के विषय में हैं और अन्य साधनों को देखने के विषय में जो हैं, उनको एक साथ देखना चाहिए था। क्लॉज २६ में न केवल जिला परिषद की इन्कम का प्रश्न है, बल्कि उनके लाजिमी खर्चे भी हैं। अब एक प्रश्न आजाता है, जिसका हमको इसमें प्रावधान

(राव श्री नारायणसिंह)

रखना चाहिए कि एक तो वैल्यूएशन कमेटी किस प्रकार से हो, जो विशेष प्रकार से विचार करे कि करभार वैज्ञानिक ढंग के हों, और किसी प्रकार से हो और विशेष प्रकार से हों, और किस प्रकार यूनीफार्म पद्धति लगा सकते हैं। इसका तरीका सोचना चाहिए। (घंटी) मैं थोड़ा समय और लूंगा।

इसके अलावा जो खास चीज है, वह यह देखने की है कि जो एक्सचेकर ग्रान्ट है, उनका किस प्रकार से बराबर वितरण हो सकता है, कहा ऐसी व्यवस्था हो सकती है, कहीं पैसे की कमी हो, कहीं पैसा ज्यादा हो तो इस विषय के प्रावधान बहुत कम रह जाते हैं। अब इसके आगे खास मुद्दे की बात थी, मेरा संशोधन १०० नये पैसे के विषय में....

श्री सभापति : अब खास मुद्दे की बात आई नहीं, अब शुरू करेंगे।

श्री नारायणसिंह : मेरा सशोधन १०० नये पैसे तक रेज करने का है। उसके लिए मेरा तर्क है वह यह है कि मेरा रफ अनुमान यह है कि एक ब्लॉक में १० हजार की आबादी हो सकती है, एवरेज होल्डिंग २.५ होती है, प्रॉडक्शन २५ मन के हिसाब से लगा सकते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट उसमें ३ हजार निकल सकते हैं, और फार्म होल्डर ६ हजार हो सकते हैं, इस प्रकार टोटल प्रॉडक्शन आता है १ लाख ८० हजार मन का, इसकी मनी वेल्यू २ लाख १६ हजार के करीब आती है। उसी प्रकार से अगर २० परसेन्ट के सिद्धान्त को, जिसे बलवन्त राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट में कहा है, ले लें तो २ लाख का अनुमान एक विकास क्षेत्र के लिए आता है और जो २४ नये पैसे रखे हैं, उसके हिसाब से २५ हजार की आय हो जाती है। अब इसके अलावा अगर अनुमान लगाते हैं तो १०० नये पैसे के हिसाब से मेरा हिसाब करीब करीब ६० हजार एक ब्लॉक के लिए आ सकता है और उसके अनुपात में ८६.२ प्रतिशत लैंड रेवेन्यू का बैठता है, जब कि हमारी सरकार सोचती है २५ परसेन्ट देने के लिए। दूसरी तरफ ४० परसेन्ट बलवन्तराय मेहता कमेटी ने सिफारिश की है, उसकी जगह १०० नये पैसे हो, तो जब २५ परसेन्ट तक अनुदान दिलाने की कार्यवाही करते हैं तो कई प्रकार के दूसरे टैक्सेज लगाने का प्रावधान करना पड़ता है, मेरे संशोधन से उससे बच जाते हैं। टैक्सेशन के बारे में खास तौर से जो मैंने अर्ज किया था, उसका मतलब यह है कि इन संस्थाओं के लिए हमें ज्यादातर सेन्ट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ टैक्सेशन की तरफ विचार करना पड़ेगा। जो उस स्तर की संस्थायें हैं, वे गम्भीरता से टैक्सेशन के मामले में नहीं सोच सकतीं, इसलिए दो तिहाई मेजोरिटी का प्रश्न रखा था। इसमें थोडा सा प्रश्न सर्विस एक्सपेन्डीचर का आता है। (घंटी) आई विल टेक टू मिनिट्स। उसमें नेशनल सर्विस, क्वास-नेशनल सर्विस और लोकल सर्विस, तीन केटेगरी की सर्विस हो सकती हैं। यह कहा गया है ;

'The expenses of the Panchayat Samiti shall include the salaries and allowances of its officers, allowances to its members, any item of expenditure directed by the State Government for carrying out the purpose... इसमें स्पष्ट नहीं है कि विकास अधिकारी सम्मिलित होगा या नहीं। वास्तव में नेशनल

(राव श्री नारायणसिंह)

सर्विस में एजूकेशनल सर्विस को ले सकते हैं। इसके अलावा डेवलपमेंट कार्य में लगे अधिकारी, जो हमारा फाइव इयर प्लान है, उसकी पृष्ठभूमि में नेशनल सर्विस में ले सकते हैं। उनका एक्सचेकर पर भार रखना चाहिए। इसके अलावा क्वासी–नेशनल सर्विस होगी, उसका एक्सचेकर पर भार नहीं हो सकता है, लोकल सर्विस क्या होगी, इसका निवारण नहीं किया, किस पर इसका भार आएगा। इन सबको स्पष्ट करने की बात है। इसके साथ ही एक केपीटल एक्स–पेन्डीचर होगा, वह दो प्रकार का होगा, एक तो विकास का एक्सपेन्डीचर होगा और उसी तरह उसका खर्चा होगा। करीब करीब हमारी इस सारी व्यवस्था में केपीटल एक्सपेन्डीचर होगा, जो स्थानीय होगा। उसका केपीटल एक्सपेन्डीचर पर कितना भार रखा है, यह सोचना होगा ......

श्री दामोदरलाल व्यास : Is there any amendment of the Hon'ble Member ?

श्री सभापति : He has enlarged the scope of his amendment.

श्री दामोदरलाल व्यास : He is now suggesting something new...?

श्री सभापति : I have drawn his attention to that. Your amendment is simply to this fact that in place of 100 n. p. it should be 60 n.p..

राव श्री नारायणसिंह : मेरा अमेंडमेंट खास तौर से क्लॉज २६ पर है जो कि इस मन्शा का है : Income and expenses of Panchayat Samiti. पंचायत समिति की इन्कम के विषय में कहता हूं तो उसके एक्स्पे-न्डीचर के बारे में भी कम करने का कहना पड़ेगा। मैंने १०० नये पैसे का संशोधन रखा है।

(२.३० म. प.)

(श्री मुरलीधर व्यास, सभापति, पदासीन)

तो यह लाजमी हो जाता है कि २७ में कई प्रकार के टैक्सेज उनके पास से ले लेना चाहिए। इधर १०० नये पैसे का जोर दे रहा हूं, इसका मतलब यह है कि उनके रिसो-र्सेज रेज करने के क्या साधन होंगे और किस तरह का उन पर एक्स्पेन्डीचर का भार रखना चाहिये। मेरी खास बताने की मन्शा यही है कि मैंने जो १०० नये पैसे का सुझाव रखा है जो करीब २५–२६ परसेन्ट आता है तो एक्स्पेन्डीचर का सारा भार स्टेट एक्सचेकर को उठाना चाहिए और इस तरह उनकी टैक्स लगाने की प्रवृत्ति पर अवरोध लगा सकते हैं।

मैं चाहता था कि २७–२८ और २६ ये तीनों क्लॉसेज एक साथ कन्सीडर की जातीं पर २६ अलग कन्सीडर हो रही है तो १०० नये पैसे लगाने की मन्शा यह है कि ६० हजार की आबादी जहां है वहां से ६०००० की रकम उगाही जा सकेगी, १५००० की बजाय तो चौगुनी रकम इस तरह वसूल हो जायगी। इसको सीधा गवर्नमेंट के हाथ में रखते हैं तो कोई अनुचित बात नहीं होगी और लोकल बोडीज अपने पांवों पर भी खड़ी हो सकेंगी।

श्री सभापति : श्री सोहनलाल भटनागर।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय सभापति महोदय, क्लॉज २६ में मेरे ३ संशोधन हैं, उनमें से केवल दूसरा संशोधन है Substitute the figure 50 for 25 in part (vi).

यही एक संशोधन सदन में प्रस्तुत करूंगा। सभापति महोदय, अभी कुछ देर पहले माननीय मुख्य मन्त्री महोदय का भाषण हम सबको सुनने को मिला तो उससे कुछ ऐसा अन्दाज लगा कि शायद टैक्स लगाने का यदि कोई विरोध किया जाय तो उनकी दृष्टि में उनका तात्पर्य यह होगा कि टैक्स का विरोध करने वाले सत्ता के विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करते, और उन्होंने कुछ धाराओं का उदाहरण देते हुए उन पर जो भाषण हुए उनकी कुछ बातें अपने ढंग से सदन में रखते हुए इसका यह सारांश निकाला कि हमने जो टैक्सेशन का विरोध किया है वह वास्तव में टैक्सेशन का विरोध नहीं है बल्कि सत्ता के विकेन्द्रीकरण के सिद्धांत को हम स्वीकार नहीं करते हैं।

सभापति महोदय, मैंने जो अपना यह संशोधन प्रस्तुत किया है वह अब इन दोनों बातों की कसौटी है कि वास्तव में सत्ता के विकेन्द्रीकरण को हम पसंद नहीं करते या जो सत्ता के विकेन्द्रीकरण का प्रचार कर के नाम कमाने वाले वास्तव में इसका विकेन्द्रीकरण करना नहीं चाहते। इन दोनों बातों की कसौटी मेरे इस संशोधन द्वारा सदन के सामने प्रस्तुत की जायगी।

प्रश्न यह है कि पंचायत समिति के आर्थिक साधन कुछ टैक्सेज से हो सकते हैं और दूसरे जो धन राशि सरकार के द्वारा मिलने वाली है, उससे हो सकता है। जहां तक टैक्सेज का प्रावधान था उसको उसी रूप में स्वीकार किया है और उसके साथ मोटी बात कही गई उसका तात्पर्य यह था कि यह टैक्सेज सारे के सारे पंचायत समितियों के डिस्क्रिशन के ऊपर है। पंचायत समिति आवश्यक समझेगी तो इस प्रकार के टैक्सेज इम्पोज किये जायेंगे। उस भाषण से ऐसा लगता था कि इस प्रश्न पर पंचायत समितियां विवेक से काम लेंगी और ये सारे के सारे टैक्सेज इम्पोज नहीं किए जायेंगे। इस दृष्टि से इस धारा पर विचार करें कि प्रत्येक व्यक्ति की ओर से २५ नये पैसे पंचायत समिति को मिलेंगे अपना खर्चा चलाने के लिये। इसको पंचायत समिति का आधार मान कर, बेसिस मान कर विचार करें तो सरकार जो यह कहती है कि टैक्सेज का काम, डिस्क्रिशन पर काम करता है, पंचायत समिति चाहेगी तो टैक्स लगायेगी, उनकी इच्छा काम करती है उनकी इच्छा पर निर्भर है। इच्छा कानूनी भाषा में जरूर है पर व्यवहार में सरकार इस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण कर देगी कि उनके कारण २५ नये पैसे सरकार को मिलने वाले हैं, वह व्यवस्था हुई तो पंचायत समितियों को टैक्स लगाना पड़ेगा, इसके सिवाय और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यदि यह कहा जाय कि पंचायतें टैक्स नहीं लगायेंगी तो पंचायत समिति पर जो लाइबलिटीज रखी जा

(श्री भैरोंसिंह)

रही हैं, जो काम सुपुर्द किया जाने वाला है, जो सर्विसेज का खर्चा आने वाला है, वह सारा खर्चा किस प्रकार निकाला जायगा इसके लिए टैक्सेज का प्रावधान है और टैक्सेज लगाने पड़ेंगे, बाकी पंचायत समितियों को जो फंड्स गवर्नमेंट से मिलने वाले हैं उनसे पंचायत समितियों का दूसरा खर्चा निकलेगा।

मैं समझता था कि मुख्य मन्त्री अपने भाषण में इस बात की घोषणा करेंगे कि २५ नये पैसे का प्रावधान रखा है वह उचित नहीं है और हम २५ परसेन्ट लैंड रेवेन्यू को पंचायतों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक समय इस पर विचार भी हुआ था, सरकार की ओर से भी संकेत मिला था कि इस प्रकार का प्रावधान होगा पर आज उन्होंने भाषण में नई बात बताई, उन्होंने दो कारण बताये कि लैंड रेवेन्यू क्यों नहीं दे सकते। एक कारण यह बताया कि राजस्थान की तहसीलों में कहीं पहाड़ी इलाका है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं पैदावार कम होती है, कहीं नहरी इलाका है, कहीं ज्यादा पैदावार होती है, कहीं पथरीली जमीन है बिलकुल पैदावार नहीं होती। इसलिए पंचायत समितियों के बीच में फंड्स के अलॉटमेंट के क्वेश्चन पर डिस्क्रिमिनेशन होगा और इस आधार पर होगा कि अलग अलग, तहसीलों की जमीनों की पैदावार बराबर नहीं है। मैं समझता हूं जिस भावना से, जिस जोश से उन्होंने यह रखा, उस जोश के पीछे पोल नजर आई। यदि माननीय राजस्व मन्त्री को जोश यह था कि हम पंचायत समितियों के लिए धन जुटाना चाहते हैं तो यह सम्भव नहीं, दुनियां के पर्दे पर कहीं भी यह संभव नहीं कि एक तहसील की आमदनी और दूसरी तहसील की आमदनी बराबर हो। एक तहसील की आमदनी जितनी अधिक होगी तो उस पर खर्च भी उतना ही अधिक किया जायगा। कोई पहाड़ी इलाका है तो सदन का कोई सदस्य यह नहीं कहेगा कि पहाड़ की चोटी पर स्कूल खोलो या वहां रेस्क्यू होम खोला जाय। जो भाग आबाद है उस भाग के लिये ही कहा जायगा कि यहां स्कूल खोला, जाय विकास के कार्य किये जांय। तो यह कहा जाय कि लैंड रेवेन्यू का २५ प्रतिशत देने से पंचायत समितियों में इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन रहेगा, यह कोई दलील नहीं। इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन प्राकृतिक है, इसको कोई रोक नहीं सकता, इस प्रकार की दलील उचित नहीं समझी जा सकती। क्योंकि मुख्य मन्त्री जी ने कहा है इस लिये हाउस के माननीय सदस्य उचित समझ लें तो यह दूसरी बात है।

दूसरा कारण उन्होंने यह दिया कि हम स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, सरकार में लाना चाहते हैं या पंचायतों में, यह उन्होंने नहीं कहा। स्टेबिलिटी सरकार में लाना चाहते हैं या पंचायतों में लाना चाहते हैं यह उनके भाषण से स्पष्ट नहीं हुआ। यदि स्टेबिलिटी सरकार में लाना चाहते हैं तो ६ करोड़ की आमदनी सरकार में होती है वह घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, वह घटने से सरकार में स्टेबिलिटी नहीं हो सकती। तो मैं कहूंगा कि इस प्रकार के फ्लक्च्युएशन्स होते रहेंगे, इसका असर पंचायत समितियों के ऊपर पड़ता है तो वहां भी वह पड़ता है पर...इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती। इसको पंचायत समिति पर छोड़ते हैं तो उसको भी भार नहीं पड़ता। हम अपना बजट बनाते है और इनकम और एक्सपेन्डी-

(श्री भैरोंसिंह)

चर के अनुसार काम करना तय करते हैं तो उसी प्रकार पंचायत समिति भी अपने लेन्ड रेवेन्यू की आमदनी पर एक साल का बजट बना सकती है इसलिए इस प्रकार की कोई बाधा उपस्थित करने वाली नहीं है। लेकिन दोनों बातें कह कर इस प्रकार की पंचायत समिति को सरकार पैसा न दे और यह भी उचित नहीं है। आप एक तरफ यह कहें कि सरकार पैसा नहीं देगी तो दूसरे रूप में आपको यह स्वीकार करना होगा कि पंचायत समितियों को आप अजबूर करेंगे कि वे जितने टैक्सेज़ अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए और वहां के कार्यों को पूरा करने के लिए लगावें, लगाना चाहिए। आप यह कहना चाहते हैं कि सत्ता का डिसेन्ट्रेलाइजेशन कर रहे हैं। आप यह कहते हैं कि हम सत्ता के विकेन्द्रीकरण का विरोध करनेवाले हैं। हम तो यह चाहते हैं कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया जाए, मगर उसके साथ साथ अर्थ का भी विकेन्द्रीकरण किया जावे जो आप नहीं करते हैं। सत्ता तो इस हाथ में दी है और इस में ली। आपने पूंजी हमारे थी उसको नये रूप से बटोरने की बात है लेकिन जो पैसा आप हम लोगों से लेते हैं उसके लिए आप क्या देते हैं। अगर इसके लिए कोई कहे तो सरकार मौन रहती है। जब इसका विरोध करते हैं तो सरकार यह कहती है कि हम लोग विकेन्द्रीकरण का विरोध करते हैं। मैं यह कहूंगा कि हम लोग चाहते हैं कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो और इसके साथ साथ अर्थ का भी विकेन्द्रीकरण हो। आज जिस पार्टी से मेरा सम्बन्ध हैं मैं यह कहूंगा कि हमने सत्ता के व विकेन्द्रीकरण के लिए कहा है और हम सत्ता के विकेन्द्रीकरण के विरोध में नहीं जा सकते। हम उसके पक्ष में हैं। हम आगे बढ़ना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि जो सत्ता गांव में दी जावे उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए। आपने कुछ दिन पहले डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बनाये और अब आपने उनको डिजोल्व कर दिये हैं। फिर आपने पंचायतें बनाईं और अब आप पंचायत समितियें और जिला परिषदें बना रहे हैं। आप उनको भी चाहें तो दो महीने बाद डिजोल्व कर सकते हैं उसके लिए आज किसी प्रकार की कॉन्स्टिट्यूशनल गारन्टी नहीं है कि उनसे भी सत्ता वापिस नहीं ली जा सकती। यह सब आपकी इच्छा पर निर्भर है। आप जिस दिन चाहेंगे कानून बना देंगे और इन सारी समितियों और जिला परिषदों को भी समाप्त कर देंगे।

इसके अलावा मैं सभापति महोदय, निवेदन करूंगा कि यदि पंचायतों में आपस में जनता और पंचायतों के झगड़ा न हों और एक दूसरे में प्रेम भाव बना रहे और सरकार यह चाहती है कि कोओपरेशन आपस में जनता और पंचायतों में कायम रहे तो सरकार को यह कर निर्माण के समय नहीं लगाने चाहिए क्योंकि जिस ढांचे को हम गांवों तक ले जाना चाहते हैं वे जिन गांवों में जावेंगे इस कानून को स्थापित करने के लिए, तो मैं यह कहूंगा कि यह कानून किस प्रकार कार्यरूप में परिणित होगा। यह केवल उसी समय हो सकता है जब हम आर्थिक साधन पंचायत को जुटावें। जिससे वे बिना टैक्स के हो कार्य करें, मगर जिस हालत में आप उनको छोड़ना चाहते हैं वे बिना टैक्स के काम नहीं कर सकते हैं।

अब २५ नये पैसों के स्थान पर १०० नये पैसे कर दिये जावें। मैं समझता हूं कि

(श्री भैरोंसिंह)

इस तरह आबादी के अनुसार १|| करोड़ पर आमदनी पहुँचती है। इसका आधा हिस्सा पंचायतों को मिलना चाहिये। पंचायतों को मिले तो अच्छा कार्य होगा। मैंने इसको मोल्ड करना चाहा है। मैंने २५ नये पैसे के बजाय ५० नये पैसे रखे हैं। २५ नये पैसे से ४० लाख रुपया खर्च होगा। और ५० नये पैसे से ८० लाख आमदनी १ करोड़ ३२ लाख होगी। इस तरह से ५२ लाख की सरकार को बचत होगी। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने यह रखा है। २५ नये पैसों से काम चलने वाला नहीं है। २५ नये पैसों से जो आमदनी होगी उसको सरकार देगी वह तो मामूली बातों में रुपया खर्च हो जावेगा। फिर मजबूरी है। आगे काम कैसे चलेगा। शुरू में आप उन पर टैक्स इम्पोज कर दें। मुख्य मन्त्री हम पर जिम्मेदारी थोपते हैं। तो मैं सदन में माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि लोग एग्रीकल्चरल टैक्स तो देंगे क्योंकि आपने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में इसका प्रावधान रखा था। लेकिन आपने जो अभी रखा है दूसरे टैक्स लोग नहीं देंगे और इससे जो प्रावधान आपने रखा है लोगों को टैक्स देने के लिये मजबूर होना पड़ेगा और इसका नतीजा यह होगा कि पंचायतों में और पब्लिक के बीच में जो भावना है वह एक नहीं रहेगी और उसमें दरार पड़ जावेगी। हम यह देखते हैं ।

अन्त में मैं यह कह कर कि २५ नये पैसे को बढ़ा कर ५० नये पैसे कर देना चाहिये, इससे राजस्थान सरकार घाटे में नहीं जाती है। सरकार कहती है कि पंचायतों को सहायता दें। वह सहायता इन्हें इस रूप में दी जावे। कानून के अन्तर्गत उनका हक करके २५ नये पैसे की जगह ५० नये पैसे का हक बना दें तो उसके अनुसार सारा ढांचे का संगठन निश्चित रूप से हो सकता है और अगर शुरू में टैक्स इम्पोज करना होगा तो ऐसा हो सकता है कि पंचायत समिति का गठन अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। आपस में झगड़े होंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ यह निवेदन करूंगा कि २५ नये पैसे के स्थान पर ५० नये पैसे का जो मेरा संशोधन है उसको स्वीकार कर लिया जावे। पंचायत समिति के हाथ में पैसा रहेगा। इस प्रकार के कानून के द्वारा अच्छी व्यवस्था हो सकेगी।

श्री सभापति : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

(अनुपस्थित)

श्री जयचन्द्र मोहिल (कपासिन-सु): सभापति महोदय, मेरा संशोधन खण्ड २६ उपखण्ड पार्ट (१) (३) पर कुटीर उद्योगों तथा ग्राम उद्योगों, जैसे कि खादी, रेशम, नारियल की जटा से बनी वस्तुएँ हस्तशिल्पों के बाद चर्म उद्योग शब्द जोड़ा जाय। आज जब राजस्थान में विकेन्द्रीकरण को हम करने जा रहे है और उसके अनुसार हम जनसाधारण को अधिकार देना चाहते हैं तब हमें अपने विधेयक में इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि किसी वर्ग के प्रति अन्याय न हो। मैं समझता हूं कि यदि चर्म कार्य शब्द इसमें नहीं जोड़ा गया तो इस कार्य करने वालों के प्रति बड़ा अन्याय होगा। ये लोग सदियों से पिछड़े हुए रहे हैं। यदि विधेयक में ये शब्द

Page No 71

(श्री जयचन्द्र मोहिल)

नहीं रखे गये तो राजस्थान के जिन गांवों में वे फैले हैं उनका कोई हित नहीं होगा। मजे की बात तो यह है कि इस धारा में ऐसे लोगों को शामिल किया है जो राजस्थान के राज्य में कहीं चलते हैं। उदाहरण के तौर पर नारियल की जटा का उद्योग, रेशमका उद्योग, क्या ये उद्योग मालपुरा और टौंक में चलते हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य से यह निवेदन है कि आप सदन में लिखा हुआ भाषण नहीं पढ़ सकते।

क्या यह कार्य हेन्डीक्रेफट में नहीं आता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आप लेदर वर्क की बात करते हैं।

श्री जयचन्द्र मोहिल : सभापति महोदय, लिखा हुआ भाषण नहीं है। नोट्स हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो इस राज्य के बड़े वर्ग को नुकसान होगा।

श्री सभापति : मैंने आपको अर्ज किया कि कागज लेकर पढ़िये नहीं।

श्री जयचन्द्र मोहिल : इसलिये मैं चाहता हूं कि इस धारा में चर्म कार्य शब्द को जोड़ दिया जावे। आशा है माननीय मन्त्री इस भावना की कदर करेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास : सभापति महोदय, इस क्लोंज में जो अमेन्डमेंट्स माननीय सदस्यों ने पेश किये हैं; कुछ २० परसेन्ट, कुछ ने १०० नये पैसे और एक अमेंडमेंट ५० नये पैसे के लिये रखा गया। अमेन्डमेंट की दलील....

श्री सभापति : एक अमेन्डमेंट श्री दयाकृष्ण विजय का रह गया है, जो कि इससे सम्बन्धित है, उसको पहले ले लेते हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : सभापति महोदय, क्लोंज २६ में मेरे दो संशोधन हैं। एक तो यह है कि Substitue "25 Naya Paise" by "50 Naya Paise" in part (vi) of sub-clause (1) सभापति महोदय, श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस सम्बन्ध में काफी प्रकाश डाल दिया है और इसलिए मैं सदन का अधिक समय नहीं लेता हुआ यह निवेदन करूंगा कि पंचायतों के हाथ में कम से कम इतनी ताकत देना चाहिये कि वे विकास की योजनाओं को सफलता पूर्वक संचालन कर सकें। उनको केवल उनके द्वारा लगाये टैक्स पर ही न करें। और राज्य सरकार से जो सहायता उनको मिले उनकी उस सहायता में भी वृद्धि करें। लेन्ड रेवेन्यू में २५ नये पैसे पर हैड ऑफ दी पॉपुलेशन रखा है वह बहुत कम है और उसको पचास कर दिया जाने चाहिये। मसूदा से आने वाले माननीय सदस्य ने इसमें १०० नये पैसे के लिए सुझाव रखा है। और यदि इसको स्वीकार नहीं किया जाता कि यह ज्यादा है तो मैंने इसीलिए एक बीच का रास्ता अपना अपना कर यह रखा है कि पचास नये पैसे रख दिये जायं और यह कर दिये जाने चाहियें।

एक संशोधन है, वह यह है कि और Delete Sub-clause 2 उसका कारण यह है कि कर्मचारियों की सेलरी, वेतन वगैरह का सारा भार ही पंचायत समितियों पर डाल

(श्री दयाकृष्ण विजय)

दिया गया है। सबसिडीज, ग्रान्ट, टैक्सेज से आने वाली जो जो रकम है वह सारी ही एस्टेब्लिशमेन्ट्स पर ही खर्च हो जावेगी और जहां योजनाओं पर फन्ड् लगाने चाहिये वे नहीं लगा पावेंगे। विकास में जितने कर्मचारी हैं, एस्टेब्लिशमेन्ट्स उनका इतना बड़ा हुआ है और उन सारों का भार उन पर डाल दिया गया तो उस बर्डन को पंचायत समितियां वहन नहीं कर सकेंगी। इसलिए जो यह रखा है The expe...nses of the Panchayat Samiti shall include the salaries and allowances of its officers, allowances to its members any item of expenditure directed by the State Government for carrying out the purpose of this Act and such other expenses as may be necessary for such purpose.' सारी चीजें पंचायत समितियों पर डाल दी गई है। मेम्बर्स को अलाउन्स, सेलेरी वगैरा दी जावेगी, राज्य सरकार कहती है कि वह सारा खर्चा पंचायत समिति के फन्ड्स से किया जावेगा। यह उन पर ज्यादा भार है, योजनायें अधूरी रहेंगी और यह एस्टेब्लिशमेन्ट पर ही खर्चा होगा। इसलिए सब सेक्शन (२) को हटा देना चाहिये पंचायत समितियों पर इतना खर्चा नहीं रखना चाहिये।

एस्टेब्लिशमेन्ट् पर यह इतना खर्चा न करके वे योजनाओं पर ही खर्चा कर सकें यह ध्येय होना चाहिये। इसलिए सब सेक्शन (२) को हटाने का जो मैंने संशोधन रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास : सभापति महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया है कि पंचायत समितियों के पास फन्ड्स होने चाहिये थे। जब क्लॉज २७ पर बहस कर रहे थे पंचायत समितियों के टैक्स और इनकम पर, उस वक्त इस बात पर जोर दिया गया कि टैक्स नहीं लगने चाहियें, उसका पूरी तरह से विरोध किया गया और जब यह कहा गया कि यह डिस्क्रिशनरी टैक्स है पंचायत समितियां चाहे तो लगा सकती हैं, फिर भी उसका पूरा तरह से विरोध किया गया और अब जब कि हम पंचायत समितियों के फन्ड्स क्या होंगे। उनके एक्सपेन्डीचर, इन्कम क्या होंगे, उस पर बहस कर रहे हैं उसमें यह बात आती है कि पंचायत समितियों के फन्ड्स कौन से आइटम्स मिल कर बनेंगे तो यह कहना कि ओब्लीगेटरी बन जावेंगे क्या विचार प्रकट करते हैं। मैं जहां तक समझता हूँ माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने अपने भाषण में कहीं भी यह नहीं कहा कि टैक्सेज पंचायत समितियों को नहीं लगाने चाहियें। उन्होंने यह कहा था कि ये टैक्सेज उनके लिए ओब्लीगेटरी नहीं है। यदि पंचायत समितियां मुनासिब समझती हैं और डेवलपमेन्ट के कामों में जरूरत है, तो वे उनको अगर चाहें तो लगा सकती हैं। यदि एक की हालत ठीक होगी तो एक का अनुकरण दूसरी समितियां करेंगी और आमद बढ़ाने से उनके डेवलपमेन्ट के काम होंगे। दूसरी समितियों में भी वे टैक्सेज लगावेंगे। यह ओब्लीगेटरी नहीं है कि पंचायत समितियां बनी हैं तो वे लगावें ही। श्री माधोपुर से आये माननीय, सदस्य ने जोर दिया कि ये डिस्क्रिशनरी टैक्स आगे जाकर कानून में तो डिस्क्रिशनरी हैं लेकिन ओबलीगेटरी हो जावेंगे। उस समय इन्टरवेन किया था डिबेट में कि ये तो ओबलीगेटरी हैं लेकिन बाद में उन्होंने उसको पढ़ लिया जैसा कि उसमें है Panchayat Samiti may impose. There is nothing like that "shall impose', ओब्लीगेटरी नहीं है।

Page No 73

(श्री दामोदरलाल व्यास)

यह कहा गया कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण तो कर रहे हैं लेकिन अर्थ का विकेन्द्रीकरण नहीं किया गया है । इस बिल को यदि पूरे को पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि अर्थ का कितना विकेन्द्रीकरण सरकार ने किया है । सरकार पंचायत समितियों को एडहाक-ग्रान्ट्स देंगी, फरदर डेवलपमेन्ट के लिए सरकार देगी । २५ नये पैसे किस कारण से रखे गये हैं और उस पर काफी प्रकाश पहले डाल दिया गया है मुख्य मंत्री महोदय द्वारा भी और फिर भी माननीन सदस्य दलील देते हैं कि कहा गया कि पहाड़ की चोटी पर नहीं बनावेंगे । राजस्थान की स्थिति को देखें, पहाड़ के लिए कहा था तो इसका मतलब यह नहीं था कि पहाड़ ही हो, राजस्थान में डेजर्ट एरिया है, जितनी बड़ी २ तहसीलों की आमदनी है, लैंड रेवेन्यू की किसी की ३, किसी की ४, और किसी की पाँच लाख है और एक तहसील का लैंड रेवेन्यु ५ ६ लाख हो तो....

श्री भैरोंसिंह : आबादी में भी फर्क है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : आबादी में फर्क नहीं है । यह आपकी जानकारी में नहीं है । लैंड रेवेन्यु में इतना फर्क है, इतनी डेस्पेरिटी है और आपके इस सिद्धान्त को माना जाय कि परसेन्टेज से दिया जाय तो एक को तो मिल जावेगा और एक को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा । इस प्रकार का डिस्क्रीमिनेशन हम करना नहीं चाहते ।

श्री भैरोंसिंह : जैसलमेर और शेरगढ़ के लिए बता दीजिये ।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप केवल जैसलमेर को ही लेकर न बैठिये । नागौर, झुंझुनू आदि कई जिले हैं उनको भी तो देखिये । यह कहना कि अर्थ का विकेन्द्रीकरण नहीं है यह गलत बात है ।

अब रहा सवाल विकास का । पार्ट २ को देखेंगे, annual adhoc grants by the State Government

यह इसमें लिखा हुआ है । और शुरू के भाषण में भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि एन्यूअल ग्रान्ट्स हरएक पंचायत समितियों को फरदर डेवलपमेन्ट के लिए दी जावेगी, वह स्टेट एक्सचेकर से दी जावेगी, बाकी लायेबिलिटी है फन्ड्स ट्रान्सफर करने के लिए जो प्रोविजन है वह नं० १-२-३ में है । २५ नये पैसे का प्रोविजन बहुत सोच समझकर ही रखा गया है ताकि इन्इक्वीटेबल डिस्ट्रिब्यूशन न हो जाय, सबको अपने हिस्से के माफिक मिल जावेगा, किसी को ज्यादा नहीं और किसी को कम नहीं । एक में डेवलपमेन्ट के काम ज्यादा हों और एक में न हो यह बिलकुल भी उचित बात नहीं कही जा सकती है ।

एक माननीय सदस्य ने अमेन्डमेन्ट पेश किया कि सब-क्लॉज २ को डिलीट कर दिया जाय । इसलिए कर दिया जाय डिलीट कि चूकि पंचायत समितियों के एस्टेब्लिशमेन्ट में ही सारा खर्चा हो जायगा और विकास के लिए उनके पास फन्ड्स नहीं रहेंगे ।

(३ म० प०)

यह अजीब दलील है कि पंचायत समिति की सरविसेज होंगी और उनके लिये तनख्वाह का प्रोवीजन न रखा जाय यह अजीब दलील

(श्री दामोदरलाल व्यास)

है क्या आप उसको बगैर तनख्वाह के रखना चाहते हैं। आपने जो इस प्रोवीजो को डिलीट कराने को कहा है उसका मतलब तो यही हुआ।

इसके अलावा मसूदा से आने वाले माननीय सदस्य ने अमेन्डमेंट रखा है उसमें उन्होंने कहा है कि २५ नया पैसे के बजाय १०० नया पैसा कर दिया जाय। इस बारे में मैं पहले अर्ज कर चुका हूं। जो लैंड रेवेन्यू का हिस्सा रखा गया है वही ठीक है यह तो केवल नाम का है बाकी सब तो कन्सोलिटेड फन्ड से दिया जायगा। यह तो अलग अलग हैडिंग्ज में अलग अलग तरीके से दिया गया है इसलिए २५ न० पैसे को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है यह तो लैंड रेवेन्यू के पर्सेन्टेज को ध्यान में रखते हुए ही किया गया है इसलिये उनके इस संशोधन को स्वीकार किया जा सकता।

श्री पी० के चौधरी (फुलेरा) : I beg to withdraw my motion.

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि श्री पी० के० चौधरी को अपना संशोधन वापिस लेने की आज्ञा दी जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री पी० के० चौधरी : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ।

श्री नारायणसिंह (मसूदा) : I beg to withdraw my motion.

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि श्री नारायणसिंह मसूदा को अपना संशोधन वापिस लेने की इजाजत दी जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री नारायणसिंह : I withdraw my amendment.

श्री सभापति : श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह : मैं अपने अमेन्डमेन्ट को प्रेस करता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री भैरोंसिंहजी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

श्री सभापति : प्रश्न यह है जो संशोधन श्री जयचन्द्र मोहिल ने रखा है उसे स्वीकार किया।

(स्वीकृत)

श्री दयाकृष्ण विजय : आई वान्ट टू प्रेस माई अमेंडमेंट।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री दयाकृष्ण विजय ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

प्रश्न यह हैकि क्लॉज २६में जो संशोधन श्री दामोदरलाल व्यास ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह कि है क्लॉज २६ संशोधित रूप से स्वीकार की जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज २६ संशोधित रूप से स्वीकार किया गया।

क्लॉज ३०

श्रीरामप्रसाद लड्ढा : (शाहपुरा) माननीय सभापति महोदय, धारा ३०के अन्दर यह व्यवस्था की गई है कि पंचायत समितियाँ अपनी प्रवृत्तियों को चलाने के लिए किन्हीं भी व्यक्तियों को कर्ज उधार दे सकती हैं उसमें मैंने इस प्रकार की तरमीम पेश की है इन्स्टिट्यूशन्स सोसाइटीज को भी कर्ज देना चाहे तो पंचायत समिति दे सकती हैं ऐसी व्यवस्था किये जाने हेतु ही मैंने यह संशोधन पेश किया है कि इस धारा में "Persons" के आगे 'Institution' and 'Societies' शब्द और जोड़ दिये जायँ। आशा है कि माननीय मंत्री महोदय इस छोटी सी तरमीम को स्वीकार करेंगे।

३.३ म० प०

[श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन]

श्री दामोदरलाल व्यास : जो संशोधन माननीय सदस्य ने मूव किया है उसको मैं स्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री रामप्रसाद लड्ढा ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज ३० को संशोधित रूप से स्वीकार किया गया।

(स्वीकृत)

क्लॉज ३० संशोधित रूप में, स्वीकार किया गया।

क्लॉज ३१

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह विधेयक एक महत्वपूर्ण विधेयक है, जितना समय हमने अब तक जितनी धाराओं में लगाया है उसको देखते हुए कल १ बजे इस पर गुलेटिन लगाया जायगा ऐसा निर्धारित किया गया है, उसको देखते हुए अच्छा यह है कि सदन कुछ ज्यादा देर के लिए बैठ जाय आज हम आठ बजे तक कम से कम बैठें जैसा कि पार्लियामेंट में भी कई बार निर्णय किया जाता है। आम तौर पर वोटिंग का समय हम चाहें तो सात से आठ का फिक्स कर दें।

दूसरा मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों से यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि कल हम प्रातः ६ बजे से बैठ जायँ और रात को ८ बजे तक बैठने का समय रखे जिससे और भी महत्वपूर्ण क्लॉजेज जो रह गए हैं उन पर माननीय सदस्य अपने अपने विचार रख सकें और महत्वपूर्ण सुझाव दे सकें और इसतरह से हमें इस विधेयक पर विचार करने का काफी समय मिल जाय। इसलिए मैं सभी दलों से

Page No 76

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

आशा करता हूं कि वे इसमें सहयोग देंगे और जो अमेंडमेंट माननीय सदस्यों ने रखे हैं उन पर वे बोल लें ताकि सब क्लॉजेज पर कुछ न कुछ विचार अपने जाहिर कर सकें । और ऐसा भी अवसर मिल सकता है जिसमें कुछ आलटरनेटिव सजेशन्स भी आ सकते हैं । इस प्रकार की व्यवस्था हम यदि थोड़ा सा कष्ट उठाकर भी कर सकते हैं तो हमें इस विधेयक पर ज्यादा विचार करने का अवसर मिल जायगा । आशा है सदन मेरी इस दरख्वास्त पर सहमत होगा ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की यह अनुमति है कि आज सदन की कार्यवाही रात्रि के आठ बजे तक चलायी जाय ।

(स्वीकृत)

सदन की बैठक का समय बढ़ाया गया ।

प्रश्न यह है कि क्या कल भी सदन की कार्यवाही प्रातः ६ बजे से सायं आठ बजे तक के लिए रखी जाय ।

(स्वीकृत)

सदन की बैठक का समय बढ़ाया गया ।

इसके अलावा माननीय सदस्यों के सामने मैं एक सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं जैसे हर क्लॉज के साथ साथ मतदान करते हैं वैसा न करके मतदान को अलग रख दिया जाय, क्या यह सदन की अनुमति है ?

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मतदान क्लॉज के साथ साथ नहीं होगा तो कोरम की घंटी बार बार बजानी पड़ेगी इसलिए यह जरूरी है कि क्लॉज के साथ साथ मतदान भी ले लिया जाय ताकि मेम्बर्स सभी उपस्थित रहें । कोरम का अभाव न हो ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : There is a procedure also that voting may be fixed for a particular time and even without a quorum the House can continue. We can fix time for voting sometime in the evening.

श्री उपाध्यक्ष : Is it then acceptable that the House...

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्वमन्त्री) : No Sir, the house...

राजा श्री मानसिंह : voting should done clause by clause.

श्री मोहनलाल सुखाडिया : I think there should be no difficulty, suppose If we keep this voting time between 7 to 8, I think it will be more convenient.

श्री पी० के० चौधरी : The Hon'ble Members' objection was that if we put the voting time later, then the quorum does not arise, even if there is no auorum.

श्री उपाध्यक्ष : I dont't want to put the controversial, point and the Hon'ble leader of the House will to maintain the quorum in the House. I treat amendments on clause 31 as moved.

श्री दामोदरलाल व्यास : I would not like to move my amendment When Mr. Laddha is moving his amendment no. 136.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन केवल प्रिन्टिंग मिस्टेक के बारे में हैं जिसकी मंशा यह है कि इस धारा की तीसरी लाइन में After the words 'and expenditure' in third line शब्दों के बाद 'upto a prescribed date and expected receipts and expanditure'. वर्ड्स और एड कर दिए जावें।

और लास्टलाइन में पंचायत समिति के बाद में 'for the financial year to commence on the first day of April next following'. शब्द और एड कर दिए जावें और आखीर में the last words 'upto a prescribed date'. शब्द डिलीट कर दिए जावें। ऐसा करने से इस धारा की मंशा पूरी व्यक्त हो सकेगी और आगे चल कर धारा ५४ से यह कन्फर्मिटी हो जावेगी। यह प्रिन्टिंग मिस्टेक है। आशा है मन्त्री महोदय इसको स्वीकार कर लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी। No moving ?

श्री पी० के० चौधरी : I don't want to move.

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा (अनुपस्थित)।

श्री दामोदरलाल व्यास : I accept the amendment moved by Shri Laddha.

श्री उपाध्यक्ष : So we proceed on clause 32.

श्री दामोदरलाल व्यास : And amendments treated as moved.

श्री दामोदरलाल व्यास : Yes sir. The amendment I in line 7, after 'Panchayat Samiti' insert for opproval and a period'

(b) in line 8, substitute 'annnal accounts' for 'amound'.

This is only a printing mistake.

प्रिन्टिंग मिस्टेक को ठीक किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : Shri Sohanlal Bhatnagar. Yes clause 33. Shri Sohanlai Bhatnagar

(अनुपस्थित)

श्री पी० के० चौधरी।

श्री पी० के० चौधरी : I will move it Sir, 33. In clause 33, sub-clause 2 my amenbmenr is that replace the words 'one half' by the words 'one fifth'.

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो क्लॉज है वह Motion of no confidence in Pradhan or Up-Pradhan

(ii) A written notice of intention to make the motion, in such form as may be prescribed, signed by not less than one-half of the total number of members of the PanchayatSamiti. together with a copy of the proposed motion, shall be deliveredin person,

(श्री पी० के० चौधरी)

by one of the member signing the notice, to the Collector having Jurisdiction over the Panchayat Samiti....

उपाध्यक्ष महोदय, इस नो कान्फीडेन्स मोशन के मूव करने के प्रोसीजर में ५० परसेन्ट आफ दी टोटल नम्बर के सिग्नेचर का होना जरूरी रक्खा है, मैं समझता हूं यह किसी भी डेमोक्रेटिक इन्टीट्यूशन में नहीं होता। इससे काफी कम की अनुमति से भी कर सकते हैं। पास करने के लिये २।३ जो आपने रक्खा है वह रख सकते हैं। उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पर यह ५० परसेन्ट रखना अनप्रैक्टिकेबल है और डेमोक्रेटिक स्पिरिट के भी खिलाफ है। पंचायत एक्ट की सैक्शन १६ जो हमने पास की है उसमें भी ऐसा नहीं है।

A motion of no-confidence against Panch or up Sarpanch. A motion of no confidence may be moved by any Panch after giving such notice as may be prescribed against the Sarpanch and Upsarpanch.

इस पंचायत एक्ट में पंच, सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिये तो नम्बर की ही जरूरत आपने नहीं रक्खी। कोई भी एक पंच कर सकता है।

इसी तरह से स्टेट लेजिस्लेचर में भी पचास परसेंन्ट की जरूरत नहीं समझी गई है। यहां भी आप २० परसेन्ट पर ही एक्सेप्ट करते हैं। If 20 percent support then a motion is allowed to be moved. तो मैं समझता हूं कि टू एन्स्योर दी मोशन 50 percent of the total number of signatories.... ५० परसेन्ट सिग्नेचर की बात रखना उचित नहीं होगी। जब कि उसमें आगे प्रोवाइड किया है मोशन आफ नो कान्फीडेन्स मूव करने के बाद २।३ मेजोरिटी से पास नहीं होता है तो आफ्टर ६ मन्थस ५१ की मेजोरिटी से पास कर सकते हैं।

आप सिम्पल मेजोरिटी से पास करने की इजाजत देते हैं तो मैं समझता हूं कि जो मोशन ५१ की मेजोरिटी से पास हो सकता है उनको मूव करने के लिए ५० परसेन्ट के सिग्नेचर रखना ठीक नहीं होगा और इस बात का मुझे यकीन है कि डेमोक्रैटिक फोर्सेज जिसको फंकशन करने देना चाहते हैं वह फंकशन नहीं कर सकेंगी Pradhan must feel too much secured but he must not feel too secured too सिक्योर किसी को आप कर दें तो उसका बिहेवियर ठीक नहीं रहेगा। He does not remain responsive to the democratic forces. और डेमोक्रैटिक फोर्सेज के लिए रेस्पोन्सिव रखने के लिए मूव करने का जो ५० परसेन्ट रक्खा है उसकी बजाय २० परसेन्ट, १।५ रक्खा जावे यह ठीक रहेगा। पास करने के लिए २।३ से पास करने का आपने जो प्रावधान रक्खा है वह ठीक है। उसे आप रखिए। पर मूव करने के लिए ४० परसेन्ट ही काफी होना चाहिए। पंचायत एक्ट में तो आपने यह भी नहीं रक्खा। Even a single Panch can move a No—canfidence Motion against a Sarpanch. तो इन सब चीजों को देखते हुए और आज तक डेमोक्रैटिक आरगेनाइजेशान्स में इस सम्बन्ध की चीजों को देखते हुए यह ५० परसेन्ट अनूयजूअल महसूस होता है और इसलिए मेरा अमेन्डमेन्ट वाजिब है।

Page No 79

(श्री पी० के० चौधरी)

मैं मानता हूँ माननीय मन्त्रीजी इसको मन्जूर करेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री : कुछ मन्जूर कर लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय !

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष, क्लॉज ३३ पर मेरे चार संशोधन हैं । [इस प्रकार हैं —

1. Substitute 'one-half' by 'one-third' in sub-clause (2).

2. Delete part (i) of sub-clause 3.

3. Substitute '15' by '10' in part (iii) of sub-clause (3) and '30' by '20' in the Explanation of the same sub-clause'

4. Substitute sub-clause (12) by the following—

"(12) If the motion is carried by a majority of the members of the Panchayat Samiti............"

सामान्यतया अविश्वास का प्रस्ताव ऐसी संस्थाओं में लाने के लिए २० परसेन्ट मत रक्खे जाते हैं। लेकिन हम यह समझें कि अभी पंचायत समितियों का नया नया गठन हो रहा है, बार बार इस प्रकार के मोशन वहां आते रहे तो यह भी अच्छी बात नहीं है तो इस दृष्टि से हम इन मतों को थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। जिस तरह ३३ परसेन्ट मार्क्स में विद्यार्थियों को पास करते हैं तो यह ३३ परसेन्ट मत की बात यहां भी आप रख सकते हैं। किसी परीक्षा में पास करने के लिए ५० परसेन्ट की जरूरत नहीं होती, ३३ परसेन्ट में ही पास कर देते हैं। तो इस सिद्धान्त को मान लिया जावे तो भी अच्छा है। २० परसेन्ट जो लेजिस्लेचर में है उसको न भी मानें तो विद्यार्थियों के पास होने के नम्बरों के अनुसार पंचायत समिति में अभी जो मास्टर नहीं हुए हैं, अभी जो विद्यार्थियों की स्टेज पर ही हैं जो पंचायत समिति के मास्टर नहीं हुए हैं उन विद्यार्थियों को ३३ परसेन्ट के अनुसार लोग अगर साइन करके दे देंगे तो मोशन आया हुआ समझा जाना चाहिए। इस भावना से मैंने ३३ परसेन्ट की की बात अपने संशोधन में रक्खी है। एक माननीय सदस्य का संशोधन है १।५ और आपका है १।२, मैंने बीच का रास्ता अपनाया है। मैं समझता हूँ यह ज्यादा व्यावहारिक होगा और किसी प्रकार की कान्स्टीट्यूशनल गलती भी नहीं होगी इसमें क्योंकि मेरा एक और भी संशोधन है और वह है सब-क्लॉज १२ में कि "(12) If the motion is carried by a majority of the member of the Panchayat Samiti......"

सब-क्लॉज १२ के अन्दर यह बताया है कि जो नो-कॉन्फीडेन्स का प्रस्ताव है वह २।३ मैजोरिटी से पास होना चाहिये। आज तक दुनियां के इतिहास में कोई भी नो-कॉन्फीडेन्स का मोशन २।३ से पास होते हुए नहीं सुना। चुनावों के लिए हम किसी को जीता हुआ देखते हैं और यह देखते हैं कि ५१ जिसके वोट आये वह जीता हुआ समझा जाता है और जिसके ४६ वोट आये वह हारा माना जाता है। कहने का मतलब है कि १ वोट का अन्तर भी उसको जिता सकता है तो इस

(श्री दयाकृष्ण विजय)

प्रकार डिफरेन्स रखना उचित नहीं है। हमारा अविश्वास का प्रस्ताव भी इस बहुमत के आधार पर चलना चाहिये। हमारी डेमोक्रेसी बहुमत के आधार पर चल रही है, प्रजातन्त्र में हमने बहुमत को आधार माना है। इस-लिए यहां पर जो आपने २।३ मेजारिटी की जो बात रखी है उसका मैं समर्थन नहीं कर सकता इसलिए मैंने सब-क्लॉज (१२) आफ क्लॉज ३३ में यह संशोधन रखा है कि जहां २।३ है वहां फेयर मैजोरिटी रखा जाये याने १।३ और बहुमत के आधार पर इस प्रस्ताव को पास किया हुआ माना जाना चाहिए। क्योंकि दुनिया में कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि २।३ हों तभी नो-कान्फीडेन्स मोशन आया हुआ माना जायेगा। हां, अगर मैजे-रिटी की बात रखी गई तो आप शंका कर सकते हैं कि लोग बार बार अविश्वास का प्रस्ताव लायेंगे लेकिन आपकी शंका का निर्मूल समाधान इस तरह से हो जाता है कि क्योंकि पंचायत समिति में ७ आदमियों को कोऑप्ट किया जायेगा और यह अधिकार पंचायत समिति में होने वाली बहुमत पार्टी को दिया हुआ है। यह ७ आदमी बहुमत के आधार पर कोऑप्ट किये जायेंगे, यानि उनके साथ में ७ आदमियों की पावर और है। उनकी जेब में ७ वोट और हैं क्योंकि जिस पार्टी का बहुमत आ गया है यदि कोई पंचायत समिति १५ व्यक्तियों की है और उसमें ८ व्यक्ति हैं तो ७ आदमी को और कोआप्ट कर लेंगे तो इस तरह से १५ व्यक्ति वह खुद ही हो जायेंगे। इसलिए यह शंका करना कि बारबार अविश्वास के प्रस्ताव आते रहेंगे यदि मैजोरिटी की बात रखी तो मैं कहता हूं कि इस प्रकार को परिस्थिति नहीं आयेगी क्योंकि ७ आदमी उनकी इच्छा के आयेंगे। इसलिए बारबार अविश्वास के प्रस्ताव के आने की सम्भावना नहीं है। वह तो जब ही आयेगा कि जब कि उस पंचायत समिति का आचरण बहुत ही गिरा हुआ हो और उससे विकास की किसी प्रकार की सम्भावना न हो और इस शंका को मन से हटा देना चाहिए कि बार-बार अविश्वास प्रस्ताव आयेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि एक तो जब नो-कान्फी-डेन्स पास किया जाये उसके लिए २।३ के स्थान पर १।३ कर दिया जाये और वह मोशन आया हुआ माना जाये। इसके लिए बहुमत की ही आवश्यकता होती है मोशन को पास करने के लिए, २।३ सदस्यों की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये।

इसके अतिरिक्त मेरा एक संशोधन और है कि सब-क्लॉज (३) का जो पार्ट (1) है इसकी यहां रखने की अहमियत नहीं दिखती है और इसकी यहां आवश्यकता नहीं थी क्योंकि जो सब-क्लॉज (११) है वह इसकी आवश्यकता को दूर कर देता है। सब-क्लाज (११) इस प्रकार से है:

A copy of the minutes of the meeting, together with a copy of the motion and the result of the voting thereon shall be forwarded forthwith on the termination of the motion by the Collector to to the State Government and to the Zila Parishad having Jurisdiction...'

जब यहाँ कापी मिनट्स की है और मोशन की कापी और वोटिंग के रिजल्ट की कापी भेज दी तो एक एक बार कापी भेजने से क्या मतलब है। सब-क्लॉज (११) जब इसके लिए बहुत स्पेसिफिक है तो जो सब-

(श्री दयाकृष्ण विजय)

क्लाज (३) का पार्ट (i) है उसकी आवश्यकता नहीं रहती और इसको व्यर्थ में ही यहां रखा गया है।

इसके अतिरिक्त जो अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाता उसमें प्रोसीजरली बहुत डिले हो जाती है। हमेशा इस बात को कहा जाता है, उसको उसीके दृष्टिकोण से जो १५ दिन रखा है उसके बजाय १० दिन की ही सूचना देना पर्याप्त होगा क्योंकि पंचायत समिति का एरिया कोई बहुत बड़ा नहीं होता है कि जो आने में ही दस पन्द्रह दिन लग जायें। इसलिए १० दिन की सूचना अविश्वास के प्रस्ताव के लिए काफी है और सब-सेक्शन (३) के पार्ट २ में ३० दिन के नोटिस का जहां प्रावधान रखा है उसके स्थान पर २० दिन ही पर्याप्त होंगे। केवल २० दिन के अन्दर इस प्रकार के चुनाव करा सकते हैं। ऐसी मेरी मान्यता है। १० दिन का समय यहां पर टाइप करने का काफी होता है। मेरे खयाल से तो एक दिन विचार कर सकते हैं और दूसरे दिन सूचना निकाल सकते हैं इसके लिए दो दिन ही वैसे उपयुक्त हैं और इसके लिए २० दिन रख सकते हैं, १० दिन तो सूचना के लिए और १० दिन इन्फार्मेशन निकालने के पर्याप्त होते हैं। इसलिए ३० दिन के बजाय २० दिन कर दिये जायें और १५ दिन की सूचना दी जाती है वह १० दिन की की जाये। मैं समझता हूं कि मेरे चारो संशोधन काफी वजनदार हैं। एक तो १।३ मैजारिटी का और सूचना के लिए ३० दिन के के बजाय २० दिन पर्याप्त हैं और १५ दिन के बजाय १० दिन का समय पर्याप्त है और जो सब-क्लॉज (३) का पार्ट (i) है इसको यहां से हटा देना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री सतीशचन्द्र

(अनुपस्थित)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर

(अनुपस्थित)

श्री दामोदरलाल व्यास

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्वमंत्री): My amendment is:

Insert 'any' before 'one' in Line 4 and substitute 'members 'for' member, in line 5. This is also a formal amendment sir.

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामप्रसाद लड्ढा

श्री रामप्रसाद लड्ढा (शाहपुरा): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक साधारण सा अमेन्डमेंट है क्लॉज ३४ के सब क्लॉज (१) में। इसकी मन्शा यह है।

If in the opinion of the State Government, के आगे or the Zila जोड़ने की तजवीज रखी है। यदि स्टेट गवर्नमेंट के आर्डर्स को कोई पंचायत समिति न माने या कैरी आउट करने से इन्कार करे तो उसके प्रधान और उपप्रधान को रिमूव किया जा सकता है। तो मैंने यह

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

प्रावधान रखने की तजवीज की है कि यदि जिला परिषद् या स्टेट गवर्नमेंट दोनों में से किसी के भी आर्डर्स को पंचायत समिति मानने से इन्कार करदे या कैरी आउट करने से इन्कार करदे तो यही प्रावधान लागू होना होना चाहिए। इसके लिए यह रखा है।

After the words' the state Government' add the words 'or the Zila Parishad.'

श्री उपाध्यक्ष : कौन सा क्लॉज है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सब-क्लॉज (१) आफ क्लाज ३४। यह अमेन्डमेन्ट सीरियल नम्बर १४४ पर हैं।

श्री भैरोंसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मन्त्री के रिप्लाई नहीं होंगे क्या, ताकि कोई आगे के क्लॉज पर बोलना चाहे तो बोल सके।

श्री उपाध्यक्ष : क्लॉज ३४ के सभी ले लें। मैं जवाब वाइज जवाब लेलूंगा।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय मेरा संशोधन इसमें इस प्रकार है :

1. Delete the words 'wilfully omits or refuses to carry out the orders of the State Government for the proper working of the Panchayat Samiti or."

2 Substitute the words "one year" for the words "three years' in line 3 of subclause (3).

यह वह धारा है जिस धारा के अनुसार यदि यह कहा जाये कि सरकार ने अपनी इच्छायें पंचायत समितियों के द्वारा पूरी करवाने का अधिकार प्राप्त किया है तो इसमें कोई क्षति नहीं होगी। अब तक हम इस बात का प्रचार करते आ रहे हैं कि हम पंचायत समितियों को सत्ता हस्तान्तरित करना चाहते हैं। हम इस बात के भी देखने का प्रयत्न कर रहे थे कि पंचायत समितियों को इतनी स्वतन्त्रता रहनी चाहिए कि वह अपने स्वयं का विकास कर सके। उनके सम्बन्ध में या उनके ऊपर इस प्रकार का कोई अंकुश नहीं होना चाहिए जिस अंकुश के कारण वह लीडरशिप डेवलप नहीं हो सके। कुछ समय पहले जो एक प्रस्ताव मैं समझता हूँ कि पास हो गया एक संशोधन के द्वारा जो मेरी दृष्टि से बहुत ही बुरा हुआ लेकिन उस समय जो जिक्र सदन में हुआ था उसमें इस बात की ओर भी संकेत किया गया था कि यदि विधानसभा के सदस्य पंचायत समिति के सदस्य बना दिये गये तो लोकल लीडरशिप डेवलप नहीं होगी और वह सारी पंचायत समिति के ऊपर एक डोमीनेटिंग फैक्टर होगा। उनके कारण से इन्डिपेन्डेन्टली जो स्टेटस लोकल लीडर्स का बढ़ना चाहिए उस प्रकार से वह नहीं बढ़ेगा। मैं उसका रेफरेन्स केवल इस प्रसंग में दे रहा हूं कि वहां एक दिक्कत पैदा होती थी कि विधानसभा के सदस्य की प्रेजेन्स के कारण और उस प्रेजेन्स को हम ऐसा अनुभव करते थे कि यदि वह सदस्य मौजूद रहा तो लोकल लीडरशिप डेवलप नहीं होगी। अब मैं समझता हूँ कि यदि इस धारा को पढ़ा जाय तो यह धारा विधान सभा के सदस्य वाली धारा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं जो कि लोकल लीडरशिप को डेवलप करने के अन्दर बाधाएं पैदा करेंगी। हमने इस धारा के द्वारा व्यवस्था

Page No 83

(श्री भैरोंसिंह)

करदी है कि सरकार किसी भी मेम्बर को सस्पेन्ड कर सकती है, और सस्पेन्ड करने के साथ साथ तीन साल तक उसको हटा भी सकती है।

अब यदि यह कहा जाय कि एक हाथ से सत्ता दी और दूसरे हाथ से सत्ता वापिस लेना चाहते हैं, यदि इस प्रकार की बात कही जाय तो कोई ज्यादती नहीं है ! इसमें अब यह प्रश्न आता है कि पंचायत समिति के प्रधान को हटाने का कोई प्रश्न आये तो उस स्थिति के अन्दर सरकार क्या कर सकती है। सरकार के हाथ में इस प्रकार के अधिकार होने चाहिए। यहां पर हमें इस प्रश्न के ऊपर गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा कि यदि इस प्रकार के अधिकार सरकार के हाथों में दिये तो उन अधिकारों का उपयोग किस हद तक होगा ?

मैं भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य की बात को इस सदन में दोहराता हूँ। उन्होंने शायद कल या परसों अपने भाषण के अन्दर कहा था कि हमको अपने पिछले अनुभव से काम लेना चाहिए। मैं उस चीज को यहां दोहराता हूँ कि केवल टेक्सेशन के काम में ही नहीं, बल्कि सरकार को इस प्रकार के अधिकार देने के मामले में भी हमें पिछले अनुभव से काम लेना चाहिये। अब पिछला अनुभव इन बातों से ले सकते हैं। या तो इस बात से अनुभव का पता लग सकता है कि जितनी नगरपालिकाएँ अब तक काम करती आ रही थीं, पंचायतें, तहसील पंचायतें, और जिला बोर्ड अब तक काम करते आ रहे थे, उनके अन्दर इस प्रकार की घटनाएँ हुई कि जिन घटनाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि सरकार ने जो अधिकार लिये थे उन कानूनों के अन्तर्गत उन अधिकारों का सरकार ने दुरुपयोग किया। तो शायद हमें वह अनुभव इस जगह इस बात का पता देंगे कि इस प्रकार के अधिकार देने से पहले हम जरा उस विषय के ऊपर गम्भीरता से विचार करें।

अब दूसरा प्रश्न यह आता है कि जो शायद मुझे नहीं कहना चाहिए कि शायद सरकार इस बात की आकांक्षा करके चलती है कि सरकार न कह चुकी है और न कह सकती थी लेकिन सरकार का यह एप्रिहेन्शन है कि पंचायत समिति का प्रधान या उप-प्रधान इस प्रकार की कोई कार्यवाही कर सकते हैं जिनसे उनको हटाना सरकार के लिए लाजिमी हो जाय। मैं समझता हूं कि अब तक इस प्रकार के एप्रिहेन्शन की चर्चा करना शायद सदन के अन्दर एक दूसरे शब्द में कहा जाय अपराध समझा जाता था। आज वह अपराध सक्रिय रूप में, कानून की धारा के रूप में हमारे सामने आ रहा है कि सरकार इस प्रकार से एप्रिहेन्शन करती है। मैंने शायद कल यह नहीं कहा था कि मेम्बर्स में किस प्रकार के व्यक्ति चुनकर आ जाते हैं, लेकिन एक भाषा के अन्दर मेरे कथन को सदन में प्रस्तुत किया गया और आखिर में यह मतलब निकाला गया कि कुछ ऐसे आदमी चुनकर आ जाते हैं जो कि किसी प्रकार से जनता के प्रतिनिधि नहीं कहलाये जा सकते हैं। यदि यह ऐसा समझें तो सरकार यह विचार करके चलती है, सरकार कहे या न कहे, लेकिन इस प्रकार की बातें दिमाग में रखकर चलते हैं कि इस प्रकार के व्यक्ति चुनाव जीतकर आ सकते हैं और सरकार जिस प्रकार से उसको चलाना चाहे उस प्रकार से नहीं चले, और नहीं चलने के कारण उनको दोषी ठहराया जाकर सरकार हटा दे।

मैंने इस धारा का पूरा विरोध नहीं किया है। इसमें जहां तक मिसकन्डक्ट की बातें हैं, हालांकि वह एक अच्छी भाषा में

(श्री भैरोंसिंह)

दी हुई नहीं हैं और हम किसी भी विषय को लेकर मिसकन्डक्ट के नाम पर हटा सकते हैं, मैंने केवल एक सेन्टेन्स को हटाने की अपील की है। वह सेन्टेन्स यह है कि सरकार की आज्ञा का पालन नहीं किया गया तो हटाया जा सकता है, सस्पेण्ड किया जा सकता है, लेकिन सरकार ने यह व्यवस्था जरूर रखी है कि उनको एक्स्प्लेन करने का मौका दिया जायगा। अब, माननीय उपाध्यक्ष, यह एक बड़ा जटिल प्रश्न है कि एक तरफ हम सत्ता उनके हाथ में देना चाहते हैं, और दूसरी तरफ यह अधिकार सरकार के हाथ में रखना चाहते हैं कि सरकार ने कोई आज्ञा दी और उस आज्ञा का पालन नहीं किया तो हटा दें। इसका मतलब यह हुआ कि जो कुछ सत्ता है वह केवल उस समय तक है जिस समय तक वह सरकार को खुश रख सके। जिस समय सरकार को खुश नहीं रख सके तो सत्ता का विकेन्द्रीकरण उनकी तरफ नहीं हुआ, सत्ता उनसे छीनकर वापिस सरकार के हाथों में चली गई, और सरकार ने उनको हटा दिया। आज राजस्थान के अन्दर कई पंचायतें, कई नगरपालिकाएँ होंगी जो कि इन झंझटों के अन्दर बुरी तरह फंसी हुई हैं। सरकार की मर्जी के विरुद्ध थोड़ा सा काम हुआ तो सरकार कहती है कि हम कहते हैं जो कुछ वह काम करो, और नहीं करते हो तो तुम्हें हटाया जायगा। मैं एक छोटा सा मामूली उदाहरण, जिसका जिक्र इस सदन में कल या परसों आ चुका है, उसको मैं रिपीट नहीं करता हूं, लेकिन संकेत करना चाहता हूं कि एक नगर-पालिका का कर्मचारी दूसरी नगरपालिका में मनोनीत कर दिया, जिस नगरपालिका में वह कर्मचारी जो कि सदस्य मनोनीत किया गया उस नगरपालिका से उस मनोनीत व्यक्ति के बारे में जानकारी चाही गई कि यह व्यक्ति तुम्हारा नौकर है या नहीं, और सत्तारूढ़ पार्टी के व्यक्ति जाते हैं और यह कहते हैं कि यह लिख दो कि नौकर नहीं है उन्होंने लिखा नहीं। लिखने पर उसकी सूचना सैक्रेटेरियेट पहुँचती है और सैक्रेटेरियेट से म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन के नाम पर नोटिस चला गया कि क्यों नहीं मिसकन्डक्ट की कार्यवाही करके तुम्हें हटाया जाय इसका जल्दी से जल्दी एक्स्प्लेनेशन आ जाय। यह कार्यवाही चलती है। केवल इस बात के लिए कार्यवाही चलती है कि सही बात क्यों लिख दी? इसलिए यह मिसकन्डक्ट की कार्यवाही चलती है। आखिर मैं समझता हूं कि पंचायत समितियां बनने पर उनके प्रधान और उपप्रधान होंगे, उनके सामने कई प्रकार के विकास के काम होंगे और काफी अधिकार होंगे खर्चा करने के सम्बन्ध में तो जिन लोगों को खुश करना चाहिए वे खुश नहीं हों या एक प्रकार के लोग कोई चीज इम्पोज करना चाहें वह स्वीकार नहीं करें तो सरकार ने एक ओवर राइडिंग क्लॉज कानून में रख ली है कि सरकार के किसी हुक्म की तामील जान बूझ कर नहीं करे तो सरकार उसको हटा सकती है। इसके लिए एक शब्द उन्होंने जोड़ा है और वह शब्द है for the proper working of the Panchayat Samiti अब प्रोपर वर्किंग ऑफ दी पंचायत समिति एक मामूली सी बात हो सकती है मैं उस चीज को दोहराऊंगा नहीं, लेकिन प्रोपर वर्किंग के लिए यह जरूरी हो सकता है कि प्राइमरी एजूकेशन पर सेस लगाये। यह एक पंचायत के प्रोपर वर्किंग के लिए जरूरी है। पंचायत वर्किंग के अन्दर यह है कि वह उसके लिए धन एकत्रित करें। पंचायत के विकास के काम को अपने हाथ में ले। यह भी एक प्रकार का काम हो सकता है, और उस काम को प्रोपर वर्किंग ऑफ दी पंचायत की ओर जो इशारा है उसमें शुमार कर सकते हैं। पंचायत के सामने इस प्रकार का धन एकत्रित करने का प्रश्न नहीं है लेकिन फिर भी पंचायत को मजबूर किया जायगा कि टैक्स लगाओ, और

(श्री भैरोंसिंह)

पंचायत ने इन्कार कर दिया और प्रधान या उपप्रधान ने इन्कार करने में महत्वपूर्ण भाग लिया तो इसका मतलब यह है कि प्रधान और उपप्रधान ने सरकार के हुक्म की तामील नहीं की जिससे कि पंचायत का प्रॉपर वर्किंग जैसा कि होना चाहिए था उसमें बाधाएं आईं, इसलिए उनको हटा दिया। इसका मतलब यह हुआ कि ओब्लीगेटरी नहीं बल्कि डिस्क्रीशनरी प्रोवीजन रखा है जिसका उपयोग किसी भी समय किया जा सकता है। हम यह मान कर चलते हैं और मैं समझता हूँ कि कोई इन्कार नहीं करेगा क्योंकि जो प्रधान या उप-प्रधान बनेंगे वे सारे के सारे आदमी इतने कानून के जानकर नहीं होंगे जो यह कह सकते हैं कि सरकार ने हटाया है तो राजस्थान की हाईकोर्ट के दरवाजे खट-खटायेंगे और स्टे आर्डर लेकर वापिस बने रहें। इस प्रकार के व्यक्ति बहुत कम होंगे। (समय समाप्ति सूचक घंटी)। सेक्रेटेरियेट से नोटिस चला गया मिसकन्डक्ट का तो उनके सामने समस्या पैदा हो जायगी, और किसी प्रकार का जो भी सरकार ने हुक्म दिया है उसकी तामील करेंगे।

आज कोई प्रश्न आता है, पंचायत समिति को कहीं स्कूल खुलवानी है और मेजोरिटी से यह तय हो गया कि फलाँ जगह स्कूल खुलेगी और यदि सरकार का डिसीजन होता है कि उस जगह नहीं होनी चाहिए तो उस जगह नहीं हो पायेगी। आज भी विकास समिति कोई बात तय करती है और सरकार उसके पक्ष में नहीं है तो वह बात पूरी नहीं पड़ सकती। फर्ज करिये विकास समिति ने सिफा-रिश की कि यहाँ पर स्कूल खुलना चाहिए वहां नहीं खुलती और तीसरी जगह चलती है, जिस जगह होस्पिटल खुलना चाहिए वहां न खोलकर सरकार चाहती है कि दूसरी जगह खुले तो ऐसा ही होगा। एडवाइजरी फंक्शन्स आज भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दिये हैं, अब यदि सरकार का हुक्म नहीं मानें और कह दें कि इस जगह स्कूल की आवश्यकता है और हम चाहते कि यहीं हो लेकिन सरकार कहती है यहां नहीं होगी, किन्हीं कारणों को सामने रख दिया तो निश्चित कहूंगा कि यह प्रजातंत्र का का विकास नहीं है। उनके सामने कई बातें खड़ी करके उनको हटा देंगे। इस तरह से उनकी इन्डिपेन्डेन्स को खत्म करना चाहते हैं। इस सारी स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैं निवेदन करूंगा कि इस बिल में यदि इस प्रकार की धारा रहती है तो चाहे मुख्य मंत्रीजी बार बार कहते रहें कि हमने इतिहास में पहल की है, चाहे वे राजस्थान के बाहर कई प्रकार से प्रचार करें, लेकिन यदि राजस्थान में इस इस प्रकार की धाराएँ रहती हैं तो यह प्रजा-तंत्र के नाम पर कलंक है तो यह कानून निरर्थक होगा। सरकार जिस जगह चाहेगी उस जगह अपनी बात को इम्पोज करके काम करने की चेष्टा करगी।

मेरा एक और संशोधन यह था कि मेम्बर्स को डिस्क्वालिफाइ करने की जहां व्यव-स्था की है वह ३ वर्ष के लिये है। मैं चाहता हूं कि उसके बजाय १ वर्ष हो यदि किसी को मिस कंडक्ट के लिये हटावे या सरकार के हुक्म की तामील नहीं करने के लिये हटावे तो उसको ३ साल के बजाय १ साल के लिये हटाया जाय। उसने कोई पहले ओफेन्स किया हो और कॉम्पीटेन्ट कोर्ट से किसी प्रकार का जुर्माना हुआ हो और वह इस प्रकार का हो जो जनरल इलेक्शन के रूल्स हैं उनके अनु-सार उसमें बाधा पहुँचाता है तो शायद हमें इस बात को मंजूर करने में आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन यहां सरकार ने कह दिया कि जिस व्यक्ति को हमने हटा दिया वह ३ वर्ष

Page No 86

(श्री भैरोंसिंह)

तक नहीं आ सकता। यह कौनसा कानून है ? एक सरपंच से किसी कारण से सरकार नाराज हो जाय और उसके विरोध में कोई बात हो तो उसको नोटिस देकर हटाया जा सकता है। लेकिन हटने के साथ ही ३ वर्ष के लिये वह डिबार कर दिया जाता है। बाकी कानूनों के अनुसार यदि किसीने चोरी की है या मोरल टरपिट्यूड के कारण उसको सजा मिली है तो उसके लिये तो ऐसा किया है कि सरकार उसमें रिलेक्शेशन कर सकती है और वह वापिस चुनाव में खड़ा हो सकता है, लेकिन यहां कुछ नहीं। वह ३ वर्ष के लिये गया। एक व्यक्ति को यदि हटाना है और हटाने के के लिये उसको यदि कॉम्पीटेन्ट कोर्ट से पनिशमेंट मिल जाय तो कम से कम यह कानून के दायरे में आनेवाली बात है तो उसको दंड मिले तो एक साल के लिये उसको हटा सकते हैं। बाकी धाराएं दूसरे कानून में है, जहां चोरी करनेवाला या मिस कंडक्ट वाला खड़ा नहीं हो सकता वह ऑटोमेटिकली चला जायगा लेकिन यहां जब ऑटोमेटिकल प्रोविजन है वहाँ यदि हम और बातों को लाना चाहते हैं तो मतलब यह है कि सरकार का दृष्टिकोण जिस आदमी के प्रति बिगड़ जायगा, चाहे उसको कांपीटेन्ट कोर्ट से सजा होती है या नहीं, जुर्माना होता है या नहीं, यदि सरकार ने कह दिया कि अमुक काम के लिये दोषी हो तो ३ साल के लिये इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं कर सकते। तो वास्तव में सजायाफ्ता हैं, जो मोरल टरपिट्यूड के कारण सजायाफ्ता है उसको तो रिलेक्सेशन मिलता है तो ऐसी हालत में मैंने ३ वर्ष के बजाय १ वर्ष करने का संशोधन पेश किया है। वह है :

Substitute the words 'one year' for the words 'three years' in line 3 of sub-clause (3).

इन वर्डस को डिलीट कर दिया जाय उसके बाद जितने वर्डस रहते हैं मैं समझता हूं उनके बारे में सरकार को भी काफी परेशानी होगी। सरकार चाहे वैसी चीज नहीं होगी। ऐसी चीज आ सकती है। मैं समझता हूँ नगर-पालिका का कानून बनाया है उसमें भी हटाने का प्रावधान रखा है लेकिन इन्क्वायरी कमेटी को किया है उसके सामने जायेंगे, निर्णय करेंगे। ससपेन्शन पॉवर सरकार को दिया है, फाइनल उनका होगा। उसमें हमने गवर्नमेंट को रखा है। नगर पालिका को दोषी ठहराया गया तो उसके लिये ट्रिब्यूनल होता है लेकिन पंचायत समितियां जो महत्व में उनसे कम नहीं है, उनको दोषी पाया जाय तो उसके बारे में जांच करने की आवश्यकता नहीं है और न ट्रिब्यूनल के सामने जाने की आवश्यकता है, सरकार उनको दोषी कहेगी। हाईकोर्ट में जायेंगे तो उनका इन्टरप्रिटेशन रोंग होगा, किस प्रकार का होगा यह भविष्य बतायेगा लेकिन जहाँ इन्टरप्रिटेशन वाइड हो तो एक सरपंच या उप-सरपंच को हटाया जा सकता है। तो इस प्रकार का अधिकार सरकार को नही देने चाहिए। ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करूँगा कि दोनों संशोधन स्वीकार करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर): उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज में मेरा भी वैसा

Page No 87

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

ही संशोधन है जैसा कि श्री भैरोंसिंहजी ने रक्खा था। इस संबंध में मेरा निवेदन है कि जहां सरकार को सदस्यों को हटाने का अधिकार दिया है वहां नगरपालिका के संबंध में ऐसा अनुभव हुआ है कि कई स्थानों पर हाई कोर्ट में सरकार के फैसले रद्द होते हैं इसलिए सरकार को सोच-समझ कर हटाने का इसमें प्रोविजन होना चाहिए। जिनको हटाया जाता है उसको सरकार ने जो काम दिया है वह व्यापक है।

इसके बाद संशोधन और है :

Add a proviso to section 34 as follows:

Provided that before the removal of the Pradhan or Up-Pradhan, the Sta e Government shall have to prove its charges before a Judge.

हमने इस विधेयक के द्वारा जज की परिभाषा की है, जज कौन होगा ? डिस्ट्रिक्ट जज या सिविल जज होगा, इस प्रकार न्यायाधीश बनाया है उसके लिए जो विवादास्पद बात है। जहां इलेक्शन पिटीशन करना है और काम करना है हमने प्रावधान रखा है कि जब कभी एक आदमी चुनाव में गड़बड़ी करता है या माल प्रेक्टिस करता है तो उसका निश्चय कौन करेगा ? इसका निश्चय जज करेगा। लेकिन चुनाव जीतने के बाद यह तय होता है कि हमने जो कुछ किया वह ठीक किया है और जब कार्य करता है और बाद में आरोप लगाते हैं कि तुमने गड़बड़ी की है, या तुम्हारा कार्य मिस कंडक्ट की परिभाषा में आता है तो यह चीज है या इलेक्शन में मिसकंडक्ट या व्यवहार में गड़बड़ी है तो इसके बारे में मंत्रीजी तय कर देंगे। या तो यह होगा कि प्रधान, उपप्रधान को हटाया जायगा, उसके कारण उनको हाईकोर्ट में जाना होगा और रिट लानी होगी। लेकिन यह महंगा सौदा है। आज हमने नगरपालिका में देखा है कि जहां सरकार किसी सदस्य को हटाती है तो यह हाईकोर्ट में जाता है और उसको वहां से रिट लानी पड़ती है। इसलिए प्रारंभ में ही हटाने के पूर्व यह तय हो जाय कि उसने दोष किया है या नहीं। मंत्रीजी कहेंगे कि उसको मौका देने का प्रावधान है ३० दिन का मौका देंगे, ३० दिन में जो चार्जशीट लगाई है उसकी सफाई देगा और ३० दिन के अन्दर जो सफाई आती है वह संतोषजनक है या नहीं उसका निर्णय कौन करेगा ? जो चार्ज लगाने वाले हैं जो कम्प्लेनेन्ट हैं, किसी व्यक्ति ने प्रान्त के प्रति मिस-कन्डक्ट किया है, सरकारी आदेश का पालन नहीं किया है, तो सरकार, उपाध्यक्ष महोदय, आरोप लगाने वाली है, वह उसका उत्तर देता है तो उसका निर्णय कौन करे। निर्णय करते हैं, मंत्री महोदय। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के कई उदाहरण हमारे सामने आए हैं। एक पंचायत है, उसका इलेक्शन का इश्यू चल रहा है, एक व्यक्ति सरपंच का चुनाव जीत कर आया है, वह कम उम्र का है। पंचायत एक्ट में यह तय किया है कि यह व्यक्ति निर्णय करेगा। अब उस पर मुकदमा चल रहा है। हमारे जो मंत्री महोदय हैं उनके नीचे जो उपमंत्री जी हैं, वे उस मुकदमें को सुन रहे हैं। उनका फैसला हो जाय कि सरपंच हटा दिया जाय तो वह सरपंच हट जायगा। एक और अदालत मामलात तय करती है और इस पंचायत एक्ट के अन्दर राज्य सरकार ने

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

फैसला करने का अधिकार मिनिस्टर के लिए रखा है। तो माननीय मंत्रीजी की बात घटेगी नहीं, यदि जो जज नियुक्त किया है, जो जुडिशियल मामलों को समझता है, जिसमें जनता का विश्वास है, वह फैसला करता है। इसके साथ ही यह भी कर सकते हैं कि जितने दिन मुकद्दमा चले, उतने दिन वह सस्पेन्ड रहे, यह कर सकते हैं। वैसे तो जब तक चार्ज प्रूव न हो जाय, तब तक वह सस्पेन्ड रह सके। हमारे मंत्री महोदय हैं, लोकल बोडीज के सेक्रेटरी होंगे, लोकल सेल्फ मंत्री महोदय होंगे, उनके ऊपर इलेक्टेड रिप्रजेन्टेटिव को हटाने के लिए जिम्मेदारी है, वह भी तीन साल के लिए है। अब या तो वह हाईकोर्ट में जाय, अगर वह नहीं जाता है, तो फिर कोई चारा नहीं है, उसको कहां न्याय प्राप्त होगा। तो इस प्रकार इलेक्टेड बॉडी के साथ खिलवाड़ करने का अपने हाथ में अधिकार लेना चाहते हैं। मैं आपके सामने निवेदन करूं कि रतनगढ़ म्यूनीसिपेलिटी के केस में सरकार के मुंह पर एक उल्टा थप्पड़ पड़ा है क्योंकि हाईकोर्ट ने फैसला किया है कि उसको सेट असाइड कर दिया जाय। यह एक इलेक्टेड रिप्रजेन्टेटिव का मामला है, इस प्रकार के और भी अवसर देखने को मिलेंगे। ऐसे अवसर न मिलें इसलिए मैंने यह प्रोविजो एड करने के लिए अमेंन्डमेंट कर दिया है :

"Provided that before the removal of the Pradhan or Up-Pradhan, the State Government shall have to prove its charges before a Judge.

तो यह प्रोविजो मान लेते हैं तो इस धारा के अन्दर जो इस प्रकार की अप्रजातांत्रिक बात आई है, और प्रजातांत्रिक प्रणाली के अन्दर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई चार्ज लगाए जायें तो उसे न्यायाधीश के सामने प्रूव करने का चान्स मिल सकेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रोविजो को मंजूर कर लिया जाय तो समस्या का समाधान हो जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : Clause 32, 33 and 34......

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय..........

श्री उपाध्यक्ष : ३२ में आपका अमेंडमेंट है।

श्रीदामोदरलाल व्यास : जी हां। क्लॉज ३३ जो है वह है: Motion of No-confidence in Pradhan or Up Pradhan...

जो क्लॉज ३३ रखा गया है, इस बिल में जिस वजह से प्रोवीजन रखा गया है कि दो तिहाई मेजोरिटी से पास होना चाहिये उसका जो प्रोसीजर रखा गया है, प्रधान और उप-प्रधान के लिए वोट आफ नो कान्फीडेन्स के लिये वह इसलिये है कि पंचायत समिति कहीं पार्टीबाजी का अखाड़ा न बन जाय और मेम्बर इसी में लगे रहें कि एक को हटाये, दूसरे को बिठाये, दूसरे को हटाये और तीसरे को बिठाये। अगर इसी काम में लगे रहे तो जिस भावना से पंचायत समिति की स्थापना कर रहे हैं, वह खपत हो जायगी। इसलिए जो पंचायत समिति के प्रधान हैं, वे स्टेबल रह कर काम कर सकें और उन्हें यह खतरा न रहे और जोड़तोड़ बिठाते रहे कि मेरे साथ मेजोरिटी स्टेबल रहने के लिए

(श्री दामोदरलाल व्यास)

आवश्यक है और कम से कम दो तिहाई सदस्य वोट ऑफ नो कान्फीडेन्स न रख सकें। वोट ऑफ नो कान्फीडेन्स के लिए आपने देखा कि इसके लिए कलेक्टर रखा गया है, कलेक्टर मीटिंग होल्ड करेगा, मीटिंग को प्रिसाइड करेगा। वोट आफ नो कान्फीडेन्स का प्रस्ताव पास करेगा, उसके लिए सवाल यह है कि वोट आफ ना कान्फीडेन्स के लिए ५० प्रतिशत मेजोरिटी हो। माननीय सदस्य ने दो तिहाई दो तिहाई........नहीं, मेरे ख्याल से, फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बटा पांच मेजोरिटी रखी है, मेरे ख्याल से यह बहुत कम है। अगर इसे मान लिया जाय तो यह समस्या रह जायगी कि हर वक्त वोट आफ नो कान्फीडेन्स आते रहेंगे। श्री दयाकृष्ण विजय ने जो एमेन्डमेन्ट रखा है वह एक एक बटा तीन का रखा है, उसको मैं मंजूर करता हूं। बजाय ५० परसेन्ट के एक बटा तीन कर दिया जाय। या मोशन आफ नो कान्फीडेन्स के लिए requisite number of majority for tabling a motion—This number is reduced to 1/3rd. इसके अलावा जो अमेंडमेंट पेश किये हैं, कि ३० के बजाय २० डेज कर दिये जायें, १५ दिन के बजाय १० दिन कर दिये जायं। मैं समझता हूँ यह उपयुक्त नहीं है। हमें सफीसियेन्ट टाइम देना पड़ेगा। हमने कलेक्टर को आथोरिटी रखा है तो कलेक्टर के पास वोट आफ नो कान्फीडेन्स पेश करना पड़ेगा। उसके बाद १५ दिन देना जरूरी है। यह काफी इम्पोर्टेन्ट मीटिंग होगी। अगर इसके नोटिस वगैरह के टाइम को रिड्यूस करेंगे तो ठीक नहीं होगा। इसलिए एक अमेंडमेंट के सिवाय और अमेंडमेंट मैं स्वीकार नहीं करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ३५ में यह प्रोवीजन है कि प्रधान और उप-प्रधान को गवर्नमेंट हटा सकती है फार सर्टेन रीज़न्स। इसके लिये जनसंघ से आये हुए दो माननीय सदस्यों ने पुरजोर विरोध किया, उन्होंने इतना विरोध किया लेकिन उसका कोई आल्टरनेटिव सजेस्ट नहीं किया है। अगर कोई मिस-कन्डक्ट करे, वे कहते हैं कि मिस कन्डक्ट को डिफाइन नहीं किया है, मैं उनकी जानकारी के लिए कह सकता हूँ Misconduct is well defined. इसकी अलग अलग डेफीनेशन देना आवश्यक नहीं। मिस-कन्डक्ट आज तक काफी डिफाइन किया गया है, हाई कोर्ट ने अलग इन्टरप्रेट किया है कई फैसलों में, इसलिए इसके अलग अलग इन्टरप्रिटेशन की जरूरत नहीं है। अगर यह मान लिया जाय कि इस प्रोवीजन को रखने की आवश्यता नहीं है, तो मतलब यह होगा कि पंचायत समिति, जिसके डिस्पोजल पर पांच, सात लाख के फन्ड्स होंगे उसके प्रधान और उप-प्रधान होंगे वे मिस-कन्डक्ट करें, जो विलफुल एक्ट के तहत में कार्यवाही करनी चाहिये, वह न करें, जो डाइरेक्शन हैं, उनके अनुसार काम करें या न करें The word 'wilfully' is here. यह नहीं कि उन्हें हुक्म दे दिया तो उसकी तामील न करें। जो विलफुल हुक्म दिया है..

श्री पी० के० चौधरी: डाइरेक्शन्स विलफुली देंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास: That is for you to understand. I say his disobedience should be wilful......... क्लॉज़ ३४ है, इसको आप पढ़ेंगे तो इसमें साफ लिखा है: "If in the opinion of

(श्री दामोदरलाल व्यास)

the State, Government, Pradhan Up-pradhan of a Panchayat Samiti wilfully omits or refuses to carry out. The wilfully is here.

श्री पी॰ के॰ चौधरी : (अश्रव्य)

श्री दामोदरलाल व्यास : You always think like that. अगर माननीय सदस्य की बात मान ली जाय कि मिस कंडक्ट के लिए हटाया नहीं जा सकता। तो विलफुल एक्ट में कुछ आब्लीगेशन्स और ड्यूटीज हैं, उनको करें या न करें...

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : मैंने जो संशोधन पेश किया है, आब्लीगेशन्स, ड्यूटीज विलफुल एक्ट का कोई जिक्र नहीं है। मैंने साफ किया है।

Delete the words 'omits or refuses to carry out the orders of the State Government for the proper working of the Panchayat Samiti or'...

These orders may be aginst the rules...

श्री दामोदरलाल व्यास : That's right. But for the proper working of the Panchayat Samiti...

इसका मतलब यह है कि इस एक्ट के तहत जो ड्यूटीज उनके ऊपर इम्पोज की गई हैं, पंचायत समिति के प्रधान और उप-प्रधान के ऊपर, वे विलफुली करें, और अगर नहीं करते हैं, बावजूद इसके कि गवर्नमेंट उनको इन्सट्रक्शन देती है; डाइरेक्शन देती है then ofcourse action will be taken against him if he is guilty of gross misconduct then... वह पीछे रहता है, वह ऊपर रहता है, उस विलफुल एक्ट में।

It is a matter of interpretation. In fact if in the opinion of the State Government the Pradhan or Up-pradhan of a Panchayat Samiti wlifully omits or refuses to carry out the orders of the State Government.

४ म. प.

तो आपको एतराज किस बात पर है कि स्टेट गवर्नमेंट को कोई पावर्स नहीं होने चाहिए, पंचायत समिति के प्रधान या उप-प्रधान को हटाने का स्टेट गवर्नमेंट को कोई पावर नहीं होना चाहिए, एक आध उदाहरण इधर उधर के पेश करना चाहते हैं। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, यही निवेदन करूंगा कि यदि कहीं ऐसा खयाल किया जाय कि गलत एक्शन लिया गया है तो हाई कोर्ट में जा कर उस आर्डर को कॉन्स्टीट्यूशनली इन्वेलिड करार दिलाया जा सकता है, किसी के साथ यह खयाल किया जाय कि ग्रेव अन्जस्टिस किया गया है तो इसके लिए हाई कोर्ट में जा सकते हैं। जहाँ जहाँ पचायत समितियाँ बनी हैं तो वहां प्रधान और उप-प्रधान के रिमूवल के इस तरह के पॉवर हैं....

श्री भैरोंसिंह : म्युनिसिपैलिटीज के कानून में नहीं है,....

श्री दामोदरलाल व्यास : म्युनिसिपैलिटीज के बिल में नहीं है ?

श्री भैरोसिंह : नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मेहता कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए।

श्री भैरोंसिंह : म्युनिसिपैलिटीज एक्ट असेम्बली ने पास किया है, उसमें नहीं है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : नहीं है तो रहना चाहिए, मैं सम्बन्धित मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उसको सदन में वापिस ला कर यह रखें ।

आपने अच्छा किया कि याद दिला दिया ।

(हंसी)

पंचायत समिति के लिए तो बनाया है, जो ला बनाया जारहा है तो इस प्रकार का प्रावधान रखा है कि प्रधान, उपप्रधान को गवर्नमेंट सस्पेन्ड कर सकती है इस प्रकार का प्रावधान रखा है । स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में इस प्रकार का पॉवर न दे कर यह रखा जाय कि जूडिशियल ऑथेरिटी के पास भेज दिया जाय तो इधर प्रधान और उप-प्रधान मिस्कन्डक्ट करते रहेंगे और सेक्शन ६२ में स्टेट गवर्नमेंट दावा करती फिरती रहेगी । मिस्कन्डक्ट में डिफाल्केशन, मिस्मेनेजमेंट, और मिएप्रोप्रियेशन भी आते हैं, तो ऐसे ग्रेव चार्जेज पर गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले और वे लोग मिस्कन्डक्ट करते रहें तो यह उचित नहीं होगा । यहां भी प्रधान, उप-प्रधान से एक्स्प्लेनेशन ले कर जिला परिषद से कन्सल्ट करने पर स्टेट गवर्नमेंट एक्शन लेगी इससे ज्यादा और सेफगार्ड और क्या हो सकती है ।

माननीय सदस्य ने कहा कि म्युनिसिपेलिटीज के मेम्बर्स के रिमूवल का प्रोविजन नहीं है, मैं आपकी तवज्जो सेक्शन ६३ की तरफ दिलाना चाहता हूँ । पार्ट बी० और डी को देखेंगे : "when guilty of any disgraceful conduct,"

श्री भैरोंसिंह : इसमें कहीं नहीं है कि सरकार हुक्म दे, उसकी तामील नहीं करे तो उसे हटा दे ।

श्री दामोदरलाल व्यास : Municipality includes the Chairman of the Municipality.

श्री पी० के० चौधरी : इसमें यह कहा गया है । that Municipality includes the Chairman of the Municipality ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Municipality includes all members including the Chairman of the Municipality,

तो मैं आप से अर्ज कर रहा था कि इस प्रकार का प्रोविजन सब जगह मिलेगा और रखना जरूरी है । अगर आप चाहते हैं कि कॉन्स्टीट्यूशन के माफिक प्रधान, उप-प्रधान को काम करना चाहिए, जो प्रॉपर्टी उनको सौंपी जाय, तरीके से खर्च करनी चाहिए, मिसएप्रोप्रियेट नहीं होनी चाहिए, मिस्कन्डक्ट नहीं होना चाहिए । अगर मिस्कन्डक्ट हो तो गवर्नमेंट को पॉवर होने चाहिए उनको रिमूव कर दे । ग्रेव चार्जेज हों तो मैं तो यह चाहता था कि दो चुनावों के लिए रिमूव किया जाय पर सेलेक्ट कमेटी ने ३ साल का किया है तो उसी तरह पास करने के लिए अर्ज करूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : क्लॉज ३१ । प्रश्न यह है कि श्री रामप्रसाद लड्ढा ने जो संशोधन क्लॉज ३१ पर रखा है उसे स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

Page No 92

(श्री उपाध्यक्ष)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज ३१ संशोधित रूप में स्वीकार की जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज ३१ संशोधित रूप से स्वीकार किया गया।

क्लॉज ३२।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज ३२ पर श्री दामोदरलाल व्यास ने प्रस्तुत किया है, स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज ३२ संशोधित रूप में स्वीकार की जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज ३२ संशोधित रूप से स्वीकार की गई।

क्लॉज ३३, श्री पी० के० चौधरी।

श्री पी० के० चौधरी : I beg leave of the House to withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री पी० के० चौधरी ने क्लॉज ३३ पर जो संशोधन रखा है, उन्हें वापिस लेने की अनुमति दी जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री पी० के० चौधरी : I withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

प्रश्न यह है कि क्लॉज ३३ पर सीरियल नं० १४२ के वन पार्ट में श्री दयाकृष्ण विजय ने प्रस्तुत किया है संशोधन उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री दयाकृष्ण विजय ने क्लॉज ३३ पर रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज ३३ पर श्री दामोदरलाल व्यास ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया जाय।

प्रश्न यह है कि क्लॉज ३३ संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज ३३ संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

Page No 93

क्लॉज ३४

श्री रामप्रसाद लड्ढा : I beg leave of the House to withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज ३४ पर श्री रामप्रसाद लड्ढा ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसे वापिस लेने की उन्हें आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : I withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह। प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री भैरोंसिंह ने क्लॉज ३४ पर रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री जगदीशप्रसाद माथुर ने क्लॉज ३४ पर रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

प्रश्न यह है कि क्लाज ३४ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज ३४ स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि क्लाज ३४-ए स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज ३४-ए स्वीकार किया गया।

क्लॉज ३५

श्री पी० के० चौधरी।

श्री पी० के० चौधरी : I move only one amendment at No. 152.

उपाध्यक्ष महोदय, In clause 35 "sub-clause (5) delete the words "but shall...... vote" and add the words "Collector" between the words "officer" and "shall" उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज ३५ जिला बोर्ड के कम्पोजिशन का है। आपने इसके सब-क्लॉज ५ पर लिखा है "(5) The District Development Officer shall be an ex-officio member of the Zila Parishad but shall have no right to vote."

मेरा अमेन्डमेंट है कि District Development officer, Collector shall be an ex-officio member of the Zila Parishad, and for omission of words "but shall have no right to vote" उपाध्यक्ष महोदय, आजकल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर और कलेक्टर हमारे राजस्थान में दोनों एक ही हैं और इस बिल में हम देखते हैं कि इसमें डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर को अलग से पॉवर दिये गये हैं और कलेक्टर को अलग पॉवर दिये गये हैं। तो वेदर गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर को अलग करेगी और कलेक्टर को अलग रखेगी। मेरे

(श्री पी० के० चौधरी)

खयाल से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर का कोऑर्डीनेशन ज्यादा कलेक्टर से हो सकता है। इसलिये फ्यूचर सेट अप में दोनों ही रहेंगे, इसलिये मैंने अपना अमेंडमेंट दिया है "Add Collector" between the words "officer" and "shall" जिला परिषद् में वह सदस्य होगा और उसको राइट ऑफ वोट नहीं रहेगा। मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया कि नॉन वोटिंग मेम्बर नहीं होना चाहिये, इसके लिये पहले मैंने राय दी थी और कारण भी बताये थे। कलेक्टर जिला परिषद् का सदस्य रहे। उसके बाद उसकी डिसिजन की रेस्पोन्सीबिलिटी है and in all he shares the responsibility यह पोजिशन मुझे ठीक नहीं लगती है और जहां भी देखा गया है कि हम किसी को कमेटी का सदस्य मानते हैं और उसको एग्जेम्शन दे देते हैं कि वह वोट नहीं दे सकता that is not correct. तो उस हालत में उस सदस्य का एटीट्यूड इर्रेस्पोन्सिबल होता है और जब उसका एटीट्यूड इर्रेस्पोन्सिबल हो जाता है तो ऐसा सदस्य कोई भी अपनी राय दे सकता है क्योंकि वह जानता है कि अगर उसकी राय मंजूर हो जाती है तो भी उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है और नामंजूर होती है तो भी उसकी कोई रेस्पोन्सिबिलिटी नहीं है। मैं समझता हूं कि ऐसी पोजिशन में उसे सदस्य नहीं रखना चाहिये।

जिन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसरों को आप कमेटी के सदस्य मानते हैं उनको फुल फ्लैज्ड सदस्य मान कर चलना चाहिये He is a full fledged member. फुल फ्लैज्ड सदस्य जो होते हैं उनकी वोटिंग राइट्स होने चाहिये He must shoulder full responsibility for decisions taken. आज ऐसी भी पोजिशन आ सकती है, इसलिये डेवलपमेंट हो सकता है कि ज़िला परिषद में ऐसे विषय हो जो कन्ट्रोवर्सियल हो जिसमें ज़िला परिषद ने निर्णय लिया और जो अगेन्स्ट सदस्य हैं against the accepted policy of the State Government, he will have to cast his vote in a particular way. कि आपके डेवलपमेंट ऑफिसर के होते हुए भी उनकी पोजिशन यह रहती है कि मुझे वोटिंग राइट नहीं है। अगर उनको वोटिंग राइट दिया जाता है तो he must cast his vote in a particular fashion. उनका इन्फ्लूएन्स रहता है और वे अपनी ज़िला परिषद् में जिम्मेदारी को भी फील करेंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर को फुलफ्लैज्ड सदस्य रहना चाहिये और अगर उसको नहीं रखते हैं फुल फ्लैज्ड सदस्य तो मैं यह निवेदन करूंगा कि एस ए नोन मैम्बर उसको रखना नहीं चाहिये। जैसे पंचायत समिति में आपने अन्डर क्लॉज २३ एलाउ किया है कि दूसरे सदस्य—full right of vote का उनको हक नहीं है। उसको मैम्बर की हैसियत से एलाउ करते हैं तो उसको वोट का अधिकार होना चाहिये, He must have full right of vote. और मेरा अमेन्डमेंट है। मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री महोदय, मिनिस्टर इन्चार्ज ऑफ दि बिल इसको मंजूर करेंगे।

डॉ० बहादुर सिंह (धौलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, धारा ३५ पर मेरा संशोधन है [Add the following new part:—(ia) the chairman of all municipalities in the district.] और जिस प्रकार वह सबक्युलेट

(डॉ० बहादुरसिंह)

हुआ है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी म्यूनिसिपेलिटी उस क्षेत्र में होंगी उसके चेअरमैन भी ज़िला परिषद् के सदस्य होंगे। इसके अलावा दूसरे छोटे छोटे संशोधन हैं उनके बारे में बाद में बोलूंगा।

हम ज़िला परिषद् बनाने जाते हैं और ज़िला परिषद् का कार्य जितनी भी पंचायत समितियां हैं उनके कार्य को समन्वय करना है। हमें यह देखना है कि राजस्थान में कितनी म्युनिसिपेलिटीज हैं जो एक डिस्ट्रिक्ट के बराबर जैसे आपकी जयपुर शहर की म्युनिसिपेलिटी है, आपकी जोधपुर, बीकानेर की है। दो चार जगह ऐसी हैं जिसकी बड़ी बड़ी म्युनिसिपेलिटीज हैं और जिनको हम बड़ी म्युनिसिपेलिटीज कह सकते हैं लेकिन जहां छोटी छोटी म्युनिसिपेलिटीज हैं जहां ५० हजार से कम आबादी है या मान लें कि ५० हजार से ज्यादा हो। म्युनिसिपल चेअरमैन हो उसको जिला परिषद् में बैठने की इजाजत होनी चाहिये, एक सदस्य की हैसियत से। जिले का विकास तभी हो सकता है जब सारे लोग जिला परिषद् में विराजमान हो। इसलिए मैं समझता हूं कि यह जो संशोधन है सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक जिले में ५ या ६ म्युनिसिपेलिटीज हो सकती हैं। इसलिए इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है इसलिए मेरा यह संशोधन जो है बहुत महत्वपूर्ण है।

अब स्टेट कौंसिल को लोक सभा और राज्य सभा ब्रेकेट में लाने के लिए लोक सभा और राज्य सभा ने अंग्रेजी में रखा है और इसको अपना लिया है और यह कॉन्स्टीट्यूशन में परिवर्तन नहीं होने के कारण है यह रखा है। अब लोक सभा और राज्य सभा को ब्रेकेट में अंकित कर दिया है।

तीसरी बात दो की जगह एक व्यक्ति रखने के लिए है। जिला परिषद् में काफी संख्या में लोग होंगे। तमाम विधान सभा के सदस्य और मेरे सुझाव के अनुसार म्युनिसिपेलिटीज के चेयरमैन होंगे तो काफी संख्या में लोग बढ़ जाते हैं। इतने आदमियों के होते हुए भी उनमें विशेष एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी के सदस्य न मिले ऐसी सम्भावना मुझे नजर नहीं आती है। ऐसी हालत में कोई विशेष व्यक्ति रह जावेगा तो मैं समझता हूं कि सारे जिले में एक रह जावेगा। अगर वह देहात का रहने वाला है तो कोऑप्शन होकर पंचायत समिति का सभापति होकर जिला परिषद् में आ जावेगा। अगर वह अच्छा कार्यकर्ता है तो वह विधान सभा का सदस्य होगा या राज्य सभा का सदस्य होगा। इस प्रकार जितने भी राजनैतिक कार्यकर्ता हैं सभी जिला परिषद् में उपस्थित हो जाते हैं। अगर कोई एकआध रह जाता है तो उसके लिए एक स्थान रखा जावे। मैं इन शब्दों के साथ अपना अमेन्डमेंट प्रस्तुत करता हूँ और मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि नगर पालिका के बारे में क्या नीति निर्धारित करनी चाहिए। यह मेरा सुझाव है।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज ३५, जिस तरह से क्लॉज ६ बहुत महत्वपूर्ण थी उसी तरह से क्लॉज ३५ भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें जिस तरह धारा ६ में पंचायत समितियों का गठन है उसी तरह इस धारा में जिला परिषदों के गठन के बारे में विचार किया जाने को

(श्री दयाकृष्ण विजय)

है। मैं इस को यहां रखना चाहता हूँ कि प्रारम्भ में पंचायत समितियों के गठन के समय कुछ लोगों ने यह विचार व्यक्त किया था कि पंचायतों के द्वारा चुने हुए व्यक्ति उसमें आने चाहिये। मैंने इस बात की असलियत को समझा कि हमारी योजना का काम सरपंच के द्वारा चलने वाला है। अगर सरपंच के और उनकी कार्यकारिणी में मतभेद हो जाए, जो हो सकता है तो पंचायत तो जिला परिषद् में जावेगी। लेकिन जिला परिषद् का कर्तव्य है, वह निरीक्षण करना है, सुझाव देना है। किसी काम को क्रियान्वित करने का नहीं है। ऐसी हालत में जिनके हाथों में आप एडवाइज का पॉवर और सुपरविजन का पॉवर देना चाहते हैं तो मैं यह निवेदन करूंगा कि फिर वह निरीक्षण किसका करेंगे। यदि उन्होंने अपना कर्तव्य का निरीक्षण करना चाहा तो जो गलतियां कर चुके हैं वे जिला परिषद् में आकर अपनी गलतियों को दबाने की ही चेष्टा करेंगे। वहां पर यह लेकुना रह जावेगा कि वे लोग आपस में एक गुटबन्दी बनावेंगे, एक दूसरे की गलतियां हैं, एक कहेगा कि मेरी तू मत कहना और दूसरा कहेगा कि तू मेरी मत कहना, इस तरह की गुटबन्दी वहां हो जावेगी। इसमें निरीक्षण करने वाले व्यक्ति वे ही रखे गये हैं जो कि पंचायत समितियों के प्रधान हैं। अब वे जिला परिषद् में क्या निरीक्षण करेंगे। पंचायत समितियों में प्रधान आते हैं वे ग्राम पंचायतों से अपना सम्बन्ध तोड़ लेते हैं वहां की जनतासे भी उनका सम्पर्क और सम्बन्ध टूट जाता है तो वहां के विकास के कार्यों में और अन्य कार्यों में जो उनका उत्तरदायित्व है पंचों के प्रति और जनता के प्रति वह उत्तरदायित्व नहीं रहता है और वे उस उत्तरदायित्व से हट जाते हैं, उनका वह उत्तरदायित्व खत्म हो जाता है। वे केवल अपने ही क्षेत्र का ज्यादा ध्यान रखेंगे। इसलिए कि हर पंचायत का प्रतिनिधित्व होता है यह महसूस होने लगता है और जब जिला परिषद् में पहुँचते हैं वहां तहसील के प्रति ही उत्तरदायी रह कर उसका उत्तरदायित्व ग्राम पंचायतों और पंचों तक नहीं रहता है इसलिए उसका उत्तरदायित्व हर ग्राम पंचायत और हर पंच के प्रति रहे ताकि उसको ध्यान बना रहे, उसके दिमाग में यह बराबर रहे कि यदि मेरे खराबी आ गई तो अमुक पंच मुझे वोट नहीं देगा, नाराज हो जावेगा, उस पंच की बात को नहीं माना तो उसको वोट मिलेगा भी नहीं। इसलिये इसका एक इलेक्टोरल कालेज बनावें, वे पंच मिलकर वहां से जिला परिषद् में व्यक्ति भेजें। इससे यह होगा कि निरीक्षण करने वाले दूसरे व्यक्ति होंगे और उसमें जितने पंच हैं उनका भी उसके प्रति विश्वास होगा और तीसरी बात इससे यह होगी कि जितने छोटे २ गांव हैं, ग्राम पंचायतें हैं उनके प्रति वे रेस्पोन्सिबल रहेंगे। क्योंकि वे जानते हैं कि जिन व्यक्तियों ने चुना है उनके प्रति जिम्मेदारी निभाना जरूरी हो जाता है। इसलिये यहां जो प्रोसीजर रखा गया है कि जो प्रधान होंगे वे जिला परिषद् बनावेंगे यह उचित तरीका नहीं दिखाई देता है। उसका कारण मैंने प्रारम्भ में ही कह दिया था कि जिला परिषद् में जो लोग आवेंगे वह गांव के प्रति रेस्पोन्सिबिलटी लेकर तो आवेंगे लेकिन वे केवल जिम्मेदार रहेंगे अपनी तहसीलों तक ही। चूंकि वे ऐसे चुने हुए व्यक्ति होने चाहिये जो कि ग्रामों की कमियों को जिला परिषद् में रखें, उस तक पहुंचाये, इसलिये जिला परिषद् में आकर इस सिस्टम को बदल दें जो कि

(श्री दयाकृष्ण विजय)

पंचायत समिति के लिए रखा है। उसके बजाय दूसरा सिस्टम रखा जावे। पंचायत के जितने पंच हैं उनका एक इलेक्टोरल बन जाय, वहां पर गांव गांव से चुने हुए आदमी पहुँचेंगे, उनकी आवाज को लेकर जिला परिषद् में जावेंगे जिससे कि प्रधान और उप-प्रधान ने जो काम किए हैं पंचायत समितियों में उनको वे वहां रख सकें, उनकी अच्छाई या बुराई बता सके। अच्छाई है प्रधान और उप-प्रधान की तो वह तो राइटिंग में भी जिला परिषद् में पहुँचा सकते हैं और इस बिल में भी लिखा है, यदि गलती नहीं करता हूं तो, कि पंचायत समिति द्वारा जो रिजोल्यूशन लिया जावेगा उसकी एक कापी स्टेट गवर्नमेंट और जिलापरिषद् को भेजी जावेगी। जब कि हर सूचना जिला परिषद् के पास जावेगी और सरकार के पास रहेगी तो फिर जिला परिषद् में उसके प्रधान और उप प्रधान जाकर क्या काम करेंगे। इस लिए सुपरविजन के लिए तो दूसरे ही आदमी होने चाहिए जो प्रधान और उप प्रधान हैं वह यदि जिला परिषद् को और स्टेट गवर्नमेंट को सूचना देता है तो अपनी खराबियों को तो नहीं बता सकता और उनकी खराबियों को बताने वाले तो दूसरे आदमी ही हो सकते हैं। इस प्रोजिसर से, जिसको सर्वोदयी प्रोसिजर कह सकते हैं, तो ऐसे लोग आते रहे रहेंगे जो कि जनता की आवाज को वहां तक पहुंचाने वाले नहीं रहेंगे। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि जिला परिषद् में ऐसे लोग रहने चाहिए जो कि जनता के प्रति उत्तरदायी हों, ग्राम पंचायतों के प्रति उत्तरदायी हो और जो उनकी आवाज को जिला परिषद् में पहुँचा सके। इसलिए मैंने संशोधन दिया है वह इस प्रकार है :

One member from each Panchayat Samiti of the District, elected by the electoral college of all the Panchas of Gram Panchayats, existing in that Panchayet Samiti."

इस तरीके से सारी पंचायतों से, उस जिला परिषद् में उसका प्रतिनिधित्व हो जाता है क्योंकि कोई बाकी नहीं रहता है हर एक पंचायत समिति के पंच अपना एक व्यक्ति भेजेंगे। उस पंचायत समिति की ओर से प्रतिनिधि तो खराबी का निरीक्षण नहीं कर सकते, केवल तारीफ करने वाले ही वहां आवेंगे, पंचायत समिति का प्रधान आवेगा वह अपनी तारीफ और गुण गावेगा, यदि निरीक्षण करने वाली जिला परिषद् को एक अधिकृत संस्था बनाना चाहते हैं तो उस व्यक्ति को वहां नहीं रहना चाहिए जो कि पंचायत समिति का प्रधान है या उसमें काम करता है, बल्कि दूसरा व्यक्ति ही होना चाहिए तब ही जाकर जिला परिषद् के जो फंक्शन्स हैं वे पूरी तरह से निभाए जा सकते हैं। वरना ऐसी बात को कहीं भी किसी विधान में देखने को नहीं मिलती कि जो आम काम करता है वह आगे जाकर दूसरी संस्था में भी अपने किए हुए कामों का निरीक्षण करें। वास्तव में उसके लिए तो दूसरे ही व्यक्ति होने चाहिए और वे हर पंच के कान्फिडेन्स वाले होने चाहिए। ताकि जिला परिषद् में जाकर पंचायत समितियों की और प्रधानों और उप-प्रधानों की अच्छाइयों और बुराइयों को रख सकें। मैं समझता हूं कि यह प्रस्ताव मेरा काफी वजनदार है और आशा करता हूं कि इसको स्वीकार किया जावेगा।

मैं अब इसके कॉन्स्टिट्यूशन की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। इसमें कोऑप्शन की बात रखी है। जहां तक जन जाती,

(श्री दयाकृष्ण विजय)

परिगणित जाति और महिलाओं केकोऑप्शन का सवाल है मैं उसका विरोध नहीं करता हूं, उनको विकास का अवसर जब तक कि हमारे संविधान में अधिकार दिया गया है उनको मिलना ही चाहिए। लेकिन उनके अलावा दो व्यक्ति और उनमें रखे जायं यह बात कोई समझ में नहीं आती है। विधान सभा के सदस्य जब जिला परिषदों में पहुंच जाते हैं फिर ऐसे कौन से व्यक्ति बाकी बच रह जाते हैं जिनको कि वहाँ लाया जाना आवश्यक है। सारी ग्राम पंचायतों से, सारी पंचायत समितियों से चुने हुए व्यक्ति जिला परिषद् में पहुंच गए जिनके प्रति पंच और जनता का विश्वास है, विधान सभा के सदस्य भी वहां पहुंच गए, उनमें महिलाओं का भी उचित प्रतिनिधित्व है, जन जाति और परिगणित जाति का भी है, फिर भी दो व्यक्तियों को रखा है यह बात समझ में नहीं आती है। विरोधियों और लोगों को इससे खुश करने का ही यह मौका हो सकता है। मैं इसका समर्थन किसी प्रकार नहीं कर सकता। सब क्लॉज ४ के पार्ट ई में इसको नहीं रखना चाहिए और हटा देना चाहिये। [Delete part (e) of sub-clause (4) of clause.]

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज ३५ में मेरा संशोधन इस प्रकार है। इसमें एक संशोधन मेरे पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्य ने कर दिया है उसका कुछ हिस्सा मेरे संशोधन में रह जाता है उसकी दो लाइन में मूव कर देता हूं according to principle of proportional representation by means of single transferable vote.

आगे जो मेरा संशोधन है वह दूसरा संशोधन है Add at the end of part (iv) the words "who shall be an ex officio member of the Zila parishad but shall not have any right to vote."

2. Sub-clause (4), part (e) be deleted.

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पहले वाले संशोधन के सम्बन्ध में मेरे से पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्य ने सदनके सामने अपनेविचार व्यक्त कर दिये हैं। उनके विचारों के साथ-साथ मैंने जो अपना संशोधन मूव किया है उस संशोधन का अर्थ होगा जिला परिषद् में जो सदस्य चुनकर आयेंगे उनके संशोधन के अनुसार उनका चुनाव प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन के बेसिस पर होगा। यह संशोधन मैंने इसलिये मूव किया है, जहां तक ग्राम पंचायतों के सरपंचों का इलेक्शन होता है वह इलेक्शन डायरेक्ट होता है। और जब डाइरेक्ट इलेक्शन से पंचायत समितियों का निर्माण होता है तो वैसी हालत में ग्राम पंचायतों के जो सरपंच होंगे वे पंचायत समिति के सदस्य होंगे। अब हमें इस मुद्दे पर विचार करना है जो इलेक्टड मेम्बर्स ऊपर जाते हैं उनका सम्बन्ध डायरेक्टली कितना जनता से होता है। कोई भी इन्स्टीच्यूशन्स आप बनायें हैं हमें इस मुद्दे को स्वीकार करना होगा कि उनके प्रोपर वर्किंग के लिये लोगों के माइन्ड को प्रोपरली अन्डरस्टेण्ड किया जाय इसकी आवश्यकता रहती है। जितने भी लोग डायरेक्टली इलेक्टेड होकर जाते हैं निश्चित रूप से उनकी ज्यादा अपने इक्लक्टोरेट्स के प्रति सहानुभूति रहती हैं। इसमें जैसी कि हमने व्यवस्था कर दी है पंचायत समिति का जो प्रधान होगा वह जिला परिषद् का सदस्य होगा। इसका मतलब यह

(श्री भैरोंसिंह)

हुआ कि पंचायत समिति का प्रधान होना एक प्रमुख बात है। इसलिये मुख्य बात जो उनके सामने रहेगी वह रहेगी प्रधान बनने की। अब यह देखना है कि प्रधान कौन बना सकता है उसके लिये पंचायतसमिति के सदस्य ग्राम पंचायतों के सरपंच जो होंगे उन्हीं के वोट्स पर प्रधान चुना जायगा। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि पंचायत समिति का प्रधान जिला परिषद् का सदस्य वही बनसकेगा जिसको ज्यादा से ज्यादा पंचायत समितियों के सदस्यों और सरपंचों का समर्थन हो क्योंकि आखिर हम सब विकास के कार्य उन्हीं के हाथ में सौंपने जा रहे हैं उसमें जिला परिषद् का केवल काम यह रहेगा, वह जिला परिषद् जिले के कार्य के लिये एक तरफ तो सरकार को सलाह देगी पंचायत समिति को सलाह देगी इस तरह से कोऑर्डिनेशन का काम है वह जिला परिषद् के हाथ में रहेगा। वहां पर केवल रिप्रेजेन्टेशन का दृष्टिकोण नहीं। एक पंचायत समिति ग्राम पंचायत का रिप्रेजेन्टेशन नहीं कर सकती वैसी हालत में यह देखना है कि उसके दिमाग में जो प्रधान बनता है उसके दिमाग में यह भावना रहेगी कि अमुक पंचायत समिति का रिप्रेजेन्टेशन करना है। अगर यह भावना रही तो वह किसी प्रकार भी कोऑप्शन में नहीं आयगा वैसी हालत में पंचायत समितियों के विकास के काम में ज्यादा खींचातान होगी। इस खींचातान को ध्यान में रखते हुए एक पंचायत समिति से एक ही सदस्य जिला परिषद् में जाय। लेकिन वे जायें किस तरह से उसके लिए निवेदन है कि जितने भी पंच हैं। उनका एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाय उस इलेक्टोरल कॉलेज की लाइट में ही मैंने संशोधन मूव किया था और वह था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन का जो कि पूरा जिला परिषद्के इलेक्शन से सम्बन्धित था। इसलिए मैं आगे जो मेरा अमेन्डमेंट आता है इस पर निवेदन करूंगा। क्वश्चन इतना आता है उनके संशोधन के अन्त में मैं अपने संशोधन को जोड़ना चाहता था। मैंने यह समझकर यह पूरे जिला परिषद के इलेक्शन का सवाल था इसलिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन का रखा था इसलिये इस लाइट में कि यह अपने आप में कन्ट्राडिक्टरी है इसलिए मैं इसे पेश नहीं करना चाहता।

इलेक्टोरल कॉलेज के सम्बन्ध में जितनी ग्राम पंचायत हैं उन पंचों का इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा। वह इलेक्टोरल कालेज बनता है इसका मतलब यह हुआ कि ग्राम पंचायत के सरपंच जो पंचायत समिति के सदस्य हैं चुना हुआ प्रधान है तो वह डायरेक्टली तो नहीं होगा उसका चुनाव जितने भी ग्राम पंचायतों के पंच हैं उसको उनके सामने जाकर वोट लेना पड़ेगा उनसे जाकर वह वोट मांगता है वैसी हालत में जिला परिषद् का प्रधान हो या और कोई व्यक्ति वह भी जिला परिषद् का सदस्य बन सकता है। एक सरपंच जो कुछ ग्राम पंचायतों के लिये डिसीजन लेता है और वह मसला पंचायत समिति में रखा जाता है और उस पर पंचायत समिति इस प्रकार का डिसीजन लेती है या उनमें किसी प्रकार का मतभेद पैदा होता है वैसी हालत में वे सारी चीजें जिला परिषद् के सामने जाती हैं और उस पर जिला परिषद् एडवाइज करती है। जिला परिषद् और पंचायत समितियों का जो कम्पोजिशन है वह उसके दिमाग में एक चीज बैठी हुई है वह यह कि इस बारे में पंचायत समिति ने जो डिसीजन लिया है वह उचित है और उस

(श्री भैरोंसिंह)

पर विचार करने की आवश्यकता नहीं। जिला परिषद् ने इस प्रकार से एडवाइज किया तो उसका इम्पलीमेन्टेशन करना मुश्किल हो जायगा। अगर आप पंचायत समितियों के पंचों के लिए इलेक्टोरल कालेज बनाते हैं तो उससे चुनाव होता है चाहे उसमें किसी प्रकार के व्यूज का व्यक्ति जाय वह अपने तरीके से पंचायत समिति को एडवाइज करेगा। पिछले दो तीन वर्ष पहले हमने जिला बोर्ड का कानून बनाया था और पंचों का इलेक्टोरल कालेज बनाया था, वार्ड्स बनाये थे उस तरह से जिला बोर्ड के सदस्य उन पंचों से वोट लेकर आ गए थे। इसी तरह से हम इसका भी इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं और उनके द्वारा डायरेक्ट इलेक्शन की व्यवस्था करते हैं तो यह निश्चित और उचित व्यवस्था हो सकती है। दूसरा मेरा संशोधन है वह इस प्रकार से है:—

"The President of the Central Co-operative Bank in the district or where there is no such bank of the Central Co-operative Bank serving the district."

इसके बाद में मेरा अमेंडमेंट है इस प्रकार का जो सदस्य होगा वह मेम्बर हो सकता है लेकिन उसको वोट देने का अधिकार नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, वोट देने का अधिकार न हो इस बात को हम एक अहम मसले की तौर पर स्वीकार करते हैं। पंचायत समिति में विधान सभा का सदस्य एसोसियेट मेम्बर होगा लेकिन वह वोट नहीं दे सकेगा। वोट क्यों नही देंगे इस बारे में सदन में काफी विचार विनियम हुआ है। विधान सभा का सदस्य दूर बैठा बैठा एडवाइज करता रहेगा उनकी एडवाइज को माने या न माने 'मान न मान मैं तेरा मेहमान' इस तरह का विधान सभा के सदस्य को बनाया गया है पंचायत समिति में लेकर। लेकिन जब हमने पंचायत समिति में एसोसियेट मेम्बर को स्वीकार कर लिया है उसके लिए उसकी प्रेजेन्स आवश्यक है वह भी कुछ लिमिटेड वर्क्स के लिए है और उन लिमिटेड वर्क्स के लिए कुछ पॉवर्स को भी हमने लिमिट कर दिया है। अगर मेम्बर होने का खिताब कोई बड़ा खिताब है तो उस खिताब से हमारे विधान सभा के सदस्य को संजोया गया है और उससे प्रभावित करने की चेष्टा की गई है। आप भले ही आज इस बात को स्वीकार न करें लेकिन कुछ दिनों के बाद आप अपने आप महसूस करने लगेंगे, एसोसियेट मेम्बर होकर विधानसभा की सदस्यता को हमने कितना नीचे स्तर तक लाने की कोशिश की है। एसोसियेट मेम्बर होकर भी उसको मेम्बर के अधिकार नहीं रहेंगे उसके प्रति लोगों की तिरस्कार वृत्ति रहेगी। इस तिरस्कार वृत्ति से आप मजबूर होकर कुछ दिनों बाद यह कहने लगेंगे कि ऐसी पंचायत समितियों में हम कभी भी नहीं जायेंगे।

वहां पर इस प्रकार की स्थिति को हमने स्वयं ने निर्माण किया है तो इसका फल भी हम स्वयं भोगेंगे। पर प्रश्न यह पैदा नहीं होता। प्रश्न यह पैदा होता है कि जब एसोसियेट मेम्बर मानकर उनको वोट देने का आपने अधिकार नहीं दिया पर एडवाइज वे देते रहें। अब मैं पूछूँ सरकार से, विधान सभा का सदस्य एक एसोसियेट मेम्बर के नाते केवल एडवाइज देने को जा सकता है तो

(श्री भैरोंसिंह)

क्या कोऑपरेटिव बैंक की सर्विस करने वाला या रिप्रेजेन्टेटिव या डाइरेक्टर आदि जिन लोगों को हम कोऑप्ट किये जाने का प्रावधान रखते हैं उनको वोट देने का अगर अधिकार नहीं दिया जावे तो क्या वे एडवाइज नहीं करेंगे ?

वे इलेक्टेड नहीं हैं, बैंक के यूनियन के प्रतिनिधि होने के नाते पहुंच गये। वे इलेक्टेड किसी भी प्रकार से नहीं हैं और उनको सारे अधिकार जो जनता ने लोगों को चुनकर भेजा है इलेक्टेड प्रिन्सिपल को स्वीकार करके प्रतिनिधि माना है उसके बराबर ऐसे व्यक्तियों को आप अधिकार देना चाहते हैं जो अधिकार इलेक्शन के प्रिन्सिपल के अनुकूल कहीं फिट नहीं बैठता। हमने अधिकार दे दिये इलेक्टेट मेम्बर की हैसियत से आकर रहेंगे यह कौन सी नजीर है ?

एक तरफ इलेक्टेड मेम्बर हैं, जिनको जनता ने अपना प्रतिनिधि चुनकर यहां असेम्बली जैसी जगह पर भेजा है उनको वोट देने का अधिकार नहीं पर दूसरी तरफ एक कोऑपरेटिव बैंक का प्रतिनिधि आवेगा जो किसी भी रूप से इलेक्टेड नहीं है पर उसको आपने अधिकार दे दिया कि वे मेम्बर होंगे और वोट देने का भी उनको अधिकार होगा। मैं समझता हूं कि कोऑपरेटिव यूनियन जो बनती है उनका सर्विस का दृष्टिकोण रहता है। सेवा के साथ उनका कोई प्रोग्राम रखना है यूनिट को किसी प्रकार से एडवाइज करना है तो उनको स्वयं को वालन्टरी कान्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। पंचायतों में जाकर वे सलाह दें। जिस तरह पंचायतों को अधिकार दिये हैं उनसे सलाह लेने का अधिकार दिया जावे। पर हमने यहां पर वोट देने का अधिकार देकर इस सारी इलेक्टेड प्रणाली के ऊपर इसकी थियोरी पर इस प्रकार का गलेफ चढ़ाया है जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि इलेक्टेड का भी वही हाल है जो नोमिनेटेड सरकार की ओर से किया जाता है। इस पर्पज को लेकर मैंने अमेन्डमेन्ट मूव किया है।

तीसरा अमेंडमेंट है मेरा:-

"Two persons whose experience in administration, public life or rural development would be of benefit to the Zila Parishad."

अब ये दो मेम्बर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियेन्स के लिए आयेंगे। अब एडमिनिस्टेटिव एक्सपीरियेन्स से यदि यह तात्पर्य है कि पेन्शनर्स जितने भी हैं या जो सर्विस छोड़ कर आये हैं कुछ दिनों का एडमिनिस्ट्रेशन का अनुभव अपने हाथ में रखे हुए हैं तो उन लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियेन्स के नाम पर कोऑप्ट किया जा सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, आपकी यदि आज्ञा हो तो मैं एक लाइन एक अमेंडमेंट की जो आगे वाला है जिसको मैं समझता हूं कि सरकारी अमेन्डमेंट यदि कहा जावे तो ज्यादती नहीं होगी, उसमें लिखा है :

"Provided that in case of dispute whether any person co-opted under this sub-section has experience in administration, public life or rural development benefical to the Zila Parishad or not, the decision of the State Government will be final."

(श्री भैरोंसिंह)

मैं ऐसा समझता हूँ कि जिस प्रकार का संशोधन स्वीकार करने का ट्रेन्ड अब तक हमारे सामने आया है उस दृष्टि से ऐसा समझकर चलना चाहिये कि यह संशोधन भी सरकार की ओर से मूव करवाया गया है और शायद यह स्वीकार होगा। अब उस स्थिति में यदि हम इस क्लॉज़ का विचार करें तो इसका मतलब यह है कि जो अपोइन्ट-मेंट का अधिकार सरकार देना चाहती है जिला परिषद् को, उसको भी सरकार अपने हाथ में लेना चाहती है। यदि सरकार की मर्जी के विरुद्ध किसी को कोऑप्ट कर लिया गया है तो डिस्प्यूट खड़ा किया जा सकेगा। अब डिस्प्यूट कैसे खड़ा होगा यह मैं बताता हूँ। कोई भी डिस्प्यूट खड़ा कर सकता है कि जिसको हमने कोऑप्ट किया है वह एड-मिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियेन्स का नहीं है। अब ऐतराज खड़ा कर दिया। बदकिस्मती से जिला परिषद् कहीं ऐसी बनती है कि जो सरकार की इच्छाओं के विपरीत है या यों कहिये कि जो सरकार जिस दल की है उसके विपरीत दल की जिला परिषद् अगर बन जावे और उसने अपनी परिषद् के अन्दर किन्हीं दो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्स-पीरियेन्स के आदमी को कोऑप्ट कर लिया अब इसके बादमें किसीकोडिस्प्यू खड़ा करदिया कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियेन्स के आदमी नहीं है और वह डिस्प्यूट सरकार के पास गया तो चूँकि वे दो आदमी सरकार के पक्ष के या सरकार के दल के नहीं होंगे तो सरकार ने फाइनल आर्डर दे दिये कि ये आदमी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियेन्स के नहीं है तो इसका मतलब यह हुआ कि बैकडोर से सरकार अपने दल के अपनी पार्टी के दो आदमी भेजना चाहती है। कुछ आदमी उन्होंने भेजे हैं कोऑप्शन की प्रणाली के द्वारा। आज डेमोक्रेसी में नोमीनेशन का नाम नहीं रहा। कोऑप्शन शब्द प्रयोग में आ रहा है। और इस कोऑप्शन शब्द की आड़ में सरकार यह चाहती है कि अगर उसकी पार्टी के आदमी नहीं आते हैं तो इसमें इसकी आड़ में किसी प्रकार से अड़चन पैदा की जावे और इसके लिये उन्होंने यह तरीका निकाला है।

मैं समझता हूँ राजस्व मन्त्रीजी इस बात को स्वीकार करने वाले नहीं है। एप्रीहेंन्शन था मुझे कि स्वीकार कर लेंगे। यदि स्वीकार करते हैं तो यह क्लॉज और भी भयंकर हो जाता है।

इसमें सीधा लिखा है : two Persons whose experience in administration, public life or rural development.

एडमिनिस्ट्रेशन अकेला शब्द होता तो एक बात आती। यातो सरकारी अधिकारी या रिटायर्ड मिनिस्टर। रिटायर्ड मिनिस्टर को कोई काम नहीं है अगर (हँसी) उनमें कोई व्यक्ति एडमिनिस्टेटिव एक्सपीरियेन्स के नाम पर अपनी प्रेस्टीज बनाई रखने के लिए जिला परिषद् का सदस्य बनना चाहे और सदस्य बनकर अध्यक्ष बनना चाहे तो ऐसे मिनिस्टरों को आनरेबल पोस्ट पर एकोमोडेट करने के लिए यह व्यवस्था हो सकती है। यदि एड-मिनिस्ट्रेटिव शब्द केवल होता तो ऐसी बात हो सकती थी और एडमिनिस्टेटिव एक्सपीरि-येन्स की ही बात केवल होती तो एस. टी. ओ. आर.टी.ओ. की तरह जुडीशियल एक्सपीरियेन्स के प्रश्न को लेकर हाईकोर्ट में रिट ले जाई जा सकती थी और वहाँ से एडमिनिस्ट्रेटिव

Page No 103

(श्री भैरोंसिंह)

एक्सपीरियेन्स का भी खुलासा कराया जा सकता था ।

श्री उपाध्यक्ष : कोई विषय बाकी मत छोड़ना इसमें ।

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह : टाइम तो आठ बजे तक है साहब । दस मिनट का समय तो है न ?

श्री उपाध्यक्ष : दस मिनट का समय तो है ।

श्री भैरोंसिंह : ज्यादा अमेन्डमेंट मूव नहीं करेंगे और सभी नहीं बोलेंगे ।

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि जिस तरह से जनता में जूडीसियल एक्सपीरियेन्स की बात को हाई कोर्ट से डिफाइन करवा लिया इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियेन्स के मामले में गलती भी होती तो हाई कोर्ट में रिट दायर करके इसको भी डिफाइन कराया जा सकता था और इस तरह से इसका राइट इन्टरप्रीटेशन कराया जा सकता था । पर इसके साथ दो चीजें और जोड़ दी गई हैं ।

"whose experience in administration, public life or rural development"

अब रूरल डवलपमेंट के मामले का अनुभव भी उसको हो । मैं जहां तक समझता हूं .. ...

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, वैसे ये अमेन्डमेंट जो सतीशचन्द्रजी, जगदीशप्रसादजी के हैं वे मूव होंगे नहीं और वे बोलेंगे भी नहीं । मैं मामूली सा समय ज्यादा लूंगा । तो मैं निवेदन कर रहा था कि अब रूरल डवलपमेंट का क्वेश्चन सामने और आ गया । यह सीधा सादा इसका नाम हटाकर भारत सेवक समाज कर दिया जावे तो भी ज्यादती नहीं होगी । यदि इस रूरल एक्सपीरियेन्स की कोई डिग्री हो सकती है या जिसको ऐसा क्वालिफाइड व्यक्ति माना जा सकता है तो इसके लिए सीधा रास्ता है । भारत सेवक समाज का प्रतिनिधि होना चाहिये । ओटोमैटिकली माना जावेगा कि रूरल डवलपमेंट का काम उन्होंने किया है । भारत सेवक समाज के कान्स्टीट्यूशन में ये बातें हैं और इस प्रकार के उसके फंक्शन्स हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, अब यदि कोई यह कहे कि भारत सेवक समाज का प्रतिनिधि अगर जाता है इसमें तो आपत्ति क्या हो सकती है ? मैं निवेदन करूं । आपत्ति मुझे भी नहीं है । आपत्ति काम करने वालों को भी नहीं है । पर सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि आज कोई पार्टीबाजी की स्पिरिट से एबव होकर काम कर रहा हो यह बात नहीं है । कोई चान्स नहीं है कांग्रेस के अलावा अन्य लोगों को उसमें जाने का । अगर कोई सेवाभावी व्यक्ति जाने का प्रयत्न भी करे तो सैकड़ों प्रकार की कोशिशें की जाती हैं उसको वहां से भगाने की । आज पूरी भारत सेवक समाज कांग्रेस के लोगों द्वारा जमाई हुई है । उसमें सारे जितने भी कार्य होते हैं वह उनके क्षेत्रों में होते हैं, सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता होते हैं तो इसका मतलब यह है कि रूरल डवलपमेंट का एक्सपीरियन्स सरकार की व्यवस्था के अनुसार अब

(श्री भैरोंसिंह)

तक जो व्यवहार रहा है केवल भारत सेवक समाज के व्यक्तियों को हो सकता है । भारत सेवक समाज का मतलब केवल कांग्रेस के लोगों को रूरल डवलपमेंट का एक्सपीयरेन्स हो सकता है और बाकी किसी व्यक्ति को इस प्रकार का एक्सपीयरेन्स नहीं हो सकता । इस मामले में अगर डिस्प्यूट खड़ी हो जाये और यह मामला हमारी सरकार के सामने चला जाए तो इसका सीधा मतलब यह होगा कि कांग्रेस के लोगों के पक्ष में ही हमारी सरकार का फैसला होगा और यदि कोई जनसंघ का व्यक्ति होगा तो सरकार का निर्णय उसके प्रति होने वाला नहीं है । उसके लिए तो सबसे बड़ी डिसक्वॉलिफिकेशन यही हो गई कि किसी ने डिस्प्यूट खड़ी करदी इसलिये सरकार उनको उपयुक्त नहीं समझती और उसको उपयुक्त नहीं समझती इसलिए वह सदस्य नहीं होगा । यदि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीयरेन्स का आदमी चाहिये तो कलेक्टर को क्यों नहीं रखते । आखिर वह एक आई० ए० एस० कैडर का आदमी हैं वह एडवाइस करेगा और समय समय पर जिला परिषद् की जितनी भी एक्टीवीटीज हैं और उनका जो निर्णय होगा उसको इम्प्लीमेंट करायेगा । जिला परिषद् की एक्टीवीटीज द्वारा ऐसी चीजें जो जनता के हित में नहीं हैं यदि इस प्रकार की चीजें होती हैं तो उनको रखने का और सरकार को रेफर करने का अधिकार सरकार को दिया है । जब एक आदमी हमारे डिस्पोजल के ऊपर है । वैसे तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्पीरियन्स का आदमी लाने की बाहर से क्या जरूरत है अगर लाते हैं तो स्पष्ट रूप से उसकी क्वॉलिफिकेशन्स प्रेस्काइब कीजिये । मैं समझता हूं कि चुनाव की प्रणाली के अन्दर यदि कुछ शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के अलावा किसी व्यक्ति को कोऑप्ट करना है तो उसके बाद में किसी प्रकार का वोट देने का अधिकार उसको नहीं देते हैं । यह हम जबरदस्त भूल करते हैं कि हम उन लोगों को इलेक्टेड मेम्बर की हैसियत के मुताबिक वोट देने का अधिकार देते हैं । इसका मतलब यह हुआ कि लोग इलेक्शन लड़ने की कोशिश नहीं करेंगे और यह कोशिश करेंगे कि हम किसी प्रकार से कोऑप्ट हो जायें ।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

अब तक भी जहां जहां कलेक्टर्स ने पंचायत समितियों के चुनावों का जो प्रोग्राम भेजा है उसके अनुसार उपाध्यक्ष महोदय, आज वे लोग ज्यादा कोशिश कर रहे हैं जो कि कोऑप्ट होकर आने वाले हैं । जिला परिषद् और पंचायत समिति के अध्यक्ष बनने के लिए । वह ऐसा समझते हैं कि इलेक्टेड मेम्बर्स के अन्दर तो अच्छा स्टाफ नहीं आयेगा । आज उनकी ओपीनियन है कि सरपंच चुनकर आते है तो अच्छा स्टाफ नहीं होता और कोऑप्टेड मेम्बर के अन्दर हम अच्छा स्टाफ लायेंगे । इसका मतलब यह है कि हम चुनाव की पद्धति का तिरस्कार करके उसके स्थान पर कुछ व्यक्तियों को पकड़कर और वह भी बहुमत के आधार पर लाने का जो तरीका है उसको ज्यादा एप्रीशियेट करते हैं । उस सारी स्थिति के अन्दर मैं समझता हूं कि हमें इस सब-क्लॉज ४ के पार्ट (ई) को बिलकुल डिलीट कर देना चाहिए ताकि इस प्रकार की कोई दिक्कत ही पैदा नहीं हो । मैं यही संशोधन प्रस्तुत करके अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

Page No 105

श्री उपाध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल.

(अनुपस्थित)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर

(अनुपस्थित)

श्री दामोदरलाल व्यास

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अमेंडमेंट नम्बर १७५ इस तरह से है: In the first proviso to part (ii) sub-clause 3, for the words "such number" occuring in line 5, substitute "but." 2. In the penultimate line of the second proviso to part (iii) of sub-clause (3) insert "of" before the 'Council of states,'. These are only omissions in printing and may be accepted.

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामप्रसाद लड्ढा

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उपाध्यक्ष महोदय ..

राजा श्री मानसिंह (बैर): Point of order, Sir. There is a convention that a member of the Select Committee does not move amendments. Upto now the Hon'ble Member has been moving amendments which are of minor nature and this particular amendments is of substantial nature and, therefore, I move that he should not be allowed to move this amendment.

श्री रामप्रसाद लड्ढा (शाहपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय यह अमेंडमेंट सब्सटेन्शियल नेचर का नहीं है बल्कि कान्सीक्वेन्शल नेचर का है क्योंकि सेक्शन ६ के अन्दर भी सदस्यों के कोऑप्शन का सवाल था और उसके अन्दर भी मैंने ऐसी ही तरमीम रखी थी और वह अमेंडमेंट हाउस द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। दो कोऑप्टेड मेम्बर जिला परिषद् में भी होंगे जैसे कि पंचायत समिति में रखे गये हैं तो जब मैंने वह अमेंडमेंट पंचायत समिति के लिए मूव किया था और वह स्वीकार हो चुका है तो यही जिला परिषद् के ऊपर भी एप्लाई होना चाहिए। इसलिए कॉन्सीक्वेन्शल अमेंडमेंट है जिसके संबंध में कोई ऐतराज इस तरह का नहीं उठाया जा सकता कि जो माननीय सदस्य ने उठाया है।

श्री भैरोंसिंह : यह कान्सीक्वेन्शल अमेन्डमेन्ट नहीं है। जो संशोधन माननीय सदस्य ने पहले रखा था वह पंचायत समिति के लिए था और यह जरूरी नहीं होता कि पंचायत समिति में इस प्रकार की डिस्प्यूट तय करने के लिये सरकार के आर्डर्स फाइनल हों तो जिला परिषद् में ऐसे डिस्प्यूट हो जांयें तो सरकार को ही उसको तय करने के अधिकार हों, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं भी यह निवेदन करना चाहता हूँ कि सलेक्ट कमेटी के मेम्बरों को इस प्रकार से अपने अमेन्डमेन्ट्स मूव करने के राइट्स चले जाते हैं और इस प्रकार का अमेन्डमेन्ट मूव करने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: Well, I have allowed the amendments. I have been liberal enough in this respect.

श्री रामप्रसाद लड्ढा: धारा ३५ जिला परिषद् के गठन के बारे में है। उसकी उप-

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

धारा (४) उन सदस्यों के बारे में है जो कि कोआप्ट किये जायेंगे। इस उप-धारा (४) का का पार्ट (ई) इस तरह का है कि जिला परिषद् दो ऐसे सदस्यों को कोऑप्ट करेगी जिन्हें एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक लाइफ और रूरल डवलपमेन्ट का ऐसा एक्सपीयरेन्स हो कि जो जिला परिषद् के लिए लाभदायक हो। इस प्रावधान के तहत आने वाले व्यक्तियों के लिए तीन क्लॉसीफिकेशन्स रखी हैं एक तो एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सपीयरेन्स, दूसरे पब्लिक लाइफ में एक्सपीयरेन्स और तीसरे रूरल डवलपमेन्ट में एक्सपीयरेन्स। इसका मतलब यह हुआ कि...

राजा श्री मानसिंह : Sir, if this is consequential amendment, then we should go through clause 6. Is it connected with clause 6?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह तीन तरह के एक्सपीयरेन्सेज़ हैं या इनमें से किसी भी एक तरह के एक्सपीयरेन्स का कोई व्यक्ति हो वही व्यक्ति इस उप-धारा के तहत कोआप्ट किया जा सकता है दूसरा नहीं। अब सवाल यह है कि जिला परिषद् के अन्दर भी ऐसे व्यक्तियों को कोआप्ट किया जाना है और उनके लिए अगर यह एतराज खड़ा हो कि इसको पब्लिक लाइफ का एक्सपीयरेन्स नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीयरेन्स नहीं है या रूरल डवलपमेन्ट का एक्सपीयरेन्स नहीं है तो क्या किया जाये? कौन इसको डिसाइड करेगा? ऐसी परिस्थिति में कोई न कोई ऑथॅरिटी ऐसी होनी चाहिए जो कि इसका निर्णय दे सके कि इनको इस तरह का एक्सपीयरेन्स है या नहीं। इसलिए मैंने एक प्रोविज़ो अमेंडमेंट के रूप में पेश किया है और वह इस प्रकार है : After part (e) of sub-clause (4) add the following proviso- "Provided that in case of dispute whether any person co-opted under this sub-section has experience in administration, public life or rural development beneficial to the Zila Parishad or not, the decision of the State Government shall be final"

यह अमेन्डमेन्ट बहुत आवश्यक है। एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि इस अमेन्डमेन्ट से यदि कोई नॉन कांग्रेसमैन आ जायेगा तो निश्चय ही उसके हक में फैसला होने वाला नहीं है जब तक कि वह कांग्रेस में न आ जायें या कोई दूसरा कांग्रेस जन न आ जाय, यह माननीय सदस्य का भ्रममात्र है। मैं एक दूसरा पहलू सदन के सामने रखता हूँ कि यदि कांग्रेस मैन ऐसा आ जाता है इस कोऑप्शन में कि जिसके लिए चेलेन्ज हो जाये कि इसको एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरीएन्स नहीं है या पब्लिक लाइफ का एक्सपीयरेन्स नहीं है या रूरल डवलपमेंट का एक्सपीयरेन्स नहीं है उसको और कोई व्यक्ति चाहे जनसंघ का हो या किसी पार्टी का हो चैलेंज करना चाहे तो यह प्रावधान नहीं होगा तो वह कैसे चैलेंज कर सकेगा। इसलिए यह तो दोनों के लिए समान अवसर है कि वे भी चैलेंज कर सकते हैं। आखिर इतना विश्वास करके चलना चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजन होगा वह किसी पार्टी विशेष के पक्ष में नहीं होगा और जो भी फैसला होगा वह तथ्य पर आधारित होगा। इसलिए मन में कल्पना करके कि स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजन केवल कांग्रेस के ही पक्ष में होगा और सत्यता के आधार पर नहीं होगा यह

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

निर्मूल है। इसलिए यह तरमीम आवश्यक हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इस तरमीम को स्वीकार उसी तरह करें जैसा कि धारा ६ की उप-धारा (२) के सब-क्लॉज (६) में की है। एक माननीय सदस्य ने यह भी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि जिला परिषद का एक मेम्बर उस क्षेत्र में जो भी म्युनिसिपैलिटी हो उसका चैयरमैन होना चाहिए। मैं इसका विरोध करता हूं। कारण उसका यह है कि जिला परिषद् के जो फंक्शन्स हैं उसके अन्दर म्युनिसिपैलिटी का कोई फंक्शन नहीं आता है। इसलिए म्युनिसिपैलिटि के चैयरमैन को वहां पर प्रतिनिधित्व देने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि न तो यह म्युनिसिपैलिटी जिला परिषद् के अधिकार क्षेत्र में है और न उसकी देखरेख किसी प्रकार से जिला परिषदों पर है। इस लिये केवल मेम्बर बनाकर उसको लाने में न तो म्युनिसिपैलिटी को ही फायदा होगा और न जिला परिषद को ही फायदा होगा।

एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन को चाहे वह सदस्य रहें लेकिन एडवाइज़री केपेसिटी में रहे, एसोशियेट मेम्बर लाइक एम० एल० एज़०, लेकिन उनको वोट देने का अधिकार नहीं हो।

श्री भैरोंसिंह : वोट देने का अधिकार भी लाइक एम० एल० एज़ हो।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जी हां। इसके लिए मेरा निवेदन यह है कि सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन का चुनाव किस प्रकार से किया जाता है, पहले आप यह जान लें। मतलब यह है कि सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक की कोआपरेटिव सोसाइटीज मेम्बर होती हैं जोकि उनसे कर्ज लेते हैं। आप फेक्ट्स को देखेंगे तो ९९ पर्सेन्ट कोआपरेटिव सोसाइटीज सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक की मेम्बर्स होती हैं। और वह सभी कोआपरेटिव सोसाइटीज अपने एक चुने हुए प्रतिनिधि भेजती है, और

५ म० प०

(श्री मुरलीधर व्यास, सभापति, पदासीन)

ऐसेसब चुने हुए प्रतिनिधि मिलकर बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स का गठन करते हैं। उससे चेयरमैन का चुनाव होता है। तो चेयरमैन निश्चय ही चुना हुआ प्रतिनिधि है और एक प्रतिनिधि की तरह से फुलफ्लेज्ड मेम्बरकी हैसियतसे कोआपरेटिव मूवमेंट को बलवान बनाने के लिए, उसको वोट का अधिकार होना चाहिये। हम इस बिल में यह प्रावधान कर चुके हैं कि यदि ऐसा चेयरमैन गवर्नमेंट ऑफिसर हो तो जो नोन-आफिशियल वाइस चेयरमैन जिला परिषद् का सदस्य होगा। इसलिए यह प्रावधान आवश्यक है।

राजा श्री मानसिंह [बैर] : I want to move a nagativing motion, Sir, on this clause...That parts (ii), (iia) and (iii) of Sub-clause (3) of clause 3 be deleted.

श्री सभापति : पूरी क्लॉज ही को ओमिट करना चाहते है या कुछ और है ?

राजा श्री मानसिंह : Part of the clause...

श्री दामोदरलाल व्यास : Have you tabled any amendment ?

राजा श्री मानसिंह् : Amendments are being allowed even upto now.

श्री सभापति : वह उस तरीके में नहीं है।

राजा श्री मानसिंह् : Then, Sir, I will speak against the clause itself. I have that right, Sir.

श्री सभापति : ठीक बात है। आप बोलिये।

राजा श्री मानसिंह् : As I was saying, Sir, that these parts should be deleted. They refer to the inclusion of the Members of Council of States residing in the district, Members of the House of the People elected from the constituency and the members of the Legislative Assembly of the State elected from the district, in the Zila Parishad.

The Leader of the House, in his reply to the general debate on this Bill went at length to explain to us the procedure that has been adopted by the Government for accepting ex-officio members. Members of the Panchayat Samiti will be a link between the Panchayats and the Panchayat Samitis. He further went on to explain that Members of Zila Parishad will be a link between the Panchayat Samitis and Zila Parishads; and that the members of this House would be a link between the Zila Parishads and the Government.

Whereas in his life-time, Charles Darwin failed to find the missing link, the Congress have succeeded in it. They have found the missing link in the Members of the Legislative Assembly. But by including M.P.s I fail to understand what link the Government wish to create between the State Government and the Central Government by including M. P.s as members of Zila Parishads. The procedure in the House of the People is that no member can take up any subject which relates to the affairs of a particular State, much less the districts or divisions which form parts of the States. The M. P.s are not even able to ask questions in Parliament regarding Panchayat Samities or Zila Parishads. There is a function for the M. P.s which I can suggest that they should see that the food zone of Rajasthan State is not mixed up with the food zone of Bombay State. But that is a different question.

In any case, Sir, if any work of the district is required to be done by the State Government, then it can only be done through the members of this House who sit in this House. Since M. P. s are unable to sit in this House, I don't see any necessity of of having them as members of the Zila Parishad.

There is another provision Sir which allow that Members of the Council of State should be included in the Zila Parishad of the District in which they reside. There can be some excuse of including M. P. and from

(राजा श्री मानसिंह)

the poini of view that both members of the Pailament, of the Lower House and the Members of this House who are elected from the Constituencies which may come within the jurisdiction of the Zila Parishad. But the Members of the Council of State, they are elected by groups of this House who represent different constituencies in every direction of the State. It is possible, Sir, that one day every member who is a member of the Rajya Sabha will be a resident of a particular district and therefore they will be the members of one particular Zila Parishad and all the other 24 Zila Parishad will be included.

एक माननीय सदस्य : How do y u visualise ?

राजा श्री मानसिंह : This is possible. Even so what I have come to the conclusion from experience that most of the Members who have been sent to the Rajya Sabha are ex-Chief Ministers cr the former Presidents of Pradesh Congress Committee. These persons have been defeated in their own districts and here we are bringing them from the back door in the Zila Parishad, where the people have rejected. In any case Sir, motion of including the Members of either House of people in the Zila Parishad is rediculous and therefore I move that both Sections 2 and 2A be deleted.

There is a provision for including the Members of this Assembly also as full fledged Members of the Zila Parishad. The M. L. As Sir, have already been associated with the Panchayat Samiti, Associate Members, and as such they from a link between the Panchayat Samiti and the State Government. But by including them in the Zila Parishad we are duplicating. this wonderful link that has been suggested to us Sir would be between the Panchayat Samiti and the Zila Parishad and the actual fact Sir is that the link has been established between the Panchayat Samiti and the State Government.

Knowing the unreasonable attitude of the Government in accepting this amendment I feel that they will not accept. I feel atleast that they should go to the extent of putting the same restrictions on the Members of the House of People and on the M. L. As. as they have done in the case of Associate Members of the Panchayat Samiti. If they fail to do Sir then I fail to understand that laws in this House are not formed on the principles but they are formed due to some pressure from the Congress Party.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : क्लॉज ३१ में जो अमेन्डमेंट्स माननीय सदस्यों ने पेश किये थे कांस्टिट्यूशन, इनकोरपोरेशन एण्ड कम्पोजिशन ऑफ जिला परिषद के बारे में उसके लिये जैसा कि इस बिल में सलेक्ट कमेटी ने अमेन्डमेंट करके भेजे उसको आप देखेंगे तो इसका जो कांस्टिट्यूशन है उसमें सबसे पहले है प्रधान ।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

जिला परिषद् के अन्तर्गत उस डिस्ट्रिक्ट में जितनी पंचायत समितियां हैं उनके प्रधान इसके मेम्बर होंगे। इसमें एतराज किया कि "By virtue of being in the Panchayat Samiti should not be Pradhan of the Zila Parished. ऐसा उन्होंने सजेसन दिया कि यह नहीं होना चाहिये और फिर एक सजेशन देते देते रुक गये और दूसरे अमेन्ड-मेंट को सपोर्ट करते हुए कहा कि पंचायत समिति के पंच इलेक्टोरल कॉलेज बने और पंचायत समिति के सदस्यों में से किसी को चुन कर भेजें और उसके साथ ही प्रपोरशनल रिप्रजेन्टेशन के द्वारा चुनाव करने का सुझाव दिया। फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने यह सुझाव दिया कि पंचायत समिति अपने मेम्बर्स में से किसी को भेज दें।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): I moved only about the right of vote regarding the officers......

श्री दामोदरलाल व्यास: उपाध्यक्ष महोदय, अपने सामने सवाल यह है कि प्रधान इलेक्टेड रिप्रजेन्टेटिव है पंचायत का उसको जिला परिषद् में भी मेम्बर रख दिया जाय या पंचायत समिति को इलेक्टोरल कालेज बनाया जाय और प्रपोरशनल रिप्रजेन्टेशन के मैथड से इलेक्शन हो। मैंने कल जब बहस हो रही थी और कोऑप्शन का सवाल आया था तब अर्ज किया था कि प्रपोरशनल रिप्रजेन्टेशन का तरीका जितना कॉम्प्लीकेटेड है उसको देखते हुए यदि इसको पंचायतों में रखेंगे तो उससे मकसद खफ्त हो जायगा और इलेक्शन ठीक तरह से नहीं होगा।

दूसरी बात जो बेसिक है, कल अर्ज किया था, पंचायत में किसी पार्टी ग्रुप या पोलिटीकल लेवल पर चुनाव नहीं करावें। जहां तक मेरी सूचना है, जनसंघ, या प्रजा समाजवादी या और पार्टीज हैं उन्होंने पंचायतों के इलेक्शन में भाग नहीं लिया और गांव वालों के पंचों का इलेक्शन स्वतंत्र रूप से अपनी मर्जी के माफिक करने दिया। जब पार्टी बेसिस पर इलेक्शन नहीं हैं तो यह डर कि माइनोरिटी वाले रह जायेंगे या मैजोरिटी वाले छा जायेंगे कोई माने नहीं रखता। प्रपोरशनल रिप्रजेन्टेशन इसलिए है कि माइनोरिटी इलेक्शन में रह न जाय। जब पोलिटिल पार्टीज चुनाव में भाग नहीं ले रही हैं तो इसकी जरूरत क्या है। स्वतंत्र रूप से गांव वाले पंच या सरपंच को चुन लेंगे और उनकी ओर से प्रधान चुन कर आता है तो कहा सवाल रह जाता है। इसलिये यह जो मैथड है वह गलत होगा। आपका प्रधान जो होगा वह डाइरेक्ट इलेक्शन एडल्ट फ्रेन्चाइज के बेसिसपर चुना हुआ होता है मान लीजिये उनका प्रधान कोऑप्टेड मेम्बर भी होगा लेकिन ऑर्डिनेरी सरपंच भी डाइरेक्टली इलेक्टेड होता है एडल्ट फ्रेन्चाइज बेसिस पर, वहाँ सरपंच बनता है। इलेक्टेड मेम्बरर्स और कोऑप्टेड सब मिल कर अध्यक्ष को चुनेंगे। जिला परिषद् पंचा-यत समितियों के लिए गाइड का काम करेगी, सुपरविजन का काम करेगी उसमें अगर इस तरह के आदमी होंगे तो काम ठीक होगा। वह यह देखेगी कि डेवलोपमेंट का प्रोग्राम पूरा होता है या नहीं, टारगेट पूरा होता है या नहीं। इन सारे कामों को देखने के लिए पंचायत समितियों के प्रधान से बेहतरीन आदमी कौन हो सकता है जो पंचायत समिति के दृष्टिकोण को जिला परिषद् में रखे और

(श्री दामोदरलाल व्यास)

जिला परिषद् के दृष्टिकोण को पंचायत समिति में रखे। इसलिए इससे बहतरीन कौन हो सकता है। वह नोमिनेटेड नहीं है, डाइरेक्टली इलेक्टेड रिप्रजेन्टेटिव है इसलिए यह बात नहीं है कि आपको रखना अनडेमोक्रेटिक है। इसलिए प्रधान का उसमें होना बहुत जरूरी है यदि आप यह चाहते हैं कि जिला परिषद् गाइडेन्स दे, इसके प्रोग्राम को फुलफिल किया जाय और यदि हम चाहते हैं कि पंचायत समिति का सही दृष्टिकोण सामने रखे तो प्रधान को बाइ वरचू ऑफ ऑफिस जिला परिषद् का मेम्बर बनाना पड़ेगा। इसीलिये सलेक्ट कमेटी ने भी यही रखा। इसलिए जो सुझाव दिया गया है कि इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाय उसको मानने के लिए मैं तैयार नहीं हो सकता।

एक माननीय सदस्य ने अमेन्डमेंट तो पेश नहीं किया लेकिन विरोध किया कि मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट इसमें नहीं रहने चाहिए। एक तरफ तो स्वीकार किया है एम० एल० एज० को एसोशियेट मेम्बर्स की हैसियत में पंचायत समिति में रखा जाय। यह इसलिए रखा है कि पंचायत समिति में बैठकर कांस्टीट्युएन्सी के डेवलोपमेंट के काम की जानकारी हासिल करें और उसके साथ साथ गाइडेन्स और एडवाइस दें पंचायत समिति को। दूसरी ओर यह माना है कि गाइडेन्स और जानकारी तो दें लेकिन डिसीजन लेते समय उनको इन्डिपेन्डेन्ट छोड़ दें इसी वजह से विधान सभा के सदस्यों को राइट ऑफ वोट का अधिकार नहीं दिया। जहां तक जिला परिषद् का सवाल है वे पंचायत समितियों में कोरडिनेशन करायेंगे और जितना डेवलपमेंट वर्क है उसको इम्प्लीमेंट करने में गाइडेन्स देंगे उसमें एम० पीज और एम० एल० एज का होना जरूरी है। अव्वल तो इसलिए कि वे एलडरली स्टेट्समैन हैं और जिले के डेवलोपमेंट में जितना इन्ट्रेस्ट एम० एल० एज को है उतना ही उनको भी हैं इसलिए उनको अधिकार होना चाहिए कि वहां बैठ कर कोई गलती करता है उनको जाने और डाइरेक्शन दें। वक्त वक्त पर हिदायत करने को उनको अख्त्यार हो इसलिए एम० पीज० का वहां रहना जरूरी है।

इसके अलावा माननीय सदस्य ने बहुत जोर के साथ ऐतराज किया Two persons of experience of administration and rural development etc. etc.

जब पंचायत समिति के गठन का प्रश्न आया था इस प्रकार का प्रोविजन उसमें था। मैंने अर्ज किया था कि जहां पंचायत समितियां और जिला परिषद् बनाते हैं तो कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनको रूरल डेवलपमेंट का एक्सपीरियेन्स है और जिन्होंने इस काम में अपनी जिन्दगी खत्म की है, गांवों में रहकर गांवों की तरक्की के लिये सेवाभाव से काम किया है, उनको एक्सपीरियेन्स है, उनको जानकारी है गांव वालों की जरूरत की इसलिये उनकी सेवा का फायदा उठाना चाहिये। और इसलिए हमने नोमीनेशन नहीं रखा है। मगर इसको इलेक्ट कौन करेंगे, एम० एल० एज०, एम० पी० और प्रधान होंगे, वे बैठ कर इलेक्ट करेंगे, कोऑप्ट करेंगे। कोई गवर्नमेंट के आफिसर्स कोऑप्ट करने के लिये नहीं जायेंगे। आपका एप्रीहेन्शन यह है, आपकी भावना यह है कि जिसको हम

Page No 112

(श्री दामोदरलाल व्यास)

चाहते हैं, उसको बैक डोर से प्रवेश कराने का यह तरीका रखा है, मैं समझता हूँ यह गलत है। यह सिम्पल इलेक्शन है, ऐसा इलेक्शन है, जिसमें एम० पी०, एम० एल० ए० और प्रधान सब होंगे और कानून के जानने वाले होंगे। रहा सवाल यह कि एक अमुक पार्टी के सदस्य यह महसूस करते हैं, वह ठीक है, क्योंकि एक पार्टी नई नई ग्रो हुई है, उसमें न एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियेन्स रखने वाले लोग हैं, न सेवा की है गांवों में। यह हो सकता है कि वहां ऐसे आदमी न जा सकें। अमुक पार्टी ऐसे आदमी नहीं दे सकती जो कोऑप्ट होकर वहां आजाय, क्योंकि उनके पास रिक्वीजिट क्वालिफिकेशन के लोग नहीं होंगे, उनका इलाज मैं नहीं कर सकता। यह मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति वहां जायं, जिनको तर्जुबा हो, एक्सपीरियेन्स हो पब्लिक लाइफ का, मैं समझता हूं कि पब्लिक लाइफ का एक्सपीरियेन्स होना बहुत जरूरी है क्योंकि हम डिसेन्ट्रेलाइजेशन कर रहे हैं लोएस्ट लेवल तक, जो स्कीम है, उसको वर्क आउट पंचायत समिति करेगी। तो ऐसे आदमी पंचायत लेवल पर हों डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, जिनकी सलाह से फायदा हो सकता है तो उसको पंचायत समिति और जिला परिषद् के अन्दर रख सकेंगे। उनका काम होगा गांवों में घूमना और वहां की जनता को बताना, समझाना, डवलपमेंट प्लान के लिए। इसलिए इस क्लॉज का रहना जरूरी है। इतनी जरूर बात है कि जो कोऑप्टेड मेम्बर होना चाहिए, इसको खुला छोड़ दें, तो डिस्प्यूट होगी इस बात की...

श्री भैरोंसिंह : डिस्प्यूट क्यों होगी, एम० पी० और एम० एल० ए० रहेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अर्ज कर रहा हूं कि आप जैसे बहुत होंगे, जो डिस्प्यूट खड़ी कर देंगे। डिस्प्यूट करने वालों की कमी नहीं, आपको स्वयं को ज्यादा अनुभव है कि डिस्प्यूट कैसे की जा सकती है। इसमें एक लेकुना छोड़ दें और डिस्प्यूट के मौके आवें तो उसको डिसाइड कौन करेगा, मैं समझता हूँ कि यह कानून बनाने में गलती होगी। जब हम यह प्रोवीजन करते हैं कि कोऑप्सन होना चाहिए और क्वालिफिकेशन डिसाइड करते हैं तो एक डिसाइडिंग ऑथोरिटी भी होनी चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट के सिवाय कोई नहीं है। फिर यह नोमीनेशन नहीं है, इलेक्शन होगा, तो गवर्नमेंट देखेगी कि गलत आदमी तो नहीं आया है। That is alright. गवर्नमेंट को डिटेल्स में जाने का नहीं है, वह देखेगी कि रिक्वीजिट क्वालिफिकेशन का आदमी रखा गया है या नहीं, यह साफ हो जाय कि कोई गलत आदमी तो दाखिल नहीं हो गया है। इसलिए जो शाहपुरा से आये हुए माननीय सदस्य ने अमेंडमेंट रखा है, उसको मैं स्वीकार करता हूँ। क्योंकि यही प्रोवीजन हमने पंचायत एक्ट में किया है, इसलिए इसका रहना जरूरी है।

इसके अलावा मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि प्रेसीडेन्ट ऑफ दी कोऑपरेटिव बैंक, जो डिस्ट्रिक्ट के अन्दर है, उसको कोऑप्ट किया जायेगा, उसके लिए माननीय सदस्यों ने एतराज किया। मैं निवेदन करूं कि जो कोऑपरेटिव बैंक का प्रेसीडेन्ट होता है, उसके इलेक्शन का एक तरीका है, इसके साथ ही यह दिया है कि अगर प्रेसीडेन्ट स्टेट गवर्नमेंट का कोई आफिसियल है तो जो वाइस प्रेसीडेन्ट सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक होगा, उसको मेम्बर बनाया जायगा And he should be a regular member of it.

(श्री दामोदरलाल व्यास)

इसलिए यह कहना कि उसको राइट ऑफ वोट नहीं देना चाहिए, यह गलत होगा। आखिर यह भी इलेक्टेड मेम्बर है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। वह इस तरह नहीं आ गया है जिस तरह सरकारी अधिकारी आता है। हमने सरकारी अधिकारी को राइट नहीं दिया है and he will not be a member of this. जो नोन आफिसियल कोऑप्ट होकर आता है by virtue of his office, then he is elected and I see no reason why he should not be given a right of vote.

श्री भैरोंसिंह : As M. L. A.?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, उसको जो कुछ बताओ। मैं समझता हूं इसके अलावा कुछ अमेंडमेंट हैं, जो बाड़ी से आये हुए माननीय सदस्य ने रखे हैं, वे इस प्रकार के हैं, जहां तक चेयरमैन आफ म्युनीसिपेलिटीज इन दी डिस्ट्रिक्ट का सवाल है, मैं उसे स्वीकार नहीं करता हूं। हमने इस बिल में इस बात का प्रोवीजन किया है

Nothing contained in this Panchayat Samiti and Zila Parishad Bill will apply to the Municipal areas...

जब म्युनीसिपल एरिया में इस बिल का एप्लीकेशन नहीं है, मैं समझता हूं, ऐसी हालत में चेयरमैन ऑफ आल म्युनीसिपेलिटीज इन दी डिस्ट्रिक्ट को जिला परिषद् में स्थान देना उपयुक्त नहीं होगा, इसके साथ साथ उसका कोई उपयोग नहीं है। जब म्युनिसिपल एरिया के डवलपमेंट वर्क के लिए अलग से कार्य करेंगी, तो जिला परिषद् से सम्बन्ध नहीं होगा। उस एरिया में पंचायत समिति व जिला परिषद् एक्ट एप्लाई नहीं होगा, इसलिए यह अमेंडमेंट मैं मंजूर नहीं कर सकता।

इसके अलावा कुछ अमेंडमेंट फार्मल है कि कांसिल ऑफ स्टेट्स के बाद में राज्य सभा रखे, हाउस ऑफ पीपल के बाद में लोक सभा रखे। मुझे एतराज नहीं है। अगर हम बिल हिन्दी में बनाते तो लोक सभा और राज्य सभा लिखना पड़ता। अंग्रेजी में आप एक्ट्स देखेंगे तो वहां कांसिल ऑफ स्टेटस और हाउस ऑफ पीपल मिलेगा। वैसे मुझे एतराज नहीं है अगर जो एमेंडमेंट्स दिये हैं, उनको इन्सर्ट कर दिया जाय। मैं निवेदन करूं कि हिन्दी में ट्रान्सलेशन होगा तो उसमें लोक सभा और राज्य सभा रखा जायगा, जिस प्रकार कि सब विधेयकों के हिन्दी ट्रान्सलेशन में होता है।

मैं समझता हूं कि जितने अमेंडमेंट पेश हुए थे, उन सबको डील विद कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूं वैसे मेरी उम्मीद खिलाफ है क्योंकि कुछ सदस्य अमेंडमेंटस को वोट पर रखवायेंगे, उनका स्प्रीहैन्सन सही है या नहीं, यह बात जरूरी नहीं है। लेकिन मैं निवेदन करूं कि माननीय सदस्यों को यह विश्वास रखना चाहिए कि जब जिला परिषद् बन जायगी तो यदि उनकी पार्टी के सदस्य सेवाओं के लायक होंगे तो पंच उनको चुन कर भेजेंगे, उसके अन्दर डरने की जरूरत नहीं है। बहरहाल, यह उनकी मर्जी है कि वे व्यक्ति उन्हें पसन्द आयें या न आयें। फिर भी अगर वे जिला परिषद् में न चुने जायं तो पंचायत समिति में चुने जायेंगे अगर ऐसा न हो, तो गुडलक, नेक्स्ट टाइम कोशिश कीजिये, पर यह न समझिये कि किसी पार्टी को एक्स—

(श्री दामोदरलाल व्यास)

क़लूड करने के लिए प्रोवीजन रखा जा रहा है। हम चाहते हैं कि जहां तक हो पंचायतों के काम में डिस्प्यूट को मिनिमाइज किया जाय ताकि जल्दी फैसला हो जाय। मैं जानता हूं कि कुछ लोगों को डिले करने की आदत होती है, इरादतन वे रोड़ा न अटका सकें, इसलिए यह रखा है कि गवर्नमेंट को फाइनल डिसीजन देने का अधिकार दिया जाय। इसमें यह कहीं नहीं लिखा है कि वे हाईकोर्ट में न जायें, अगर कोई पंचायत रूल्स को और प्रोसीजर को फॉलो नहीं करेगा, तो मामला हाईकोर्ट में जाय, Highcourt can interfere any time. मैं अर्ज करूं कि जिन माननीय सदस्यों ने अमेंडमेंट रखे हैं, वे विथड्रा करें, अन्यथा वोट पर रखकर उन्हें खारिज करें।

श्री सभापति : श्री पी० के० चौधरी।

श्री पी० के० चौधरी : I may be permitted to withdraw my amendment.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो श्री पी० के० चौधरी ने संशोधन रखे हैं उन्हें वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृति)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री पी० के० चौधरी : I withdraw my amendment

श्री सभापति : डॉ० बहादुरसिंह।

(अनुपस्थिति)

श्री दयाकृष्ण विजय।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : I want to press my amendment

श्री सभापति : ऐं।

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं अपना संशोधन वापिस नहीं लेता हूँ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री दयाकृष्ण विजय ने रखा है, उसे मान्य किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

श्री सभापति : श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : Not withdrawing

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री भैरोंसिंहजी ने रखा है, उसे मान्य किया जाए।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

श्री सभापति : श्री दामोदरलाल व्यास।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री दामोदरलाल व्यास ने रखा है, उसे मान्य किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

श्री सभापति : श्री रामप्रसाद लड्ढा। प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री राम प्रसाद लड्ढा ने रखा है उसे मान्य किया जाय

हाँ पक्ष जीता।

श्री भैरोंसिंह : 'ना' पक्ष जीता।

श्री दामोदरलाल व्यास: देर बहुत है।

श्री भैरोंसिंह : 'ना' पक्ष जीता।

(मत विभाजन घंटी के पश्चात् पुन:)

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री रामप्रसाद लड्ढा ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

(विरोधी पक्ष द्वारा हां पक्ष का समर्थन करने पर हँसी)

संशोधन स्वीकार किया गया।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय सभापति महोदय, जो संशोधन प्रस्ताव मैंने रखा है वह मुझे वापिस लेने की अनुमति दी जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन डॉ० बहादुरसिंह ने रखा है उन्हें वापिस लेने की अनुमति दी जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

(खंड ३५ पर मतदान आगे लिया गया)

श्री सभापति : श्री दामोदरलाल व्यास।

श्री दामोदरलाल व्यास : My amendment is Sir that (in clause 35A) for the words 'shall be the additional number' substitute the words 'shall also be the member'. यह वही अमेंडमेंट है जो पंचायत समिति में एडीशनल वर्ड हटाया है।

श्री सभापति : प्रश्न यह कि जो संशोधन ३५ ए० में श्री दामोदरलाल व्यास ने रखा है, स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज ३५ और क्लॉज ३५ ए संशोधित रूप में स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

क्लॉज ३५ और ३५ ए संशोधित रूप में स्वीकार किये गये।

क्लॉज ३६। डॉ० बहादुरसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री दामोदरलाल व्यास

सारे संशोधन मूव किये हुए माने जायँ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरा संशोधन ३६ में है :

(श्री दामोदरलाल व्यास)

Substitute 'not less seven days after, for 'falling within a week of', पंचायत समिति में इस प्रकार का प्रोविजन था कि ७ रोज का नोटिस होना चाहिए, वहाँ भी अमेंडमेंट किया था, यहां भी किया है।

नं० २ Add towards the end after 'sub-section (i), the words 'and the presence of the necessary quorum shall not be required at such adjourned meeting'.

यह पंचायत समिति में भी जोड़ा गया था, उन्हीं ग्राउन्ड्स के ऊपर यहां भी एड किया जाय।

श्री सभापति : श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : सभापति महोदय, मेरा संशोधन है : [sub-clause (5) of clause 36 be deleted.] कि क्लॉज ३६ की सब-क्लॉज५को डिलीट कर दियाजाय। सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में कुछ कहा जाय इसके पहले यदि मैं यह निवेदन करूं कि जिस गति से और जिस रवैये से इस कानून की पूर्ति की जाने की चेष्टा की जा रही हैं, वह रवैया शायद सरकार अब तक जिस चीज को छुपाने की कोशिश कर रही थी उसी चीज को सामने लाया जा रहा है।

श्री पी०के० चौधरी (फुलेरा) : The Hon'ble Member is a party to that decision.

श्री भैरोंसिंह : अब तक डेमोक्रेटिक डीसेंट्रलाइजेशन के नाम से हमारी राजस्थान सरकार ने सारे भारत को आकर्षित किया है और आकर्षित करने के साथ साथ कई जगह से कॉम्प्लीमेंट्स लिये हैं और कई राज्य सरकारें हमारी राज्य सरकार की नकल करने की इन्तजार में भी बैठी हैं, कुछ ऐसा समझते हैं कि कानून बहुत प्रोग्रेसिव बन रहा है, कुछ समझ रहे हैं कि सारी सत्ता हमारे हाथों में दे रहे हैं। तो इस तरह राजस्थान सरकार दुनियां में नाम कमा रही है, और अपनी पार्टी का भी प्रचार कर रही है और सरकार समझती है कि सत्ता लोगों के हाथ में दे रहे हैं। सरकार ये तीन काम इस बिल से अच्छी तरह से एक साथ प्रतिपादित कर रही है, इस बात की खुशी सरकार को अवश्य होती होगी। अब तक जितने कानून बने हैं उन कानूनों में चुनावों की मूलभूत बातों को लेकर हमारा विशेष दृष्टिकोण सरकार के सामने रखा था। सरकार ने कन्वीन्स्ड होकर कई चीजों को लेकर स्वीकार किया था कि कई चीजों को लेकर चुनी हुई संस्थाओं में मतभेद या भ्रम पैदा हो सकता है, उसको इस तरह दूर किया जाय। सभापति महोदय, अभी अभी माननीय राजस्व मंत्रीजी ने कुछ कॉम्प्लीमेंट्स मेरी पार्टी को भी दिये और यह कहा कि इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, चिन्ता की बात क्यों नहीं है, उनका कुछ मतलब ऐसा है कि आपकी पार्टी के पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियेन्स के आदमी नहीं है, रूरल डेवलपमेंट ब्लॉक लाइफ से परिचित आदमी नहीं होंगे,

Page No 117

(श्री दामोदरलाल व्यास)

और इससे शायद आपका नम्बर नहीं आये। उन्होंने यह कहा कि इलेक्शन पार्टी बेसिस पर कन्टेस्ट नहीं किये जाते, इस प्रकार की बात नहीं रहेगी पर इस प्रकार की बात कह गये। उसके माने हैं कि सत्तारूढ ग्रुप के दिमाग में यह बात बैठी हुई है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियेन्स के आदमी उनकी पार्टी में ही हैं दूसरी किसी पार्टी में नहीं हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि This is quite irrelevant for the clause under discussion and that is the procedure of co-option. We are not discussing that. We have alreay passed that clause 35 constitution of the committees. We are discussing caluse 36-कि किसका कोऑप्शन किया जायगा। We are discussing that कि मीटिंग किस तरह होगी।

दूसरी बात यह है। I never said for his party. I have said for those whoare quite new. I never said about his party. I said generally who are quite new.

श्री भैरोंसिंह : आपका मतलब ?

श्री दामोदरलाल व्यास : It is a matter of fact Sir, the debate shouldbe regulated.

श्री भैरोंसिंह : It is quite relevant. It may notbe relevant for the Hon'ble Minister but is quite relevant.

मैं यह निवेदन कर रहा था कि धारा क्या है जिस पर हम बहस करने जा रहे हैं। यदि आप चाहें कि सदन में पढ़कर कॉम्प्लीकेशन्स को पहले रख दूँ तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। धारा क्या है कि कोऑप्शन कैसे किया जाय।

श्री सभापति : Special meeting for co-ption.

श्री भैरोंसिंह : वह कोऑप्शन ही होता है। Want of quorum, दो कारण और दिये हैं :

If for want of the necessary quorum of for any other sufficient reason the members of the Zila Parishad referred to in sub-section (1) fail to coept members specified in sub Section (4) of Section 35, the Commissioner or the Addional Commissioner presiding over the meeting shall adjourn the same to any other date falling within a week of the date appointed under sub section (1). कोऑप्शन का प्रश्न ही डिसाइड होगा। मान लें कोऑप्शन क्यों नहीं होता है।

A notice of the date fixed for the adjourned meeting shall be affixed on the Notice Board of the Office of the Zila Parishad and shall be despatched by post individually to the Members

(श्री भैरोंसिंह)

specified in sub-sectton (3) of Section 35 immediately after the adjournment cf the previous meeting under sub-section (3) and upon such despatch the notice shall be regarded as having been served on the Members within the ordinary course of the post. दूसरा कारण इसमें यह दिया है :––

If for want of the necessary quorum or for any other sufficient reason the members of the Zila Parishad referred to in sub-section (1) fail to co-opt members specified in sub-section (4) of Section 35......इसमें कोई कारण नहीं है। केवल दो ही कारण हैं :

The Commissioner or Additional Commissioner shall preside at such adjourned meeting also and...... अब इसमें हमारी सरकार क्यों अधिकार ले रही है। सरकार सब-सेक्शन (३) के मातहत ले रही है। जो कहते हैं कि बिल्कुल रेलेवेन्ट नहीं है। the Members of the Zila Parishad specified in sub-section 3 of Section 35 fail to co-opt any of the members specified in sub-section (4) of that section, the State Government shall nominate such member or members and every member so nominated shall be deemed to have been duly co-opted.

माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार की इस प्रकार बैक डोर से लेने की नीति के बारे में यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की टाउन म्युनिसिपेलिटीज एक्ट में पहले से नोमिनेशन का तरीका था। लेकिन जब विधान सभा के सदस्यों ने देखा और इसका अनुभव किया कि नोमिनेशन के आधार पर सरकार अपनी ही पार्टी के लोगों का चुनाव करती है। इस बात को कतई मद्देनजर नहीं रखा जाता कि आया उनकी पार्टी के लोगों को जनता चाहती है या नहीं। हमारे यहां हाल ही में म्युनिसिपेलिटी के चुनावों में सरकार बुरी तरह से हारी है और उसमें १५ सदस्य जनसंघ के और ११ कांग्रेस के आये और जनता ने कांग्रेस के लोगों का तिरस्कार किया है। मगर वहां पर भी सरकार की तरफ से नोमिनेट कांग्रेस का सदस्य ही हुआ है जन संघ के सदस्य को नहीं नोमिनेट किया गया। जब जनमत का प्रश्न पैदा होता है तो सरकार को किसी बात पर इस तरह नोमिनेशन नहीं करना चाहिए। जिस पार्टी के आदमियों को जनता चाहती हो उस पार्टी के आदमी को नोमिनेट करें। अब कहीं म्युनिसिपेलिटीज ऐसी हैं जहाँ पर पब्लिक ने माननीय मन्त्री महोदय की पार्टी को बुरी तरह से हराया है, कांग्रेस पार्टी को हराया है मगर फिर भी कांग्रेस पार्टी के सदस्य को आप उसमें नोमिनेट करते हैं। आप अपने आपको एबव पार्टी पोलिटिक्स कहते हैं तो क्या यह एबव पार्टी पोलिटिक्स होगा ? मैं नहीं समझता कि कहने और कानून में यह अन्तर क्यों रखा जाता है। जिस समय विधान सभा में म्युनिसिपल एक्ट पर चर्चा हो रही थी तो उस वक्त सदस्यों ने इस बात को माना था कि नोमिनेशन की प्रणाली गलत प्रणाली है इसलिये उसको हटा कर उसके स्थान पर कोऑप्शन की व्यवस्था को लाया गया। लेकिन जहाँ हमने एक तरफ कोऑपशन का प्रावधान रख दिया है तो दूसरी तरफ हम इसको कलेक्टर पर छोड़ते हैं। अगर आपस में इस बात का

(श्री भैरोंसिंह)

झगड़ा हो जाये, और एक यह कहे कि इसको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियेन्स है या नहीं और रूरल डेवलपमेंट वर्क से परिचित है या नहीं इस बात का डिस्प्यूट होता है। एक आदमी कहता है कि यह रिटायर्ड आदमी है जो पहले मिनिस्टर रह चुका है इसको काफी अनुभव है, इसको कोऑप्शन में लिया जावे तो दूसरा कहता है कि यह सही है कि यह मिनिस्टर रह चुका है लेकिन मिनिस्टरी के समय में इसका काम तो बिल्कुल ही गन्दा था इसलिये इसको नहीं लिया जा सकता। अगर इस प्रकार के झगड़े हो जावें तो इस बात को लेकर कमिश्नर मीटिंग को एडजोर्न कर देता है और फिर सरकार किसी व्यक्ति को नोमिनेट कर सकती है जिसको बोर्ड चाहता नहीं है और जो किसी प्रकार भी क्वालीफाइड नहीं है। हमने इसमें लिखा है टू पर्सन्स हेविंग एक्सपीरियेन्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक लाइफ एन्ड रूरल डेवलपमेंट वर्क। हमारे समझ में नहीं आया कि पब्लिक लाइफ से आपका क्या मकसद है। क्या आप का यह मतलब है कि वह किसी सोसाइटी या पार्टी में काम कर रहा हो या जनता में भाषण देने का हो या किसी मिनिस्टर का स्वागत करने का है, क्या मतलब है आपका। आप इस पब्लिक लाइफ को किस प्रकार से इन्टरप्रेट करेंगे। जब नोमिनेशन का प्रश्न आवेगा। मैं यह निवेदन करूंगा कि यह नोमिनेशन की प्रथा जो रखी गई है वह बड़ी चालाकी से रखी हुई है। आप जानते हैं कि म्युनिसिपेलिटीज में चेयरमैन के इलेक्शन के लिए जिस समय इलेक्शन होता है और उसके लिए तारीख निश्चित हो जाती है और जो प्रीसाइडिंग ऑफिसर होता है उसको टेलीफोन से इन्सट्रक्शन मिलते हैं कि इलेक्शन नहीं होने चाहिये तो वह अपने आपको बीमार दिखाकर जयपुर आ जाता है। जिस समय सरकार को यह मालूम होता है कि उनका आदमी नहीं आ सकता है, इस प्रकार की कार्यवाही की जाती है। इस प्रकार के कई उदाहरण हमारे सामने हैं। एक स्थान पर आपने एक व्यक्ति को डिसक्वालिफाइड किया और जिस समय वह कांग्रेस का चार आने का सदस्य हुआ उस समय आपने उसको सदस्य चुन लिया और क्वालिफाइड कर दिया। हम इस प्रकार की सरकार की बात को किस प्रकार मानें और किस प्रकार से ऐसी सरकार का विश्वास करें कि सरकार ईमानदारी के आधार पर जो व्यक्ति काबिल होगा उसको नोमिनेट करेंगे।

अब मैं यह कह रहा हूँ कि कलेक्टर और कमिश्नर इलेक्शन करावें। यदि कमिश्नर को वहां पहुँचने में देरी हो गई या उसने जान-बूझ कर देरी कर दी या बीमार हो गया और नहीं पहुँच सका और ऐसी स्थिति पैदा हो गई जिससे चुनाव नहीं हो सकता तो ऐसी हालत में सरकार कहेगी कि मीटिंग को एड-जोर्न कर दी जावे। या कोरम पूरा नहीं हुआ या जान बूझ कर कोरम नहीं पूरा किया जा सकता तो क्या होगा। आप सभी जानते हैं कि आज कौन सी तहसील पंचायत में पार्टी बाजी नहीं है। पार्टी में जनसंघ नहीं। बल्कि दूसरे लोग खुले आम नहीं आते बल्कि पीछे से लोग छुप कर पार्टी को लेकर आते हैं। बैक डोर से अपनी पार्टी को लाने की कोशिश करते हैं। इसलिए किसी तरह से यह धारा नहीं रहनी चाहिये।

आज तक सरकार ने कोऑप्शन के लिये अपने हाथ में पॉवर रखा है। मुझे पीछे

(श्री भैरोंसिंह)

की धाराओं का जिक्र नहीं करना चाहिये और मैं नहीं करूंगा मगर मैं यह निवेदन करूंगा कि किस तरह से सरकार ने चालाकी से एक आदमी को एक जगह और दूसरे को चार जगह वोट देने का अधिकार दिया है। यह सारे क्षेत्र का विकेन्द्रीयकरण है। आज दिनों दिन कांग्रेस पार्टी अनपोपुलर होती जा रही है इसलिये उसको किसी प्रकार से पोपुलर किया जावे, किस प्रकार पैसे खर्च किये जावें ताकि सारी उसकी अप्रतिष्ठा है उसको दूर करें और जो जगह जगह हार रही है उसकी कमी को दूर किया जाये। ऐसी सारी स्थिति में हमारे सामने नोमिनेशन का प्रश्न हमारे सामने आया है। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन के आदमी के डिस्प्यूट के कारण से किसी प्रकार का डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है तो यह देखा जाता है कि किस पार्टी का आदमी है। यदि मैंने कोई झगड़ा (डिस्पयूट) खड़ा कर दिया तो मेरे हक में फैसला नहीं होगा मैं यही कहूंगा कि किसीप्रकारसे मेरे हक में फैसला नहीं होगा। मैं मिसाल नहीं देना चाहता मगर मैं यह कहूंगा कि हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। हम कई रिप्रेजेन्टेशन लेकर जाते हैं मगर उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। यदि कहीं विरोधी दल की तरफ से डिस्प्यूट बढ़ जावे तो हम जावेंगे। मगर आपकी इच्छा के विपरीत भी आपकी पार्टी का डिस्टिक्शन है। म्युनिसिपेलिटीज़ में सरकार चेयरमैन का इलेक्शन नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से चिट्ठी आती है और उसके अनुसार इलेक्शन होता है। यह इस बात का सबूत है। वह की वह चीज यहां पर भी लागू होगी। आज आपने दो दो आदमियों के जिला परिषद् में नोमिनेशन के लिये प्रावधान किया है। क्योंकि हरलाल सिंहजी ने लेटर लिख कर दिया तो उन सरदार साहब की बात को कौन टाल सकता है। मैं समझता हूं कि नाम से कोई....

श्री पी० के० चौधरी : P.C.C. President never writes to the Government. The Hon. Member......

श्री दामोदरलाल व्यास : Yes, he never writes. This is quite wrong.

श्री भैरोंसिंह : मैंने कहा कि लिखे....

श्री पी० के० चौधरी : The Hon'ble Member makes a wrong statement.

श्री भैरोंसिंह : श्रीमाधोपुर की म्युनिसिपैलिटी के सम्बन्ध में लेटर है जिसमें एक बार एक आदमी के लिये लिखा और दूसरी बार यह लिखा कि पहले नाम को सुपरसीड करके दूसरे आदमी को लावें। वह तो लेटर्स हैं अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। वह लेटर पार्टी के बेसिस पर होताहै। यदि आपको इलेक्टेड प्रोपोर्शन का सारा कम्पोजिशन बनाना है तो उनमें आपको इस प्रकार की चीजों को अवोइड करना पड़ेगा और निश्चित रूप से करना भी चाहिये। इलेक्टेड को बनाइये, सत्ता देनी जो दीजिये, कन्ट्रोल और सुपरवाइजरी पॉवर्स जो रखने हैं वे रखिये लेकिन इस प्रकार के एलीमेन्ट्स को उनमें न जाने दीजिये अन्यथा जो प्रजातंत्र की मूल भावना है, जो विकेन्द्रीकरण की भावना है और जो स्वस्थ प्रजातन्त्र की परम्परा है उनको गंभीर आघात पहुँचेगा। किसी जिले में ८ या १० पंचायत समितियां होंगी, उनमें ८,१० के तो ८, १० मेम्बर हो गये, दो कोऑपरेटिव

(श्री भैरोंसिंह)

के, एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियेन्स के, एक शिड्यूल कास्ट के, एक शिड्युल्ड ट्राइब्स के, कुछ महिलाओं के। कोऑप्टेड रख कर जो इलेक्टेड लोग हैं उनके खिलाफ इन लोगों की जो माइनोरिटी में हैं उनकी मेजोरिटी कर दी। जो लोग सारे इलेक्शन के नाम पर इकट्ठे होते हैं वे उन कोऑप्टेड के सामने अल्पमत में रहते हैं। वहां भी इलेक्शन की पद्धति को डिफीट किया है। मेम्बर्स को यदि कोऑप्ट करना ही है तो यह अधिकार जिला परिषद् के ही सामने होना चाहिये। माननीय राजस्व मंत्री के शब्दों में कोऑप्ट किनको करेंगे? जो डिस्टिंग्विस्ट परशनलिटीज़ होंगी, एम. पीज़ हैं, जिलों के डिस्टिंग्विस्ट पर्सनस होंगे, पंचायत समितियों में अन सिलेक्टेड होंगे, पोलिटिकली डिफिटेड लोग होंगे वे सारे के सारे इलेक्शन के कार्य होने चाहिये लेकिन उनमें क्या कमियां आवेंगी क्या झगड़े आवेंगे उनकी आड़ लेकर नोमिनेशन की बात रखी जाय यह कोई अच्छी चीज़ नहीं है। यदि जिला परिषद् किसी को कोऑप्ट कराना ही चाहती है तो वह एक मिटिंग में न करके दूसरी मीटिंग में कोऑप्ट कर लेगी। डिस्प्युट इस बात पर हो सकता है कि कुछ समय न देकर ऐसा किया हो, प्रोपर नोटिस न दिया हो, पूरा समय जो देना चाहिये था वह न दिया हो, उसमें समय का प्रावधान रखा जा सकता है लेकिन जो यह व्यवस्था रखी जा रही है उसके लिए निश्चित रूप से कहा जा सकत है कि कांग्रेस के जो रिटायर्ड आदमी हैं, सत्ताधारी दल से नाराज होकर अलग हो गये हैं और अपना एक गुट बनाकर सत्ता रूढ़ दल की जो बुराई करते हैं, उनको केवल खुश करने के लिए, जो कुछ सत्ता और धन उनके हाथ में खर्च करने के अधिकार रहे उनको एडजस्ट करने के लिए, उनको जिला परिषद् में सदस्य बनाना चाहते हैं इसलिए कि वे सरकार के खिलाफ चीं–चपड़ न करते रहें। ऐसी स्थिति में मैं सब माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि यह धारा वही है जिसमें सरकार चाहती है कि सरकारी प्रतिनिधित्व हो। सरकारी प्रतिनिधित्व का मतलब सत्ताधारी गुट का प्रतिनिधित्व हो, कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व हो। इस धारा का डट कर विरोध करना चाहिए और सरकार से निवेदन करूंगा कि इस बिल में ऐसा प्रावधान इस धारा में रख कर इस कानून को भी कलंकमयो बनाने की चेष्टा की है।

श्रीसभापति : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

(अनुपस्थित)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (सीकर) : सभापति महोदय, इस धारा में मेरा इस प्रकार संशोधन है कि क्लॉज ३६ के सब–क्लॉज ५ को डिलीट कर दिया जाय। सभापति महोदय, हमने इस विधेयक का नाम डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रेलाइजेशन रखा है और राजस्थान में ही नहीं किन्तु देश में इतना इसका प्रचार किया है जितना किसी का नहीं। इस विधेयक में एक प्रकार की धारा रखी गई है कि एक इस प्रकार का प्रावधान रखा है कि जितनी बातें होंगी वे कोऑप्शन से होंगी और कोऑप्शन इसलिए किया है कि हमारी पार्टी के लिए इसकी आवश्यकता है, इसको बल मिलेगा। जितनी नगरपालिकाओं में नोमि-

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

नेशन होते थे तो उनका हाल देखकर और उसके खिलाफ विरोध किया गया । इस प्रकार के कई उदाहरण इस सम्बन्ध में दिये जा सकते हैं और श्री माधोपुर से आये माननीय सदस्य ने कई सामने रखे भी हैं । एक ही उदाहरण नहीं है किन्तु उदाहरणों की कड़ी है । ऐसे उदाहरण भी देखने को मिलते हैं कि जहां विरोधी पार्टी के लोग सत्ता में आते है, तो वहां इस प्रकार की स्थिति आती है कि उनके वोट बने नहीं रहें इसलिए उसके ऊपर सरकार अपना नोमिनेशन के जरिये लोगों को थोप देती है और मेजोरिटी को बदल देती है । म्यूनिसिपेलिटीज में इसको हटाया । नगरपालिका में ऐसा कोऑप्शन का नहीं रखा गया । जिला परिषद् का जबकि विधेयक बनाये जा रहे हैं उसमें नोमिनेशन का भी न रखा जाकर कोऑप्शन का रखा गया है । एक छोटी सी धारा इसमें यह लगा दी है । मंत्री महोदय कहेंगे कि यह तो निर्दोष धारा है इसको काम में लेने का अवसर नहीं मिलेगा, यह तो एक्सेप्शनल धारा है, लेकिन मैं तो कहता हूं कि ऐसी एक्सेप्शनल धारा के द्वारा ही तो गड़बडी करने का मौका मिलेगा, हस्तक्षेप करने का अवसर मिलेगा । और धारा ३५ में भीलवाड़ा से आये माननीय सदस्यों ने संशोधन रखा उसको स्वीकार किया, राज्य सरकार को अधिकार दे दिया कि किन व्यक्तियों को एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियेन्स हैं, पब्लिक लाइफ के और रूरल एरिया के जानकार हैं उनका निर्धारण राज्य सरकार करेगी । जिला परिषद् ने किसी को कोऑप्ट भी कर लिया, वैसे कोऑप्ट नहीं कर सकेगी, लेकिन मान लीजिये कि कोऑप्ट भी कर लिया और उसके बाद आप कहते हैं कि कोऑप्ट किया है वह गलत है, उसमें झगड़ा पैदा हो गया तो राज्य सरकार उसको अमान्य कर देगी, इस प्रकार का प्रोविजन रख दिया है । मान लीजिये कि जिला परिषद् इन्सिस्ट करती है, उन्हीं सदस्यों को कोऑप्ट करेगी जिनको वह चाहेगी, मेजोरिटी उनकी है, लेकिन राज्य सरकार कहेगी कि इस कोऑप्शन को नहीं मानते और वहां राज्य सरकार नोमिनेशन कर सकती है । नोमिनेशन किनका होगा, दो महिलायें, कोऑपरेटिव के २, १ शिड्यूल्ड कास्ट, १ शिड्युल्ड ट्राइब्स और कोऑपरेटिव बैंक का मैनेजर । इस तरह से पांच, छः व्यक्ति राज्य सरकार के हाथ में है और जिला परिषद् और पंचायत समितियों को दे दिये तो वहां पर मेजोरिटी को माइनरोटी में बदल दिया जायगा और बराबर अवसर रहेगा । कहीं पर दो की, २, ४, की मेजोरिटी होगी वहां पर राज्य सरकार के पांच, छः आदमी होंगे उनके द्वारा उस मेजोरिटी को बदला जा सकता है । यदि राज्य सरकार सुपरसीड करे तो पुनर्गठन करना पड़ेगा । अपने सदस्यों को बैक डोर से इस प्रकार से भेज कर वहां सरकार अपना अधिकार जमा लेगी । जिसको सरकार चाहती है, सरकार अपनी पार्टी को चाहेगी, जहां एक, दो की मेजोरिटी होगी वहां झगड़े होंगे, नोमिनेशन के झगड़े होंगे, कहीं बड़ी मुश्किल से जाकर एक पार्टी बहुत मेजोरिटी में होती और खास कर अपोजिशन की वैसी हालत में अपने पांच सात आदमियों को जहाँ कि एक दो तीन आदमियों की हो दूसरी पार्टी की मेजोरिटी है अपने आदमियों को वहां कोऑप्ट करके सरकार उन पर अधिकार करा लेगी और मेजोरिटी को अपने व्यक्तियों द्वारा माइनोरिटी में बदल देगी । यह प्रजातांत्रिक तरीका नहीं

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

है। इसको डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रेलाइजेशन नहीं कह सकते । इस धारा को नहीं माना जाना चाहिये और मैं इस धारा का विरोध करता हूँ ।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : माननीय सभापति महोदय......

श्री सभापति : आपका कोई संशोधन नहीं है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं समर्थन में बोल रहा हूँ ।

श्री सभापति : काफी लोग बोल चुके हैं। यदि चाहें तो हाऊस की विश लेली जाय।

श्री दयाकृष्ण विजय : एक मिनट में ही कह देता हूं पोस्ट शब्द के साथ ऊपर जैसा पोस्टल सर्टिफिकेट शब्द को मान लिया गया है वहां भी पोस्टल सर्टिफिकेट मान लिया जायगा तो ठीक रहेगा ।

६ म. प.

इसके साथ साथ जैसा कि मैंने पहले बताया था क्लाज ७ में भी मैंने इस बात का विरोध किया था ।

श्री दामोदरलाल व्यास : I will put that amendment that there should be a postal certificate, This is perhaps you are also suggesting.

श्री दयाकृष्ण विजय : यह तो संशोधन आवश्यक है । पोस्टल है वहां पर तो अन्डर पोस्टल सर्टिफिकेट कर दिया जाय ।

श्री दामोदरलाल व्यास : अन्डर पोस्टल सर्टिफिकेट, इस संशोधन को मैं मान्य करता हूं । It will be by post, under postal certificate.

श्री दयाकृष्ण विजय : सभापति महोदय, इसके अलावा धारा ५ जो है उसको विलोपित करने के लिए प्रस्ताव किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं । मैं यह बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट के पास कमिश्नर है वह जिस समय चुनाव करवाता है उस समय यदि कोई आपत्ति करता है, जब दो व्यक्तियों के कोओप्शन का प्रश्न आयगा उस समय एक व्यक्ति खड़ा होकर कह सकता है, इस व्यक्ति में अमुक योग्यता नहीं है । वैसी हालत में एक व्यक्ति की आपत्ति पर निर्णय कर सकते हैं । कमिश्नर जो इलेक्शन ऑफिसर की तौर पर कार्य करेगा उसको अधिकार नहीं होगा कि उसका निर्णय कर सके। फाइनल ऑथोरिटी लिए गवर्नमेंट बैठी हुई है । चाहे इस प्रकार का मामला बीकानेर में हुआ हो या झालावाड़ में हुआ हो उसको भाग कर जयपुर आना पड़ेगा और गवर्नमेंट द्वारा यह तय कराना होगा कि वह व्यक्ति इस योग्यता का है या नहीं । डेमोक्रेटिक तरीका यह था कि जो व्यक्ति प्रीसाइड कर रहा है उसको ही यह अधिकार रहना चाहिए ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (शाहपुरा) : That has been passed already.

श्री दयाकृष्ण विजय : No that has not been passed. I am speaking on sub-clause (5) of clause 36.

श्री सभापति : जो धारायें पास हो चुकी है उस पर अब निर्णय नहीं लिया जा जा सकता।

श्री दयाकृष्ण विजय : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कररहा था क्लॉज ६ के अन्दर हमने किसी प्रकार की गलती कर दी है तो उसको फिर से धारा ३६ में दोहराया जाय यह कोई अच्छी बात नहीं है। आखिर आप सोचिए तो सही, हम द्वितीय वाचन में कोई गलती कर जाते हैं तो उसको तृतीय वाचन में दुरुस्त कर सकते हैं। इस पर मेरा यह निवेदन है कि गंभीरता से विचार किया जाय। इलेक्शन हो रहा है उस वक्त जो इलेक्शन ऑफिसर बैठा होता है अगर उस समय कोऑप्शन के लिए कोई आपत्ति करता है तो इलेक्शन ऑफिसर को यह पावर्स होने चाहिए वह उसी समय निर्णय कर दे।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): वह निर्णय तो बहुमत से होगा।

श्री दयाकृष्ण विजय : बहुमत से निर्णय नहीं माना जायगा उस पर भी गवर्नमेंट की राय आनी चाहिए, इसमें लिखा है

"The state Government shall nominate such member or members, and every member so nominated shall be deemed to have been duly co-opted."

मान लीजिये कहीं कांग्रेसियों ने गड़बड़ कर दी है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : यह धंधा तो आपका है।

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार कोऑप्शन के लिए मिटिंग होती है उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ होती है तो उस समय पहला अधिकार इलेक्शन ऑफिसर को यह चाहिए, वह वहां फाइनल निर्णय दे सके। उसमें वांछित योग्यता है या नहीं, इसका निर्णय वहीं दे देना चाहिए। केवल एक व्यक्ति के कह देने से मिटिंग को पोस्टपोन करते रहेंगे तो आखिर जाकर उस पर गवर्नमेंट नोमीनेट करेगी यह कोऑप्शन के लिए ठीक दलील नहीं है। उस समय कोई व्यक्ति एक उठकर झगड़ा खड़ा कर दे वैसी हालत में कमिश्नर कह सकता है कि मिटिंग को पोस्टपोन की जाती है। इस तरह से दो मिटिंग में कांग्रेसियों ने झगड़ा खड़ा कर दिया....

श्री पुरुषोत्तमलाल : यह काम जनसंघियों का है।

श्री दयाकृष्ण विजय : वैसी हालत में गवर्नमेंट जाकर नोमीनेट करेगी इस तरह के जो पावर्स है यह एक प्रकार से सरकार की केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति है जो एक प्रकार से निरंकुश प्रवृत्ति है। अपने यहां सब पॉवर्स सेन्ट्रेलाइज करना चाहती है। मैं इसके लिए कहना चाहता हूं कि दो दफा कोऑप्शन नहीं कर पाते हैं तो वैसी हालत में गवर्नमेंट को यह पावर्स हो जाते हैं कि वह अपनी तरफ किन्हीं को कोऑप्ट करे। मैं इसके लिये यह चाहता हूं कि यदि दो दफा की मीटिंग में किसीको कोऑप्ट नही करसके तो तीसरी दफा मिटिंग बुलाई जाय, चौथी दफा मीटिंग बुलाई जाय कोऑप्शन के पावर्स किसी भी हालत में सरकार को नहीं रहने चाहिये। सरकार ज्यादा जोर देती है कोरम के नाम पर। मैं उनसे

(श्री दयाकृष्ण विजय)

निवेदन करना चाहता हूं कि कोरम के अभाव में कभी कोई मीटिंग पोस्टपोन नहीं होता है । पहली मीटिंग कोरम के अभाव में पोस्टपोन हो सकती है, दूसरी मीटिंग में कोरम की किसी प्रकार भी आवश्यकता नहीं रहती । कोरम के नामपर आज तक कोई मिटिंग कभी पोस्टपोन नहीं हुई दूसरी दफा में चाहे एक आदमी आगया, दो आदमी आगये वे जो कुछ करेंगे उनके काम को वेलिड समझा जायगा । यह जो आप कोरम के नाम पर बातें करते हैं दो दफा कोरम नहीं होगा तो सरकार को-ऑप्शन करेगी यह गलत है । कोरम के अभाव में मीटिंग पोस्टपोन नहीं की जा सकती ।

दूसरा मेरा यह निवेदन है कि कमिश्नर जो प्रीसाइडिंग आफिसर रखा गया है उसका निर्णय कोऑप्शन के लिए फाइनल होना चाहिए । कोरम के अभाव का नाम लेकर या किसी प्रकार से नोमीनेट नहीं कर पायेंगे तो मेरा निवेदन हैं कि जिस प्रकार की स्वस्थ परम्परायें निर्मित हो चुकी हैं इन्डीपेन्डेन्ट सोसाइटीज में इस प्रकार का कनवेन्शन बन चुका है उसका पालन हम यहां नहीं कर रहे हैं । पोस्टपोन मिटिंग में कोरम होना चाहिये ऐसा कहीं देखा नहीं गया है । इस प्रकार जो स्वस्थ परम्परायें और कनवेन्शन्स स्वतन्त्र सोसाइटीज में पड़ चुकी हैं उसके विरुद्ध हम कार्य कर रहे हैं । इसलिये मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम इस प्रकार का वातावरण पैदा करें जिससे ये स्वस्थ परम्परायें और कन्वेन्शन्स चले आरहे हैं उनके अनुसार इसमें भी कार्य हो । इन्हीं शब्दों के साथ में इस सब-क्लॉज ५ का विरोध करता हूं और चाहता हूं कि इसको यहाँ से हटा दिया जाना चाहिये ।

श्री अनोपसिंह (बालोतरा) : माननीय सभापति महोदय ..

डॉ. बहादुरसिंह : माननीय सदस्य तो सलेक्ट कमेटी के मेंम्बर रह चुके हैं अतः ये बोल नहीं सकते ।

श्रीअनोपसिंह : सलेक्ट कमेटी का मेंम्बर था लेकिन उसके लिये मैंने........

श्री दामोदरलाल व्यास : सभापति महोदय, टाइम इसके लिए बढाया गया है कि तमाम क्लॉजेज पर डिस्कशन हो जाय । माननीय सदस्य सलेक्ट कमेटी के मेम्बर थे और उनका नोट ऑफ डिसेन्ट भी नहीं, ऐसी हालत में इनको बोलने दिया गया तो दूसरे माननीय सदस्य भी बोलना चाहेंगे । जब कि डिप्टी स्पीकर महोदय ने यह रूलिंग दे दिया कि जिनका नोट ऑफ डिसेन्ट नहीं और जो सलेक्ट कमेटी के सदस्य रह चुके उनको बिल के विपक्ष में बोलने नहीं दिया जायगा ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि सम्माननीय सदस्यों को यह पता है कि समय इस लिये बढाया गया है कि जितने अधिक से अधिक क्लॉजेज पर बहस हो सके वह की जाय । इसलिये माननीय सदस्य जो बोलना चाहते हैं उसके लिये मैं समझता हूं, इस बारे में सदन की राय लेली जाय ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Hon'be Deputy Speaker has already given ruling over it.

(श्री पी० के० चौधरी)

The Hon'ble Member has no right to speak against the provisions of the Bill,

श्री अनोपसिंह : सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है कि मैं सलेक्ट कमेटी में था लेकिन बीमार होने की वजह से वहाँ पर नहीं था.......

यह कहना तो ज्यादती है कि मुझे टाइम मिल चुका है। मैं बीमार होने की वजह से मीटिंग अटेन्ड नहीं कर सका। कई बार चर्चा की जाती है तो मैं समझता हूं कि आपके काम की बात कहूंगा। आप दलदल में फंस रहे हैं और मैं उससे निकलने की बात कह रहा हूं। आप गलत परम्परा की बात कर रहे हैं पर इस तरह मुझे कहने का मौका नहीं देकर और भी ज्यादा गलत परम्परा डाल रहे हैं। फिर मेरी हित की बात सुनने में आपको ऐतराज क्या होगा।

(हंसी)

श्री दामोदरलाल व्यास : सिलेक्ट कमेटी के मेम्बर विरोध में बोल नहीं सकते। यह पार्लियामेंट की एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस है। The Deputy Speaker has already ruled it out. Any Hon'ble Member of the Select Committee cannot oppose the report of the Select Committee.

श्री अनोपसिंह (वालोत्तरी): मैं प्रोटेस्ट में फिर कहूंगा। मुझे बोलने का शौक नहीं है। पर जैसे सेक्रेटरी ने कहा था कि क्योंकि यह बिल बड़ी जल्दी में लाया गया है इसकी कापियाँ ठीक टाइम पर सदस्यों के पास नहीं भेजी गई हैं और इसलिए हमें नोट ऑफ डिसेन्ट का टाइम नहीं मिला है और मेरे लिए खास तौर से अर्ज करूंगा कि मैं बीमार था। मैं अर्ज करूंगा कि मेरे को कहा गया था कि वाकई में किसी ने टाईम पर नोट ऑफ डिसेन्ट नहीं दिया और इसलिए इसमें नहीं आ सका।

श्री सभापति : सदन की राय इस सम्बन्ध में जान लेना चाहता हूं क्योंकि ऐसा निर्णय हो चुका है कि आठ बजे तक कार्य-वाही चलानी है इसलिए समझता हूं कि दूसरे क्लॉजों पर काफी लोगों को बोलने का मौका मिलेगा। इसलिए सदन की राय हो कि मौका दिया दिया जावे तो जो इस बात के पक्ष में हों...

श्री अनोपसिंह : आप गलत चीज करने जा रहे हैं इसको मैं आगाह करने जा रहा हूँ।

श्री पी० के० चौधरी : गलत चीज... करने जा रहे हैं....He is casting aspersions on the Chair. He says Sabhapati is going to do a गलत चीज।

श्री सभापति : आप पक्ष में बोलना चाहते हैं या विपक्ष में।

श्री अनोपसिंह : मैं तो जनरल तरीके से अर्ज करूँगा।

श्री सभापति : अब आप सिलेक्ट कमेटी के मेम्बर हैं तो विपक्ष में राय जाहिर नहीं कर सकते। इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूं कि...

Page No 127

श्री अनोपसिंह : उसी गलत चीज के पक्ष में तो हर मेम्बर बोलेगा ही सभापति महोदय।

श्री सभापति : तो प्रश्न यह है....

श्री दामोदरलाल व्यास : जवाब...

श्री सभापति : हां जवाब।

श्री दामोदरलाल व्यास : एक मिनट में दे देता हूँ एक अमेन्डमेंट है नम्बर १७६:–] Omit the last sentence in sub-clause (1)

यह महज सब–क्लॉज २ है।

"(2) The Commissioner or Additional Commissioner shall preside at such meeting"

These same words have also come in the last sentence of sub-clause (1) "At such meeting the Commissioner or Additional Commissioner shall preside". They are redundant and may be deleted. यह रिडन्डेन्ट हैं।

इसके अलावा सभापति महोदय इस स्पेशल मीटिंग ऑफ कोऑप्शन में सब-क्लॉज(५) पर विरोध इस बात पर प्रकट किया गया कि कोऑप्शन १६० के अनुसार है जो पहले मूव कर दिया है।

कमिश्नर और एडीशनल कमिश्नर कोऑप्शन की मीटिंग होल्ड करें और नोटिस पहुंच जावे।

7 days clear notice will be given, and that notice will be given under postal certificate. यह जो कहा जावे कमिश्नर साहब डेलीबेरेटली न पहुँचे, वे दो मेम्बर if the members fail to elect... इसलिए दूसरे वक्त क्यों हो एडजोर्न। ऐसी मीटिंग में कोरम की जरूरत नहीं रहेगी।

दूसी बात कर दी है, सात दिन का क्लीयर नोटिस देने की। 7 days clear notice will be given by post under a postal certificate. ताकि इस बात की गुंजाइश न हो कि सूचना नहीं मिली।

इसके बाद भी अगर सेकन्ड मीटिंग में। Still the members fail to attend, then the Government should have these powers. सेकन्ड मीटिंग में एकभी मेम्बर नहीं आये तो तीसरे टाइम पर नोमिनेशन अपने हाथ में सरकार लेगी।

सब लोग जागरूक हैं इस मामले में। अभी से बहुत से लोग प्रयत्न करने लग गए हैं। इलेक्शन की तो ऐसी स्थिति में ऐसी कोई सम्भावना तो नहीं है कि कोई मीटिंग में आवे नहीं। पर कन्टीन्जेन्सी का लॉ बनाते हैं तो यह प्रोवाइड करना पड़ता है। अगर ऐसा कभी हो भी जावे तो इसके सिवा और कोई चारा नहीं।

अब किसको करेंगे। यह तो बात सीधी है। क्राइटेरिया ले डाउन है। ऑफिसियल रिकमन्डेशन पर जो नाम आवेंगे उनमें से बेस्ट पोसीबल केन्डीडेट को सलेक्ट करेंगे। पर जान–बूझकर कोई ऐसी सिचुएशन पैदा कर दे तो इसके लिए भी ऐसा प्रोवीजन रखना जरूरी है। इन अमेन्डमेंट स को

(श्री दामोदरलाल व्यास)

स्वीकार करके इस क्लॉज को पारित किया जावे।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि श्री दामोदरलाल व्यास ने जो संशोधन रखे है वे स्वीकार किए जावें।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किए गए।

श्री दामोदरलाल व्यास : There is on verbal amendment. वह भी इसमें आ जाना चाहिये।

That may be taken.

श्री सभापति : श्री दयाकृष्ण विजय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री दयाकृष्ण विजय ने पेश किया है पोस्टल सर्टीफिकेट का उसको स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

श्री अनोपसिंह (बालोतरा): 'ना' पत्त किसी ने नहीं कहा।

श्री सभापति : इसीलिए 'हां' पत्त जीता।

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री दयाकृष्ण विजय।

श्री सतीशचन्द्र। तीनों का एक साथ है।

प्रश्न यह है कि भैरोंसिंहजी ने जो प्रस्ताव रक्खा है, उसे स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

प्रश्न यह कि क्लॉज ३६ को संशोधित रूप में स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉज ३६ संशोधित रूप से स्वीकार किया गया।

क्लॉज ३७, पी० के० चौधरी।

श्री पी० के० चौधरी : सभापति महोदय, क्लॉज ३७ में मेरा अमेन्डमेन्ट इस प्रकार का है :

Substitute sub-clause (1) by the following sub-clauses:—

"(1) Every Zila Parishad shall have a Pramukh an and Up-Pramukh.

(2) The Pramukh shall be elected by the members of the Zila Parishad from amongst themselves in the prescribed manner.

(3) The District Development Officer shall be the ex-officio Up-Pramukh of the Zila Parishad."

2. Re-number the rest of the sub-clauses.

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : सभापति महोदय, On a Point of order.

श्री सभापति : क्या ?

(हंसी)

श्री गिरधारीलाल : मैं निवेदन करूंगा कि जो माननीय सदस्य अपना अमेन्डमेंट विथड्रॉ करें उनसे टाइम बचाने के लिए वे न बोलें यह कहा जाय।

आखिर तो उनको विथड्रॉ करना है। फिर हाउस का टाइम क्यों लिया जाय।

श्री सभापति : This is no point of order इसमें पहले से यह कैसे निर्णय कर लिया जाय कि ये विथड्रॉ कर लेंगे। यह तो आगे की बात है।

श्री गिरधारीलाल : मैं तो हाउस का समय बचाने के लिए कह रहा हूं।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): सभापति महोदय .... ..

श्री सभापति : बहुत थोड़ा समय दिया जावेगा। दो दो मिनट।

श्री पी० के० चौधरी : सभापति महोदय, यह अमेन्डमेंट रक्खा है उसका विशेष उद्देश्य है।

सभापति महोदय, इस जिला परिषद् बिल में कम से कम तीन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रक्खे गए हैं। एक तो सेक्रेटरी है। दूसरा क्लॉज ४६ में देखेंगे और एक अफसर है डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेंट ऑफिसर। उनके भी कुछ पॉवर्स और फंक्शन्स हैं। तीसरा है कलेक्टर। इसके भी कुछ पावर्स और फंक्शन्स हैं। मेरी समझ में नहीं आता तीन तीन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव फंक्शन्स देने का मतलब क्या है। ये तीन तीन तरह के कुक्स नहीं रखने चाहिए। अंग्रेजी कहावत है : टू मैनी कुक्स स्पोइल दी किचन। तो तीन तीन तरह के रसोइये रख कर चलने में मैं कोई मदद नहीं समझता हूँ।

दूसरी बात मैं डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेंट ऑफिसर को उपप्रमुख इसलिए रखना चाहता हूँ कि यह सारा बिल पढ़ने के बाद में यह महसूस होता है कि बलवंतराय मेहता कमेटी ने यह सिफारिश की थी कि कलेक्टर को जिला परिषद् का चेयरमैन बना दिया जाये...

श्री अनोपसिंह : वह आपकी बाइबल है क्या ?

श्री पी० के० चौधरी : आप जरा सुन तो लीजिए।

डॉ० बहादुरसिंह : जी हां।

श्री पी० के० चौधरी : कलेक्टर को जिला परिषद् का चेयरमैन बना दिया जाये। और कलेक्टर को चेयरमैन बना दिया जाता तो डिस्ट्रिक्ट डवलपमेंट ऑफिसर जिला परिषद् में जाकर कुर्सी पर बैठ जाता लेकिन जब यह बात पैदा हुई कि उसको चेयरमैन नहीं बनाया जायेगा और इलेक्टेड मेम्बर को ही चेयरमैन बनाया जायेगा तो they revolted against this idea. कि बॉडी का ये चेयरमैन तो नान-आफिशियल रहेगा और जो डिस्ट्रिक्ट डवलपमेंट ऑफिसर जिसको कलेक्टर कह सकते हैं वह इसका ऐसा मेम्बर होगा कि जो

(श्री पी० के० चौधरी)

वोटिंग मेम्बर न हो। नॉन–वोटिंग मेम्बर की तरह डिस्ट्रिक्ट डवलपमेंट ऑफिसर वहां पर जाकर बैठेगा। उनकी जो स्थायी पोजीशन है उसको रियेलाइज कराने के लिए यह जरूरी है कि उनको उप-प्रमुख बना दिया जाये और नॉन-ऑफिशियल मेम्बर को प्रमुख बना दिया जाये। and they must be made to work under that Pramukh. दूसरी यह बात है कि जो डिस्ट्रिक्ट डवलपमेंट ऑफिसर को पॉवर्स दे रखी हैं उसका कोऑरडीनेशन कौन करेगा? आप कोआरडीनेशन की बात करते हैं। जिला परिषद् को एग्जीक्यूटिव पॉवर्स हैं। आपने डिस्ट्रिक्ट डवलपमेंट ऑफिसर को अलग पॉवर्स दे रखी हैं तो आप पंचायत समिति के लेवल पर तो एफीशियेन्ट एग्जीक्यूशन की बात करते हैं लेकिन जब जिला परिषद् का सवाल आता है तो उसमें कहीं भी कोआरडीनेशन की बात नहीं आई। यह जो सिर्फ किया गया है to satisfy the ego of the beauroacracy. उन्होंने स्ट्रांग एटीट्यूड लिया है कि they are superior to the elected representatives. इस एटीट्यूड को मेन्टेन करने के लिए, उसको कायम रखने के लिए वह सारा का सारा जिला परिषद् का ढकोसला बनाया है। हालांकि जिला परिषद् का ऐसा नक्शा खींचा है कि जिला परिषद् को कोई पॉवर्स नहीं हैं। तो मैं तो कहता हूं कि जिला परिषद् रहे ही नहीं तो अच्छा है और जिला परिषद् का जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सेक्रेटरी है उसके पास पॉवर्स नहीं है और डिस्ट्रिक्ट डवलपमेंट ऑफिसर के पास पॉवर्स हैं। तो डिस्ट्रिक्ट डवलपमेंट ऑफिसर है तो क्या he is something superior to Zila Parishad. आपका कलेक्टर जो है Is he superior to the Zila Parishad. दूसरी बात कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट डवलपमेंट ऑफिसर एक होता है। मेरी समझ में नहीं आता कि सेक्शन ४६ और ५६ में अलग अलग पॉवर्स क्यों दी जाती हैं। What is the significance of it. समझ में नहीं आता कि क्या दिमाग इसके पीछे काम किया है। किस खयाल से यह तरह तरह का नक्शा रखा गया है District Development Officer and Collector they are identical persons और आगे जाकर भी एक रहेगा। अगर उनके वर्क में कोऑरडीनेशन रखना है तो डिस्ट्रिक्ट डवलपमेंट ऑफिसर and the Colletor will have to be one and the same person. इस हालत में मेरी समझ में नहीं आता है कि डिस्ट्रिक्ट डवलपमेंट ऑफिसर को क्या पॉवर्स हैं, सेक्रेटरी को क्या पॉवर्स हैं, तो मैं नहीं समझता कि जिला परिषद् का एफीशियेन्ट फंक्शन किस बेसिस पर चला सकते हैं जब कि इस प्रकार का हो जायेगा। जो जिला परिषद् का सेक्रेटरी है उसका बिहेवियर ऐसा ही रहेगा he will not dare to disobey the orders of D. D. O. उसको कलेक्टर के सामने कोई राय नहीं देनी पड़ेगी। इससे अच्छा तो यह होगा कि जो कलेक्टर है उसको ही उपप्रमुख बनाया जाये जिससे उनका रिलेशन जिला परिषद् से क्लोज रहे और वह नोन-ऑफिशियल मेम्बर जो कि चेयरमैन होगा उसके अन्डर में काम करे तो उनका जो इको है, इनसोलेशन है वह क्या होगा। क्योंकि जमाना आ गया है कि जो ब्यूरोक्रेसी है they must be mane to realise their status and position. इसलिए मैंने जो अमेंडमेंट रखा है वह इसलिए नहीं रखा है उसको उपप्रमुख बनाया जाये और उनको

(श्री पी० के० चौधरी)

बड़ी भारी पॉवर्स दे दी जाये लेकिन उसको उपप्रमुख इसलिए बनाना चाहता हूं कि we want to place them at their proper place. और हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक डायर्की क्रियेट नहीं करना चाहते हैं। एक तरफ तो जिला परिषद् रहे और दूसरी तरफ कलेक्टर्स रहें और डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेंट ऑफिसर रहे जिनका कि जिला परिषद् के ऊपर कन्ट्रोल न हो। कम से कम उनके ऊपर रेस्पान्सिबिलिटी आ जाती है कि जब उनको प्रमुख बना दिया जाये। आज डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेंट ऑफिसर को उपप्रमुख बना दिया जाये तो He will have to behave himself. और उसको कैरी आउट करने की रेस्पान्सिबिलिटी उनकी रहती है तो क्लोजर कोऑर-डीनेशन के लिए सबसे उपयुक्त यही होगा कि डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेंट आफिसर को जिला परिषद् का उपप्रमुख बना दिया जाये इसलिए मैंने यह अमेन्डमेन्ट रखा है और मैं समझता हूँ कि इस अमेन्डमेंट को मंजूर कर लिया जायेगा तो सेक्शन ४६ और ५६ का ड्रिप्लीकेशन रखा है उसे लाने की जरूरत नहीं रहती है। मैं तो धारा ५६ को सुपरफ्लुअस मानता हूँ क्योंकि एक व्यक्ति को तीन-तीन सेक्शन्स में पॉवर्स रख दी जाये, यह समझ में नहीं आता। इसलिए मेरे इस अमेन्डमेंट को माननीय मन्त्री महोदय स्वीकार करेंगे, ऐसी आशा है।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : सभापति महोदय, जो अमेन्डमेंट माननीय सदस्य ने रखा है यह क्लॉज ३७ में और उनका मतलब यह है कि जो कलेक्टर है he should be ex-officio, Up-Pramukh. उसको राइट ऑफ वोट हो और वह उप-प्रमुख हो जाए। जो अमेन्डमेंट है मैं उसको स्वीकार नहीं करता हूं। माननीय सदस्य को गलतफहमी हो रही है कि डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेन्ट ऑफिसर हैं उसकी ड्यूटी में जिला परिषद् के एफीशियेन्ट फंक्शन्स में कोई डिस्ट्रिक्शन पैदा होगा। इसके अन्दर उसकी ड्यूटी दी हुई है। आप देखेंगे तो बजाय इसके कि तमाम जितने भी डवेलपमेंट के वर्क्स हैं, जिनके सुपरवीज़न का अधिकार दिया है वह सब रिपोर्ट कलेक्टर जिला परिषद् को करेगा वही डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेंट ऑफिसर मीटिंग में रहकर तमाम कार्यवाहियों से अवगत करायेगा एज़ कलेक्टर। इस बात की सूचना देगा कि प्लानिंग प्रोग्राम ठीक तरह से चल रहा है या नहीं और जितना रुपया अलॉट हुआ है वह ठीक तरह से डिस्ट्रिब्यूशन हुआ है और एक्सपेन्डीचर ठीक तरह से हुआ है या नहीं, एज़ कलेक्टर। वैसे इन्डीपेन्डेन्टली कोई एक्शन लेने के लिए उनको अधिकार नहीं दिए हैं। He will report all these matters to the Zila Parishad and Zila Parishad will take action on this.

दूसरी बात आज भी जो कलेक्टर हैं, Collector is head of the district administration and he is also the District Development Officer. This is not a new term which is coined for this Act, The Collector occupies two positions even today. He is District Development Officer and he is also Collector. He supervises and guides all development works in the district. That work will be taken up by the Zila Parishad and he will only attend their meetings and enlighten them

Page No 132

(श्री दामोदरलाल व्यास)

out the development activities and such other matters which come to his notice.

इसलिए बार बार उसके ऊपर बहस करें कि डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेंट ऑफिसर के अलग फंक्शन्स क्यों हो गए तो फिर क्या कोआर्डीनेशन करेंगे। जब क्लॉज़ इस कोअर्डीनेशन का आयेगा तो मैं बताऊंगा कि वह किस प्रकार से कोआर्डीनेशन करेगा स्टेट गवर्नमेंट और पंचायत समिति के बीच में। उसका अगर कोऑर्डीनेशन नहीं हो सकेगा it is for the Collector to see वह है डिस्ट्रिक्ट डवलपमेंट आफिसर कि इसका कोआर्डीनेशन हो........

श्री पी० के० चौधरी : उपप्रमुख बना दीजिए कोआर्डीनेशन और स्मूथली चलेगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपका जो अमेन्डमेंट है वह मेरे ख्याल से ठीक नहीं है क्योंकि हमारी यह सारी स्कीम डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रेलाइजेशन की है और हम किसी भी ऑफिसर को उसमें रखकर उसको उपप्रमुख बनादें, This is against the spirit of decentralisation. जो आफिसर इलेक्टेड नहीं है he will go there by virtue of office. और फिर हम कह दें कि he will be Up-Pramukh of the Zila Parishad. That is wrong, and against the spirit of decentralisation. इसलिए इलेक्टेड ही उपप्रमुख होना जरूरी है और जो प्रोवीजन है वह ठीक रहेगा।

श्री पी० के० चौधरी : I may be permitted to withdrawmy amendment.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री पी० के० चौधरी ने रखा है उसको वापिस लेने की इजाजत दी जाये?

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लिया गया।

श्री पी० के० चौधरी : I withdraw my amendment.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज ३७ को जैसी है वैसी ही स्वीकार की जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज ३७ स्वीकार की गई।

क्लॉज ३८।

प्रश्न यह है कि क्लॉज ३८ जैसी है वैसी ही स्वीकार की जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज ३८ स्वीकार किया गया।

क्लॉज ३६।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): With your permission, Sir, I want to make an amendment in clause 39. यह कोई एमेंडमेंट नहीं है। केवल यह बात है कि उसका मिसइन्टरप्रिटेशन हो सकता है इसलिए इसकी तीसरी लाइन से "subject to the variation that for the expressions 'Panchayat Samiti' the expression 'Zila Parishad' shall be substituted' यह जो है इसको ओमिट कर

(श्री दामोदरलाल व्यास)

रहा हूँ। जहां पर लिख दिया है कि "Provisions of sections 11, 12 and 13 shall apply mutatis matandis...... इसके रहने से वही मतलब निकाला जासकता है। मुटेटिस मुटेन्डिस एम्पलीकेशन अपने आप हो जाता है। यह वर्ड्स रखने से कम्प्लीकेशन हो सकता है वह वड्स रिड्डेन्ट है। इसलिए डिलीट कर दिए जायं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि क्लॉज ३६ पर जो संशोधन माननीय मंत्री महोदय ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज ३६ को संशोधित रूप से स्वीकार की जाय।

(स्वीकृत)

संशोधित क्लॉज ३६ स्वीकार की गई।

क्लॉज ४०, श्री दयाकृष्ण विजय।

श्रीदयाकृष्ण विजय (छबड़ा): माननीय चेयरमैन, मेरा इसमें बहुत मामूली सा संशोधन है।

[Delate the Proviso—"Provided that the resignation of the Pramukh shall take effect cn and from the date on which the sanction of the State Government thereto is received in the office of the Zila Parishad."]

और मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्रीजी इसको मान लेंगे। वह बड़ा थोड़ा सा यह है कि जब कभी रेजिगनेशन दिया जाता है तो वह रेजिगनेशन संस्था के सैक्रेटरी को हैण्डओवर करते ही उस व्यक्ति की उस संस्था के प्रति सारी जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है। हम जबरदस्ती करें कि तुम चलाओ तो जिस व्यक्ति का किसी प्रकार से मनमुटाव हो गया है वह उस जगह जाना नहीं चाहता है, और हम कहेंगे कि और चलाओ काम तो आखिर किस तरह से काम चलायेगा। इसका अर्थ यह होगा कि जब तक सरकार मन्जूरी नहीं दे दे वह सारा काम अधर में लटका रहेगा। ऐसी स्थिति में यहां पर आगे लिखा है कि "Provided that the resignation of the Pramukh shall take effect on and from the date on which the sanction of the State Government thereto is received in the office of the Z la Parishad." उप-प्रमुख तो वहां पर होगा ही वह काम करे जब तक मन्जूर करेंगे तब तक वह काम करे क्योंकि वह काम नहीं करना चाहता है। जो आदमी खास काम करने वाला है, जिसके अन्दर जिले की जिम्मेदारी है, यदि वह व्यक्ति काम नहीं करना चाहता है तो उपप्रमुख वहां पर बैठा हुआ है। आप रेजिगनेशन को क्यों नहीं मन्जूर करते हैं। आखिर सारा जिला खाली बैठा रहेगा। वह विधवा हो जायगी उसके रेजिगनेशन से? जिसका कोई मालिक ही नहीं ऐसी चीज हो जायगी। ऐसी चीज होने की नहीं है। उपप्रमुख का प्रावधान रखा है। अगर उपप्रमुख भी नहीं रहता है तो जो मेम्बर बचे रहते हैं उनमें से इलेक्ट करके काम चला सकते हैं। जब इस तरह का प्रावधान इसके अन्दर निहित है तब जबरदस्ती से, प्रोविजो रखने की आवश्यकता क्या हो गई कि स्टेट

(श्री दयाकृष्ण विजय)

गवर्नमेंट मन्जूर करे। स्टेट गवर्नमेंट मन्जूर नहीं करती है तो काम उससे किस तरह से लिया जायगा। काम कैसे लिया जायगा जब कि डिफरेन्सेज हैं। वह जाना ही नहीं चाहता है तो किस तरह से जबरदस्ती आप उसको पाबन्द करेंगे कि काम करो। उसका मन नहीं है, सदस्यों ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया है, उदाहरण के लिए कहना चाहता हूँ, वह नहीं चाहता है कि उनके साथ काम करे, और रेजिगनेशन दे देता है कि आज से जिला परिषद् के अन्दर नहीं आऊंगा, उससे आप कहते हैं कि जब तक रेजिगनेशन मंजूर नहीं हो जाय तब तक काम करो। जब तक कि गवर्नमेंट की मंजूरी नहीं आ जाय उपप्रमुख यदि नाराज हो जाय और रेजिगनेशन दे दे तो उस वक्त में वह मन्जूर समझा जायगा। इसकी आवश्यकता क्या है। जिस दिन से रेजिगनेशन देता है उस दिन से मन्जूर समझा जाना चाहिए। उपप्रमुख काम कर सकता है। दुबारा इलेक्शन होगा तो दूसरा प्रमुख बन जाय। गवर्नमेंट यहां अपनी टांग क्यों फंसाये। यह निरर्थक आप लाते हैं। गवर्नमेंट की टांग यहां पर क्यों? आखिर सारे पॉवर्स जिला परिषद् को दिये गये हैं यदि कोई व्यक्ति रिजाइन करता है तो उसकी पूर्ति करने का प्रावधान रखा है कि दुबारा चुना जा सकता है। तो इसकी जरूरत क्या आगई है कि यहां पर यह बेकार की बात रखकर गवर्नमेंट टांग अपनी यहां पर रखे कि गवर्नमेंट मन्जूरी दे। मंजूरी उस समय नहीं होगी जिस समय रेजिगनेशन दिया है तो अब प्रश्न होता है कि उसकी जगह इन्तजाम करते हैं या नहीं। जब तक यह होगा खाली रहेगी। यह नहीं होगा उपप्रमुख काम करेगा। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि माननीय मंत्रीजी इस निरर्थक क्लॉज को नहीं रखेंगे और उपप्रमुख को काम करने देंगे। अगर उपप्रमुख भी इस्तीफा देता है तो आपस में मेम्बर लोग मिलकर किसी को चुन लेंगे। स्थान खाली नहीं रहने वाला है। दूसरा इलेक्शन करें। और चुनाव कराने के लिए प्रधान का कमिश्नर के पास नोटिस जायगा तो कमिश्नर के पास वह रिजिगनेशन पहुँचेगा तो एक डेट मुकर्रर करें। डेट मुकर्रर करेगा और दुबारा चुनाव हो जायगा। गवर्नमेंट कहां आये बीच में। कमिश्नर को पॉवर है। गवर्नमेंट हर जगह अपनी टांग फंसाना चाहती है यह मेरी समझ में नहीं आया। डिसेन्ट्रेलाइजेशन में गवर्नमेंट की टांग लाई जाय बार बार यह समझ में नहीं आता है। कमिश्नर को चुनाव करवाने के पॉवर्स हैं तो कमिश्नर के पास रेजिगनेशन जाना चाहिए। कमिश्नर चुनाव करा देगा। सारा प्रोसीजर इस तरह से लिया जाता है, इस तरह की यह बात रखी जाती है तो यह कामन सेन्स होनी चाहिए कि वह खत्म हो जाती है। जिस आदमी को चुनाव कराने का अधिकार है उस आदमी के पास रेजिगनेशन टेन्डर करने का अधिकार होना चाहिए। १५ दिन का टाइम देकर मीटिंग कॉल करके दुबारा कर देगा। गवर्नमेंट तक आने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। उपप्रमुख काम करेगा दूसरा आदमी इलेक्ट होकर काम करेगा, कमिश्नर को पॉवर्स चुनाव करवाने के हैं तो यह सारा निरर्थक यह प्रोविजो डाला जाय, इसका मैं समर्थन नहीं करता हूँ। बेकार सी क्लॉज है। गवर्नमेंट की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। स्वीकृति मन की होती है। रेज़िगनेशन दे दिया उसको रोकने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ही इसका विरोध नहीं

(श्री दयाकृष्ण विजय)

करता हूँ पर कामन सेन्स रखने वाला हर आदमी इसका विरोध करेगा।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर): सभा पति महोदय, इस धारा में इस प्रकार का संशोधन है कि इसमें जो प्रोवीजो जोड़ा है उसको हटा दिया जाय। नगरपालिका का जो विधेयक बनाया है उसको आप देखेंगे तो उससे किस प्रकार से रेजिगनेशन को एक्सेप्ट करने की बात दी गई है, और इसमें किस प्रकार से दी गई है। सभापति महोदय, उप प्रमुख और सदस्यों के रेजिगनेशन के लिए एक प्रावधान है। नगरपालिका में इस प्रकार की गड़बड़ी होती है कि जैसे किसी सदस्य ने इस्तीफा दिया तो उसका रिप्रेजेन्टेशन आता है कि कि उसने इस्तीफा नहीं दिया, किसी ने फर्जी इस्तीफा बना लिया है। उसमें राज्य सरकार प्रावधान रख सकती थी कि सेन्क्शन नहीं दे तब तक वह काम करे। नगरपालिका के विधेयक को देखें तो उसमें है कि मेम्बर किस प्रकार से इस्तीफा देगा—"A member may resign his membership by giving notice.........Such resignation shall take effect after the expiry of 15 days from the date of notice.' नगरपालिका विधेयक में यह प्रावधान रखा है कि मजिस्ट्रेट से अटेस्ट करवाकर दे कोई भी सदस्य जो कि इस्तीफा देना चाहे। उसका १५ दिन के बाद में इस्तीफा मंजूर माना जायगा! चेयरमैन के इस्तीफा देने के लिए इस प्रकार का प्रावधान रखा है कि जिस दिन इस्तीफा देगा तो ३० दिन के बाद इस्तीफा मन्जूर, मान्य किया जायगा। राज्य सरकार बीच में नहीं आयेगी। जिला परिषद् का विधेयक बनाया तो इसकी धारा में दूसरी तरह की चीज़ जोड़ देना चाहते हैं। वही प्रावधान रखें जो नगरपालिका के अन्दर रखा है कि जिस दिन से कोई सदस्य या प्रमुख, उप-प्रमुख त्यागपत्र देता है उसके अन्दर एक सप्ताह के बाद में जिस दिन वह इस्तीफा जिला परिषद् के ऑफिस में रिसीट होता है, उस दिन से वह सदस्यता से अलग मान लिया जायगा। यह बात की जाती तो यह भी ठीक था। कुछ थोड़ा सा माननीय मंत्रीजी इस पर गौर करें ताकि जो शंका की जाती है कि उस आदमी ने इस्तीफा दिया या नहीं, उसका इस्तीफा फर्जी बना लिया गया।

६. ४०. म० प०

(श्री निरन्जननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तो जो धारा हमने नगरपालिका विधेयक में लागू की थी कि जब तक किसी मजिस्ट्रेट से अटेस्ट करवा करके नहीं दिया जायगा तब तक वेलिड नहीं माना जायगा। यह लीव की बात थी लेकिन इससे भी बढ़कर राज्य सरकार ने स्तीफा लेने और उसे मन्जूर करने का हथियार अपने हाथ में रखा। यदि राज्य सरकार सेंक्शन नहीं दे तो कौन सी स्थिति बनेगी, इससे गड़बड़ होगी। इसलिए जिस प्रकार नगरपालिका का विधेयक है उसी प्रकार ड्राफ्ट करते हैं तो एक बार मजिस्ट्रेट का अटेस्टेशन हो गया और उसने स्तीफा सबमिट कर दिया तो ७ दिन या १५ दिन के बाद स्तीफा अपने आप मंजूर हुआ समझा जायगा। इस प्रकार की बात बढ़ा दें तो राज्य सरकार बीच में नहीं आयेगी और यह डेमोक्रेटिक बात होगी। इस प्रकार से मैं अपना यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

(श्री उपाध्यक्ष)

(संशोधन प्रस्तुत नहीं किया)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

(अनुपस्थित)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर

(संशोधन प्रस्तुत नहीं किया)

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष, जो अमेन्डमेन्ट माननीय सदस्य ने इस बात का पेश किया है कि इस प्रोविजो को डिलीट कर दिया जाय और बहस के दौरान बहुत जोर से इस बात की बहस की कि एक चुना हुआ प्रमुख स्तीफा देता है तो किस तरह से आप उसको गवर्नमेंट सैंक्शन न करे तब तक रोक सकते हैं। लेकिन वे यह बात भूल गये कि प्रमुख चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिला परिषद् का होता है। जिला परिषद् का दफ्तर और उसका सारा काम उसके अन्डर में होता है। यह ऐसी बात नहीं है कि वह खाली मेम्बर ही हो जो मीटिंग अटेन्ड करता है लेकिन प्रधान इज इन्चार्ज ऑफ जिला परिषद्, इसलिए यह नहीं हो सकता कि वह स्तीफा दे और घर चला जाय...

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : आप टाइम मुकर्रर कर सकते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : टाइम के लिए आप अमेन्डमेंट ला सकते थे। विजय साहब ने आरग्युमेंट दिया कि यदि वह नहीं रहना चाहता है तो आप उसे कैसे कहेंगे कि रहो लेकिन यह प्रोविजन करना पड़ेगा, पंचायत समिति के लिए भी किया है और जिला परिषद् के लिये भी मन्जूर करेंगे तभी होगा वरना वह सारी जिला परिषद् का इन्चार्ज है। सारा रेकार्ड वगैरह लीगली उसके चार्ज में है इसलिए वह यह नहीं कह सकता कि मैंने तो इस्तीफा दे दिया इसलिए मैं अब नहीं आ सकता या संभला सकता। मेम्बर्स के लिए तो यह ठीक है but he is in charge of office and everything of the Zila Parishad लेकिन जो परिषद् का प्रमुख है उसके लिए इस प्रकार की बात नहीं हो सकती यह दलील दी गई कि प्रमुख नही है तो उप प्रमुख होगा वह काम संभाल लेगा। लेकिन यदि दोनों ने साथ ही इस्तीफा दे दिया तो क्या होगा? ऑफिस वेकेट नहीं किया जा सकता। इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक बोडी है उसमें इस तरह की बात नहीं की जा सकती, इसलिये मैं यह नहीं मंजूर कर सकता।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है जो संशोधन क्लॉज ४० पर श्री दयाकृष्ण विजय ने प्रस्तुत किया उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री जगदीश प्रसाद माथुर ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज ४० स्वीकार की जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज ४० स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज ४० (ए), ४१ ४२ और ४३......

श्री दामोदरलाल व्यास : In clause 40 A, Sir, subject to the variation that the......No Sir, it is alright.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉजिज ४० (ए), ४१, ४२ और ४३ स्वीकार की जांय।

(स्वीकृति)

क्लॉज़ ४० ए, ४१, ४२ और ४३ स्वीकार किये गये।

क्लॉज ४४

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज ४४ में मेरा संशोधन इस प्रकार है The word 'District' wher ever occurring in the clause be omitted इस क्लॉज में जहां कहीं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं वहां से उसे ओमिट किया जाय। इसका खास कारण यह है कि जो पंचायत बिल की धारा ३३ पास की थी उस धारा में सारे डेवलपमेंट ऑफिसर्स को यह अधिकार दिया है कि वे पंचायत समिति की मीटिंग में जा सकते हैं और जिला परिषद् की मीटिंग हो रही हो और वहां पर उस समय स्टेट लेवल के डेवलपमेंट विभाग के ऑफिसर्स आये हुए हों तो उनका सहयोग लेना चाहिये। वे अगर उस मीटिंग में आकर सलाह देना चाहें तो उन ऑफिसर्स को राइट होना चाहिए कि वे जिला परिषद् की मीटिंग में जावें और अपने सुझाव दें। यदि यहां पर खाली डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स को रखेंगे तो ४० (ए) में जो अख्त्यार दिया है वह कुछ माने नहीं रखेगा इसलिए इसमें से डिस्ट्रिक्ट वर्ड हटा दिया जाय तो अच्छा रहेगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इस बात को ऑब्जर्व करें कि सलेक्ट कमेटी के मेम्बर्स इस तरह का अमेंडमेंट दें तो उचित नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : Well this is a question concerning the party. There is ample scope to deal with it within the party rather than allow the Chair to come to the rescue. The Chair has been very lenient about it and I am not going to refuse it.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : अभी चेयर की ओर से इसी बात पर श्री अनोपसिंहजी को बैठा दिया गया था।

श्री उपाध्यक्ष : If shri Anope Singh can press this point in the light of your expression. I will accept it

श्री तेजाराम गहलोत : इसमें किसी को करटेल करने की बात नहीं है। हम डिसेन्ट्रेलाइजेशन कर रहे हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा आदमियों का सहयोग लेने की भावना है यदि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स का सहयोग लेंगे और दूसरे मौजूद हैं तो उनका सहयोग लेने से जिला परिषद् क्यों महरूम रहे। इसलिये इसमें से डिस्ट्रिक्ट वर्ड हटाकर ऐसा कर दिया जाय : 'officers of the State Development Department.'

जो भाग लेना चाहें वे ले सकते हैं। कोई डेवलपमेन्ट विभाग का ऑफिसर मौजूद हो और वह जिला परिषद् में आना चाहे तो आ सकता है।

श्री दामोदरलाल व्यास : I move the amendment that in sub-clause (1) omit "or a sub-committee thereof" in line 3.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : अमेन्डमेंट कहां लिखा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : नं० १७७ पर The second is in sub clause (2) Omit "and its sub committee" in line 3.

श्री पी० के० चौधरी : I will suggest one thing to the Hon'ble Minister. In the Panchayat Samities we have stated about the District Development Officers, whereas in the Zila Parishad you have made it purely officers of Development Department

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामप्रसाद लड्ढा ।

(अमेन्डमेंट मूव नहीं किया गया)

श्री परसराम मदेरना।

(अनुपस्थित)

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble Minister.

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, जहां श्री तेजाराम गहलोत के अमेंडमेंट का सवाल है, कि डिस्ट्रिक्ट शब्द ओमिट कर दिया जाय। मुझे कोई एतराज नहीं है उनके अमेंडमेंट को मानने में।

श्री उपाध्यक्ष : And if I had not allowed him, then ?

प्रश्न यह है कि क्लॉज ४४ में श्री तेजाराम गहलोत ने संशोधन प्रस्तुत किया है, उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि श्री दामोदरलाल व्यास ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज ४४, संशोधित रूप में, स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज ४४, संशोधित रूप से, स्वीकार किया गया।

क्लॉज ४४ ए। श्री रामप्रसाद लड्ढा ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन यह है कि क्लॉज ४४ ए (१) में ये शब्द रेकार्ड टू इन सब सेक्शन (२) ऑफ सेक्शन ४४ डिलीट कर दिये जायं। वैसे यह एक साधारण संशोधन है जो माननीय मंत्री महोदय ने भी रखा है।

श्री अनूपसिंह : On a point of order. आप सलेक्ट कमेटी के मेम्बर हैं, आपको नहीं बोलना चाहिए।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : I say I don't want to press this amendment in view

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

of the fact that the Hon'ble Minister-in-Charge is also moring a similar amendment.

श्री उपाध्यक्ष : He is helping the Chair as well as the Hon'ble Member.

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन हैं :

1. In sub-clause (1), omit "referred to it in sub-section (2), of section 44"

2. In sub-clause (2), substitute "any district level officers" for "any of the officers".

उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज ४४ ए के अन्दर ये पॉवर्स दी गई हैं कि जिला परिषद् को अधिकार है कि वह कुछ ऑफिसर्स को बुला सकती है, उनकी व्यूज देने के लिए, उनकी टेक्निकल ओपिनियन लेने के लिए। उसका क्लॉज ४४ (२) में प्रॉविजन किया गया है, उसको स्पष्ट करने के लिए लिखा था, referred to in sub-section (2), यह ठीक नहीं था, इसलिए हटा दिया है। इसके साथ ही सब-क्लॉज २ में एनी ऑफ दी ऑफिसर्स की जगह एनी डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर सब्सटीट्यूट किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज ४४ ए में जो संशोधन श्री दामोदरलाल व्यास ने प्रस्तुत किये हैं, उनको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किये गए।

प्रश्न यह है कि क्लॉज ४४ ए, संशोधित रूप से स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज ४४ ए, संशोधित रूप से, स्वीकार किया गया।

क्लॉज ४५। श्री तेजाराम गहलोत।

श्री तेजराम गहलोत (सोजत) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज ४५...

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, जो सलेक्ट कमेटी के मेम्बर थे, उन पर थोड़ा रेस्ट्रिक्शन रखा जाय, Mr. Ladha could not move his amendment and I think that restriction should apply to all members.

श्री पी०के० चौधरी (फुलेरा) : But the Hon'ble Member has appended a note of dissent. Parhaps the Hon'ble Minister is ignorant of the fact.

श्री उपाध्यक्ष : The Position is that I have been liberal in these matters. Once such an amendment was opposed by the Revenue Minister and then later on was accepted by him.

श्री पी०के० चौधरी : The Hon'ble Member has appended a note of dissent and he is entitled to move his amendment.

श्री उपाध्यक्ष : Yes, I allw him

Page No 140

श्री तेजराम गहलोत (सोजत): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज ४५ सब क्लॉज दो के अन्दर मेरा संशोधन यह है कि [The word "ordinarity in consultation with be substituted by the word "on the recommendation of"] जो ट्रान्सफर का सवाल है, उसमें 'ordinary by in consultation with on the recommendation of' की जगह होना चाहिए। इसमें ऐसा है कि कन्सलटेशन के अन्दर जिला परिषद् राज्य-सरकार को लिखेगी, राज्य सरकार जिला परिषद् के प्रमुख को पूछेगी, इसमें टाइम लगेगा। इसलिए एक सीढ़ी करने के लिए जिला परिषद् के सेक्रेटरी का ट्रान्सफर करना है तो प्रमुख की रिकमन्डेशन पर उसका तबादला हो जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पी०के० चौधरी।

श्री पी०के०चौधरी (फुलेरा): उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज ४५ में मेरा अमेंडमेंट है। In clause 45, sub-clause (2) delete part (b), This part (b) has been mis-printed in the Bill as part (d). This part (d) has to be deleted.

मेरा अमेंडमेंट है कि इसको डिलीट कर दिया जाय। पंचायत समिति में इसको एक्सेप्ट किया है ...

श्री उपाध्यक्ष : डॉ बहादुर सिंह।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : मैं प्रेस नहीं कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री दामोदरलाल व्यास।

श्री भैरोंसिंह : यह सलेक्ट कमेटी के मेम्बर रहे हुए हैं, साहब। (हँसी)।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्वमंत्री): In part (b) of sub-clause (2), substitute "the Zila Parishad" for "a zila parishad'

My second amendment is in sub-clause (2). In place of amendment No 192, the following amendment will be moved: After the words "State Government" occurring for the second time, insert "in consultation with the Pramukh" and omit Parts (a) and (b).

श्री उपाध्यक्ष: Yes, Shri Teja Ram.

श्री तेजाराम गहलोत: I beg permission to withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज ४५ पर जो अमेंडमेंट श्री तेजाराम गहलोत ने प्रस्तुत किया है, उसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री तेजाराम गहलोत : I withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री पी० के० चौधरी ने पेश, किया है....

श्री दामोदरलाल व्यास: As a matter of fact my amendment should be taken first.

श्री पी० के० चौधरी : You should have the courtesy to accept my amend ment first.

श्री दामोदरलाल व्यास : Alright.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री पी० के० चौधरी ने प्रस्तुत किया है, उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज ४५ में जो संशोधन श्री दामोदरलाल व्यास ने नम्बर १७६ पर प्रस्तुत किया है, उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज ४५ पर श्री दामोदरलाल व्यास ने प्रस्तुत किया है, उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

one clarification from Hon'ble Minister. Mr. Chaudhary's amendent is about deleting part (b). How does your amendment stand now ?

श्री दामोदरलाल व्यास : His amendment was for delition of part (b), My amendment is for deletion of both (a) and (b), and also that after the words "State Gorvernment" occurring for the second time, insert "in consultaion with the Pramukh."

श्री पी० के० चौधरी : My amendment for deleting part (b) has been acccepted and now the Honble Minister's amendment will remain only for deletion of part (a) and other tbings.

श्री दामोदरलाल व्यास : Part (b) may be deemed to have been deleted on the amendment of Shri Chaudhary and it should be emphatically quoted.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज ४५ संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लाज ४५ संशोधित रूप से स्वीकार किया गया।

प्रश्न यहै है कि ४५ ए ४६....

प्रश्न यह हैकि क्लॉज ४५ ए स्वीकार किया काय।

(स्वीकृत)

क्लाज ४५ ए स्वीकार किया गया।

क्लॉज ४७। श्री दामोदरलालव्यास।

श्री दामोदरलाल व्यास : और पेश करें, डॉ० बहादुरसिंह, श्री नारायणसिंह।

श्री उपाध्यक्ष : डॉ० बहादुरसिंह।

डॉ० बहादुरसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक संशोधन है कि एक नया सब क्लॉज जोड़ा जाय : " (viic) advise the State Government in be the establishment of small industries in the district".

जो गृह उद्योग हैं जिला के अन्दर, उनके लिए एडवाइस लें जिला परिषद् से। बात यह है कि जिला परिषद् ही होगी जो एडवाइज कर सकेगी किकहां कहां स्माल इन्डस्ट्रीज स्टार्ट करनी है। यह मेरा संशोधन है, मैं आशा करता हूं कि मन्त्री महोदय इसे स्वीकार करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नारायणसिंह।

श्री नारायणसिंह (मसूदा) : माननीय उपाध्यक्ष, क्लॉज ४७ में मैं दो और नये क्लॉजका संशोधन पेश करना चाहता हूं, जिला परिषद् को जोड़ना चाहता हूं और इसीलिये मैंने ये दो नये क्लॉज १२ और १३ जोड़ने का संशोधन पेश किया है।

(xii) decide disputes between two Panchayat Samitis or between a Panchayat Samiti and a Municipal Board within its jurisdiction and the appeal thereto shall lie to the State Government"

"(xiii) make model bye-laws and rules unber the Act within the competence of Panchayats and Panchayat Samitis for their juidance and adoption if they deem fit.'

डिस्प्यूट के विषय में क्लॉज ३ के पार्ट १४ में, पंचायत एक्ट की ८४ सेक्शन में डिस्प्यूट्स का एक लम्बा चौड़ा प्रावधान रखा गया है और उसके मुताबिक दो पंचायतों के आपस में झगड़ा हो तो यदि दोनों पंचायतें एक ही पंचायत समिति के एरिया में हों तो पंचायत समिति उनका झगड़ा निबटा सके और पंचायत समितियों का झगड़ा हो तो जिला परिषद् निबटा सके, पंचायत समिति और पंचायत एक जिले में नहीं हों तो स्टेट गवर्नमेंट निबटा सके, इस प्रकार आगे जाकर क्लॉज ७४ में डिस्प्यूट का और दिया है :

"If any dispute arises between two Panchayat Samities or beween a Pancnayat Samiti and a Municipal Board or between two Zila Parishads or between a Zila Parishad and a Municipal Board, it shall be referred to the State Government.

यह सब डिस्प्यूट्स का प्रावधान है पर जब जिला परिषद को महत्वपूर्ण स्थान देना चाहते हैं और उसे सारी व्यवस्था का सिरा रखना चाहते हैं तो मैं नहीं समझता कि एक पंचायत समिति और दूसरी पंचायत समिति के आपस में झगड़ा हो तो वह जिला परिषद् के अधिकार में नहीं रहे। इसलिये क्लॉज में एड करने के लिये यह पार्ट बढ़ाया है कि पंचायत समितियों के आपस में झगड़ा हो तो जिला परिषद् निबटा सके।

रूल्स मेकिंग पॉवर्स के सम्बन्ध में जो ऐसा टेक्निकल और लीगल विषय है कि इस विषय में हम पंचायतों से आशा नहीं कर सकते कि वे स्वतन्त्र रूप से रूल्स और बाई लॉज बना सकेंगे और संभावना यह भी है कि रूल्स और बाई लॉज पेरेन्ट एक्ट से आगे निकल जायं और रिट्स लागू हों। उन

(श्री नारायणसिंह)

संभावनाओं से बचने के लिये और गाइडेंस देने के लिये जिला परिषद् ऊपर बना रहे हैं, वह गाइडेंस के लिये भी बनती है, इसलिये यहां रखा है कि एक प्रकार के मोडल रूप से बना कर रूल्स और बाई लॉज रख सकें, जो पंचायत समितियों की अनुमति से एडोप्ट हों। इस प्रकार के मोडल लॉज हमारी पार्लियामेंट भी बनाती है और हमारे देश की विभिन्न राज्य सभाएं उनसे गाइडेंस लेती हैं। तो एक लाजिमी गाइडेंस के लिये मैंने ये दो पार्ट्स रखे हैं और मैं आशा करता हूं कि इस बार तो माननीय राजस्व मंत्रीजी मेरे इन दो संशोधनों को स्वीकार करेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय उपाध्यक्ष, मेरा एक अमेंडमेंट इसमें है.......

श्री पी० के० चौधरी : On a point of order, Sir. When the Minister-in-charge is present, whether the 'Rajasva Mantri' can reply to the debate ?

श्री उपाध्यक्ष: He is entitled to reply

श्री दामोदरलाल व्यास : I have to move that in part (i) substitute 'made' for 'prescribed' and 'budgets' for 'budget.'

यह सिंगुलर का प्ल्यूरल है। यह मेरा अमेंडमेंट है जो अमेंडमेंट बाड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है...........

डॉ० बहादुरसिंह : बाड़ी नहीं धौलपुर।

श्री दामोदरलाल व्यास : उस संशोधन की आवश्यकता नहीं है। इसमें है : "(viii a) advice the State Government on all matters relating to the implementation within the district of the various schemes under the Five Year Plan;" स्माल कॉटेज इन्डस्ट्रीज़ अपने आप इसमें हैं, अलग रखने की आवश्यकता नहीं है।

मसूदा से आये हुए माननीय सदस्य ने एक प्रस्ताव किया है कि दो पंचायत समितियों के डिस्प्यूट को और पंचायत समिति व म्युनिसिपैलिटी के डिस्पूट को जिला परिषद् निबटा दे.. that will not be correct. We cannot give jurisdiction to Zila Parishads over Municipal areas.

उनका न वहां जुरिस्डिक्शन है और न यह मंजूर किया है कि म्युनिसिपेलिटीज़ का जिला परिषदों में रिप्रेजेन्टेशन होगा। इस लिये जो प्रोविजन रखा......that provision is quite sufficient and adequate. I am sorry, I am unable to accept his amendment. So far as by-laws and rules are concerned, they should not be allowed to be left to Zila Parishad. They should remain as provided in the Bill.

डॉ० बहादुरसिंह : मेरा निवेदन है...

श्री उपाध्यक्ष : अब तो निवेदन वापिस लेने का कीजिए।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं मेरा संशोधन वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि डॉ० बहादुरसिंह ने जो संशोधन रखा है, उन्हें वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लिए जाने की आज्ञा प्रदान की गई।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री नारायणसिंह : I beg permission to withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री नारायणसिंह को अपना संशोधन वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री नारायणसिंह : I withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज ४७ पर श्री दामोदरलाल व्यास ने जो संशोधन रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि क्लाज ४७ संशोधित रूप से स्वीकार की जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज ४७ संशोधित रूप से स्वीकार की गई।

क्लॉज ४८। श्री दामोदरलाल व्यास।

श्री दामोदरलाल व्यास: My amendment should be taken as moved, Sir. It is only about a printing mistake,

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज ४८ पर जो संशोधन श्री दामोदरलाल व्यास ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज ४८ संशोधित रूप में स्वीकार की जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज ४८ संशोधित रूप में स्वीकार की गई।

क्लॉज ४६। श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह : मूव नहीं करना चाहता।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ४६ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज ४६ स्वीकार किया गया।

क्लॉज ५०।

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ५० स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज ५० स्वीकार किया गया।

क्लॉज ५१। डॉ० बहादुरसिंह ! Not moving ?

डॉ० बहादुरसिंह : No.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज ५१, ५२ स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

क्लॉज ५१ व ५२ स्वीकार किये गये।

क्लॉज ५३। श्री भैरोंसिंह। (मौन)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज ५३, ५४ और ५५ स्वीकार किये जायं।

क्लॉज ५३, ५४ और ५५ स्वीकार किये गये।

(श्री दामोदरलाल व्यास से) You will not disturb the Chair.

श्री दामोदरलाल व्यास : Sorry Sir.

श्री पी० के० चौधरी : Now we should not proceed furher, Sir. We have made rapid progress. Tomorrow we are sitting at 9 A. M. Today incidentally we have made rapid progress.

श्री भैरोंसिंह : काफी क्लॉजेज ले लिये हैं।

श्री पी० के० चौधरी : We have made repid progress today. Besides Chapter IV is controversial.

श्री दामोदरलाल व्यास : Let us come upto clause 55 atleast.

श्री पी० के० चौधरी : That we have already passed.

श्री उपाध्यक्ष : Why to break the speed now ? Let us continue......

श्री भैरोंसिंह : माननीय राजस्व मंत्री ५५ क्लॉजेज़ तक आज लेना चाहते हैं। आपने ५५ कलाजिज तक ले लिया हैं। कल भी बहुत देर तक बैठना है।

श्री उपाध्यक्ष : I think we can take clause 56. It is very safe.

श्री भैरोंसिंह : No Sir. That is most controversial.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): Shall we meet tomorrow at 9 ?

श्री भैरोंसिंह : मैं समझता हूं कि कल ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : मैं समझता हूं कि आज ५९ क्लॉजेज तक ले लें। इसके बाद में भी काफी क्लाजेज रहेंगे। इस चेप्टर को कम्पलीट कर लें। कल शेड्यूल भी पड़ा है उसमें भी समय लगेगा।

श्री भैरोंसिंह : कल ९ बजे से बैठेंगे और ८ बजे तक बैठेंगे। कल यह पास कर दिया जावेगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : Tomorrow at 9.

श्री उपाध्यक्ष : So we now adjourn to meet tomorrow at 9 A.M.

[तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही ७.१३ शाम को दिनांक २ सितम्बर, १९५९ को ९ बजे सुबह तक के लिये स्थगित की गई।]

Page No 147

संक्षिप्त–विवरण

(मंगलवार, १ सितम्बर, १९५९)

स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर

खनिज विभाग की बकाया रकम की वसूली ।

खादी प्रतिष्ठान, बीकानेर ।

गंगानगर जिले में भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समितियों को हुई अलॉट भूमि ।

शिक्षा विभागीय परीक्षाओं को मान्यतायें ।

सोजत सब–डिविजन में खालसा की जमीन ।

पत्थर की खानो को हथौड़ा रॉयल्टी या प्लॉट सिस्टम पर देने की मांग करौली क्षेत्र ।

राजस्थान कॉलेज की छात्राओं द्वारा सांकेतिक हड़ताल ।

बीकानेर रेन्ज में ट्रेन्ड इन्टर ग्रेड में प्रमोशन ।

कॉलोनाईजेशन विभाग द्वारा भाखरा एरिया का सर्वे ।

कॉलेजों में प्रवेश के समय जमा कॉशन मनी ।

साइन्टिफिक इन्स्ट्रूमेन्ट्स पर सेल्स टैक्स ।

स्कम्भ

निरीक्षक जिला जयपुर-पूर्व द्वारा छात्राध्यापकों को एस. टी. सी. की ट्रेनिंग ।

झालावाड़ जिले में ठेकेदारों को बेचने के लिए दी गई शराब ।

फ्रेश छात्राध्यापकों को बेसिक एस. टी. सी. ट्रेनिंग में स्टीपन्ड ।

तहसील कोटपुतली में अलवर व सीकर की सब तहसीलों से अधिक लगान की दर ।

गर्ल्स स्कूल, रूपनगढ़ के स्टाफ़ का वेतन ।

किशनगढ हाई स्कूल में छठी क्लॉस से पढाई का विचार ।

माउन्ट आबू पर शराबबन्दी को तोड़ना ।

तहसील कोटपुतली में बेसिक स्कूल खोलना ।

चित्तौड़गढ़ जिले में अनुसूचित जातियों एवं पिछड़ी जातियों आदि को छात्र-वृत्तियां ।

राज्य में जिलों का पुनर्गठन ।

गांव तथा विकास खण्ड के प्रतिनिधियों को पं० नेहरू द्वारा पारितोषिक वितरण, १९५९ ।

Page No 148

स्कम्भ

जागीरदारों पर कृषि आय-कर।

जिला जैसलमेर को सीमेंट व टीनों का कोटा।

सर्किट हाउसेज के संधारण पर किया गया वार्षिक व्यय।

माउन्ट आबू को उच्च श्रेणी का टूरिस्ट सेन्टर बनाना।

स्थगन प्रस्ताव

कोटा में नये म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से सम्बन्धित श्री दयाकृष्ण विजय के स्थगन प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति उपाध्यक्ष महोदय द्वारा नहीं दी गई।

विधायी कार्य

राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १६५६

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित उपरोक्त विधेयक पर अग्रेतर खंडश: विचार जारी रहा।

खण्ड २५ व २७—संशोधित रूप में स्वीकार किये गये।

स्कम्भ

खण्ड २८—बिना संशोधन के स्वीकार किया गया।

खण्ड २६, ३०, ३१, ३२ व ३३—संशोधित रूप में स्वीकार किये गये।

खण्ड ३४ व ३४ ए—बिना संशोधन किये स्वीकार किये गए।

खण्ड ३५, ३५ ए व ३६—संशोधित रूप में स्वीकार किए गये।

खण्ड ३७ व ३८—बिना संशोधन के स्वीकार किए गए।

खण्ड ३६—संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड ४०, ४० ए ४१, ४२ व ४३—बिना संशोधन के स्वीकार किये गये।

खण्ड ४४, ४४ ए व ४५—संशोधित रूप में स्वीकार किये गये।

खण्ड ४५ ए—बिना संशोधन के स्वीकार किया गया।

(खण्ड ४६ प्रवर समिति द्वारा विलोपित किया गया था)

Page No 149

स्कम्भ

खण्ड ४७ व ४८-संशोधित रूप में स्वीकार किये गए।

खण्ड ४६, ५०, ५१, ५२, ५३, ५४ व ५५-बिना संशोधन के स्वीकार किये गये।

स्कम्भ

बुधवार दिनांक २ सितम्बर, ५६ की कार्य सूची

राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, ५६

(अग्रेतर खंडशः विचार-विमर्श,

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४६६ का उत्तर देखिए)

सूची उन जागीर ग्रामों की जिनमें खालसे की भूमि थी

तहसील सोजत

नाम गांव		रकबा बीघा में
१.	भूम्पेलाव	७४१॥) १
२,	मोरावास	१०७॥)
३.	चाडवास	१०) ४
४.	चक रूपावास	१०२) २
५.	सुरयता	६१॥) ४
६.	सडारडा	१२॥)
७.	थाकड़ी	४३) १
८.	बागावास	१२२८)
९.	मंडला	३०८।) १
१०.	खोखरा	६५)
११.	पाचुंडा	१२०॥) २
१२.	साडीया	६७६॥) १
१३.	हरीयामाली	२९०
१४.	चक सारंगवास	३७॥) ३
१५.	केरखेड़ा	॥)
१६.	चंडावल	१३७॥) ३
१७.	भैंसाणा	१२४॥)

तहसील खारची

नाम गांव		रकबा बीघा में
१.	इदोड़	१३६१॥)४
२.	रेवड़िया	११६॥)१
३.	मांडा	३०३) १
४.	रडावास	६॥) २
५.	राणावास	४६॥) २
६.	गावाणां	६) ३
७.	चेलावास	१३॥)
८.	बारसा	८०॥) २
९.	घामली	७२॥) ४
१०.	हिंगोला कला	२॥) ४
११.	मीमली	१०४॥)
१२.	सवराड	१०१) ३
१३.	सिवज्ञा	२३०)
१४.	घनला	११॥) ३
१५.	देवली	१२॥) १
१६.	जाणूंदा	२१) १
१७.	आडवा	६३) ३
१८.	बीडोरा कलां	१२)
१९.	जाडण	१०)

———

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५०३ का उत्तर देखिये)

Appendix

STATEMEMT (A)

Yearwise progress of work done by the Bhakra Colonisation Department for the years from 1948-49 to 1952-53.

Serial No.	Details of work	1948-49 No. of villages included in scheme.	1948-49 Work done.	1949-50 Total No. of villages included in scheme.	1949-50 Work done.	1950-51 Total No. of villages included in scheme.	1950-51 Work done.	1951-52 Total No. of villages included in scheme.	1951-52 Work done.	1952-53 Total No. of villages included in scheme.	1952-53 Work done.	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Demarcation of village boundaries	178	122	437	24	497	163	427	74	427	30	
2.	Preparation of fields within the village boundaries.		125		24		136		92		43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	Preparation of lists for consolidation of holdings and allotment.		110		34		154		95		43	
4.	Attestation of mutations.		112		1036		1817		237		449	
5.	Preparation of record of rights (Charsala).		—		12	Vill.	8	Vill.	—		5	Pamashbandies
6.	Cases decided :—		—		—		—		427			
	(1) Kulyat Mal.											
	(2) Miscellaneous											
7.	Shajra Nasab		11	—	—	—	—		—		—	
8.	Copying work, aligument of Channels and Chakbandi and o o o o		—		—		—		—		154	Chakbandi plan of 2 chansels of SDS sub-Division & plotted then on Zassa. vis.
9.	Abadi											
	(a) village whose work of Markajbandi has been done.		—		—				—		9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	(b) viillages whose work of Shistbandi has been done.		—		—		—		—		9	
	(c) Houses of villages where paimaish has been made.		—		—		—		—		1000	
	(d) villages whose khasra parshi has been done.											
	(i) No. of houses for which khasra prepared.		—		—		—		—		242	
	(2) No. of houses whose parshies prepared.		—		—		—		—		162	
10.	Survey work		108	Vill.	—	—	—		—		—	
11.	Acquisition of land confer under anuals, reads, Govt. buildings ꠸ o o o.											
	(a) Channele and Distributories.		—		—		—		—		20,189	Bighas
	(b) Brick		—	—	—		—		—	|	221	,,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	(c) Govt. buildings.		—		—		—		—		70	"

(Sd.) Director of Colonisation,
Bhakra Project,
Hanumangarh.

APPENDIX (B)

Statement showing Acquisition of land under various schemes Canals Rest Houses Brick Kilas Roads etc.

Sl. No.	Name of the year	Progressive detail of land acquired in Bighas				Disposal of case work			Compensation awarded		Remarks
		Norusi	Evacuee	Government land	Total	Cases instituted	Disposed of	Balance	Area	Amount	
1.	1953-54	1605	—	—	1605	Notification under section 4 and 5 (11) Rajasthan land Acquisition Act were issued					
2.	1954-55	12068	1606	5004	18678	Notification issued preparation of Survey Record and preceeding undertaken					
3.	1955-56	13156	2018	6905	21680	1344	1111	233	11503 Bighas	Rs. 1865404	Rs. 174316 was awarded for Central mechanised
4.	1956-57	13156	2018	6506	21680	1300	614	486	1712 ,,	Rs. 256316	Farm in 329 cases out of 928 cases. Area 34149
5.	1957-58	14206	2094	6758	23058	1103	1040	63	8465 ,,	Rs. 700723	outually acquired in exchange with Government
6.	1958-59	14206	2114	10548	26868	1048	1003	45	840 ,,	Rs. 464684	land. Rs. 51040 again awarded for Central Mechansied Farm duri this year and 12516 bighas was further required.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		14206	2114	10548	26868	4795	3968	45	22520 Bighas	Rs.3307207	

(Sd.) Director of Colonisation,
Bhakra Project,
Hanumangarh.

APPEDIX (C)

Statement Showing yearwise work progress of Drawing Section, Bhakra Project Colonisation Department, Hanumangarh.

Serial Number	Name of year	Paintograph	Alingment of channel on sheets	Preparation of fair map	Preparation of Vill. wise Murabba sheet.	Ferrow Printing of village maps and chaks	Barking of village boundary on sheet	Marking of water course on sheet and chak plants	Preparation of vill. fair maps for Col. work	Preparation of chacks wise blue prints	Ploting of chaks on vill. maps	Preparation of maps for orchards and other reservation	Tracing	Preparation of project map	Copying of centure sheets	Preparation of capacity state ment	Mandi Dev. Plans
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	1953-54	214	90	182	200	119	291	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	1954-55	145	—	—	—	240	68	1297 Chaks	369	1099	338	253	67	—	—	—	
3.	1955-56	—	—	177	1296 Chaks	—	359	—	—	2493	823	--	540	1 map	222	1297	
4.	1956-57	—	—	—	—	72	—	—	179	1482	200	162	162	10 Copy	228	—	10
5.	1957-58	50	—	100	—	351	359	—	—	240	—	—	200	3	—	—	100
6.	1958-59	—	20	115	—	355	—	—	—	365	35	5	5	4	160	96	—
	Total...	409	110	574	1496	1137	1077	1297	548	35679	1396	420	974	18	604	1393	110

Preparation of consolidation maps	Disposal of abadi roads file	Revision of chaks	Remarks
19	20	21	22
—	—	—	
—	—	—	
—	—	—	
—	—	60	
8	147	200	
10	700	205	
18	847	465	

Director of Colonisation,
Bahkra Project,
Honumangarh.

APPENDIX (D)

Yearwise progress of the work done by the Colonisation Department Bhakra Project, Hanumangarh.

Sl. No.	Particulars of work	Work done in the year. 1953-54	1954-55	1955-56	1956-57	1957-58	1958-59	Total	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Preparation of preliminary records. (i) Tarmim and checking of basic murabba lines and village boundaries.	—	243	115	—	—	—	358	Vilages
	(ii) Preparation of Tenure, Evacuee, Govt. Temporary cultivation holdings list.	—	243	115	—	—	—	358	Vilages
	(iii) Preparation of Colonisation Kharas.	—	83	275	—	—	—	·58	Vilages
	(iv) Preparation of temporary cultivators list for allotment village wise.	—	245	115	—	—	—	358	Vilages
	(v) Conversion of katcha bighas into standard bigha (165' zarib).	—	87	—	—	—	—	67	Notes An An area of 45560 bighas converted into standard bigha in

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(vi) Preparation of village Maps on tracing cloths and ferrow maps and fairmaps village wise.	—	215	145	—	—	—	358	Nohar and Bhadra Tehsils.
	(vii) Preparation of chakwise khasra and maps for irrigation Deptt.	—	—	1297	—	—	—	1297	Chaks
	(viii) Preparation of chakwise Khasra and maps blue prints for use in Col. Deptt.	—	—	1297	—	—	—	1297	Chaks
	(ix) Revised chak khasra and map due to change of chak boundaries by irrigation Department.	—	—	1297	—	—	—	1297	Chaks
	(x) Aligumen of water courses	—	1228	67	—	—	—	1297	Chaks
	(xi) Excavation of water courses.	—	307	787	—	—	—	1104	Chaks
	(xii) Clearence of sand or silt from the channels on the advent of first water in the canals.	—	35 Canal	35 Canals		—	—	10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Field work.								
	(i) Soil classification and valuation of land.	—	—	1297	—	—	—	1297	Chaks
	(ii) Checking of Girdawari.	—	—	368 V.	368 V.	109 V.	—	—	
3.	Land Acquisition.								
	(i) Survey of canals and buick kilns etc.	1605	17073	3104	—	1209	3818	26869	Bighas
	(ii) Acquisition of land for	—	—	—	29102	17092	471	16665	Bighas
	(a) Central Mechanised Farm								
	(b) Orchards, Mandies and other development schemes.	—	—	—	21789	4400	3800	30000	Killas
4.	Killabandi operation.								
	(i) Aligument of killabandi.	—	—	620964	600000	630931	77437	1929332	Killas
	(ii) Batbandi by cultivators	—	—	620964	500200	630931	77437	1829532	Killas
	(iii) Transfers of possossion on the basis of kilabandi.	—	—	—	922828	385588	409431	1717847	Killas

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(iv) Distribution of parcha khatoni.	—	—	—	19	102	115	236	Villages
	(v) Aligument of inter and intra-village roads	—	—	—	—	6270	—	6270	Miles
	(vi) Preparation of killabandi records	—	—	1674670	—	393024	—	2067694	Bighas
	(a) Khasra killabandi form No. 1	—	—	800851	619206	533341	114296	2067694	Bighas
	(b) Khasra killabandi Form No. 2	—	—	82700	1420277	555251	9466	2067694	Bighas
	(c) Khasra killabandi Form No. 3	—	—	—	—	929858	300038	1236896	Bighas
	(d) Parcha khatoni Ist Copy.	—	—	—	—	946988	297181	1244169	Bighas
	(e) Parcha khatoni IInd Copy	—	—	—	986910	658562	78489	1723961	Bighas
	(f) Copying of Girdwari.	—	—	—	—	276185	—	276185	Bighas
	(g) Jamabandi Ist Copy.	—	—	—	—	—	—	—	Bighas
	(h) Jamabandi IInd Copy.	—	—	—	190292	1173574	387078	1750944	Bighas

2	3	4	5	6	7	8	9	10
(vii) Comparision of record chak and villages.	—	—	—	—	547509	—	547509	Bighas
(viii) Preparation of massavis and chak map.	—	—	—	—	233577	—	263573	Bighas
(ix) Preparation of Expanchas	—	—	—	44240	167228	37986	249454	Bighas
5. Allotment of Government land on permanent basis. to.								
(i) Temporary cultivators.	—	—	—	—	—	33132	33132	Bighas
(ii) Landless tenants.	—	—	—	2325	50	50	2425	Killas
(iii) Ex-Millitary personnal	—	—	—	1800	400	—	2200	Killas
(iv) Gadoliya lohars.	—	—	—	23439	3158	—	26586	Killas
(v) Ex-Bhomias	—	—	—	—	1803970	2255219	4039189	Rupees
6. Amount of instalments of the price of Govt. land, allotted on permanent basis, due and recovery made.					1803970	2255019	4039189	Rupees
(i) Instalments due	—	—	—	—	1052466	1616520	2668986	Rupees
(ii) Instalment recovered.	—	—	—	—	96044	129114	283158	
7. Allotment of land on temporary basis for one year.								
8. Consolidation of holdings.	—	—	—	—	37239	82341	118630	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	Disposal of allotment cases.	—	—	—	1740	9952	1824	13576	
	(i) Temporary cultivotors.	—	—	—	—	1387	19653	21040	
	(ii) Landless tenants.	—	—	—	—	392	548	1140	
	(iii) Review of allotment.	—	—						

(Sd.) Director of Colonisation,
Bhakra Project,
Hanumangarh.

परिशिष्ट ३

[कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५०८ का उत्तर देखिए]

Consumption of liquor in jhalawar Disteict for the year :

1. 1954-55	25,495	L. P,	Gallons.
2. 1955-56	18.687	L. P.	Gallons.
3. 1956-57	23,981	L. P.	Gallons.
4. 1957-58	28,916	L. P.	Gallons.
5. 1958-59	28,772	L. P.	Cailons

———

परिशिष्ट ५

[कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५२६ का उत्तर देखिए]

चित्तौड़गढ़ जिले में सन् १९५७-५८ व ५९ में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, विमुक्त जाति एवं अन्य पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष जितनी छात्रवृत्ति दी गई उसकी सूची

नाम वर्ग	छात्रवृत्ति स्वीकार की गई धनराशि (रुपयों में)			छात्र संख्या			एक मुश्त सहायता स्वीकृत की गई धनराशि			छात्र संख्या		
	५६–५७	५७–५८	५८–५९	५६–५७	५७–५८	५८–५९	५६–५७	५७–५८	५८–५९	५६–५७	५७–५८	५८–५९
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
अनुसूचित जाति	२८९६	४०८८	७२९६	७१	११४	१८९	१११४	१३१३	२०२७	२२७	२४६	३९५
अनुसूचित जन जाति	३१२	२३२	१०४०	११	५	३५	११५७	७७२	१६०५	२६६	२५६	३२८
विमुक्त जाति	—	—	२४	—	—	१	—	—	१२७	—	—	२६
अन्य पिछड़ी जाति	२४	४६००	७५३६	१	९५	१८४	१०८५	८४९	१९९१	२१५	१६०	३८४
योग	३२३२	८९२०	१५८९६	८३	२१४	४०९	३३५६	२९३४	५७५०	७०८	५६२	११३३

परिशिष्ट ५

[कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४६२ का उत्तर देखिए]

MINES & GEOLOGY DEPARTMENT, GOVERNMENT OF RAJASTHAN, UDAIPUR

Statement showing the Govt. dues for the quarter ending 30-9-58

S. NO.	Name of Division	OUTSTANDIMG as on the last quarter 30-6-58	Revenue accured during the current quarter	Total of column No. 3 & 4	Recovery made during the current quarter	Outstanding as on 30-9-58.
1	2	3	4	U 5	6	7
1.	Udaipur.	3, 48. 434/02	49,460/82	3,97,894/84	1,21599/51	2,76,295/33
2.	Jaipur.	10,82,600/95	1,77,323/21	12,59,924/16	2,01:270/59	10,58,653/27
3.	Jodhpur	5,96,434/92	3,81,084/21	9,77,519/13	3,14,536/39	6,62,982/74
4.	Kotah.	7,85,494/31	2,24,420/06	10,09,914/37	2,04,172/27	8,05,742/10
5.	Bhilwara.	4,05,121/57	90,069/01	4,95,190/58	96,87/102	3,98,319/56
6.	Palana.	1,63,099/24	—	1,63,099/24	50,312/12	1,12,787/12
	Total	33,81,185/01	9,22,357/31	43,03,542/32	9,88,762/20	33,14,780/12

MINES AND GEOLOGY DEPARTMENT, GOVT. OF RAJASTHAN UDAIPUR.

Statement of Government dues Showing the Cases of Rs. 5,000/— and over on 30.9.1958.

S.No.	Name of party	Particulars of lease.	amount due.	Remarks (Position as on 30.6.59)
UDAIPUR DIVISION.				
1.	M/S Mewar Minerl Co.	Royalty on Mica.	73,102.88	The cases was under the consideration of Government in sept. 1958 since then the decision was received to change Royalty at flat rate. The party was served with anotics to deposit the dues yearly inatalments of Rs. 10,000/— each and pay the first instalment in March' 59. The party has failed to comply the notice and hence the case has been filed under P.D.R. Act & 30 days notice, under the act, has been served by S.D.O.
2.	M/S Rajasthan Mining Industries.	Eeadront of mica.	53.753.18	The case was filed under P.D.R. Act with S.D O. Kekri where from it has been returned with the remarks that the party has gone under liquidation. The liquidetor was contacted by the Mining Engineer, Udaipur & it has been found that there are shares of Rs. 7,630/— only and a scrutiny of Rs. 1,200/— is lying with Deptt. The factual report of the case has been sent to Government.

1	2	3	4	5
3.	M/S Moolchand Suganchand	Deadrent of Emerald.	17,715.24	The matter has been decided and amount adjusted & cleared.
4.	M/S Mewar Industrial & Commercial Syndicate.	Deadrent of Soapstone.	18,072.69	An instalment of Rs. 600/— p.m. has been fixed and since then a sum of Rs. 4,200/— have been recovered upto June' 59.
5.	Shri Rameshwardas Sodhani.	Deadrent of Mica.	10,034.51	Instalment of Rs. 2,000/— half yearly has been fixed and since then Rs. 4.000/— have been recovered & the next instalments falls due in sept. '59 ceese for Rs. is under P.D.R. Act, separataly.
6	Shri Pusalal Man-singka.	Deadrent of Emerald.	5,767.56	The amount has since been recovered.
7.	M/s Laxmi Mineral Co.,	Deadrent of Mica.	7,570.00/—	The case is under P.D.R. Act with S.D.O. Bhilwara 30 days notice was served by the S.D.O. The party has sub-mitted a representation that a sum of Rs. 3,070/— as interest may be waived off and Rs. 1,000/— be recove-red in instalments. The case has now been referred to Government.
BANSWARA				
8.	M/S Kachorimal Sukhlal	Deadrent of Gelana.	9,128.01	The case was under P.D.R. Act since then the matter has been referred to Government regarding deadrent.
9.	Shri Mangal Ram	R.C.C. Nimbahera	11,250.00	The party has cleared all the dues.

1.	2.	3.	4.	5.
10. Shri Moolchand Kumawat.	R.C.C. Chittor	5,950.25.	The amount was to be adjusted from secority furnished by the party in N.S.C.S. worth Rs. 9,300/- The date of encashment is 1.8.59. & action has been taken for encashment of N.S.C.S. & adjustment of dues.	
JODHPUR DIVISION.				
11. Shri Abbas Ali		7,723.96	The case is under P.D.R. Act.	
12. " Ahsam Ali		6,187.00	-do-	
13. " Bakshu Khan		7,439.00	-do-	
14. " Bashir Khan		5,232.00	-do-	
15. " Deras Khan		9,624.75	-do-	
16. " Gowarali Khan		12,892.69	-do-	
17. " Gulab Singh		8,335.59	The party has since deposited the amount.	
18. " Gotan Lime Synd.		38,901.19	The case is under P.D.R. Act.	
19. " Hanuman pd. R. Chaudhary		5.401.00	-do-	
20. " Jamnalal Fathukhan		24,000.00	-do-	
21. " Kishanlal Jodhraj		6,054.00	-do-	

1	2	3	4	5
22.	" Lumba Ram		8,806.00	-do-
23.	" Loonkaran Madangopal		15,100.00	-do-
24.	" Lilchand Khemraj		11,785.44	The party has deposited Rs. 9,60[illegible]/-
25.	" Kanaklal Dharayn Singh.		15,079.31	The case is under P.D.R. Act.
26.	" Madanlal Rawat		8,313.00	-do-
27.	" Ramjas Dhanroj	1241	15,484.50	-do-
28.	" Rahim Bux		8,364.00	-do-
29.	" Rahimbux Gulam Rasool		6,069.00	-do-
30.	" Rowat Khan		8,463.00	-do-
31.	Shri Rahim Bux		6,254.56	The case is underP.D.R. Act.
32.	Shri Samdoo Khan		13,640.00	-do-
BIKANER.				
33.	Shri Chorawar Khan	Royalty on bricks.	5,034.83	The case is under P.D.R. Act. The denying petition filed by the party has been replied.
KOTAH DIVISION.				
34.	Shri Wariyam Singh	Manshallir Hasrpun Quarry.	8,602.23	The case is under consideration of Govt.

1.	2.	3.	4.	5.
35.	" Mishrilal Bapna	Kanwas Quarry	6,044.79	The is in the Civil Court Kotah.
36.	M/S Associated Stone Industries.	Limestone Rebate account.	3,10,913.84	The case was under P.D.R. Act The party has filed an appeal in the Revenue Board the Board has given its decision which hasbeen Boaed from the Mining Engineer, Kotah
37.	Shri Addul Hamid	Kanwas Quarry	6,099.00	The contract has been cancilled.
38.	" Kundanmal	R.B.M. Tehsil Hindai	5,025.00	The case is under P. D.R. Act.
TONK.				
39.	Shri Revati Pd.		27,633.37	The case was filled under P.D.R. Act. The party has filed Civil suit againt the Government.
40.	" Moolchand Kapoorchand		18,540.37	-do-
41.	M/S Rajasthan Kardar		71,719.82	-do-
42.	" Devisinge Roshanlal		6,000 00	
43.	Shri Sardar Sarjitsingh		8,334.47	The amount was recovered in Octoter, 1958.
44.	M/S Krishna Mining Synd.		7,686.33	A sum of Rs. 7,400.00 is to be adjusted from P.W.D. acoount of Bharatpur. The A.M.E. Tonk is regularly contacting P.W.D. authorities but the matter has not yet been finalised.
45.	"Rajasthan Mining Soapstone Hindaun.		31,984.94 7,680.00	The case is under P.D.R. Act.

1.	2	3	4	5
46.	" India Industries Ltd.,		8,025,00	The matter has been referred to Government for settlement of Deadrent.
47.	Shri Murlidhar Agarwal		11,200.00	
BHILWARA DIVISION.				
48.	M/S Mewar Industrial & Commercial Synd.	Block No 4 Mica.	5,704.00	The party was served with a 60 days notice, & now the case been recommended for cancellation.
49.	Shri Dewan Mayadas	Block No 8 Mica.	14,129.23	The matter has been referred to Government.
50.	M/S Ramlal & Sons	Block No. 6 Mica.	7,748.00	The matter was referred to Goverament for decision regarding area. The decision had been recived & all dues adjusted & cleared.
51.	Shri Shivratan G. Mohta.	Mica Kachhana	8,108.00	Recovered in October, 1958.
52.	M/S Baluram Hanumansingh.	R.C.C.	1,21,591.12	The court had decided the case & now it is under P.D.R. Act.,
53.	Shri Gyansingh Panjabi	R.C.C.	7,272.62	Instalments of Rs. 150/- p. m, have been fixed by the Collector.
54.	Shri Dou Dayal Mohta	Block No 3 Mica.	58,231.31	The matter was referred to Govt. for decision. The party has contended that there was no lease. The last date of hearing the case by Chief Minister was 31.7.59. The decision has not been received.
5.	Shri [illegible] ghka	Mica	15,6[illegible]2.00	The amount has been recovered since then.
	" Th. Bagh Singh	Beryl	16,630.35	The case is under P.D.R. Act.

1	2	3	4	5
57.	-do-	Columbite	5,122.75	The case was under P.D.R. Act. The warrant notice was issued by the Collector Bhilwara.
58.	M/S Bhupal Mining Works	Mica	7,816.49	The party has cleared the dues.
59.	Shri Yogesh Chandra Sharma.	Bhagwanpura	8,850.44	The lease has been transeferred in the name of Baidhya Amritlal & 60 days notice has been served to the party.
60.	M/S Moolchand Namichand.	Block No. 8 Mica	5,328.75	The case was under P.D.R. Act from where a warrant notice was issued.
JAIPUR DIVISION.				
61.	Shri Hardwarilal	Soapstone Bir Karanwas	48,255.24	The case is under P.D.R. Act. The Collector had intimated that the party has no property.
62.	Shri Chhuttan Lal Phophalia	Mica Non-Khalsa area.	1,04,717.66	The party had filed a denying liability petition under P.D.R. Act. The petition has been heard by M.E. & decided. The correction in calculation have been made & amount decided as Rs. 1,03,218.45. The other point in the peitition have been rejected & Collectgr informed.
63.	M/S Bharat Mineral Synd.	Limestone Bandiya	48,255.24	The case is under P.D.R. Act. The collector has intimated that there is no proerty of the party. Further action to recover amounts from debitors of the party was taken & Collector requested to recover the same.
64.	Shri Ram Gopal	Patti Katla Toda Raisingh.	8,390.94	The case is under P.D.R. Act.
65.	M/S S.K. Bros.	Calcito Maonda	5,460.00	The case is under P.D.R. Act. The party has requested to fix instalments of Rs. 1,000/- p.m. & the matter has been referred to Government.
66.	Shri Harsukh Rai	Lime stone Bandiya	18,375.00	An instalment of Rs. 750/- quarterly has been fixed by the Collector. A sum of Rs. ———— is now outstanding.

1.	2.	3.	4.	5.
67.	Shri Hanuman Pd.	Building Stone Teh. Jhnjhunu	5,479.18	The case was filed under P.D.R. Act. The party has filed a suit in High Court.
68.	Shri Amolakchand Surana)	Mica in Tonk.	11,085.00)	The case is under P.D.R. Act with S.D.O. Beawar now
69.	" Sahibchand Surana)		10,765.00)	the matter has been referred to Govt. on receipt of the denying liability petitions.
70.	M/S Jaipur Engineering Construction.	Patti Katla Kukas.	5,269.36	The matter is under examination in Mining Engineer's Office.
71.	" Mayur Bhunj	Lime stone	16,426.00	The case was under dispute since then the decision has been conveyed & amount adjusted.
72.	Shri Prakash Chandra	Lime stone	17,378.62	The case is pending in Civil Court.
73.	" Mohanlal	Lime stone Maonda	10,000.00	The dues have been cleared offby the party.
74.	" Power House Jaipur	Lime stone Naila	16,220.00	The case, is in hand for departmental adjustment. The authrities have been contacted and the adjustment carried out are being verified from A.G. by Mining Engineer.
75.	P.W.D. jaipur	-do-	7.173.00	-do-
76.	Electric Deptt. Jaipur	-do-	12,363.94	-do-
77.	M/S Jaipur Mineral Development Synd.	Soaps tone Deghota Jharna.	61,339.67	The party had been served with a notice by Mining Engineer.
78.	Shri Jeewansingh	Building Stone Bisalpur.	5,028.75	The case is under P.D.R. Act.

1	2	3	4	5
79.	,, Nandlal	Iron Ore Singhana	6,400.00	The matter is under examination.
80.	,, Mangal Chand	Lime stone	17,500.00	The lease had been revoked & Since then no question of dues arises.
81.	,, Abdul Shakoor Quazi	Mica	6,210.00	60 days notice has been served to the party.
82.	Shri Bashir Khan Meo.	Stone Teh. Tijara	8.156.00	Evacuee case, Dues have been written off.
83.	,, Bhairo Sainahi	Kankar Teh. Alwar	6.000.00	Instalments have been fixed by the Collector.
84.	,, Chiranjilal Patel	Pathar Chuna	6,711.77	The case is under P.D.R. Act.
85.	,, Chirangilal Vaishya	,, Katla	21,250.14	Meo Case, Under consideration of Govt.
86.	,, Chiranjilal Bhorelal	,, Chunai	5,325.36	The case is under P.D.R. Act.
87.	,, Gyarsiram Hardayal	,, Katla	31,116.89.	-do-
88.	,, Ganeshi Lal	,, Katla	11,661.11	-do-
89.	,, Hardayal Lalooram	Shahpura	9,570.00	Meo disturbance case. Referred to Govt.
90.	,, Hemraj Mundawa	Pathar Katla	6,400.00	The case is under P.D.R. Act.
91.	,, Jainarain Bhargaya	,, ,,	14,178.37	-do-
92.	,, Mahfooz Ali Pathan	Pathar Cunia	6,755.17	Evacuee case. Dues have been writtten off.
93.	,, Manoharlal Alwar	Patti Katla	10,082.31	The case is under P-D.R. Act.
94.	,, Narain Dass	,, ,,	5,963.94	-do-

1		2	3	4		5
95.	"	Narain Dass	"	"	5,050.00	-do-
96.	"	Narain Prasad	Patti	Katla	5,629.00	Rs. 3,437.27 have been recovered for the rest notice has been served to the party.
97.	"	Raza Hussain	Pathar	Chunia	11,115.44	Evacuee case. Dues have been written off by Govt.
98.	"	Ramji Lal Bhan-warilal	Patti	Katla	6,600.00	The party has been served a notice.
99.	"	Ram Pratap	Ghatora		6,550.00	Notice has been served to the party.
100.	"	Shadilal	Patti	Katala	5,503.56	Action for recovery has been teken.
101.	"	Sunder Lal	Pathar	Chunai	5,637.50	The case is under P.D.R. Act.

शुद्धि-पत्र

(१ सितम्बर, ५६)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
३४८७	१४	आदन	आदतन
३४६०	१६	If any, is	If any, is
३४६०	२०	withou	without
३४६७	अन्तिमसे १८	पे स्केलस व सरकारी	पे स्केल सरकारी
३५०६	अन्तिम से ३	साइन्टिफिक इन्सट्रू मेंटस	साइन्टिफिक इन्स्ट्रू मेंट्स
३५१२	,, ,, ६	specificand	specific and
३५२२	१५–१६	why it taken	why it has taken
३५२५	११	क्या यह सही	क्या यह सही है
३५२६	अन्तिमसे५–६	mainrenace	maintenance
३५२६	,, ,, ३	jaipur	Jaipur
३५३३	११	question	questions
३५४६	अतिन्म से ५-७	suport	support
३५५६	३	टक्स	टैक्स
,,	७	निदेदन	निवेनन
३५६४	३	पचायत	पंचायत
३५६८	१५	Samiti is subject	Samiti. It is subject
३५६६	२	गा	गया
३५६६	१८	ब्लेक	ब्लेन्क
३५७१	११	पचायत	पंचायत

१	२	३	४
३५७५	१७	को रीएलाइज	रीएलाइज़
३५७५	१६	काय	काम
३५७५	अन्तिम से १०	क्रॉमन	कॉमन
३५७५	अन्तिम से ५	सेर	सारे
३५७८	अन्तिम से २	टीक	ठीक
३५७६	१७	aliisans	artisans
३५८०	अन्तिम	iu the House	the House
३५८२	अन्तिम से २	लेत	लेता
३५८४	१२	by withdrawn	be withdrawn
३५८४	१८-१६	I wan to perss	I want to press
३५६१	१३	अज	अर्ज
३५६७	१७	रवया	रवैया
३५६६	१८	not move ?	not moving ?
३६०२	१३	श्री दमाकृष्ण विजय	श्री दयाकृष्ण विजय
३६०४	अन्तिम से १२	Vehiclo	Vehicles
३६०६	१४	P pulation	Populatiou
३६०७	५	ट्रेवल त्रिवल	ड्रवल, ट्रेवल
३६०८	१३	फलेसियसलेजिक	ए फेलिशियस लोजिक
३६०६	अन्तिम से १२	गाड़िपे	गाड़ियें
३६१०	अन्तिम से ६	प्रवलता	प्रबलता

१	२	३	४
३६१४	,, ,, ११	क्वास नेशनल	क्वेसी नेशनल
३६१६	,, ,, १०	क्लॉसेज	क्लॉजेज
३६२१	शीर्ष	३१ अगस्त, ५६	१ सितम्बर, ५६
३६२५	१२	पड़	पढ़
३६२७	१०	expe...nses	expenses
३६३१	३	प्रोवॉजो	प्रोविजो
३६३१	१३	कन्सोलिटेड	कन्सोलिडेटेड
३६३२	१५	इन्स्टीट्यूशन्स	इन्स्टिट्युशन्स
३६३६	१८	Voting shouid	Voting should be
३६३६	अन्तिम से ३	House will to maintain	House will assure to maintain
३६३८	७	for opproval	for approval
३६३८	१०	amound	amount
३६३८	१४	Shri Sohaulri	Shri Sohanlal
३६३८	अन्तिम से २	to ge her	together
,,	अन्तिम	deliverdin	delivered in
३६३६	६	इन्टीट्युशन	इन्स्टिट्युशन
,,	१६	orup-Sarpaneb	or Up-Sarpanch
३६४४	अन्तिम से ८	the collector to to the	the collector to the
३६४५	,, ,, ३	सूचना फे लिए	सूचना के लिए
३६४६	,, ,, ५	जोड़ने	Parishad जोड़ने

१	२	३	४
३६४७	७	होना चाहिये	चाहिए
३६४८	अन्तिम से ११	केलल	केवल
३६५५	अन्तिम	फा	का
३६५६	५	वईस	वईस
३६५६	अन्तिम से १२	रोग	रोंग
३६६०	,, ,, ५	खपत	खत
३६६३	अन्तिम	डाइरकशन	डाइरेक्शन
३६६५	अन्तिम से १२	मिए प्रोप्रियेशन	मिसएप्रोप्रियेशन
३६७२	प्रथम	shulder	shoulder
३६७२	२१	एम	एज
३६७२	अन्तिम से ३	pat	part
३६८१	,, ,, १०	बनाये हैं	बनायें
३६८४	,, ,, ६	पैदा	पैदा
३६८६	,, ,, ६	CC-opted	co-opted
३६८६	,, ,, ३	benefical	beneficial
३६८७	,, ,, ६	किसी को डिस्प्यू	किसी ने डिस्प्यूट
३६८८	,, ,, ६	उन्होंने	उन्होंने
३६६३	अन्तिम से ४	amendments	amendment
३६६५	अन्तिम	प्रोविइजो	प्रोविजो

१	२	३	४
३६६८	१८	गवर्गमेंट	गवर्नमेंट
३७०४	१०	a nagetiving	a negative
३७१०	२१	फ्रेन्चइज	फ्रेन्चाइज
३७१०	६ व ११	कांसिल ऑफ स्टेट्स	कौंसिल ऑफ स्टेट्स
३७१५	२	'not less seven dayss	'not less than seven days
३७१७	१५	alreay	already
३७१७	१७	caluse	clause
३७१८	३	but is quite relevant	but it is quite relevant
३७१८	११	Co-ption	co-option
३७२५	१३	डिस्टिंग्विस्ट परशनलिटीज	डिस्टिंग्विस्ट परसनेलिटीज
३७२५	१४	डिस्टिंग्वस्ट	डिस्टिंग्विस्ट
३७२५	अन्तिम से ६	सकत	सकता
३७२६	२०	घारा में	धारा में
३७३१	१२	गंमीरता	गम्भीरता
३७३१	अन्तिम	धंधा	धंधा
३७३२	,, से ७	कोऑर्ट	कोऑप्ट
३७३५	अन्तिम से ४	(बालोत्तरी)	(बालोतरा)
३७३७	,, ,, २	wil	will

१	२	३	४
३७३६	१०	on verbal	one verbal
३७४४	,, ,, ४	mave	made
३७४७	२	ont the	on the
३७४६	८	वड्स रिड्न्डेन्ट	वर्ड्स रिड्न्डेन्ट
३७४६	अन्तिम से ७	Delate	Delete
३७६१	३	moring	moving
३७६२	अन्तिम	allw	allow
३७६३	३ व ४	ordinarity	ordinarily
३७६३	७	ordinary	ordinarety
,,	अन्तिम से २	delition	deletion
३७६६	४	consultation	consultation
,,	८	acccepted	accepted
,,	११	thbings	things
३७६७	४	in be the	in the
३७६७	अन्तिम से ४	juidance	guidance
३७६८	१२	Samities	Samitis
,,	,,	beween	between
३७७०	अन्तिम से १०	by-laws	bye-laws
३७७४	१०	repid	rapid
३७८८	२	Disteict	District

१	२	३	४
३७६८	अन्तिम	cailons	Gallons
३८०१	७	anotics	a notice
३८०१	७	inatalments	instalments
,,	१२	eeadront	deadrent
३८०१	१४	liquidetor	liquidator
३८०२	४	snm	sum
३८०२	८	ceese	Case
३८०२	९	separataly	Separately
३८०३	१	secority	security
३८०५	४	Boaed	called
३८०५	१२	Octoter	October
३८०५	१४	acoount	account
३८०६	६	Goverament	Government
३८०७	४	transeferred	transferred
३८०७	१४	Peitition	Petition
३८०७	१४	collectgr	Collector
,,	१६	proerty	property
३८०७	२१	calcito	calcite